

इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



मध्यप्रदेश राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 36]

भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 7 सितम्बर 2018—भाद्र 16, शक 1940

विषय-सूची

भाग 1.—(1) राज्य शासन के आदेश, (2) विभाग प्रमुखों के आदेश, (3) उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं, (4) राज्य शासन के संकल्प, (5) भारत शासन के आदेश और अधिसूचनाएं, (6) निर्वाचन आयोग, भारत की अधिसूचनाएं, (7) लोक-भाषा परिशिष्ट.

भाग 2.—स्थानीय निकाय की अधिसूचनाएं,

भाग 3.—(1) विज्ञापन और विविध सूचनाएं,
(2) सांख्यिकीय सूचनाएं.

भाग 4.—(क) (1) मध्यप्रदेश विधेयक, (2) प्रवर समिति के प्रतिवेदन,
(3) संसद् में पुरःस्थापित विधेयक,
(ख) (1) अध्यादेश, (2) मध्यप्रदेश अधिनियम,
(3) संसद् के अधिनियम,
(ग) (1) प्रारूप नियम, (2) अंतिम नियम.

भाग १

राज्य शासन के आदेश

सामान्य प्रशासन विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 16 अगस्त 2018

क्र. ई-5-570-आयएस-लीव-एक-5.—(1) श्री अजीत केसरी, भाप्रसे, प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, संसदीय कार्य एवं अनुसूचित जाति कल्याण विभाग को दिनांक 20 से 23 अगस्त 2018 तक चार दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. उक्त अवकाश के साथ दिनांक 18, 19 अगस्त 2018 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति प्रदान की जाती है.

(2) श्री अजीत केसरी की अवकाश अवधि में उनका प्रभार श्री एस. एन. मिश्रा, भाप्रसे, प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, जनजातीय कार्य विभाग तथा संचालक, आदिम जाति अनुसंधान एवं विकास संस्थान, भोपाल को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ-साथ अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, सौंपा जाता है.

(3) अवकाश से लौटने पर श्री अजीत केसरी को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, संसदीय कार्य एवं अनुसूचित जाति कल्याण विभाग के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(4) श्री अजीत केसरी द्वारा प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, संसदीय कार्य एवं अनुसूचित जाति कल्याण विभाग का कार्यभार ग्रहण करने पर श्री एस. एन. मिश्रा, भाप्रसे, उक्त प्रभार से मुक्त होंगे.

5775

(5) अवकाशकाल में श्री अजीत केसरी को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(6) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री अजीत केसरी, अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

भोपाल, दिनांक 20 अगस्त 2018

क्र. ई-1-216-2018-5-एक.—श्री अभिषेक सिंह, भाप्रसे (2009), मुख्य कार्यपालन अधिकारी, भोपाल सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित, भोपाल को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ-साथ, अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, पशुपालन विभाग का प्रभार अतिरिक्त रूप से सौंपा जाता है.

क्र. ई-5-972-आयएएस-लीव-5-एक.—(1) श्री आशीष भार्गव, आयएएस., मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, दतिया को दिनांक 27 अगस्त से 7 सितम्बर 2018 तक, बारह दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. उक्त अवकाश के साथ दिनांक 26 अगस्त एवं 08, 09 सितम्बर 2018 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति प्रदान की जाती है.

(2) अवकाश से लौटने पर श्री आशीष भार्गव को अस्थाई रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न, मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, दतिया के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(3) अवकाशकाल में श्री आशीष भार्गव को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री आशीष भार्गव, अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

भोपाल, दिनांक 21 अगस्त 2018

क्र. ई-1-217-2018-5-एक.—श्रीमती सरिताबाला ओम प्रजापति, भाप्रसे (2011), उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, खनिज साधन विभाग पदस्थ किया जाता है.

क्र. ई-5-481-आयएएस-लीव-5-एक.—(1) श्री इकबाल सिंह बैस, आयएएस., विकअ-सह-विकास आयुक्त एवं पदेन अपर मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग, संसदीय कार्य विभाग एवं आनंद विभाग को दिनांक 16 से 20 अगस्त 2018 तक, पांच दिन का एक्स इंडिया अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. उक्त अवकाश के साथ दिनांक 15 अगस्त 2018 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति प्रदान की जाती है.

(2) अवकाश से लौटने पर श्री इकबाल सिंह बैस को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न विकअ-सह-विकास आयुक्त एवं पदेन अपर मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग, संसदीय कार्य विभाग एवं आनंद विभाग के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(3) अवकाशकाल में श्री इकबाल सिंह बैस को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री इकबाल सिंह बैस, अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

क्र. ई-5-724-आयएएस-लीव-5-एक.—(1) श्री सुखवीर सिंह, आयएएस., कार्यपालन अधिकारी, मध्यप्रदेश रोजगार निर्माण बोर्ड तथा पदेन सचिव, मध्यप्रदेश शासन, तकनीकी शिक्षा कौशल विकास एवं रोजगार विभाग को दिनांक 22 सितम्बर से 12 अक्टूबर 2018 तक, इक्कीस दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. उक्त अवकाश के साथ दिनांक 21 सितम्बर एवं 13, 14 अक्टूबर 2018 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति प्रदान की जाती है.

(2) अवकाश से लौटने पर श्री सुखवीर सिंह को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न मुख्य कार्यपालन अधिकारी, मध्यप्रदेश रोजगार निर्माण बोर्ड तथा पदेन सचिव, मध्यप्रदेश शासन, तकनीकी शिक्षा कौशल विकास एवं रोजगार विभाग के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(3) अवकाशकाल में श्री सुखवीर सिंह को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री सुखवीर सिंह, अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

क्र. ई-5-829-आयएएस-लीव-5-एक.—(1) श्री नागरगोजे मदन विभीषण, आयएएस., उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, खाद्य नागरिक आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभाग को दिनांक 23 अगस्त से 5 सितम्बर 2018 तक, चौदह दिन अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. उक्त अवकाश के साथ दिनांक 22 अगस्त 2018 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति प्रदान की जाती है.

(2) अवकाश से लौटने पर श्री नागरगोजे मदन विभीषण को अस्थाई रूप से आगामी आदेश तक स्थानापन्न उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, खाद्य नागरिक आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभाग के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(3) अवकाशकाल में श्री नागरगोजे मदन विभीषण को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री नागरगोजे मदन विभीषण, अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

क्र. ई-5-896-आयएस-लीव-5-एक.—(1) श्री राजेन्द्र सिंह, आयएस., सचिव, लोकायुक्त कार्यालय, मध्यप्रदेश भोपाल को दिनांक 10 से 14 सितम्बर 2018 तक, पांच दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है।

(2) अवकाश से लौटने पर श्री राजेन्द्र सिंह को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न सचिव, लोकायुक्त कार्यालय, मध्यप्रदेश भोपाल के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है।

(3) अवकाशकाल में श्री राजेन्द्र सिंह को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था।

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री राजेन्द्र सिंह, अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते।

क्र. ई-5-949-आयएस-लीव-5-एक.—(1) श्री अशोक कुमार वर्मा, आयएस., कलेक्टर, जिला ग्वालियर को दिनांक 23 से 25 अगस्त 2018 तक, तीन दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है। उक्त अवकाश के साथ दिनांक 22 अगस्त 2018 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति प्रदान की जाती है।

(2) श्री अशोक कुमार वर्मा, भाप्रसे की अवकाश अवधि में श्री दिनेश श्रीवास्तव, भाप्रसे, अपर कलेक्टर, जिला ग्वालियर को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ-साथ अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, कलेक्टर, जिला ग्वालियर का प्रभार सौंपा जाता है।

(3) अवकाश से लौटने पर श्री अशोक कुमार वर्मा, भाप्रसे, को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न कलेक्टर, जिला ग्वालियर विभाग के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है।

(4) श्री अशोक कुमार वर्मा, भाप्रसे द्वारा कलेक्टर, जिला ग्वालियर का कार्यभार ग्रहण करने पर श्री दिनेश श्रीवास्तव, भाप्रसे, कलेक्टर, जिला ग्वालियर के प्रभार से मुक्त होंगे।

(5) अवकाशकाल में श्री अशोक कुमार वर्मा, भाप्रसे, को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था।

(6) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री अशोक कुमार वर्मा, भाप्रसे, अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते।

क्र. ई-5-996-आयएस-लीव-5-एक.—(1) श्री बी.एस. कुलेश, भाप्रसे, अपर आयुक्त, रीवा संभाग, रीवा को दिनांक 17 से 21 अगस्त 2018 तक, पांच दिन का एक्स इंडिया अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है तथा उक्त अवकाश के साथ दिनांक 22 अगस्त 2018 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति प्रदान की जाती है।

(2) अवकाश से लौटने पर श्री बी.एस. कुलेश, भाप्रसे को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न अपर आयुक्त, रीवा संभाग, रीवा के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है।

(3) अवकाशकाल में श्री बी.एस. कुलेश, भाप्रसे को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था।

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री बी. एस. कुलेश, भाप्रसे अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते।

भोपाल, दिनांक 23 अगस्त 2018

क्र. ई-5-984-आयएस-लीव-5-एक.—(1) सुश्री शीतला पटले, भाप्रसे, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), डबरा जिला ग्वालियर को समसंख्यक आदेश दिनांक 20 फरवरी 2018 द्वारा पूर्व में स्वीकृत दिनांक 26 फरवरी से 24 अगस्त 2018 तक एक सौ अस्सी दिन का प्रसूति अवकाश के अनुक्रम में दिनांक 25 अगस्त से 29 दिसम्बर 2018 तक एक सौ सत्ताईस दिन का संतान पालन अवकाश स्वीकृत किया जाता है। उक्त अवकाश के साथ दिनांक 30 दिसम्बर 2018 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति प्रदान की जाती है।

(2) अवकाश से लौटने पर सुश्री शीतला पटले को अस्थाई रूप से, आगामी आदेश तक स्थानापन्न अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), डबरा जिला ग्वालियर के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है।

(3) अवकाशकाल में सुश्री शीतला पटले को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था।

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि सुश्री शीतला पटले, अवकाश पर नहीं जातीं तो अपने पद पर कार्य करतीं रहतीं

क्र. ई-5-1048-आयएस-लीव-5-एक.—(1) श्रीमती अनुभा श्रीवास्तव, भाप्रसे., कलेक्टर, जिला शहडोल को दिनांक 28 अगस्त से 1 सितम्बर 2018 तक, पांच दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है। उक्त अवकाश के साथ दिनांक 02, 03 सितम्बर 2018 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति प्रदान की जाती है।

(2) श्रीमती अनुभा श्रीवास्तव, भाप्रसे की अवकाश अवधि में कलेक्टर, जिला शहडोल का प्रभार श्री एस. कृष्ण चैतन्य, भाप्रसे., मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, शहडोल को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ-साथ अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक सौंपा जाता है।

(3) अवकाश से लौटने पर श्रीमती अनुभा श्रीवास्तव, भाप्रसे को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न कलेक्टर, जिला शहडोल के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है।

(4) श्रीमती अनुभा श्रीवास्तव द्वारा कलेक्टर, जिला शहडोल का कार्यभार ग्रहण करने पर श्री एस. कृष्ण चैतन्य, केवल कलेक्टर, जिला शहडोल के प्रभार से मुक्त होंगे।

(5) अवकाशकाल में श्रीमती अनुभा श्रीवास्तव, भाप्रसे को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था।

(6) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्रीमती अनुभा श्रीवास्तव, भाप्रसे अवकाश पर नहीं जातीं तो अपने पद पर कार्य करती रहतीं।

भोपाल, दिनांक 24 अगस्त 2018

क्र. ई-1-437-2017-5-एक.— श्री शिवपाल, भाप्रसे (2009) उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक कल्याण विभाग को भारत सरकार, कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग की अधिसूचना क्रमांक 14015/13/2017-AIS (I)-B, दिनांक 18 जनवरी 2018 द्वारा भाप्रसे में पदोन्नति के माध्यम से नियुक्ति प्रदान की गई है। भारत सरकार कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के आदेश क्रमांक 14014/03/2007-AIS (I) दिनांक 19 फरवरी 2018 से उन्हें भाप्रसे संवर्ग में आवंटन वर्ष 2009 प्रदान किया गया है। आवंटन वर्ष 2009 के आधार पर श्री शिवपाल द्वारा भाप्रसे में 09 वर्ष की सेवा दिनांक 1 जनवरी 2018 को पूर्ण कर ली जाने के फलस्वरूप उन्हें कनिष्ठ प्रशासनिक ग्रेड (JAG) की पात्रता उद्भूत हो गई है। तथापि चूंकि भाप्रसे में श्री शिवपाल की वास्तविक रूप से नियुक्ति दिनांक 18 जनवरी 2018 को हुई है, अतः श्री शिवपाल को दिनांक 1 जनवरी 2018 से काल्पनिक रूप से भाप्रसे (वेतन) नियमावली, 2016 के नियम-3 के अन्तर्गत कनिष्ठ प्रशासनिक ग्रेड (Junior Administrative Grade) रुपये 78800—209200 (पे मेट्रिक्स-12) स्वीकृत किया जाता है। श्री शिवपाल को कनिष्ठ प्रशासनिक ग्रेड का वास्तविक लाभ भाप्रसे में नियुक्ति की तिथि अर्थात् दिनांक 18 जनवरी 2018 से प्राप्त होगा।

क्र. ई-5-594-आयएएस-लीव-5-एक.—(1) श्री प्रमोद अग्रवाल, आयएएस., प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग तथा प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश जल निगम तथा प्रमुख सचिव, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग को एस्टोनिया में आयोजित सी आई ओ, ई-गवर्नेंस लीडरशिप ट्रेनिंग प्रोग्राम जो कि दिनांक 26 अगस्त से 2 सितम्बर 2018 तक, आठ दिन तक आयोजित है, में भाग लेने के अनुक्रम में दिनांक 3 से 6 सितम्बर 2018 तक, चार दिन का एक्स इंडिया अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है।

(2) अवकाश से लौटने पर श्री प्रमोद अग्रवाल को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग तथा प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश जल निगम तथा प्रमुख सचिव, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है।

(3) अवकाशकाल में श्री प्रमोद अग्रवाल को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था।

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री प्रमोद अग्रवाल अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते।

क्र. ई-5-630-आयएएस-लीव-5-एक.—(1) श्री नीरज मंडलोई, आयएएस., प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, खनिज साधन विभाग एवं प्रबंध संचालक, खनिज विकास निगम को ओपीएम विश्वविद्यालय, वांशिगटन, अमेरिका में दिनांक 10 से 14 सितम्बर 2018 तक, पांच दिन के प्रशिक्षण कार्यक्रम में भाग लेने के अनुक्रम में दिनांक 15 से 18 सितम्बर 2018 तक चार दिन का एक्स इंडिया अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है।

(2) अवकाश से लौटने पर श्री नीरज मंडलोई को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, खनिज साधन विभाग एवं प्रबंध संचालक, खनिज विकास निगम के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है।

(3) अवकाशकाल में श्री नीरज मंडलोई को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था।

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री नीरज मंडलोई, अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते।

क्र. ई-5-924-आयएएस-लीव-5-एक.—(1) श्री चन्द्रमोहन ठाकुर, आयएएस., संचालक, प्रोफेशनल एक्जामिनेशन बोर्ड, भोपाल को दिनांक 25 से 27 अक्टूबर 2018 तक तीन दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है। उक्त अवकाश के साथ दिनांक 24 एवं 28 अक्टूबर 2018 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति प्रदान की जाती है।

(2) अवकाश से लौटने पर श्री चन्द्रमोहन ठाकुर को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न, संचालक, प्रोफेशनल एक्जामिनेशन बोर्ड, भोपाल के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है।

(3) अवकाशकाल में श्री चन्द्रमोहन ठाकुर को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था।

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री चन्द्रमोहन ठाकुर अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते।

क्र. ई-5-1070-आयएएस-लीव-5-एक.—(1) श्री सुरेश कुमार, आयएएस., मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, अशोकनगर को दिनांक 4 से 14 सितम्बर 2018 तक, ग्यारह दिन का एक्स इंडिया अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है तथा उक्त अवकाश के साथ दिनांक 02, 03 एवं 15, 16 सितम्बर 2018 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति दी जाती है।

(2) अवकाश से लौटने पर श्री सुरेश कुमार, भाप्रसे, को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, अशोकनगर के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है।

(3) अवकाशकाल में श्री सुरेश कुमार, भाप्रसे को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था।

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री सुरेश कुमार, भाप्रसे अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते।

क्र. ई-5-1085-आयएस-लीव-5-एक.—(1) श्री चन्द्रमौलि शुक्ला, भाप्रसे, आयुक्त नगरपालिक निगम, जबलपुर को दिनांक 23 से 30 अगस्त 2018 तक, आठ दिन का एक्स इंडिया अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है।

(2) अवकाश से लौटने पर श्री चन्द्रमौलि शुक्ला, भाप्रसे, को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न आयुक्त, नगर पालिक निगम, जबलपुर के पद पर पदस्थ किया जाता है।

(3) अवकाशकाल में श्री चन्द्रमौलि शुक्ला, भाप्रसे, को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था।

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री चन्द्रमौलि शुक्ला, भाप्रसे, अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
बसंत प्रताप सिंह, मुख्य सचिव.

भोपाल, दिनांक 16 अगस्त 2018

क्र. ई-5-888-आयएस-लीव-5-एक.—(1) श्री कर्मवीर शर्मा, भाप्रसे कलेक्टर, जिला राजगढ़ को समसंख्यक आदेश दिनांक 4 अगस्त 2018 द्वारा 8 से 10 अगस्त 2018 तक, तीन दिन का अर्जित अवकाश दिनांक 11 एवं 12 अगस्त 2018 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति सहित स्वीकृत किया गया था, एतद्वारा निरस्त किया जाता है।

भोपाल, दिनांक 24 अगस्त 2018

क्र. ई-5-1091-आयएस-लीव-5-एक.—(1) श्री मुजीबुर्रहमान खान, आयएस., मुख्य महाप्रबंधक, मध्यप्रदेश पाठ्य पुस्तक निगम, भोपाल को समसंख्यक आदेश दिनांक 21 अगस्त 2018 द्वारा दिनांक 10 से 14 सितम्बर 2018 तक, पांच दिन का एक्स इंडिया अर्जित अवकाश स्वीकृत किया गया था, एतद्वारा निरस्त किया जाता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
फजल मोहम्मद, अवर सचिव "कार्मिक".

गृह विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 20 अगस्त 2018

क्र. एफ-1(ए) 154-93-ब-2-दो.—राज्य शासन श्री डी. श्रीनिवास राव, भापुसे, अति. महानिदेशक, ईओडब्ल्यू, भोपाल को दिनांक 23 अगस्त से 1 सितम्बर 2018 तक, दस दिवस अर्जित अवकाश एवं दिनांक 22 अगस्त व 02-03 सितम्बर 2018 के विज्ञप्त अवकाश के लाभ के साथ स्वीकृति प्रदान की जाती है।

(2) अवकाश से लौटने पर श्री डी. श्रीनिवास राव, भापुसे, को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न अति. महानिदेशक, ईओडब्ल्यू, भोपाल के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है।

(3) अवकाशकाल श्री डी. श्रीनिवास राव, भापुसे., को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था।

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री डी. श्रीनिवास राव, भापुसे, उक्त अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर बने रहते।

भोपाल, दिनांक 24 अगस्त 2018

क्र. एफ-1 (ए) 107-08-ब-2-दो.—राज्य शासन श्री जितेन्द्र सिंह कुशवाह, भापुसे, पुलिस उप महानिरीक्षक, रतलाम रेन्ज रतलाम को दिनांक 30 जुलाई से 10 अगस्त 2018 तक, कुल बारह दिवस अर्जित अवकाश एवं दिनांक 29 जुलाई 2018 व 11-12 अगस्त 2018 के विज्ञप्त अवकाश के लाभ के साथ स्वीकृति प्रदान की जाती है।

(2) अवकाश से लौटने पर श्री जितेन्द्र सिंह कुशवाह, भापुसे, को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न पुलिस उप महानिरीक्षक, रतलाम रेन्ज, रतलाम के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है।

(3) अवकाशकाल में श्री जितेन्द्र सिंह कुशवाह, भापुसे, को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था।

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि जितेन्द्र सिंह कुशवाह, भापुसे, उक्त अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर बने रहते।

क्र. एफ-1 (ए) 148-95-ब-2-दो.—राज्य शासन श्री डी. पी. गुप्ता, भा.पु.से., पुलिस महानिरीक्षक, (रेल) मध्यप्रदेश भोपाल को दिनांक 30-31 जुलाई 2018, दो दिवस एवं दिनांक 13-14 अगस्त 2018 दो दिवस कुल चार दिवस अर्जित अवकाश की कार्योत्तर स्वीकृति प्रदान की जाती है।

(2) अवकाश से लौटने पर श्री डी. पी. गुप्ता, भापुसे., को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न पुलिस महानिरीक्षक (रेल) मध्यप्रदेश भोपाल के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है।

(3) अवकाशकाल श्री डी. पी. गुप्ता, भापुसे., को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था।

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री डी. पी. गुप्ता, भापुसे., उक्त अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर बने रहते।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
श्रीदास, अवर सचिव.

भोपाल, दिनांक 24 अगस्त 2018

क्र. एफ-1(ए) 199-1991-ब-2-दो.—राज्य शासन श्रीमती सुषमा सिंह, भापुसे., अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक, मध्यप्रदेश मानव अधिकार आयोग, भोपाल को दिनांक 23 से 30 अगस्त 2018 तक आठ दिवस अर्जित अवकाश की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

(2) अवकाश से लौटने पर श्रीमती सुषमा सिंह भापुसे., को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न अतिरिक्त पुलिस

भोपाल, दिनांक 23 अगस्त 2018

फा. क्र. 1-5-96-इक्कीस-ब(एक)-3844-2018.—भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 (1988 का सं. 49) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, और इस विभाग की अधिसूचना फा. क्र. 1-5-96-इक्कीस-ब(एक)-2051-2016, दिनांक 6 जून 2016 जो मध्यप्रदेश राजपत्र भाग-1 में दिनांक 17 जून 2016 को प्रकाशित हुई थी, को आंशित अतिष्ठित करते हुए तथा फा. क्र. 1-5-96-इक्कीस-ब(एक)-3633-2018, दिनांक 8 अगस्त 2018 जो मध्यप्रदेश राजपत्र भाग-1 में दिनांक 17 अगस्त, 2018 को प्रकाशित हुई थी, को अतिष्ठित करते हुए, राज्य शासन, मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय के परामर्श से, एतद्द्वारा, नीचे दी गई सारणी के कॉलम (2) में विनिर्दिष्ट अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश को सारणी के कॉलम (3) की तत्स्थानी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट क्षेत्र के लिए श्री रविन्द्र कुमार भद्रसेन, द्वितीय अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, भोपाल के स्थान पर भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 की धारा 3 की उपधारा (1) में विनिर्दिष्ट अपधारों के एवं उन अपधारों का विचारण हेतु जिनका अन्वेषण दिल्ली पुलिस तथा केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो द्वारा दिल्ली विशेष पुलिस स्थापन अधिनियम, 1946 (1946 का सं. 25) के अधीन किया गया हो एवं जो विनिर्दिष्ट रूप से मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय, जबलपुर अथवा संबंधित जिले के जिला एवं सत्र न्यायाधीश द्वारा उन्हें सौंपे गये हो, विशेष न्यायाधीश के रूप में नियुक्त करता है, अर्थात् :-

अनुक्रमांक	न्यायाधीश का नाम	सारणी मुख्यालय का नाम	विशेष न्यायालय का क्षेत्राधिकार
(1)	(2)	(3)	(4)
"1	श्री आलोक अवस्थी, बीसवें अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, भोपाल.	भोपाल	भोपाल, सीहोर, रायसेन, ग्वालियर, भिण्ड, मुँरैना, शिवपुरी, दतिया, टीकमगढ़, विदिशा, छतरपुर, बैतूल, होशंगाबाद, गुना, राजगढ़, हरदा, श्योपुर एवं अशोकनगर."

महानिदेशक, मध्यप्रदेश मानव अधिकार आयोग, भोपाल के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है।

(3) अवकाशकाल श्रीमती सुषमा सिंह, भापुसे., को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था।

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्रीमती सुषमा सिंह, भापुसे., उक्त अवकाश पर नहीं जाती तो अपने पद पर बनीं रहतीं।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
डी. एस. मुकाती, अवर सचिव.

विधि और विधायी कार्य विभाग

भोपाल, दिनांक 21 अगस्त 2018

फा. क्र. 3534-इक्कीस-ब-(दो).—दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (क्र. 2 सन् 1974) की धारा 24 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन, एतद्द्वारा माननीय उच्च न्यायालय की सहमति अनुसार श्री रोहित मिश्रा, विशेष शासकीय अधिवक्ता, ग्वालियर को आदेश जारी होने के दिनांक से लोक अभियोजक की शक्तियां प्रदान करता है।

F. No. 1-5-96-XXI-B(One)-3844-2018.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) Section 3 of the Prevention of Corruption Act, 1988 (No. 49 of 1988), and in partial supersession of this department notification F. No. 1-5-96-XXI-B(One)-2051-2016, dated 6th June 2016, which was published in the Madhya Pradesh Gazette part-1 dated the 17th June, 2016 and in supersession of this department notification F. No. 1-5-96-XXI-B(One)-3633-2018, dated 8th August 2018 which was published in the Madhya Pradesh Gazette Part-1 dated the 17th August the State Government, with the concurrence of the High Court of Madhya Pradesh, hereby, appoints the Additional Sessions Judge specified in column (2) of the Table below to be the Special Judge for respective area specified in the corresponding entry in column (3) thereof in place of Shri Ravindra Kumar Bhadrasen, IInd Additional Sessions Judge, Bhopal to try the cases relating to the offences specified under sub-section (1) of Section 3 of the said Act and those investigated under the Delhi Special Police Establishment Act, 1946 (No. 25 of 1946) by the Delhi Police and Central Bureau of Investigation and which are specifically assigned to them by the High Court of Madhya Pradesh, Jabalpur or by the District and Sessions Judge of the Concerned District, as the case may be:—

TABLE

S. No. (1)	Name of Judge (2)	Headquarter (3)	Jurisdiction of Special Court (4)
"1	Shri Alok Awasthi, XXth Additional Sessions Judge, Bhopal.	Bhopal	Bhopal, Sehore, Raisen, Gwalior, Bhind, Morena, Shivpuri, Datia, Tikamgarh, Vidisha, Chhatarpur, Betul, Hoshangabad, Guna, Rajgarh, Harda, Sheopur and Ashoknagar."

फा. क्र. 3(ए)19-2003-इक्कीस-ब-(एक) 3748.—यतः भारत के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा रिट याचिका (सिविल) क्रमांक 1022-89 अखिल भारतीय जजेस एसोसिएशन एवं अन्य विरुद्ध भार संघ एवं अन्य में पारित, आदेश दिनांक 21 फरवरी, 2006 और राज्य मंत्रपरिषद् के आदेश दिनांक 5 जून 2006 के अनुपालन में, विधि और विधायी कार्य विभाग ने अपने आदेश दिनांक 15 जून, 2006 द्वारा मध्यप्रदेश में पदस्थ न्यायिक अधिकारियों को कतिपय सुविधाएं प्रदान की गई है;

और यतः उपरोक्त आदेश दिनांक 15 जून 2006 के पैरा 8 (2) के साथ पठित पैरा 16 में यह उपबंध है कि राज्य शासन, सेवारत/सेवानिवृत्त न्यायिक अधिकारियों तथा उनके परिवार के सदस्यों के उपचार के लिए निजी चिकित्सालयों को अधिसूचित करेगी;

अतएव, इस विभाग की अधिसूचना दिनांक 30 अक्टूबर, 2009 जो कि मध्यप्रदेश राजपत्र भाग-1, दिनांक 13 नवम्बर 2009 में प्रकाशित की गई थी, समसंख्यक अधिसूचा दिनांक 30 अगस्त 2010 जो कि मध्यप्रदेश राजपत्र भाग-1 दिनांक 10 सितम्बर 2010 में प्रकाशित की गई थी, समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 27 नवम्बर 2012 जो कि मध्यप्रदेश राजपत्र भाग-1, दिनांक 7 दिसम्बर 2012 में प्रकाशित की गई थी, अधिसूचना क्र. 3(ए)19-2003-21-ब, दिनांक 8 अगस्त 2014 जो मध्यप्रदेश राजपत्र दिनांक 22 अगस्त 2014 में प्रकाशित की गई थी एवं अधिसूचना दिनांक 4 अप्रैल 2017 जो कि मध्यप्रदेश राजपत्र भाग-1, दिनांक 14 अप्रैल 2017 में प्रकाशित की गई थी, के क्रम में, राज्य शासन, संचालक, मध्यप्रदेश स्वास्थ्य सेवाएं मध्यप्रदेश के परामर्श से, एतद्वारा नीचे दी गई सारणी के कॉलम (3) में वर्णित निजी चिकित्सालयों को सेवारत/सेवानिवृत्त न्यायिक अधिकारियों तथा उनके परिवार के सदस्यों के उपचार के लिए अधिसूचित करती है:—

सारणी

स. क्र. (1)	जिला (2)	चिकित्सालय का नाम (3)
1	भोपाल	एसजी हॉस्पिटल, अरेरा कॉलोनी, भोपाल
2	भोपाल	दिव्या एडवांस ई.एन.टी. क्लीनिक, ई-7, अरेरा कॉलोनी, भोपाल
3	भोपाल	स्माइल केयर डेन्टल क्लीनिक, शॉप नं. 52, पिक टावर, रायसेन रोड, भोपाल
4	भोपाल	सेन्टर फॉर स्किन डिजीज, ई-2/38, अरेरा कॉलोनी, भोपाल

F. No. 3 (A)-19-2003-XXI-B 3748-18 (One).—WHEREAS in compliance of the order dated 21st Febuary, 2006 passed by the Supreme Court of India- in Writ Petition (Civil) No. 1022/89 All India Judges Association and others Versus Union on India and others and in compliance of the order dated 5th June, 2006 of the State Council, the Law and Legistative Affairs Department vide its order dated 15th June, 2006 granted certain facilities to the Judicial Officers posted in Madhya Pradesh;

AND WHEREAS Para 8 (2) read with Para 16 of the aforesaid order dated 15th June, 2006 provide that the State Government shall notify private hospitals for treatment of working/retired judicial officers and their family members;

NOW, THEREFORE, in continuation of this department's notification F. No. 3 (A)-19-2003-XXI-B (One), dated 30 October, 2009 which was published in the Madhya Pradesh Gazette, Part-I, dated 13th November, 2009, Notification of even number dated 30th August 2010 which was published in the Madhya Pradesh Gazette, Part-I, dated 10th September 2010 Notification of even number 27th November, 2012 which was published in the Madhya Pradesh Gazette, Part-1 dated 7 December, 2012 Notification of even number dated 8-8-2014 which was published in the Madhya Pradesh Gazette, Part-1 dated 22 August, 2014, and Notification of even number dated 4 April 2017 which was published in the Madhya Pradesh Gazette, Part-1 dated 14 April 2017 the State Government, in consultation with the Director, Health Service, Madhya Pradesh hereby notify the private hospitals in the State mentioned in column (3) of the table below for treatment of working/retired judicial officers and their family members :—

TABLE

S. No. (1)	Distirct (2)	Name of Hospitals (3)
1	Bhopal	ASG Hospital, E-3, Arera Colony, Bhopal
2	Bhopal	Divya Advance E. N. T. Clinic, E-7, Arera Colony, Bhopal
3	Bhopal	Smile Care Dental Clinic, Shop No. 52, Pink Towar Raisen Road, Bhopal
4	Bhopal	Centre for Skin Disease, E-2/38, Arera Colony, Bhopal

फा. क्र. 17(ई)83-03-इक्कीस-ब (एक)-3983, 3999-018.—विद्युत् अधिनियम, 2003 (2003 का 36) की धारा 153 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन, मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय की सहमति से, एतद्द्वारा, इस विभाग की अधिसूचना फा. क्रमांक 17(ई) 83-03-इक्कीस-ब (एक), दिनांक 16 सितम्बर, 2010 में, जो मध्यप्रदेश राजपत्र भाग-1, में दिनांक 24 सितम्बर, 2010 में प्रकाशित की गई थी, निम्नलिखित संशोधन करता है, अर्थात् :—

संशोधन

उक्त अधिसूचना में, सारणी में, अनुक्रमांक 2, 26 एवं 99 तथा उनसे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित अनुक्रमांक तथा उनसे संबंधित प्रविष्टियाँ स्थापित की जाएं अर्थात्:—

सारणी

स. क्र. (1)	सिविल जिले का नाम (2)	विशेष न्यायालय का नाम (3)	विशेष न्यायालय के न्यायालय का नाम (4)
“2.	अलीराजपुर	अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, जोबट	श्री सुखराम सेनम, अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, जोबट
26.	देवास	द्वितीय अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, देवास	श्री गंगाचरण दुबे, द्वितीय अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, देवास.
99.	शिवपुरी	द्वितीय अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, करेरा	श्री संजीव जैन, द्वितीय अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, करेरा.

F. No. 17(E) 83-03-XXI-B(one)-3983-3999-2018.—In exercise of the powers conferred by sub-section (2) of Section 153 of the Electricity Act, 2003 (No. 36 of 2003), the State Government, with the concurrence of the High Court of Madhya Pradesh, hereby makes the following amendments in this Department's Notification F. No. 17(E)83-03-XXI-B(1), dated 16th September, 2010, which was published in the Madhya Pradesh Gazette, Part-1, dated 24th September, 2010 namely:—

AMENDMENT

In the said notification, in the Table, for serial numbers 2, 26 and 99 and entries relating thereto, the following serial numbers and entries relating thereto shall be substituted, namely:—

TABLE

S. No.	Name of the Civil District	Name of Special Court	Name of the Judge of the Special Court
(1)	(2)	(3)	(4)
“2.	Alirajpur	Additional Sessions Judge, Jobat	Shri Sukhram Senam, Additional Sessions Judge, Jobat.
26.	Dewas	II nd Additional Sessions Judge, Dewas.	Shri Gangacharan Dubey, II nd Additional Sessions Judge, Dewas.
99.	Shivpuri	II nd Additional Sessions Judge, Karera.	Shri Sanjeev Jain, II nd Additional Sessions Judge, Karera.”

फा. क्र. 17(ई)83-03-इक्कीस-ब (एक)-3983, 3999-018.—विद्युत् अधिनियम, 2003 (2003 का 36) की धारा 153 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन, मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय की सहमति से, एतद्द्वारा, इस विभाग की अधिसूचना फा. क्रमांक 17(ई) 83-2003-इक्कीस-ब (एक), दिनांक 16 सितम्बर, 2010 में, जो मध्यप्रदेश राजपत्र भाग-1, में दिनांक 24 सितम्बर, 2010 में प्रकाशित की गई थी, निम्नलिखित संशोधन करता है, अर्थात् :-

संशोधन

उक्त अधिसूचना में, सारणी में, अनुक्रमांक 2, 26 एवं 99 तथा उनसे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित अनुक्रमांक तथा उससे संबंधित प्रविष्टियाँ स्थापित की जाएँ अर्थात्:—

सारणी

अनुक्रमांक	सिविल जिले का नाम	विशेष न्यायालय का नाम	विशेष न्यायालय की क्षेत्रीय अधिकारिता (विद्युत् क्षेत्र के अनुसार)
(1)	(2)	(3)	(4)
“2.	अलीराजपुर	अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, जोबट	जोबट का विद्युत् क्षेत्र
26.	देवास	द्वितीय अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, देवास	सिविल जिला देवास का समस्त विद्युत् क्षेत्र (अनुक्रमांक 26-ए 27, 28 एवं 28-ए) के विशेष न्यायालय की अधिकारिता को छोड़कर.
“99.	शिवपुरी	द्वितीय अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, करेरा	करेरा का विद्युत् क्षेत्र.”

F. No. 17(E) 83-03-XXI-B(one)-3983-3999-2018.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 153 of the Electricity Act, 2003 (No. 36 of 2003), the State Government, with the concurrence of the High Court of Madhya Pradesh, hereby makes the following amendments in this Department's Notification F. No. 17(E)83-

03-XXI-B(1), dated 16th September, 2010, which was published in the Madhya Pradesh Gazette, Part-1, dated 24th September, 2010, namely:—

AMENDMENT

In the said notification, in the Table, for serial numbers 2, 26 and 99 and entries relating thereto, the following serial numbers and entries relating thereto shall be substituted, namely:—

TABLE

S. No.	Name of the Civil District	Name of Special Court	Territorial jurisdiction of Special Court (According to the electricity Area)
(1)	(2)	(3)	(4)
"2.	Alirajpur	Additional Sessions Judge, Jobat	Electricity area of Jobat
26.	Dewas	II nd Additional Sessions Judge, Dewas.	All Electricity Area of Civil District Dewas (excluding the territorial jurisdiction given at serial number 26-A 27, 28 & 28-A).
"99.	Shivpuri	II nd Additional Sessions Judge, Karera.	Electricity area of Karera."

भोपाल, दिनांक 25 अगस्त 2018

फा. क्र. 4019-2018-इक्कीस-ब (एक).—राज्य शासन, उच्चतर न्यायिक सेवा के सदस्य श्री महेश कुमार सैनी, प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, अनूपपुर को उनके द्वारा आवेदन-पत्र दिनांक 4 अगस्त 2018 के अनुसार मध्यप्रदेश डिस्ट्रिक्ट एवं सेशन जजेस (डेथ-कम-रिटायरमेंट बेनेफिट) नियम, 1964 के नियम 2 एवं 3 सहपठित ऑल इंडिया सर्विसेज (डेथ-कम-रिटायरमेंट बेनेफिट) नियम, 1958 के नियम 16(2-ए), मध्यप्रदेश सिविल सेवा (पेंशन) नियम 1976 के अधीन उच्च न्यायालय की अनुशंसा पर उन्हें दिनांक 4 सितम्बर 2018 के अपरान्ह से स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति की स्वीकृति प्रदान करता है.

फा. क्र. 17(ई)44-2013-इक्कीस-ब (एक)-3992-18.—राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण अधिनियम, 2008 (2008 का 34) का धारा 22 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन, एतद्वारा, मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय के परामर्श से, इस विभाग की अधिसूचना फा. क्रमांक ब (1) 3476-2013, दिनांक 11 सितम्बर, 2013 में, जो मध्यप्रदेश राजपत्र भाग-एक में दिनांक 20 सितम्बर, 2013 को प्रकाशित हुई थी, निम्नलिखित और संशोधन करता है, अर्थात् :—

संशोधन

उक्त अधिसूचना में, सारणी में, अनुक्रमांक 22, 34, 38, 39, 42 तथा 46 तथा उनसे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित अनुक्रमांक तथा उनसे संबंधित प्रविष्टियाँ स्थापित की जाएँ अर्थात्:—

सारणी

क्रमांक	जिले का नाम	विशेष न्यायाधीश का नाम
(1)	(2)	(3)
"22.	मंदसौर	श्री अनिश कुमार मिश्रा, विशेष न्यायाधीश, मंदसौर
34.	सिवनी	श्रीमती आतिशा श्रीवास्तव, विशेष न्यायाधीश, सिवनी
38.	शिवपुरी	श्री डी. एल. सोनिया, प्रथम अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, शिवपुरी
39.	सीधी	श्रीमती ममता जैन, विशेष न्यायाधीश, सीधी
42.	उज्जैन	श्री राजेन्द्र देवड़ा, चतुर्थ अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, उज्जैन
46.	अनूपपुर	श्री अशोक कुमार शर्मा (जूनि-II), अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, अनूपपुर"

यह संशोधन उस तारीख से प्रवृत्त होगा जिसको कि इस अधिसूचना में यथाविनिर्दिष्ट न्यायाधीश उक्त न्यायालय में अपने पद का कार्यभार ग्रहण करें.

F. No. 17(E) 44-2013-XXI-B(one)-3992-2018.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 22 of the National Investigation Agency Act, 2008 (34 of 2008), the State Government in consultation with the High Court of Madhya Pradesh, hereby, makes the following further amendments in this department's Notification F. No. B (1) 3476-2013, dated 11th September, 2013, which was published in the Madhya Pradesh Gazette, Part-I, dated 20th September, 2013, namely :—

AMENDMENT

In the said notification, in the Table, for serial numbers 22, 34, 38, 39, 42 and 46 and entries relating thereto, the following serial numbers and entries relating thereto shall be substituted, namely:—

TABLE

S. No. (1)	Name of Distirct (2)	Name and Designation of the Judge (3)
22.	Mandsaur	Shri Anish Kumar Mishra, Special Judge, Mandsaur
34.	Seoni	Smt. Ashita Shrivastava, Special Judge, Seoni
38.	Shivpuri	Shri D. L. Sonia, 1 st Additional Sessions Judge, Shivpuri
39.	Sidhi	Smt. Mamta Jain, Special Judge, Sidhi
42.	Ujjain	Shri Rajendra Deoda, IV th Additional Sessions Judge, Ujjain
46.	Anuppur	Shri Ashok Kumar Sharma, (Jr. II) Additional Sessions Judge, Anuppur.”

This amendment shall come into force from the date on which the judge as specified in this notification assumes the charge of his office in the said Court.

भोपाल, दिनांक 27 अगस्त 2018

फा. क्र. 4060-2018-इक्कीस-ब (एक).—राज्य शासन, उच्चतर न्यायिक सेवा के सदस्य श्री गोपाल सिंह नेताम, अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश वर्तमान में अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, शहडोल को उनके द्वारा प्रस्तुत आवेदन-पत्र दिनांक 10 अगस्त 2018 के अनुसार मध्यप्रदेश डिस्ट्रिक्ट एवं सेशन जजेस (डेथ-कम-रिटायरमेंट बेनेफिट) नियम, 1964 के नियम 2 एवं 3 सहपठित ऑल इंडिया सर्विसेज (डेथ-कम-रिटायरमेंट बेनेफिट) नियम, 1958 के नियम 16(2-ए), मध्यप्रदेश सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 1976 के अधीन उच्च न्यायालय की अनुशंसा पर उन्हें तत्काल प्रभाव से स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति की स्वीकृति प्रदान करता है.

भोपाल, दिनांक 28 अगस्त 2018

फा. क्र. 17(ई)8-2012-इक्कीस-ब (एक) 3633-2018.—राज्य शासन, एतद्द्वारा, मध्यप्रदेश विशेष न्यायालय नियम, 2012 के नियम 8 के उपनियम (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों के अंतर्गत जारी इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक 17(ई)8-2012-इक्कीस-ब(एक)1878-2018, दिनांक 8 मई 2018, जो मध्यप्रदेश राजपत्र दिनांक 18 मई, 2018 प्रकाशित हुई थी, में निम्नलिखित संशोधन करता है :—

संशोधन

उक्त अधिसूचना में क्रमांक 1 तथा उससे संबंधित प्रविष्टियाँ अप्रभावी बनी रहेंगी.

F. No.-17-(E)-8-2012-XXI-B (1) 3633-2018.—In exercise of the powers conferred by sub-rule (1) of Rule 8 of the Madhya Pradesh Vishesh Nayayalya Niyam, 2012, the State Government, hereby, makes the following amendment in this department's Notification No. F. No. 17(E)8-2012-XXI-B(One) 1878-2018, dated 8th May 2018 which was published in the Madhya Pradesh Gazette (Extra-Ordinary) dated 18th May, 2018, namely :—

AMENDMENT

In the said notification, serial number 1 and entries relating thereto shall remain uneffected.

भोपाल, दिनांक 29 अगस्त 2018

फा. क्र. 1-6-89-इक्कीस-ब-(एक) 3904-2018.—स्वापक औषधि और मनःप्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 (1985 का 61) की धारा 36 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन, मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधिपति की सहमति से, एतद्द्वारा, इस विभाग की अधिसूचना फा. क्रमांक 1-6-89-इक्कीस-ब (एक), दिनांक 3 अप्रैल, 1998 में, जो मध्यप्रदेश राजपत्र भाग-1 में दिनांक 17 अप्रैल, 1998 को प्रकाशित हुई थी, निम्नलिखित और संशोधन करता है, अर्थात् :-

संशोधन

उक्त अधिसूचना में, अनुसूची में, अनुक्रमांक 2, 7, 7-ग, 40, 41, 42 तथा 50 तथा उनसे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित अनुक्रमांक तथा उनसे संबंधित प्रविष्टियां स्थापित की जाएं, अर्थात् :-

अनुक्रमांक	न्यायाधीश का नाम तथा पदनाम	विशेष न्यायालय	स्थानीय क्षेत्र/सेशन खण्ड
(1)	(2)	(3)	(4)
“2.	श्री राजेन्द्र देवड़ा, चतुर्थ अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, उज्जैन.	उज्जैन	उज्जैन
7.	श्री अनिश कुमार मिश्रा, विशेष न्यायाधीश, मंदसौर.	मंदसौर	मंदसौर
7-ग	श्री केशव सिंह, अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, मंदसौर (भानपुरा).	मंदसौर (भानपुरा)	मंदसौर (भानपुरा)
40.	श्रीमती आतिशा श्रीवास्तव, विशेष न्यायाधीश, सिवनी.	सिवनी	सिवनी
41.	श्री डी. एल. सोनिया, प्रथम अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, शिवपुरी.	शिवपुरी	शिवपुरी
42.	श्रीमती ममता जैन, विशेष न्यायाधीश, सीधी.	सीधी	सीधी
50.	श्री अशोक कुमार शर्मा, (जूनि. II), अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, अनूपपुर.	अनूपपुर	अनूपपुर”

यह संशोधन उस तारीख से प्रवृत्त होगा जिसको कि इस अधिसूचना में यथा-विनिर्दिष्ट न्यायाधीश उक्त न्यायालय में अपने पद का कार्यभार ग्रहण करें.

F-No. 1-6-89-XXI-B (one)3904-2018.—In exercise of the powers conferred by sub-section (2) of Section 36 of the Narcotic Drugs and Psychotropic Substances Act, 1985 (No. 61 of 1985), the State Government, with the concurrence of the Chief Justice of the High Court of Madhya Pradesh, hereby makes the following further amendment in this department's Notification No. F. 1-6-89-XXI-B(one), dated 3rd April, 1998, which was published in the Madhya Pradesh Gazette Part-I dated the 17th April, 1998, namely :—

AMENDMENT

In the said notification, in the schedule, for serial numbers 2, 7, 7-C, 40, 41, 42 and 50 and entries relating thereto, the following serial numbers and entries relating thereto shall be substituted, namely :—

S.No.	Name and Designation of the Judge	Special Court	Local area Session Divisions
(1)	(2)	(3)	(4)
“2.	Shri Rajendra Deoda, IVth Additional Sessions Judge, Ujjain.	Ujjain	Ujjain

(1)	(2)	(3)	(4)
7.	Shri Anish Kumar Mishra, Special Judge, Mandsaur.	Mandsaur	Mandsaur
7-C	Shri Keshav Singh, Additional Sessions Judge, Mandsaur (Bhanpura).	Madnsaur (Bhanpura)	Mandsaur (Bhanpura)
40.	Smt. Ashita Shrivastava, Special Judge, Seoni.	Seoni	Seoni
41.	Shri D. L. Sonia, Ist Additional Sessions Judge, Shivpuri.	Shivpuri	Shivpuri
42.	Smt. Mamta Jain, Special Judge, Sidhi	Sidhi	Sidhi
50.	Shri Ashok Kumar Sharma (Jr. II) Additional Sessions Judge, Anuppur.	Anuppur	Anuppur''

This amendment shall come into force from the date on which the judge as specified in this notification assumes the charge of his office in the said Court.

फा. क्र. 1-1-88-इक्कीस-ब-(एक) 3864-2018.—स्वापक औषधि और मनःप्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 (1985 का 61) की धारा 36 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन, मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधिपति की सहमति से, एतद्द्वारा, इस विभाग की अधिसूचना फा. क्रमांक 1-6-89-इक्कीस-ब (एक), दिनांक 24 फरवरी, 2010 में, जो मध्यप्रदेश राजपत्र भाग-1 में दिनांक 12 मार्च, 2010 को प्रकाशित हुई थी, निम्नलिखित और संशोधन करता है, अर्थात् :—

संशोधन

उक्त अधिसूचना में, अनुसूची में,

(1) अनुक्रमांक 8 के पश्चात्, निम्नलिखित अनुक्रमांक तथा उससे संबंधित प्रविष्टियां अन्तःस्थापित किये जाएं, अर्थात् :—

अनुक्रमांक (1)	विशेष न्यायालय (2)	स्थानीय क्षेत्र (3)
“8-ए. 8-बी.	विशेष न्यायालय, भोपाल विशेष न्यायालय, भोपाल	भोपाल भोपाल.”

(2) अनुक्रमांक 19 के पश्चात्, निम्नलिखित अनुक्रमांक तथा उससे संबंधित प्रविष्टियां अन्तःस्थापित किये जाएं, अर्थात् :—

अनुक्रमांक (1)	सेशन न्यायाधीश/अपर सेशन न्यायाधीश (2)	स्थानीय क्षेत्र (3)
“19-ए. 19-बी.	विशेष न्यायालय, ग्वालियर विशेष न्यायालय, ग्वालियर	ग्वालियर ग्वालियर.”

(3) अनुक्रमांक 22 के पश्चात्, निम्नलिखित अनुक्रमांक तथा उससे संबंधित प्रविष्टियां अन्तःस्थापित किये जाएं, अर्थात् :—

अनुक्रमांक (1)	सेशन न्यायाधीश/अपर सेशन न्यायाधीश (2)	स्थानीय क्षेत्र (3)
“22-ए. 22-बी.	विशेष न्यायालय, इन्दौर विशेष न्यायालय, इन्दौर	इन्दौर इन्दौर.”

(4) अनुक्रमांक 23 के पश्चात्, निम्नलिखित अनुक्रमांक तथा उससे संबंधित प्रविष्टियां अन्तःस्थापित किये जाएं, अर्थात् :—

अनुक्रमांक (1)	सेशन न्यायाधीश/अपर सेशन न्यायाधीश (2)	स्थानीय क्षेत्र (3)
“23-ए. 23-बी.	विशेष न्यायालय, जबलपुर विशेष न्यायालय, जबलपुर	जबलपुर जबलपुर.”

(5) अनुक्रमांक 25 के पश्चात्, निम्नलिखित अनुक्रमांक तथा उससे संबंधित प्रविष्टियां अन्तःस्थापित किये जाएं, अर्थात् :-

अनुक्रमांक (1)	सेशन न्यायाधीश/अपर सेशन न्यायाधीश (2)	स्थानीय क्षेत्र (3)
“25-ए. 25-बी.	विशेष न्यायालय, कटनी विशेष न्यायालय, कटनी	कटनी कटनी.”

(6) अनुक्रमांक 27 के पश्चात्, निम्नलिखित अनुक्रमांक तथा उससे संबंधित प्रविष्टियां अन्तःस्थापित किये जाएं, अर्थात् :-

अनुक्रमांक (1)	सेशन न्यायाधीश/अपर सेशन न्यायाधीश (2)	स्थानीय क्षेत्र (3)
“27-ए. 27-बी.	विशेष न्यायालय, मंदसौर विशेष न्यायालय, मंदसौर	मंदसौर मंदसौर.”

(7) अनुक्रमांक 29 के पश्चात्, निम्नलिखित अनुक्रमांक तथा उससे संबंधित प्रविष्टियां अन्तःस्थापित किये जाएं, अर्थात् :-

अनुक्रमांक (1)	सेशन न्यायाधीश/अपर सेशन न्यायाधीश (2)	स्थानीय क्षेत्र (3)
“29-ए. 29-बी.	विशेष न्यायालय, (गरोठ) मंदसौर विशेष न्यायालय, (भानपुरा) मंदसौर	मंदसौर भानपुरा, मंदसौर.”

(8) अनुक्रमांक 31 के पश्चात्, निम्नलिखित अनुक्रमांक तथा उससे संबंधित प्रविष्टियां अन्तःस्थापित किये जाएं, अर्थात् :-

अनुक्रमांक (1)	सेशन न्यायाधीश/अपर सेशन न्यायाधीश (2)	स्थानीय क्षेत्र (3)
“31-ए. 31-बी.	विशेष न्यायालय, नरसिंहपुर विशेष न्यायालय, नरसिंहपुर	नरसिंहपुर नरसिंहपुर.”

(9) अनुक्रमांक 32 के पश्चात्, निम्नलिखित अनुक्रमांक तथा उससे संबंधित प्रविष्टियां अन्तःस्थापित किये जाएं, अर्थात् :-

अनुक्रमांक (1)	सेशन न्यायाधीश/अपर सेशन न्यायाधीश (2)	स्थानीय क्षेत्र (3)
“32-ए. 32-बी. 32-सी. 32-डी.	विशेष न्यायालय, नीमच विशेष न्यायालय, नीमच विशेष न्यायालय, (मनासा) नीमच विशेष न्यायालय, (जावद) नीमच	नीमच नीमच मनासा, नीमच जावद, नीमच.”

(10) अनुक्रमांक 36 के पश्चात्, निम्नलिखित अनुक्रमांक तथा उससे संबंधित प्रविष्टियां अन्तःस्थापित किये जाएं, अर्थात् :-

अनुक्रमांक (1)	सेशन न्यायाधीश/अपर सेशन न्यायाधीश (2)	स्थानीय क्षेत्र (3)
“36-ए. “36-बी.	विशेष न्यायालय, रतलाम विशेष न्यायालय, रतलाम	रतलाम रतलाम.”

(11) अनुक्रमांक 37 के पश्चात्, निम्नलिखित अनुक्रमांक तथा उससे संबंधित प्रविष्टियां अन्तःस्थापित किये जाएं, अर्थात् :-

अनुक्रमांक (1)	सेशन न्यायाधीश/अपर सेशन न्यायाधीश (2)	स्थानीय क्षेत्र (3)
“37-ए.	विशेष न्यायालय, (जावरा) रतलाम	जावरा, रतलाम.”

(12) अनुक्रमांक 38 के पश्चात्, निम्नलिखित अनुक्रमांक तथा उससे संबंधित प्रविष्टियां अन्तःस्थापित किये जाएं, अर्थात् :—

अनुक्रमांक	सेशन न्यायाधीश/अपर सेशन न्यायाधीश	स्थानीय क्षेत्र
(1)	(2)	(3)
“38-ए.	विशेष न्यायालय, रीवा	रीवा
38-बी.	विशेष न्यायालय, रीवा	रीवा.”

(13) अनुक्रमांक 48 के पश्चात्, निम्नलिखित अनुक्रमांक तथा उससे संबंधित प्रविष्टियां अन्तःस्थापित किये जाएं, अर्थात् :—

अनुक्रमांक	सेशन न्यायाधीश/अपर सेशन न्यायाधीश	स्थानीय क्षेत्र
(1)	(2)	(3)
“48-ए.	विशेष न्यायालय, सिंगरौली	सिंगरौली
48-बी.	विशेष न्यायालय, सिंगरौली	सिंगरौली.”

(15) अनुक्रमांक 52 के पश्चात्, निम्नलिखित अनुक्रमांक तथा उससे संबंधित प्रविष्टियां अन्तःस्थापित किये जाएं, अर्थात् :—

अनुक्रमांक	सेशन न्यायाधीश/अपर सेशन न्यायाधीश	स्थानीय क्षेत्र
(1)	(2)	(3)
“52-ए.	विशेष न्यायालय, विदिशा	विदिशा
52-बी.	विशेष न्यायालय, विदिशा	विदिशा.”

F.No. 1-6-89-XXI-B (1)3864-2018.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 36 of the Narcotic Drugs and Psychotropic Substances Act, 1985 (No. 61 of 1985), the State Government, with the concurrence of the Chief Justice of the High Court of Madhya Pradesh, hereby makes the following further amendments in this department's Notification No. F. 1-6-89-XXI-B(1), dated 24th February, 2010, which was published in the Madhya Pradesh Gazette Part-1 dated the 12th March, 2010, namely :—

AMENDMENT

In the said notification, in the schedule.—

(1) after serial number 8, the following serial numbers and entries relating thereto shall be inserted, namely :—

S.No.	Sessions Judge/Additional Sessions Judge	Local area
(1)	(2)	(3)
“8-A.	Special Court, Bhopal	Bhopal
“8-B.	Special Court, Bhopal	Bhopal.”

(2) after serial number 19, the following serial numbers and entries relating thereto shall be inserted, namely :—

S.No.	Sessions Judge/Additional Sessions Judge	Local area
(1)	(2)	(3)
“19-A.	Special Court, Gwalior	Gwalior
“19-B.	Special Court, Gwalior	Gwalior.”

(3) after serial number 22, the following serial numbers and entries relating thereto shall be inserted, namely :—

S.No.	Sessions Judge/Additional Sessions Judge	Local area
(1)	(2)	(3)
“22-A.	Special Court, Indore	Indore
“22-B.	Special Court, Indore	Indorel.”

(4) after serial number 23, the following serial numbers and entries relating thereto shall be inserted, namely :—

S.No.	Sessions Judge/Additional Sessions Judge	Local area
(1)	(2)	(3)
“23-A.	Special Court, Jabalpur	Jabalpur
“23-B.	Special Court, Jabalpur	Jabalpur.”

(5) after serial number 25, the following serial numbers and entries relating thereto shall be inserted, namely :—

S.No.	Sessions Judge/Additional Sessions Judge	Local area
(1)	(2)	(3)
"25-A.	Special Court, Katni	Katni
"25-B.	Special Court, Katni	Katni."

(6) after serial number 27, the following serial numbers and entries relating thereto shall be inserted, namely :—

S.No.	Sessions Judge/Additional Sessions Judge	Local area
(1)	(2)	(3)
"27-A.	Special Court, Mandsaur	Mandsaur
"27-B.	Special Court, Mandsaur	Mandsaur."

(7) after serial number 29, the following serial numbers and entries relating thereto shall be inserted, namely :—

S.No.	Sessions Judge/Additional Sessions Judge	Local area
(1)	(2)	(3)
"29-A.	Special Court, (Garoth) Mandsaur	Garoth, Mandsaur
"29-B.	Special Court, (Bhanpura) Mandsaur	Bhanpura, Mandsaur."

(8) after serial number 31, the following serial numbers and entries relating thereto shall be inserted, namely :—

S.No.	Sessions Judge/Additional Sessions Judge	Local area
(1)	(2)	(3)
"31-A.	Special Court, Narsinghpur	Narsinghpur
31-B.	Special Court, Narsinghpur	Narsinghpur."

(9) after serial number 32, the following serial numbers and entries relating thereto shall be inserted, namely :—

S.No.	Sessions Judge/Additional Sessions Judge	Local area
(1)	(2)	(3)
"32-A.	Special Court, Neemuch	Neemuch
32-B.	Special Court, Neemuch	Neemuch
"32-C.	Special Court, (Manasa) Neemuch	Manasa, Neemuch
32-D.	Special Court, (Jawad) Neemuch	Jawad, Neemuch

(10) after serial number 36, the following serial numbers and entries relating thereto shall be inserted, namely :—

S.No.	Sessions Judge/Additional Sessions Judge	Local area
(1)	(2)	(3)
"36-A.	Special Court, Ratlam	Ratlam
36-B.	Special Court, Ratlam	Ratlam."

(11) after serial number 37, the following serial numbers and entries relating thereto shall be inserted, namely :—

S.No.	Sessions Judge/Additional Sessions Judge	Local area
(1)	(2)	(3)
"37-A.	Special Court, (Jaora) Ratlam	Jaora, Ratlam

(12) after serial number 38, the following serial numbers and entries relating thereto shall be inserted, namely :—

S.No.	Sessions Judge/Additional Sessions Judge	Local area
(1)	(2)	(3)
"38-A.	Special Court, Rewa	Rewa
38-B.	Special Court, Rewa	Rewa."

(13) after serial number 48, the following serial numbers and entries relating thereto shall be inserted, namely :—

S.No.	Sessions Judge/Additional Sessions Judge	Local area
(1)	(2)	(3)
"48-A.	Special Court, Singroli	Singroli
48-B.	Special Court, Singroli	Singroli."

(14) after serial number 52, the following serial numbers and entries relating thereto shall be inserted, namely :—

S.No.	Sessions Judge/Additional Sessions Judge	Local area
(1)	(2)	(3)
"52-A.	Special Court, Vidisha	Vidisha
52-B.	Special Court, Vidisha	Vidisha."

भोपाल, दिनांक 30 अगस्त 2018

फा. क्रमांक 3(बी)3-2015-इक्कीस-ब (एक) 4088, (मेरिट क्र. 88), राज्य शासन, कुँवर युवराज सिंह पिता श्री लाखन सिंह को मध्यप्रदेश न्यायिक सेवा में सिविल न्यायाधीश, वर्ग-2 (प्रवेश स्तर) के पद पर, दो वर्ष की परीक्षा पर अथवा अन्य आदेश होने तक अस्थायी रूप से, उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से कनिष्ठ वेतनमान रुपये 27700-770-33090-920-40450-1080-44470 में एतद्द्वारा नियुक्त करता है।

अभ्यर्थी का गृह जिला कटनी (म. प्र.) है। उसकी जन्मतिथि 15 दिसम्बर 1982 है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
सत्येन्द्र कुमार सिंह, प्रमुख सचिव।

भोपाल, दिनांक 21 अगस्त 2018

फा. क्रमांक 2966-इक्कीस-ब (दो) 2018.—राज्य शासन, मध्यप्रदेश राज्य के प्रत्येक जिले में मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1993 (1994 का समसंख्यक 10) की धारा 30 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, उक्त अधिनियम की धारा 31 के अन्तर्गत विनिर्दिष्ट विशेष न्यायालयों में प्रकरणों का संचालन करने के लिये, ऐसे जिले में पदस्थ उपसंचालक, अभियोजन तथा जहाँ ऐसे उपसंचालक, अभियोजन पदस्थ नहीं हैं वहाँ जिला लोक अभियोजन अधिकारी तथा उसकी अनुपस्थिति में वरिष्ठतम अतिरिक्त जिला लोक अभियोजन अधिकारी को एतद्द्वारा विशेष लोक अभियोजक नियुक्त करता है।

यह अधिसूचना जारी होने के दिनांक से प्रभावशील होगी।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
गोपाल श्रीवास्तव, सचिव।

किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 13 अगस्त 2018

क्र. बी-4-12-2016-चौदह-2.—राज्य शासन एतद्द्वारा मंत्रि-परिषद् आदेश आयटम क्रमांक 7, दिनांक 30 जुलाई 2018 के परिपालन में जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय, जबलपुर के अन्तर्गत रहली, जिला-सागर में उद्यानिकी महाविद्यालय की स्थापना हेतु स्वीकृति प्रदान की जाती है। नवीन उद्यानिकी महाविद्यालय की स्थापना हेतु 40 हेक्टर भूमि का उपयोग किया जाये।

उद्यानिकी महाविद्यालय की स्थापना हेतु विभागीय संक्षेपिका के संलग्न परिशिष्ट-1 अनुसार प्रस्तावित अधोसंरचना विकास के लिए अनावर्ती मद में राशि रुपये 8292.03 लाख तथा संचालन के लिए आवर्ती व्यय हेतु राशि रुपये 3163.30 लाख तीन वर्ष में राज्य शासन द्वारा बजट प्रावधान सक्षम परियोजना परीक्षण समिति के परीक्षण उपरान्त मंत्रि-परिषद् से अनुमोदन अनुसार निर्धारण किया जावेगा।

उद्यानिकी महाविद्यालय का व्यय मांग संख्या 54-2354 कृषि अनुसंधान एवं शिक्षा मद के अंतर्गत विकलनीय होगा।

उद्यानिकी महाविद्यालय की स्थापना हेतु विभागीय संक्षेपिका दिनांक 20 अप्रैल 2018 के परिशिष्ट-2(अ) एवं 2(ब) अनुसार अधिष्ठाता का 01-पद, प्रध्यापक के 08-पद, सह प्रध्यापक के 11-पद, सहायक प्रध्यापक के 31-पद तथा गैर शैक्षणिक के 41-पद, इस तरह कुल 92-पद सृजित कर स्वीकृति प्रदान की जाती है। शेष कार्य आउटसोर्स किया जा सकता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
जितेन्द्र सिंह परिहार, अवर सचिव।

परिशिष्ट-1

नवीन उद्यानिकी महाविद्यालय रहली, जिला सागर की स्थापना हेतु तीन वर्षों के लिये बजट प्रावधान

(राशि रुपये लाख में)

अ—अनावर्ती

क्र.	मद	कुल राशि	प्रथम वर्ष के लिये राशि	द्वितीय वर्ष के लिये राशि	तृतीय वर्ष के लिए राशि
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	भवनों का निर्माण कार्य (मुख्य भवन छात्रावास, आवासीय भवन, आदि) विकास कार्य जैसे विद्युत् केन्द्र की स्थापना, अनुसंधान प्रक्षेत्र विकास एवं कृषि महाविद्यालय प्रांगण विकास, यांत्रिकी वर्कशाप.	8163.53	1500.00 1500.00*	2000.00	3163.53
2	उपकरण	100.00	50.00	50.00	—
3	वाहन (बस एवं जीप)	8.50	8.50	—	—
4	ऐस्पेरिमेंटल लर्निंग	20.00	—	10.00	10.00
कुल अनावर्ती व्यय		8292.03	3058.50	2060.00	3173.53

*प्रथम वर्ष शुरू होने से पूर्व की राशि

ब—आवर्ती

क्र.	मद	कुल राशि	प्रथम वर्ष के लिये राशि	द्वितीय वर्ष के लिये राशि	तृतीय वर्ष के लिए राशि
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	वेतन एवं भत्ते (शैक्षणिक/गैर शैक्षणिक संवर्ग).	2651.70	818.01	874.20	959.49
2	आवर्ती आकस्मिकता व्यय	146.00	41.00	47.00	58.00
3	यात्रा भत्ता एवं पीओएल	65.60	18.00	21.60	26.00
4	ब्लॉक ग्रांट	300.00	100.00	100.00	100.00
कुल आवर्ती व्यय		3163.30	977.01	1042.80	1143.49
योग—(अ एवं ब)		11455.33	4035.51	3102.80	4317.02

परिशिष्ट-2 (अ)

उद्यानिकी महाविद्यालय रहली, जिला सागर के लिए प्रशासकीय पद एवं शैक्षणिक पद

प्रशासकीय पद : —

अधिष्ठाता (एक) वेतनमान रुपये 37,400—67,000+10,000/- एजीपी

शैक्षणिक पद : —

विभाग	प्रध्यापक वेतनमान रु. 37,400- 67,000+10,000/- एजीपी	सह प्राध्यापक वेतनमान रु. 37400-67000+ 9000/- एजीपी	सहायक प्राध्यापक वेतनमान रु. 15,600-39100+ 6000/- एजीपी
(1)	(2)	(3)	(4)
फल विज्ञान (Breeding+Production)	01	02	03
सब्जी विज्ञान (Breeding+Production+seed Production/seed Technalogy)	01	01	04
फूल विज्ञान एवं लैण्ड स्केपिंग (Breeding+Production).	01	01	02
पोस्ट हार्वेस्ट टेक्नालॉजी (Breeding+Production).	01	01	02
पादप संरक्षण (Entomology+Plant Pathalogy)	01	02	03
आधार विज्ञान विभाग (Biochemistry, crop physiology, Biotechnology and genetics and plant Breeding, statistics and computer sciencences).	01	02	06
प्राकृतिक संसाधन विभाग (Soil science & Agricultural Chemistry, microbiology, water Technology, Environmental Science, Agricultural Engineering, Agroforestry)	01	01	06
सामाजिक विज्ञान विभाग (Agricultural Extension, Agriculturul Economics, Agri/Horti, Business Managemenet, English, Physical Education & Library Science).	01	01	05
	कुल पद . . 08	11	31
पद			
अधिष्ठाता —	01		
प्राध्यापक —	08		
सह प्राध्यापक —	11		
सहायक प्राध्यापक —	31		
योग कुल पद . . —	51		

परिशिष्ट-2 (ब)

उद्यानिकी महाविद्यालय रहली जिला सागर के शैक्षणिक लिए गैर पद

(स) गैर शैक्षणिक पद : —

क्र. (1)	पदनाम (2)	संख्या (3)
1	सहायक कुल सचिव/प्रशासनिक अधिकारी	1
2	अधीक्षक (प्रशासन)	1
3	सहायक लेखा नियंत्रक	1
4	प्रयोगशाला सहायक	1
5	पुस्तकालय सहायक	2
6	प्रयोगशाला तकनीशियन	8
7	प्रक्षेत्र सहायक	8
8	सेल्फ असिस्टेंट	2
9	कम्प्यूटर सहायक	6
10	केअरटेकर	3
11	वाहन चालक (जीप)	2
12	वाहन चालक (ट्रेक्टर)	2
13	कार्यालय सहायक	4
		<u>41</u>

*मंत्रि-परिषद् स्वीकृति अनुसार गैर शैक्षणिक पदों के वेतनमान का निर्धारण वित्त विभाग की सहमति से किया जावेगा.

क्र. बी-4-14-2016-चौदह-2.—राज्य शासन, एतद्वारा, मंत्रि-परिषद् आदेश आयटम क्रमांक 8, दिनांक 30 जुलाई 2018 के परिपालन में जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय, जबलपुर के अन्तर्गत खुरई, जिला-सागर में कृषि महाविद्यालय की स्थापना हेतु स्वीकृति प्रदान की जाती है.

नवीन कृषि महाविद्यालय की स्थापना हेतु ग्राम सुनेटी पटवारी हल्का नं. 27 में 33.75 हेक्टर एवं ग्राम घोरट पटवारी हल्का नं. 27 में 16.28 हेक्टर चिन्हित की गई भूमि 50.03 हेक्टर में से 30 हेक्टर भूमि का उपयोग किया जावे.

कृषि महाविद्यालय की स्थापना हेतु विभागीय संक्षेपिका के संलग्न परिशिष्ट-1 अनुसार अधोसंरचना विकास के लिए अनावर्ती मद में राशि रुपये 9821.46 लाख तथा महाविद्यालय के संचालन हेतु आवर्ती व्यय के लिए राशि रुपये 3299.31 लाख की वित्तीय सीमा में तीन वर्षों के लिए राज्य शासन द्वारा बजट प्रावधान सक्षम परियोजना परीक्षण समिति के परीक्षण उपरान्त मंत्रि-परिषद् से अनुमोदन अनुसार निर्धारण किया जावेगा.

कृषि महाविद्यालय का व्यय मांग संख्या 54-2353 कृषि अनुसंधान एवं शिक्षा मद के अंतर्गत विकलनीय होगा.

कृषि महाविद्यालय की स्थापना हेतु विभागीय संक्षेपिका दिनांक 20 अप्रैल 2018 के संलग्न परिशिष्ट-2(अ) एवं 2(ब) अनुसार अधिष्ठाता का 01-पद, सह प्रध्यापक के 08 पद, सहायक प्रध्यापक के 23-पद तथा गैर शैक्षणिक के 54-पद, इस तरह कुल 86-पद सृजित कर स्वीकृति प्रदान की जाती है. शेष कार्य आउटसोर्स किये जाने की विधिवत कार्यवाही की जावे.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
जितेन्द्र सिंह परिहार, अवर सचिव.

परिशिष्ट-1

नवीन कृषि महाविद्यालय, खुरई (सागर) की स्थापना हेतु तीन वर्षों के लिये बजट प्रावधान

(राशि रुपये लाख में)

(अ) अनावर्ती

क्र.	मद	कुल राशि	प्रथम वर्ष के लिये राशि	द्वितीय वर्ष के लिये राशि	तृतीय वर्ष के लिये राशि
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	भवनों का निर्माण कार्य (मुख्य) भवन छात्रावास, आवासीय भवन, कृषक प्रशिक्षण भवन, क्रीड़ा परिसर एवं अन्य विकास कार्य जैसे-विद्युत् केन्द्र की स्थापना, अनुसंधान प्रक्षेत्र विकास एवं कृषि महाविद्यालय प्रांगण विकास, यांत्रिकी वर्कशाप निर्माण आदि.	9039.48	1437-55* 2062.50	2500.00	3039.43
2	उपकरण	300.00	100.00	200.00	—
3	वाहन (बस एवं जीप)	30.00	30.00	—	—
4	ऐस्पेरिमेंटल लर्निंग व्यय (5 प्रतिशत)	451.98	201.98	250.00	—
कुल अनावर्ती व्यय		9821.46	3832.03	2950.00	3039.43

*प्रथम वर्ष शुरू होने से पूर्व की राशि

ब—आवर्ती

क्र.	मद	कुल राशि	प्रथम वर्ष के लिये राशि	द्वितीय वर्ष के लिये राशि	तृतीय वर्ष के लिये राशि
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	वेतन एवं भत्ते (शैक्षणिक/गैर शैक्षणिक संवर्ग).	2449.31	733.19	805.94	910.18
2	आवर्ती आकस्मिकता व्यय	195.00	60.00	65.00	70.00
3	यात्रा भत्ता एवं पीओएल	55.00	16.67	18.33	20.00
4	ब्लाक ग्रांट	600.00	200.00	200.00	200.00
कुल आवर्ती व्यय		3299.31	1009.86	1089.27	1200.00
योग—(अ एवं ब)		13120.77	4841.89	4039.27	4239.61

परिशिष्ट-2 (अ)

कृषि महाविद्यालय खुरई जिला (सागर) के लिए प्रशासकीय पद एवं शैक्षणिक पद

(अ) प्रशासकीय पद 01, अधिष्ठाता (एक) वेतनमान रुपये 37,400—67,000+10,000/- (ए.जी.पी.)

(ब) शैक्षणिक पद :

क्र.	विभाग	सह-प्राध्यापक वेतनमान रु. 37,400- 67,000+ 9,000/- ए.जी.पी.	सहा-प्राध्यापक वेतनमान रु. 15,600-39,100+ 6,000/- ए.जी.पी.	कुल पद
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	सस्य विज्ञान	1	4	5
2	कृषि अर्थशास्त्र	1	2	3
3	कृषि प्रसार एवं प्रचार विभाग	1	1	2
4	कीटशास्त्र विभाग	1	2	3
5	जैनेटिक्स एवं प्लांट ब्रीडिंग	1	2	3
6	हार्टीकल्चर	1	2	3
7	मृदा विज्ञान	1	2	3
8	प्लांट पैथोलॉजी	1	2	3
9	पशु विज्ञान	0	1	1
10	कृषि अभियांत्रिकी	0	1	1
11	बायोकेमिस्ट्री	0	1	1
12	क्रीड़ा अधिकारी	0	1	1
13	सहायक ग्रंथपाल	0	1	1
14	प्रक्षेत्र प्रबंधक	0	1	1
कुल पद		8	23	31

*शेष कार्य आउटसोर्स किये जा सकते हैं.

परिशिष्ट-2 (ब)

(स) गैर शैक्षणिक पद :

क्र.	पदनाम	संख्या
(1)	(2)	(3)
1	पी.ए. टू डीन (अधिष्ठाता)	1
2	सहायक प्रशासनिक अधिकारी	1
3	सहायक शैक्षणिक अधिकारी	1
4	सहायक लेखाधिकारी	1
5	सहायक	3
6	स्टेनो/कम्प्यूटर ऑपरेटर	1
7	स्टोर कीपर	1
8	पुस्तकालय सहायक	1
9	सेल्फ असिस्टेंट	1
10	सहायक (प्रशासनिक भवन)	11
11	प्रयोगशाला सहायक	19
12	फील्ड असिस्टेंट	13
कुल पद . .		54

*मंत्रि-परिषद् स्वीकृति उपरांत गैर शैक्षणिक पदों के वेतनमान का निर्धारण वित्त विभाग की सहमति से किया जावेगा तथा शेष कार्य आउटसोर्स किये जा सकते हैं.

भोपाल, दिनांक 30 अगस्त 2018

अधिसूचना क्रमांक डी-5-10-101-09-चौदह-3.—दिनांक 1 फरवरी 2018 से राज्य शासन द्वारा, मध्यप्रदेश कृषि उपज मंडी अधिनियम, 1972 (क्रमां 24 सन् 1973) की धारा 41 (ख) के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, मध्यप्रदेश राज्य कृषि विपणन बोर्ड में पदेन सदस्यों के अतिरिक्त निम्न सदस्यों को नामनिर्दिष्ट किया गया है.

(1)	(2)	(3)
01.	श्री आशाराम यादव, सेमरी, तह. बुधनी, जिला सीहोर.	सदस्य

उक्त समसंख्यक अधिसूचना एतद्द्वारा निरस्त की जाती है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
उपेन्द्र नाथ शर्मा, उपसचिव.

भोपाल, दिनांक 30 अगस्त 2018

क्र.-डी-5-10-101-09-चौदह-3.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 30 अगस्त 2018 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
उपेन्द्र नाथ शर्मा, उपसचिव.

Bhopal, the 30th August 2018

Vide Notification No. D-5-10-101-09-XIV-3-dated 1-2-18.—In exercise of the powers conferred by Section 41(B) (1) of Madhya Pradesh Krishi Upaj Mandi Adhiniyam, 1972 (No. 24 of 1973), the State Government had nominated the following member to the Madhya Pradesh State Agricultural Marketing Board in additoin to the ex-officio members under Clause 41 (1) (B):—

S. No.	Name	Post
(1)	(2)	(3)
1	Shri Asharam Yadav, Semri Teh. Budni, Distt.-Sehore.	Member

Said order is hereby repealed.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
UPENDRA NATH SHARMA, Dy. Secy.

नगरीय विकास एवं आवास विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 29 अगस्त 2018

क्रमांक एफ 3-90/2018/18-5:- मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, (संशोधित) 1973 (क्रमांक-1 सन् 2012), की धारा 23-"क" की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार एतद् द्वारा संचालनालय, नगर तथा ग्राम निवेश की सूचना क्रमांक 3966/टी.सी./02/2018 भोपाल दिनांक 12.07.2018 द्वारा प्रकाशित इन्दौर विकास योजना 2021 में उपांतरण हेतु सूचना द्वारा अपेक्षित किये गये अनुसार एवं संचालक नगर तथा ग्राम निवेश के प्रतिवेदन के आधार पर उक्त धारा (2) प्रवर्तित इन्दौर विकास योजना 2021 में उपांतरण की पुष्टि करती है। उपांतरण ब्यौरे एवं शर्तें निम्नानुसार है :-

अनुसूची

क्र.	ग्राम का नाम	योजना ईकाई क्र.1 (मध्य क्षेत्र)	क्षेत्रफल (हेक्टेयर मीटर)	घटक	इन्दौर विकास योजना 2021 में निर्धारित भूमि उपयोग एवं मध्य क्षेत्र हेतु विकास नियम	प्रस्तावित भूमि उपयोग एवं विकास योजना ए.बी.डी. एरिया में निर्दिष्ट प्रावधान धारा 23-क(1)(क) के अंतर्गत
1	करवा इन्दौर	उत्तर - वी.आई.पी. रोड दक्षिण- कलेक्टोरेट रोड पूर्व - रेलवे लाईन पश्चिम - एम.ओ.जी. लाईन एवं गणेशगंज रोड	731.128 हेक्टेयर में से 300.28 हेक्टेयर	भूमि उपयोग	आवासीय, वाणिज्यिक, सार्वजनिक एवं अर्द्धसार्वजनिक, आमोद-प्रमोद, सार्वजनिक सेवा सुविधाएँ, यातायात एवं जल क्षेत्र	आवासीय, वाणिज्यिक सह आवासीय, वाणिज्यिक, सार्वजनिक एवं अर्द्धसार्वजनिक, आमोद-प्रमोद, हरित संरक्षित क्षेत्र, सार्वजनिक सेवा सुविधाएँ, ऐतिहासिक धरोहर क्षेत्र, जल क्षेत्र एवं यातायात

विकास नियमन	इन्दौर विकास योजना 2021 में निर्धारित अध्याय 6 के अनुसार	इन्दौर ए.बी.डी एरिया प्लान में निर्धारित अध्याय 8 अनुसार
आवासीय		
न्यूनतम सीमांत खुला क्षेत्र	भूखण्ड क्षेत्रफल अनुसार 400 वर्ग मी. तक न्यूनतम सीमांत खुला क्षेत्र नहीं	भूखण्ड क्षेत्रफल, भूखण्ड की चौड़ाई एवं सड़क चौड़ाई ए.बी.डी विकास योजना में निर्धारित सारणी 28 के अनुसार
	400 वर्ग मी. से अधिक 4.5,3,3,3मी.	
भू-आच्छादन क्षेत्र	भूखण्ड क्षेत्रफल अनुसार	भूखण्ड क्षेत्रफल अनुसार
	400 वर्ग मी. तक 60 प्रतिशत 400 वर्ग मी. से अधिक 40 प्रतिशत	500 वर्ग मी. तक 70 प्रतिशत 500 वर्ग मी. से अधिक एवं 1000 वर्ग मी. तक : 60 प्रतिशत 1000 वर्ग मी. से अधिक: 50 प्रतिशत
भवन ऊँचाई	सड़क की चौड़ाई का 1.5 गुना या 15 मी. जो भी कम हो।	सड़क चौड़ाई अनुसार
		9 मीटर से कम : 9 मीटर
		9 मीटर : 12 मीटर
		12 मी. ओर 15 मी : 18 मी.
		18 मी. : 24 मी.
पार्किंग	1 ई.सी.एस. प्रति 100 वर्ग मी.	24 मी. : 30 मी.
		30 मी. : 45 मी.
आय के स्त्रोत	नियमों में प्रावधान नहीं है	पार्किंग हेतु मानक अध्याय 8 सारणी क्र. 30 अनुसार
		दो-पाहिया वाहन पार्किंग हेतु मानक अध्याय 8 के बिन्दु क्र. 8.6.8.1.3
वाणिज्यिक मार्ग		भूखण्ड संयुक्तीकरण पार्किंग फीस अतिरिक्त एफ.ए.आर पर प्रीमियम
न्यूनतम सीमांत खुला क्षेत्र	भूखण्ड क्षेत्रफल अनुसार	भूखण्ड क्षेत्रफल, भूखण्ड की चौड़ाई एवं सड़क चौड़ाई ए.बी.डी विकास योजना में निर्धारित सारणी 28 के अनुसार
	400 वर्ग मी. तक : 6,3,3,3 मी. अग्रे भाग में न्यूनतम 20 प्रतिशत अतिरिक्त भूखण्डीय क्षेत्र पार्किंग हेतु खुला रखा जाना	
भू-आच्छादन क्षेत्र	भूखण्ड क्षेत्रफल अनुसार	भूखण्ड क्षेत्रफल अनुसार
	400 वर्गमीटर तक : 60 %	500 वर्गमीटर तक : 70 % 500 वर्गमीटर से 1000 वर्गमीटर तक : 60 %

		1000 वर्गमीटर से अधिक : 50 % सड़क चौड़ाई अनुसार 9 मीटर से कम : 9 मीटर 9 मी. : 12 मी. 12 मी. और 15 मी. : 18 मी. 18 मी. : 24 मी. 24 मी. : 30 मी. 30 मी. : 45 मी.
भवन ऊँचाई	सड़क चौड़ाई का 1.5 गुना या 15 मी. जो भी कम हो।	
पार्किंग	अग्र भाग में न्यूनतम 20 प्रतिशत भूखण्डीय क्षेत्र खुला रखा जाना तथा अतिरिक्त पार्किंग भूमि विकास नियम अनुसार	पार्किंग हेतु मानक अध्याय 8 सारणी क्र. 30 अनुसार दो-पहिया वाहन पार्किंग हेतु मानक अध्याय 8 के बिन्दु क्र. 8.6.8.1.3 वाणिज्यिक उपयोग पर प्रीमियम भूखण्ड संयुक्तीकरण पार्किंग फीस अतिरिक्त एक.ए.आर पर प्रीमियम
आय के स्रोत	एक.ए.आर पर प्रीमियम वाणिज्यिक उपयोग हेतु	
वाणिज्यिक सह आवासीय मार्ग	अग्र भाग में न्यूनतम 20 प्रतिशत अतिरिक्त भूखण्डीय क्षेत्र पार्किंग हेतु खुला रखा जाना भवन के साइड एवं पृष्ठ भाग में न्यूनतम सीमांत खुले क्षेत्र का कोई प्रावधान नहीं	भूखण्ड क्षेत्रफल, भूखण्ड की चौड़ाई एवं सड़क चौड़ाई ए.बी.डी विकास योजना में निर्धारित सारणी 28 के अनुसार
न्यूनतम सीमांत खुला क्षेत्र		भूखण्ड क्षेत्रफल अनुसार 500 वर्गमीटर तक : 70 % 500 वर्गमीटर से 1000 वर्गमीटर तक : 60 % 1000 वर्गमीटर से अधिक : 50 % सड़क चौड़ाई अनुसार 9 मीटर से कम : 9 मीटर 9 मी. : 12 मी. 12 मी. और 15 मी. : 18 मी. 18 मी. : 24 मी. 24 मी. : 30 मी. 30 मी. : 45 मी.
भू-आच्छादन क्षेत्र	अधिकतम 60 प्रतिशत	
भवन ऊँचाई	सड़क चौड़ाई का 1.5 गुना या 15 मी. जो भी कम हो।	

		वाणिज्यिक निर्मित क्षेत्र में 50 वर्गमीटर क्षेत्रफल पर 1 ई.सी.एस. एवं 50 प्रतिशत अतिरिक्त क्षेत्र एवं रहवासी निर्मित क्षेत्र हेतु 100 वर्गमीटर क्षेत्रफल पर 1 ई.सी.एस. तथा भवन के अग्र भाग में 20 प्रतिशत पार्किंग हेतु खुला क्षेत्र	वाणिज्यिक उपयोग हेतु पार्किंग मानक अध्याय 8 सारणी क्र. 30 अनुसार एबीडी विकास योजना
पार्किंग			आवासीय उपयोग हेतु पार्किंग हेतु मानक अध्याय 8 सारणी क्र. 30 अनुसार एबीडी विकास योजना
आय के स्रोत		एफ.ए.आर पर प्रीमियम वाणिज्यिक उपयोग हेतु	वाणिज्यिक उपयोग पर प्रीमियम
संगठित बाजार केन्द्र			भूखण्ड संयुक्तीकरण
न्यूनतम सीमांत खुला क्षेत्र	6,3,3,3 मीटर		पार्किंग फीस
भू-आच्छादन क्षेत्र	50%		अतिरिक्त एफ.ए.आर पर प्रीमियम
भवन ऊँचाई	सड़क चौड़ाई का 1.5 गुना या 15 मी. जो भी कम हो।		भूखण्ड क्षेत्रफल, भूखण्ड की चौड़ाई एवं सड़क चौड़ाई ए.बी.डी विकास योजना में निर्धारित सारणी 28 के अनुसार
पार्किंग		वाणिज्यिक निर्मित क्षेत्र में 50 वर्गमीटर क्षेत्रफल पर 1 ई.सी.एस. एवं 50 प्रतिशत अतिरिक्त क्षेत्र	500 वर्गमीटर तक : 70 % 500 वर्गमीटर से 1000 वर्गमीटर तक : 60 % 1000 वर्गमीटर से अधिक : 50 %
आय के स्रोत		वाणिज्यिक उपयोग हेतु एफ.ए.आर पर प्रीमियम	सड़क चौड़ाई अनुसार 9 मीटर से कम : 9 मीटर 9 मी. : 12 मी. 12 मी. और 15 मी. : 18 मी. 18 मी. : 24 मी. 24 मी. : 30 मी. 30 मी. : 45 मी.
सार्वजनिक तथा अर्द्धसार्वजनिक उपयोग			पार्किंग हेतु मानक अध्याय 8 सारणी क्र. 30 अनुसार
न्यूनतम सीमांत खुला क्षेत्र		नियमों में स्पष्ट प्रावधान नहीं है	दो पहिया पार्किंग हेतु मानक 8.6.8.1.3
			वाणिज्यिक उपयोग पर प्रीमियम
			भूखण्ड संयुक्तीकरण
			पार्किंग फीस
			अतिरिक्त एफ.ए.आर पर प्रीमियम
			भूखण्ड क्षेत्रफल, भूखण्ड की चौड़ाई एवं सड़क चौड़ाई ए.बी.डी एरिया विकास योजना में निर्धारित सारणी 28 के अनुसार

भू-आच्छादन क्षेत्र	40-50%	50%	सड़क चौड़ाई अनुसार 9 मीटर से कम : 9 मीटर 9 मी. : 12 मी. 12 मी. ओर 15 मी. : 18 मी. 18 मी. : 24 मी. 24 मी. : 30 मी. 30 मी. : 45 मी.
भवन ऊँचाई	नियमो मे स्पष्ट प्रावधान नहीं है		
पार्किंग	निर्मित क्षेत्र मे 75 वर्गमीटर क्षेत्रफल पर 1 ई.सी.एस.(भूमि विकास नियम अनुसार)		पार्किंग हेतु मानक अध्याय 8 सारणी क्र. 30 अनुसार एबीडी विकास योजना
आय के स्रोत	नियमो मे प्रावधान नहीं है		पार्किंग फीस अतिरिक्त एफ.ए.आर पर प्रीमियम भूखण्ड संयुक्तीकरण
सार्वजनिक पार्किंग सुविधा			
भू खण्ड क्षेत्रफल	1000 वर्गमीटर		400 वर्गमीटर
भू-आच्छादन क्षेत्र	12,7,5,7,5,7,5 मीटर		पार्किंग हेतु मानक अध्याय 8 बिन्दु क्र. 8.6.8.2.2 अनुसार
निर्माण तकनीक	आर.सी.सी भवन में रेम्प द्वारा		आर.सी.सी भवन में रेम्प द्वारा तथा मेकैनाइज्ड पार्किंग प्रावधान अध्याय 8 बिन्दु क्र. 8.6.8.2.2 अनुसार
दो पहिया वाहनो हेतु	नियमो मे प्रावधान नहीं है		पार्किंग हेतु मानक अध्याय 8 बिन्दु क्र. 8.6.8.1.3 अनुसार
हरित एवं खुले क्षेत्र के तलघर मे पार्किंग	नियमो मे प्रावधान नहीं है		पार्किंग हेतु मानक अध्याय 8 बिन्दु क्र. 8.6.8.2.2 अनुसार
मार्गो पर पार्किंग	नियमो मे स्पष्ट प्रावधान नहीं है		पार्किंग हेतु मानक अध्याय 8 बिन्दु क्र. 8.6.8.2.1 अनुसार
अन्य नियम			
अरबन डिजाईन हेतु नियम	नियमो मे प्रावधान नहीं है		मानक अध्याय 8 बिन्दु क्र. 8.12 अनुसार
फसाड डिजाईन हेतु नियम	नियमो मे प्रावधान नहीं है		मानक अध्याय 8 बिन्दु क्र. 8.12.5 अनुसार
वाहन	नियमो मे प्रावधान नहीं है		मानक अध्याय 8 बिन्दु क्र. 8.6.8 अनुसार

प्रतिबंधित क्षेत्र हेतु नियम				
ऊर्जा संरक्षित एवं हरित भवनों हेतु नियम	नियमों में प्रावधान नहीं है	मानक अध्याय 8 बिन्दु क्र. 8.13 अनुसार		
आय के स्रोतों हेतु प्रावधान	नियमों में प्रावधान नहीं है	मानक अध्याय 8 बिन्दु क्र. 8.7 अनुसार		
पुनर्विकास क्षेत्र हेतु नियम	नियमों में प्रावधान नहीं है	मानक अध्याय 8 बिन्दु क्र. 8.10 अनुसार		

शर्त:- उपरोक्त उपांतरण इन्धौर विकास योजना 2021 का एकीकृत भाग होगा।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
शुभाशीष बैनर्जी, उपसचिव.

न्यायालय, कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, जिला बुरहानपुर, मध्यप्रदेश

बुरहानपुर, दिनांक 16 अगस्त 2018

आदेश

क्रमांक कले.-वाचक-एनएसए-2018-4812.—चूंकि मुझे डॉ. सतेन्द्र सिंह, जिला मजिस्ट्रेट, जिला बुरहानपुर को यह समाधान हो गया है कि हफीजउद्दीन पिता जगीरउद्दीन, उम्र 45 वर्ष निवासी, बुधवारा, थाना कोतवाली, जिला बुरहानपुर (मध्यप्रदेश) को सार्वजनिक व्यवस्था के अनुरक्षण के प्रतिकूल किसी भी रीति से कार्य करने से रोकने के अभिप्राय से राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम, 1980 की धारा 3 उपधारा (2) के अधीन निरुद्ध करना आवश्यक होने से राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम, 1980 की धारा 3(2) के तहत निरोध आदेश पारित किया गया।

पुलिस अधीक्षक, जिला बुरहानपुर द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि अनावेदक हफीजउद्दीन पिता जगीरउद्दीन निवासी बुधवारा के विरुद्ध थाना कोतवाली बुरहानपुर में दिनांक 20-4-2018 को कुल 8 अपराध पंजीबद्ध हुए थे, उक्त दिनांक से ही अनावेदक उसके निवास तथा बुरहानपुर से फरार है. अनावेदक की गिरफ्तारी अभी तक नहीं हो सकी है, इस प्रकार उक्त निरोधादेश का निष्पादन भी नहीं पाया है.

अतः अनावेदक हफीजउद्दीन पिता जगीरउद्दीन, उम्र 45 वर्ष, निवासी बुधवारा, थाना कोतवाली, जिला बुरहानपुर (मध्यप्रदेश) से यह अपेक्षा की जाती है कि वह दिनांक 17 सितम्बर 2018 को समय अप. 3.00 बजे न्यायालय कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट जिला बुरहानपुर के समक्ष हाजिर हों.

क्रमांक कले.-वाचक-एनएसए-2018-4815.—चूंकि मुझे डॉ. सतेन्द्र सिंह, जिला मजिस्ट्रेट, जिला बुरहानपुर को यह समाधान हो गया है कि जहीरउद्दीन पिता इकरामउद्दीन, उम्र 40 वर्ष निवासी, आजाद नगर, थाना गणपतिनाका, जिला बुरहानपुर (मध्यप्रदेश) को सार्वजनिक व्यवस्था के अनुरक्षण के प्रतिकूल किसी भी रीति से कार्य करने से रोकने के अभिप्राय से राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम, 1980 की धारा 3 उपधारा (2) के अधीन निरुद्ध करना आवश्यक होने से राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम, 1980 की धारा 3(2) के तहत निरोध आदेश पारित किया गया.

पुलिस अधीक्षक, जिला बुरहानपुर द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि अनावेदक जहीरउद्दीन पिता इकरामउद्दीन, निवासी आजाद नगर के विरुद्ध थाना कोतवाली बुरहानपुर में दिनांक 20-4-2018 को कुल 8 अपराध पंजीबद्ध हुए थे, उक्त दिनांक से ही अनावेदक उसके निवास तथा बुरहानपुर से फरार है. अनावेदक की गिरफ्तारी हेतु अन्य सम्भावित स्थानों पर कोतवाली पुलिस द्वारा तलाश की गई किन्तु अनावेदक की गिरफ्तारी अभी तक नहीं हो सकी है, इस प्रकार उक्त निरोधादेश का निष्पादन भी नहीं पाया है.

अतः अनावेदक जहीरउद्दीन पिता इकरामउद्दीन, उम्र 40 वर्ष निवासी, आजाद नगर, थाना गणपतिनाका, जिला बुरहानपुर (मध्यप्रदेश) से यह अपेक्षा की जाती है कि वह दिनांक 17 सितम्बर 2018 को समय अप. 3.00 बजे न्यायालय कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, जिला बुरहानपुर के समक्ष हाजिर हों.

सतेन्द्र सिंह, जिला मजिस्ट्रेट.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला होशंगाबाद, मध्यप्रदेश

होशंगाबाद, दिनांक 20 अगस्त 2018

क्रमांक-11051-न.क्र. 125-व.लि.-2-18.—मध्यप्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विभाग, मंत्रालय, भोपाल के परिपत्र क्र. 256-446-अड़तीस-2-2018, दिनांक 21 फरवरी 2018 एवं सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र दिनांक 28 जून 2004 के बिन्दु-03 मार्गदर्शी सिद्धांत के अनुसार शासकीय पीजी महाविद्यालय, पिपरिया का नामकरण शहीद भगतसिंह शासकीय पीजी महाविद्यालय किया जाता है.

प्रियंका दास, कलेक्टर.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला हरदा, मध्यप्रदेश

हरदा, दिनांक 23 अगस्त 2018

क्रमांक 9061-एस.सी.-2-2017-18.—शासकीय स्नातक महाविद्यालय, टिमरनी की जनभागीदारी समिति की बैठक के प्रस्ताव पर जिला योजना समिति हरदा की बैठक दिनांक 10 मई 2018 के निर्णय अनुसार शासकीय महाविद्यालय, टिमरनी का नाम भाऊ साहेब भुस्कुटे, शासकीय महाविद्यालय, टिमरनी किया जाता है

एस. विश्वनाथन, कलेक्टर.

आर.सी.वी.पी. नरोन्हा प्रशासन अकादमी

मध्यप्रदेश, भोपाल

(विभागीय परीक्षा प्रकोष्ठ)

भोपाल, दिनांक 28 अगस्त 2018

क्र. 5828-नोअविप-विपप्र-2018-2019.—आर.सी.वी.पी. नरोन्हा प्रशासन एवं प्रबंधकीय अकादमी, भोपाल में 01 जुलाई, 2015 से प्रभावशील विभागीय परीक्षा की नई व्यवस्था अनुसार भारतीय प्रशासनिक सेवा/राज्य प्रशासनिक सेवा के परिवीक्षाधीन अधिकारियों के लिये प्रशिक्षण एवं प्रशिक्षणोपरान्त विभागीय परीक्षा का आयोजन दिनांक 16 से 20 जुलाई, 2018 को किया गया. इस आयोजित परीक्षा के—1. प्रशासनिक विधि एवं प्रक्रिया—में सम्मिलित निम्न परीक्षार्थियों को उत्तीर्ण घोषित किया जाता है:—

क्रमांक (1)	परीक्षार्थी का नाम (2)	पदनाम (3)
1	प्रीति यादव	सहायक कलेक्टर
2	अंकिता जैन	उप जिलाध्यक्ष
3	अंकिता त्रिपाठी	उप जिलाध्यक्ष
4	अदिति यादव	उप जिलाध्यक्ष
5	कल्याणी पाण्डेय	उप जिलाध्यक्ष
6	कामनी ठाकुर	उप जिलाध्यक्ष
7	जीतेन्द्र कुमार पटेल	उप जिलाध्यक्ष
8	नेहा सोनी	उप जिलाध्यक्ष
9	पूजा तिवारी	उप जिलाध्यक्ष
10	प्रियंका मिमरोट	उप जिलाध्यक्ष
11	फरहीन खॉन	उप जिलाध्यक्ष
12	भारती देवी मिश्रा	उप जिलाध्यक्ष
13	रवीश श्रीवास्तव	उप जिलाध्यक्ष
14	राहुल गुप्ता	उप जिलाध्यक्ष
15	वंदना जैन	उप जिलाध्यक्ष
16	विशा माधवानी	उप जिलाध्यक्ष
17	संघमित्रा बौद्ध	उप जिलाध्यक्ष
18	सौरभ मिश्रा	उप जिलाध्यक्ष

क्र. 5828-नोअविप-विपप्र-2018-2019.—आर.सी.वी.पी. नरोन्हा प्रशासन एवं प्रबंधकीय अकादमी, भोपाल में 01 जुलाई, 2015 से प्रभावशील विभागीय परीक्षा की नई व्यवस्था अनुसार भारतीय प्रशासनिक सेवा/राज्य प्रशासनिक सेवा के परिवीक्षाधीन अधिकारियों के लिये प्रशिक्षण एवं प्रशिक्षणोपरान्त विभागीय परीक्षा का आयोजन दिनांक 16 से 20 जुलाई, 2018 को किया गया. इस आयोजित परीक्षा के—1. राजस्व विधि एवं प्रक्रिया—में सम्मिलित निम्न परीक्षार्थियों को उत्तीर्ण घोषित किया जाता है:—

क्रमांक (1)	परीक्षार्थी का नाम (2)	पदनाम (3)
1	प्रीति यादव	सहायक कलेक्टर
2	अंकिता जैन	उप जिलाध्यक्ष
3	अंकिता त्रिपाठी	उप जिलाध्यक्ष
4	अदिति यादव	उप जिलाध्यक्ष
5	कल्याणी पाण्डेय	उप जिलाध्यक्ष
6	कामनी ठाकुर	उप जिलाध्यक्ष
7	जीतेन्द्र कुमार पटेल	उप जिलाध्यक्ष
8	नेहा सोनी	उप जिलाध्यक्ष
9	पूजा तिवारी	उप जिलाध्यक्ष
10	प्रियंका मिमरोट	उप जिलाध्यक्ष
11	फरहीन खॉन	उप जिलाध्यक्ष
12	भारती देवी मिश्रा	उप जिलाध्यक्ष
13	रवीश श्रीवास्तव	उप जिलाध्यक्ष
14	राहुल गुप्ता	उप जिलाध्यक्ष
15	वंदना जैन	उप जिलाध्यक्ष
16	विशा माधवानी	उप जिलाध्यक्ष
17	संघमित्रा बौद्ध	उप जिलाध्यक्ष
18	सौरभ मिश्रा	उप जिलाध्यक्ष
19	वीरेन्द्र सिंह	उप जिलाध्यक्ष
20	शशि मिश्रा	उप जिलाध्यक्ष
21	संजीव कुमार पांडेय	उप जिलाध्यक्ष
22	संस्कृति शर्मा	उप जिलाध्यक्ष

क्र. 5828-नोअविप-विपप्र-2018-2019.—आर.सी.वी.पी. नरोन्हा प्रशासन एवं प्रबंधकीय अकादमी, भोपाल में 01 जुलाई, 2015 से प्रभावशील विभागीय परीक्षा की नई व्यवस्था अनुसार भारतीय प्रशासनिक सेवा/राज्य प्रशासनिक सेवा के परिवीक्षाधीन अधिकारियों के लिये प्रशिक्षण एवं प्रशिक्षणोपरान्त विभागीय परीक्षा का आयोजन दिनांक 16 से 20 जुलाई, 2018 को किया गया. इस आयोजित परीक्षा के—1. राजस्व विधि एवं प्रक्रिया (आदेश लेखन) में सम्मिलित निम्न परीक्षार्थियों को उत्तीर्ण घोषित किया जाता है:—

क्रमांक (1)	परीक्षार्थी का नाम (2)	पदनाम (3)
1	प्रीति यादव	सहायक कलेक्टर
2	स्वप्निल वानखडे	सहायक कलेक्टर

(1)	(2)	(3)	(1)	(2)	(3)
3	हरेन्द्र नारायण	सहायक कलेक्टर	12	कल्याण पाण्डेय	उप जिलाध्यक्ष
4	अंकिता जैन	उप जिलाध्यक्ष	13	कामनी ठाकुर	उप जिलाध्यक्ष
5	अंकिता त्रिपाठी	उप जिलाध्यक्ष	14	जीतेन्द्र कुमार पटेल	उप जिलाध्यक्ष
6	अदिति यादव	उप जिलाध्यक्ष	15	दिव्या पटेल	उप जिलाध्यक्ष
7	कामनी ठाकुर	उप जिलाध्यक्ष	16	दीपक चौहान	उप जिलाध्यक्ष
8	जीतेन्द्र कुमार पटेल	उप जिलाध्यक्ष	17	नेहा सोनी	उप जिलाध्यक्ष
9	नेहा सोनी	उप जिलाध्यक्ष	18	पराग जैन	उप जिलाध्यक्ष
10	पूजा तिवारी	उप जिलाध्यक्ष	19	पवन बारिया	उप जिलाध्यक्ष
11	प्रियंका मिमरोट	उप जिलाध्यक्ष	20	पूजा तिवारी	उप जिलाध्यक्ष
12	भारती देवी मिश्रा	उप जिलाध्यक्ष	21	प्रियंका मिमरोट	उप जिलाध्यक्ष
13	रवीश श्रीवास्तव	उप जिलाध्यक्ष	22	प्रियांशी भंवर	उप जिलाध्यक्ष
14	राहुल गुप्ता	उप जिलाध्यक्ष	23	फरहीन खॉन	उप जिलाध्यक्ष
15	वंदना जैन	उप जिलाध्यक्ष	24	भारती देवी मिश्रा	उप जिलाध्यक्ष
16	विशा माधवानी	उप जिलाध्यक्ष	25	भूपेन्द्र रावत	उप जिलाध्यक्ष
17	संघमित्रा बौद्ध	उप जिलाध्यक्ष			
18	सौरभ मिश्रा	उप जिलाध्यक्ष			(विधि पत्रोपाधि के
19	वीरेन्द्र सिंह	उप जिलाध्यक्ष			कारण नियमानुसार
20	शशि मिश्रा	उप जिलाध्यक्ष			दाण्डिक विधि एवं
21	संजीव कुमार पांडेय	उप जिलाध्यक्ष			प्रक्रिया-प्रथम प्रश्न
22	संस्कृति शर्मा	उप जिलाध्यक्ष			पत्र में छूट).
			26	मनोज कुमार प्रजापति	उप जिलाध्यक्ष
			27	मनोज गरवाल	उप जिलाध्यक्ष
			28	रवि मालवीय	उप जिलाध्यक्ष
			29	रवीश श्रीवास्तव	उप जिलाध्यक्ष
			30	राहुल गुप्ता	उप जिलाध्यक्ष
			31	रोशनी पाटीदार	उप जिलाध्यक्ष
			32	वंदना जैन	उप जिलाध्यक्ष
			33	विकास कुमार आनन्द	उप जिलाध्यक्ष
			34	विशा माधवानी	उप जिलाध्यक्ष
			35	वीरेन्द्र सिंह	उप जिलाध्यक्ष
			36	शशि मिश्रा	उप जिलाध्यक्ष
			37	शिवानी तरेटिया	उप जिलाध्यक्ष
			38	शुभम शर्मा	उप जिलाध्यक्ष
			39	संघमित्रा बौद्ध	उप जिलाध्यक्ष
			40	संजीव कुमार पांडेय	उप जिलाध्यक्ष
			41	संदीप सिंह	उप जिलाध्यक्ष
			42	संस्कृति शर्मा	उप जिलाध्यक्ष
			43	सिद्धार्थ पटेल	उप जिलाध्यक्ष
			44	सौरभ मिश्रा	उप जिलाध्यक्ष

क्र. 5828-नोअविप-विपप्र-2018-2019.—आर.सी.वी.पी. नरोन्हा प्रशासन एवं प्रबंधकीय अकादमी, भोपाल में 01 जुलाई, 2015 से प्रभावशील विभागीय परीक्षा की नई व्यवस्था अनुसार भारतीय प्रशासनिक सेवा/राज्य प्रशासनिक सेवा के परिवीक्षाधीन अधिकारियों के लिये प्रशिक्षण एवं प्रशिक्षणोपरान्त विभागीय परीक्षा का आयोजन दिनांक 16 से 20 जुलाई, 2018 को किया गया. इस आयोजित परीक्षा के—1. दाण्डिक विधि एवं प्रक्रिया में सम्मिलित निम्न परीक्षार्थियों को उत्तीर्ण घोषित किया जाता है:—

क्रमांक	परीक्षार्थी का नाम	पदनाम
(1)	(2)	(3)
1	किरोडीलाल मीणा	सहायक कलेक्टर
2	गौरव बेनल	सहायक कलेक्टर
3	प्रीति यादव	सहायक कलेक्टर
4	अंकिता जैन	उप जिलाध्यक्ष
5	अंकिता त्रिपाठी	उप जिलाध्यक्ष
6	अदिति यादव	उप जिलाध्यक्ष
7	अनुभा जैन	उप जिलाध्यक्ष
8	अभिषेक चौरसिया	उप जिलाध्यक्ष
9	अरविन्द सिंह माहौर	उप जिलाध्यक्ष
10	आरती यादव	उप जिलाध्यक्ष
11	ऋषि कुमार सिंघई	उप जिलाध्यक्ष

क्र. 5828-नोअविप-विपप्र-2018-2019.—आर.सी.वी.पी. नरोन्हा प्रशासन एवं प्रबंधकीय अकादमी, भोपाल में 01 जुलाई, 2015 से प्रभावशील विभागीय परीक्षा की नई व्यवस्था अनुसार भारतीय प्रशासनिक सेवा/राज्य प्रशासनिक सेवा के परिवीक्षाधीन अधिकारियों के लिये

प्रशिक्षण एवं प्रशिक्षणोपरान्त विभागीय परीक्षा का आयोजन दिनांक 16 से 20 जुलाई, 2018 को किया गया. इस आयोजित परीक्षा के—1. दाण्डिक विधि एवं प्रक्रिया (आदेश लेखन) में सम्मिलित निम्न परीक्षार्थियों को उत्तीर्ण घोषित किया जाता है:—

क्रमांक (1)	परीक्षार्थी का नाम (2)	पदनाम (3)
1	किरोडीलाल मीणा	सहायक कलेक्टर
2	गौरव बेनल	सहायक कलेक्टर
3	अंकिता जैन	उप जिलाध्यक्ष
4	अंकिता त्रिपाठी	उप जिलाध्यक्ष
5	अदिति यादव (श्रीमती)	उप जिलाध्यक्ष
6	अनुभा जैन	उप जिलाध्यक्ष
7	अभिषेक चौरसिया	उप जिलाध्यक्ष
8	अरविन्द सिंह माहौर	उप जिलाध्यक्ष
9	आरती यादव	उप जिलाध्यक्ष
10	ऋषि कुमार सिंघई	उप जिलाध्यक्ष
11	कल्याणी पाण्डेय	उप जिलाध्यक्ष
12	कामनी ठाकुर	उप जिलाध्यक्ष
13	जीतेन्द्र कुमार पटेल	उप जिलाध्यक्ष
14	दिव्या पटेल	उप जिलाध्यक्ष
15	दीपक चौहान	उप जिलाध्यक्ष
16	नेहा सोनी	उप जिलाध्यक्ष
17	पराग जैन	उप जिलाध्यक्ष
18	पवन बारिया	उप जिलाध्यक्ष
19	पूजा तिवारी	उप जिलाध्यक्ष
20	प्रियंका मिमरोट	उप जिलाध्यक्ष
21	प्रियांशी भंवर	उप जिलाध्यक्ष
22	फरहीन खॉन	उप जिलाध्यक्ष
23	भारती देवी मिश्रा	उप जिलाध्यक्ष
24	भूपेन्द्र रावत	उप जिलाध्यक्ष
25	मनोज कुमार प्रजापति	उप जिलाध्यक्ष
26	मनोज गरवाल	उप जिलाध्यक्ष
27	रवि मालवीय	उप जिलाध्यक्ष
28	रवीश श्रीवास्तव	उप जिलाध्यक्ष
29	राहुल गुप्ता	उप जिलाध्यक्ष
30	रोशनी पाटीदार	उप जिलाध्यक्ष
31	वंदना जैन	उप जिलाध्यक्ष
32	विकास कुमार आनन्द	उप जिलाध्यक्ष
33	विशा माधवानी	उप जिलाध्यक्ष
34	वीरेन्द्र सिंह	उप जिलाध्यक्ष
35	शशि मिश्रा	उप जिलाध्यक्ष
36	शिवानी तरेटिया	उप जिलाध्यक्ष
37	शुभम शर्मा	उप जिलाध्यक्ष
38	संघमित्रा बौद्ध	उप जिलाध्यक्ष

(1)	(2)	(3)
39	संजीव कुमार पांडेय	उप जिलाध्यक्ष
40	संदीप सिंह	उप जिलाध्यक्ष
41	संस्कृति शर्मा	उप जिलाध्यक्ष
42	सिद्धार्थ पटेल	उप जिलाध्यक्ष
43	सौरभ मिश्रा	उप जिलाध्यक्ष

क्र. 5828-नोअविप-विपप्र-2018-2019.—आर.सी.वी.पी. नरोन्हा प्रशासन एवं प्रबंधकीय अकादमी, भोपाल में 01 जुलाई, 2015 से प्रभावशील विभागीय परीक्षा की नई व्यवस्था अनुसार भारतीय प्रशासनिक सेवा/राज्य प्रशासनिक सेवा के परिवीक्षाधीन अधिकारियों के लिये प्रशिक्षण एवं प्रशिक्षणोपरान्त विभागीय परीक्षा का आयोजन दिनांक 16 से 20 जुलाई, 2018 को किया गया. इस आयोजित परीक्षा के—1. सिविल विधि तथा प्रक्रिया में सम्मिलित निम्न परीक्षार्थियों को उत्तीर्ण घोषित किया जाता है:—

क्रमांक (1)	परीक्षार्थी का नाम (2)	पदनाम (3)
1	अंकिता जैन	उप जिलाध्यक्ष
2	अंकिता त्रिपाठी	उप जिलाध्यक्ष
3	अदिति यादव	उप जिलाध्यक्ष
4	अनुभा जैन	उप जिलाध्यक्ष
5	अभिषेक चौरसिया	उप जिलाध्यक्ष
6	आरती यादव	उप जिलाध्यक्ष
7	ऋषि कुमार सिंघई	उप जिलाध्यक्ष
8	कल्याणी पाण्डेय	उप जिलाध्यक्ष
9	कामनी ठाकुर	उप जिलाध्यक्ष
10	जीतेन्द्र कुमार पटेल	उप जिलाध्यक्ष
11	त्रिलोचन गौड़	उप जिलाध्यक्ष
12	दिव्या पटेल	उप जिलाध्यक्ष
13	दीपक चौहान	उप जिलाध्यक्ष
14	नेहा सोनी	उप जिलाध्यक्ष
15	पराग जैन	उप जिलाध्यक्ष
16	पूजा तिवारी	उप जिलाध्यक्ष
17	प्रियंका मिमरोट	उप जिलाध्यक्ष
18	प्रियंका वर्मा	उप जिलाध्यक्ष
19	प्रियांशी भंवर	उप जिलाध्यक्ष
20	फरहीन खॉन	उप जिलाध्यक्ष
21	भारती देवी मिश्रा	उप जिलाध्यक्ष
22	भूपेन्द्र रावत	उप जिलाध्यक्ष
23	मनोज कुमार प्रजापति	उप जिलाध्यक्ष
24	मनोज गरवाल	उप जिलाध्यक्ष
25	रवि मालवीय	उप जिलाध्यक्ष
26	रवीश श्रीवास्तव	उप जिलाध्यक्ष

(1)	(2)	(3)	(1)	(2)	(3)
27	राहुल गुप्ता	उप जिलाध्यक्ष	18	भूपेन्द्र रावत	उप जिलाध्यक्ष
28	रोशनी पाटीदार	उप जिलाध्यक्ष	19	मनोज कुमार प्रजापति	उप जिलाध्यक्ष
29	रोशनी वर्धमान	उप जिलाध्यक्ष	20	मनोज गरवाल	उप जिलाध्यक्ष
30	वंदना जैन	उप जिलाध्यक्ष	21	रवि मालवीय	उप जिलाध्यक्ष
31	विकास कुमार आनन्द	उप जिलाध्यक्ष	22	राहुल गुप्ता	उप जिलाध्यक्ष
32	विशा माधवानी	उप जिलाध्यक्ष	23	रोशनी पाटीदार	उप जिलाध्यक्ष
33	वीरेन्द्र सिंह	उप जिलाध्यक्ष	24	रोशनी वर्धमान	उप जिलाध्यक्ष
34	शशि मिश्रा	उप जिलाध्यक्ष	25	विकास कुमार आनन्द	उप जिलाध्यक्ष
35	शिवानी तरेटिया	उप जिलाध्यक्ष	26	विशा माधवानी	उप जिलाध्यक्ष
36	शुभम शर्मा	उप जिलाध्यक्ष	27	शिवानी तरेटिया	उप जिलाध्यक्ष
37	संघमित्रा बौद्ध	उप जिलाध्यक्ष	28	संघमित्रा बौद्ध	उप जिलाध्यक्ष
38	संजीव कुमार पांडेय	उप जिलाध्यक्ष	29	संजीव कुमार पांडेय	उप जिलाध्यक्ष
39	संदीप सिंह	उप जिलाध्यक्ष	30	संस्कृति शर्मा	उप जिलाध्यक्ष
40	संस्कृति शर्मा	उप जिलाध्यक्ष	31	सिद्धार्थ पटेल	उप जिलाध्यक्ष
41	सिद्धार्थ पटेल	उप जिलाध्यक्ष	32	सौरभ मिश्रा	उप जिलाध्यक्ष
42	सौरभ मिश्रा	उप जिलाध्यक्ष			

क्र. 5828-नोअविप-विपप्र-2018-2019.—आर.सी.वी.पी. नरोन्हा प्रशासन एवं प्रबंधकीय अकादमी, भोपाल में 01 जुलाई, 2015 से प्रभावशील विभागीय परीक्षा की नई व्यवस्था अनुसार भारतीय प्रशासनिक सेवा/राज्य प्रशासनिक सेवा के परिवीक्षाधीन अधिकारियों के लिये प्रशिक्षण एवं प्रशिक्षणोपरान्त विभागीय परीक्षा का आयोजन दिनांक 16 से 20 जुलाई, 2018 को किया गया। इस आयोजित परीक्षा के—
1. लेखा एवं वित्त में सम्मिलित निम्न परिक्षार्थियों को उत्तीर्ण घोषित किया जाता है:—

क्रमांक (1)	परीक्षार्थी का नाम (2)	पदनाम (3)
1	अंकिता जैन	उप जिलाध्यक्ष
2	अंकिता त्रिपाठी	उप जिलाध्यक्ष
3	अदिति यादव (श्रीमती)	उप जिलाध्यक्ष
4	अनुभा जैन	उप जिलाध्यक्ष
5	अभिषेक चौरसिया	उप जिलाध्यक्ष
6	कल्याणी पाण्डेय	उप जिलाध्यक्ष
7	कामनी ठाकुर	उप जिलाध्यक्ष
8	जीतेन्द्र कुमार पटेल	उप जिलाध्यक्ष
9	त्रिलोचन गौड़	उप जिलाध्यक्ष
10	दिव्या पटेल	उप जिलाध्यक्ष
11	दीपक चौहान	उप जिलाध्यक्ष
12	नेहा सोनी	उप जिलाध्यक्ष
13	पराग जैन	उप जिलाध्यक्ष
14	पूजा तिवारी	उप जिलाध्यक्ष
15	प्रियंका मिमरोट	उप जिलाध्यक्ष
16	प्रियंका वर्मा	उप जिलाध्यक्ष
17	फरहीन खॉन	उप जिलाध्यक्ष

क्र. 5828-नोअविप-विपप्र-2018-2019.—आर.सी.वी.पी. नरोन्हा प्रशासन एवं प्रबंधकीय अकादमी, भोपाल में 01 जुलाई, 2015 से प्रभावशील विभागीय परीक्षा की नई व्यवस्था अनुसार भारतीय प्रशासनिक सेवा/राज्य प्रशासनिक सेवा के परिवीक्षाधीन अधिकारियों के लिये प्रशिक्षण एवं प्रशिक्षणोपरान्त विभागीय परीक्षा का आयोजन दिनांक 16 से 20 जुलाई, 2018 को किया गया। इस आयोजित परीक्षा के—
1. म. प्र. स्थानीय शासन-में सम्मिलित निम्न परिक्षार्थियों को उत्तीर्ण घोषित किया जाता है:—

क्रमांक (1)	परीक्षार्थी का नाम (2)	पदनाम (3)
1	अंकिता जैन	उप जिलाध्यक्ष
2	अंकिता त्रिपाठी	उप जिलाध्यक्ष
3	अदिति यादव	उप जिलाध्यक्ष
4	अनुभा जैन	उप जिलाध्यक्ष
5	अभिषेक चौरसिया	उप जिलाध्यक्ष
6	आरती यादव	उप जिलाध्यक्ष
7	ऋषि कुमार सिंघई	उप जिलाध्यक्ष
8	कल्याणी पाण्डेय	उप जिलाध्यक्ष
9	कामनी ठाकुर	उप जिलाध्यक्ष
10	जीतेन्द्र कुमार पटेल	उप जिलाध्यक्ष
11	त्रिलोचन गौड़	उप जिलाध्यक्ष
12	दिव्या पटेल	उप जिलाध्यक्ष
13	दीपक चौहान	उप जिलाध्यक्ष
14	नेहा सोनी	उप जिलाध्यक्ष
15	पराग जैन	उप जिलाध्यक्ष
16	पूजा तिवारी	उप जिलाध्यक्ष
17	प्रियंका मिमरोट	उप जिलाध्यक्ष
18	प्रियंका वर्मा	उप जिलाध्यक्ष

(1)	(2)	(3)	(1)	(2)	(3)
19	प्रियांशी भंवर	उप जिलाध्यक्ष	6	आरती यादव	उप जिलाध्यक्ष
20	फरहीन खॉन	उप जिलाध्यक्ष	7	ऋषि कुमार सिंघई	उप जिलाध्यक्ष
21	भारती देवी मिश्रा	उप जिलाध्यक्ष	8	कल्याणी पाण्डेय	उप जिलाध्यक्ष
22	भूपेन्द्र रावत	उप जिलाध्यक्ष	9	कामनी ठाकुर	उप जिलाध्यक्ष
23	मनोज कुमार प्रजापति	उप जिलाध्यक्ष	10	जीतेन्द्र कुमार पटेल	उप जिलाध्यक्ष
24	मनोज गरवाल	उप जिलाध्यक्ष	11	त्रिलोचन गौड़	उप जिलाध्यक्ष
25	रवि मालवीय	उप जिलाध्यक्ष	12	दिव्या पटेल	उप जिलाध्यक्ष
26	राहुल श्रीवास्तव	उप जिलाध्यक्ष	13	दीपक चौहान	उप जिलाध्यक्ष
27	राहुल गुप्ता	उप जिलाध्यक्ष	14	नेहा सोनी	उप जिलाध्यक्ष
28	रोशनी पाटीदार	उप जिलाध्यक्ष	15	पराग जैन	उप जिलाध्यक्ष
29	रोशनी वर्धमान	उप जिलाध्यक्ष	16	पूजा तिवारी	उप जिलाध्यक्ष
30	वंदना जैन	उप जिलाध्यक्ष	17	प्रियंका मिमरोट	उप जिलाध्यक्ष
31	विकास कुमार आनन्द	उप जिलाध्यक्ष	18	प्रियंका वर्मा	उप जिलाध्यक्ष
32	विशा माधवानी	उप जिलाध्यक्ष	19	प्रियांशी भंवर	उप जिलाध्यक्ष
33	वीरेन्द्र सिंह	उप जिलाध्यक्ष	20	फरहीन खॉन	उप जिलाध्यक्ष
34	शशि मिश्रा	उप जिलाध्यक्ष	21	भारती देवी मिश्रा	उप जिलाध्यक्ष
35	शिवानी तरेटिया	उप जिलाध्यक्ष	22	भूपेन्द्र रावत	उप जिलाध्यक्ष
36	शुभम शर्मा	उप जिलाध्यक्ष	23	मनोज कुमार प्रजापति	उप जिलाध्यक्ष
37	संघमित्रा बौध्द	उप जिलाध्यक्ष	24	मनोज गरवाल	उप जिलाध्यक्ष
38	संजीव कुमार पांडेय	उप जिलाध्यक्ष	25	रवि मालवीय	उप जिलाध्यक्ष
39	संदीप सिंह	उप जिलाध्यक्ष	26	रवीश श्रीवास्तव	उप जिलाध्यक्ष
40	संस्कृति शर्मा	उप जिलाध्यक्ष	27	राहुत गुप्ता	उप जिलाध्यक्ष
41	सिद्धार्थ पटेल	उप जिलाध्यक्ष	28	रोशनी पाटीदार	उप जिलाध्यक्ष
42	सौरभ मिश्रा	उप जिलाध्यक्ष	29	रोशनी वर्धमान	उप जिलाध्यक्ष
43	दीपशिखा भगत	उप जिलाध्यक्ष	30	वंदना जैन	उप जिलाध्यक्ष
			31	विकास कुमार आनन्द	उप जिलाध्यक्ष
			32	विशा माधवानी	उप जिलाध्यक्ष
			33	वीरेन्द्र सिंह	उप जिलाध्यक्ष
			34	शशि मिश्रा	उप जिलाध्यक्ष
			35	शिवानी तरेटिया	उप जिलाध्यक्ष
			36	शुभम शर्मा	उप जिलाध्यक्ष
			37	संघमित्रा बौध्द	उप जिलाध्यक्ष
			38	संजीव कुमार पांडेय	उप जिलाध्यक्ष
			39	संदीप सिंह	उप जिलाध्यक्ष
			40	संस्कृति शर्मा	उप जिलाध्यक्ष
			41	सिद्धार्थ पटेल	उप जिलाध्यक्ष
			42	सौरभ मिश्रा	उप जिलाध्यक्ष

क्र. 5828-नोअविप-विपप्र-2018-2019.—आर.सी.वी.पी. नरोन्हा प्रशासन एवं प्रबंधकीय अकादमी, भोपाल में 01 जुलाई, 2015 से प्रभावशील विभागीय परीक्षा की नई व्यवस्था अनुसार भारतीय प्रशासनिक सेवा/राज्य प्रशासनिक सेवा के परिवीक्षाधीन अधिकारियों के लिये प्रशिक्षण एवं प्रशिक्षणोपरान्त विभागीय परीक्षा का आयोजन दिनांक 16 से 20 जुलाई, 2018 को किया गया. इस आयोजित परीक्षा के—
1. प्रकरण अध्ययन-में सम्मिलित निम्न परिक्षार्थियों को उत्तीर्ण घोषित किया जाता है:—

क्रमांक	परीक्षार्थी का नाम	पदनाम
(1)	(2)	(3)
1	अंकिता जैन	उप जिलाध्यक्ष
2	अंकिता त्रिपाठी	उप जिलाध्यक्ष
3	अदिति यादव (श्रीमती)	उप जिलाध्यक्ष
4	अनुभा जैन	उप जिलाध्यक्ष
5	अभिषेक चौरसिया	उप जिलाध्यक्ष

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
राकेश कुमार यादव, नोडल अधिकारी विभागीय परीक्षा.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला राजगढ़ (ब्यावरा), मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन
राजस्व विभाग

राजगढ़ (ब्यावरा), दिनांक 1 सितम्बर, 2018

क्र. 6687-भू-अर्जन-2015.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसके संलग्न अनुसूची के खाने (4) में वर्णित शेष भूमि की, अनुसूची के खाने (7) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है।

प्रकरण क्रमांक **6687** / / चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है, कि नीचे दी गई अनुसूची क्रमांक 1 में पिपल्याकुमार तालाब निर्माण तहसील राजगढ़ जिला राजगढ़ की ग्राम पीपल्या, चौसला एवं टोड़री के लिए आवश्यक वर्णित शेष भूमि जिसका कृषकवार सर्वे क्रमवार विवरण अनुसूची 2 में उल्लेखित है। अतः भूमि अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (क 30 सन् 2013) की धारा-11 के अन्तर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न वर्णित अनुसूची 2 की भूमि की अनुसूची 1 में अंकित सार्वजनिक प्रयोजनार्थ आवश्यकता है। चूंकि इस लघु सिंचाई योजना में प्रभावित व्यक्तियों के विस्थापन एवं पुनर्वासन की आवश्यकता न होने के कारण सामाजिक समाघात रिपोर्ट की आवश्यकता नहीं है।

—: अनुसूची (1) :—

पिपल्याकुमार तालाब के डूब क्षेत्र में प्रभावित शेष भूमि

तहसील :-राजगढ़

स.क्र.	विवरण	अर्जित की जाने वाली शेष भूमि का रकबा हेक्टेयर		
		कुल सर्वे नं.	कुल रकबा	प्रभावित भूमि
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	पीपल्या	45	27.458	22.039
2	चौसला	10	2.875	1.965
3	टोड़री	1	0.500	0.150
कुल योग :-		56	30.833	24.154

—: अनुसूची (2) :—

पिपल्याकुमार तालाब के डूब क्षेत्र में प्रभावित शेष भूमि ग्राम पीपल्या

स.क्र.	भू-स्वामित्वधारी का नाम	सर्वे नंबर	कुल रकबा	प्रभावित भूमि
1	2	3	4	5
1	रामा पिता भेरु अनुसूचित जाति पता नि. ग्राम भू-स्वामी	1/5/1	2.656	2.656
योग:-		1	2.656	2.656
2	बीरमसिंह पिता मोतीलाल जाति सौंधिया नि. ग्राम भू-स्वामी	3/4	1.012	1.012
योग:-		1	1.012	1.012
3	भेरुसिंह पिता रोड जी जाति दांगी नि. ग्राम भू-स्वामी	320/1	0.338	0.338
योग:-		1	0.338	0.338
4	प्रेमसिंह पिता शिवनारायण जाति दांगी नि. ग्राम भू-स्वामी	320/2	0.231	0.231
योग:-		1	0.231	0.231
5	मांगीलाल पिता नाथूलाल जाति दांगी नि. ग्राम भू-स्वामी	316/1/1	0.579	0.200
योग:-		1	0.579	0.200

स.क.	भू-स्वामित्वधारी का नाम	सर्वे नंबर	कुल रकबा	प्रभावित भूमि
1	2	3	4	5
6	कन्हैयालाल पिता नाथूलाल जाति दांगी नि. ग्राम भू-स्वामी	316/1/2	0.579	0.200
	योग:-	1	0.579	0.200
7	मोतीलाल, किशनलाल, बद्रीलाल, सरदारबाई, दरियावबाई पिता दोला मु. भूलाबाई बेवा दोला जाति दांगी नि. ग्राम भू-स्वामी	313	1.303	0.316
	योग:-	1	1.303	0.316
8	बालूसिंह पिता नारायणसिंह, पूरीबाई बेवा नारायणसिंह जाति दांगी नि. ग्राम भू-स्वामी	316/1/3	0.359	0.359
	योग:-	1	0.359	0.359
9	प्रेमसिंह पिता शिवनारायण जाति दांगी नि. ग्राम भू-स्वामी	319/1	0.092	0.092
	योग:-	1	0.092	0.092
10	बालू पिता प्रभू अनुसूचित जाति नि. ग्राम भू-स्वामी	321/1/2	0.500	0.500
	योग:-	1	0.500	0.500
11	बंशी पिता पन्ना अनुसूचित जाति नि. ग्राम भू-स्वामी	321/2	0.500	0.500
	योग:-	1	0.500	0.500
12	घनश्याम पिता प्रभू सोरमबाई पति घनश्याम अनुसूचित जाति नि. ग्राम भू-स्वामी	321/3	0.500	0.250
	योग:-	1	0.500	0.250
13	भंवरलाल पिता गोपी, सोरम पति भंवरलाल अनुसूचित जाति नि. ग्राम भू-स्वामी	321/4	0.500	0.250
	योग:-	1	0.500	0.250
14	अमृतीबाई पति मांगीलाल भगवती मनीषा, भैयालाल ना.बा. पिता मांगीलाल अनुसूचित जाति नि. ग्राम भू-स्वामी	321/5	0.500	0.100
	योग:-	1	0.500	0.100
15	बीरम पिता बापू रेखाबाई पति बीरम अनुसूचित जाति नि. ग्राम भू-स्वामी	321/11	0.500	0.500
	योग:-	1	0.500	0.500
16	प्यारजी पिता गुलाबजी, सरदार बाई बेवा गुलाबजी जाति सौंधिया नि. ग्राम भू-स्वामी	332/1/1	0.350	0.060
	योग:-	1	0.350	0.060
17	शिवसिंह पिता हीरालाल जाति सौंधिया नि. ग्राम भू-स्वामी	335/8	1.012	0.212
	योग:-	1	1.012	0.212

स.क.	भू-स्वामित्वधारी का नाम	सर्वे नंबर	कुल रकबा	प्रभावित भूमि
1	2	3	4	5
18	कालूसिंह पिता निर्भयसिंह जाति सौधिया ग्राम भूमि स्वामी	3/11	0.775	0.775
	योग:-	1	0.775	0.775
19	मांगीलाल पिता किशनलाल जाति सौधिया नि. ग्राम भू-स्वामी	3/12	0.775	0.775
	योग:-	1	0.775	0.775
20	भंवरीबाई पति मांगीलाल प्रेमबाई पति बापूसिंह जाति सौधिया नि. ग्राम भू-स्वामी	3/13	0.775	0.775
	योग:-	1	0.775	0.775
21	बालूसिंह पिता धूलजी जाति सौधिया नि. ग्राम भू-स्वामी	3/14	0.775	0.775
	योग:-	1	0.775	0.775
22	हजारी पिता गोपी अनुसूचित जाति नि. ग्राम भू-स्वामी	3/15/1	0.522	0.522
	योग:-	1	0.522	0.522
23	भंवरीबाई पति मांगीलाल प्रेमबाई पति बापूसिंह जाति सौधिया नि. ग्राम भू-स्वामी	3/15/2	0.253	0.253
	योग:-	1	0.253	0.253
24	धूलजी पिता हीरालाल अनुसूचित जाति नि. ग्राम भू-स्वामी	3/16	0.684	0.684
	योग:-	1	0.684	0.684
25	प्रभू पिता भेरू अनुसूचित जाति निवासी ग्राम भूमि स्वामी	3/17	0.700	0.700
		3/5/1/1	0.337	0.114
	योग:-	2	1.037	0.814
26	रतन पिता भेरू अनुसूचित जाति निवासी गाम भूमि स्वामी	3/18	0.700	0.700
	योग:-	1	0.700	0.700
27	पूरा पिता भेरू अनुसूचित जाति निवासी गाम भूमि स्वामी	3/19	0.600	0.600
	योग:-	1	0.600	0.600
28	प्रेम पिता पन्ना अनुसूचित जाति निवासी गाम भूमि स्वामी	3/20	0.785	0.785
	योग:-	1	0.785	0.785
29	मांगीलाल, कन्हैयालाल पिता नाथूलाल जाति दांगी नि. ग्राम भू-स्वामी	3/21	0.400	0.400
	योग:-	1	0.400	0.400

स.क.	भू-स्वामित्वधारी का नाम	सर्वे नंबर	कुल रकबा	प्रभावित भूमि
1	2	3	4	5
30	प्रेमसिंह पिता पन्नालाल, पारीबाई, बेवा पन्नालाल अनुसूचित जाति नि.ग्राम भूमि स्वामी	3/22	0.385	0.385
	योग:-	1	0.385	0.385
31	भंवरीया पिता देवा अनुसूचित जाति नि.ग्राम भूमि स्वामी	3/23	0.775	0.775
	योग:-	1	0.775	0.775
32	भंवरीया, कमलाबाई, रेशमबाई, सोरमबाई पिता देवीलाल, गुलाब बाई बेवा देवीलाल अनुसूचित जाति नि.ग्राम भूमि स्वामी	3/24	0.775	0.775
	योग:-	1	0.775	0.775
33	बापूलाल पिता देवीलाल जाति दांगी नि. ग्राम भू-स्वामी	3/25	0.775	0.775
	योग:-	1	0.775	0.775
34	कालू पिता गंगाराम, घीसाबाई, अनोखबाई होकमबाई पिता गंगाराम गंगाबाई बेवा गंगाराम जाति दांगी नि. ग्राम भू-स्वामी	1/6/2	0.759	0.759
	योग:-	1	0.759	0.759
35	कंवरलाल, अमरसिंह पिता भंवरलाल जाति दांगी नि. ग्राम भू-स्वामी	1/1/2	0.253	0.253
	योग:-	1	0.253	0.253
36	गोपी पिता हीरा अनुसूचित जाति नि. ग्राम भू-स्वामी	1/1/3	0.506	0.506
	योग:-	1	0.506	0.506
37	कालू पिता गोदड जाति दांगी नि. ग्राम भू-स्वामी	315/1	0.380	0.152
	योग:-	1	0.380	0.152
38	मांगीलाल पिता जगन्नाथ जाति सौंधिया नि.ग्राम भूमि स्वामी	1/6/1/1	0.530	0.530
	योग:-	1	0.530	0.530
39	कालू पिता गोदड जाति दांगी नि. ग्राम भू-स्वामी	314/1	0.310	0.310
	योग:-	1	0.310	0.310
40	बालूसिंह पिता नारायणसिंह, पूरीबाई बेवा नारायणसिंह जाति दांगी नि. ग्राम भू-स्वामी	314/2	0.310	0.310
	योग:-	1	0.310	0.310
41	बीरमसिंह पिता नाथू जाति सौंधिया नि.ग्राम भूमि स्वामी	3/2/1	0.394	0.146
	योग:-	1	0.394	0.146

स.क.	भू-स्वामित्वधारी का नाम	सर्वे नंबर	कुल रकबा	प्रभावित भूमि
1	2	3	4	5
42	बीरमसिंह, करणसिंह, सुल्तानसिंह पिता नाथूलाल गंगाबाई, रतनबाई, छीताबाई पिता नाथूलाल जाति सौंधिया नि.ग्राम भूमि स्वामी	3/2/2	0.365	0.329
	योग:-	1	0.365	0.329
43	रामलाल पिता भेरू जाति चमार नि. ग्राम भूमि स्वामी	3/5/1/2	0.337	0.337
	योग:-	1	0.337	0.337
44	प्रभूलाल पिता देबीलाल जाति दांगी निवासी ग्राम भूमि स्वामी	3/8	1.012	0.063
	योग:-	1	1.012	0.063
	महायोग :-	45	27.458	22.039
पिपल्याकुमार तालाब के डूब क्षेत्र में प्रभावित शेष भूमि ग्राम चौंसला				
1	जगन्नाथ पिता मदन अनुसूचित जाति नि. गाम भूमि स्वामी	85/4/1/1	0.050	0.050
	योग:-	1	0.050	0.050
2	जसवनतसिंह पिता जगन्नाथ सिंह जाति राजपूत निवासी ग्राम भूमि स्वामी	85/1/1	1.138	0.228
	योग:-	1	1.138	0.228
3	रतनसिंह पिता जगन्नाथ सिंह जाति राजपूत निवासी ग्राम भूमि स्वामी	85/1/2	0.189	0.189
	योग:-	1	0.189	0.189
4	कृष्णपालसिंह पिता जगन्नाथसिंह जाति राजपूत नि. ग्राम भूमि स्वामी	85/1/3	0.190	0.190
	योग:-	1	0.190	0.190
5	कन्हैयालाल पिता मदन अनुसूचित जाति पता नि ग्राम भूमि स्वामी	85/4/2/1	0.064	0.064
	योग:-	1	0.064	0.064
6	प्रेमसिंह पिता मनोहरसिंह जाति राजपूत पता नि. ग्राम भूमि स्वामी	88/1/1	0.159	0.159
	योग:-	1	0.159	0.159
7	महेन्द्रपालसिंह पिता जालमसिंह जाति राजपूत पता नि.राजगढ़ भूमि स्वामी	88/2/1	0.132	0.132
	योग:-	1	0.132	0.132
8	प्रहलादसिंह पिता दलपतसिंह जाति राजपूत पता नि. ग्राम भूमि स्वामी	90/1/2/1	0.232	0.232
	योग:-	1	0.232	0.232

स.क.	भू-स्वामित्वधारी का नाम	सर्वे नंबर	कुल रकबा	प्रभावित भूमि
1	2	3	4	5
9	विजयसिंह पिता प्रहलादसिंह जाति राजपूत नि. ग्राम भूमि स्वामी	90/1/3/1	0.380	0.380
	योग:-	1	0.380	0.380
10	कृष्णाकुवर पति चित्रभानसिंह जाति राजपूत पता नि. ग्राम भूमि स्वामी	90/2/1	0.341	0.341
	योग:-	1	0.341	0.341
	महायोग :-	10	2.875	1.965
पिपल्याकुमार तालाब के डूब क्षेत्र में प्रभावित शेष भूमि ग्राम टोडरी				
1	मांगीलाल पिता नाथूसिंह जाति सौधिया निवासी ग्राम भूमि स्वामी	131/2	0.500	0.150
	योग:-	1	0.500	0.150
	महायोग :-	1	0.500	0.150
	योजना का महायोग :-	56	30.833	24.154

भूमि के नक्शे (प्लान) आदि का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी, एवं भू-अर्जन अधिकारी (राजस्व) राजगढ़ तहसील राजगढ़ जिला राजगढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है।

राजगढ़, दिनांक 3 सितम्बर, 2018

क्र. 6736-भू-अर्जन-2018.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है, कि इसके संलग्न सूची के खाने (4) में वर्णित शेष भूमि की अनुसूची के खाने (5) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है।

प्रकरण क्रमांक 22ए/359/2018/एमपीएस/31/859/भोपाल दिनांक 14.05.

2018 चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है, कि नीचे दी गई अनुसूची क्रमांक 1 में पार्वती परियोजना तहसील नरसिंहगढ़ जिला राजगढ़ के ग्राम बरोडी के डूब क्षेत्र के लिए वर्णित भूमि जिसका कृषकवार सर्वे क्रमवार विवरण अनुसूची (2) में उल्लेखित है। अतः भूमि अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (क 30 सन् 2013) की धारा-11 के अन्तर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न वर्णित अनुसूची 2 की भूमि की अनुसूची 1 में अंकित सार्वजनिक प्रयोजनार्थ आवश्यकता है। चूंकि पार्वती परियोजना का निर्माण प्रस्तावित है इस कारण धारा-11(3) के तहत सामाजिक समाघात निर्धारित रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है।

—: अनुसूची (1) :-

तहसील :- नरसिंहगढ़

जिला-राजगढ़

पार्वती परियोजना के अन्तर्गत प्रभावित ग्राम बरोडी की डूब क्षेत्र की भूमि का भू-अर्जन प्रस्ताव, ग्राम बरोडी

स.क.	विवरण	भूमि का रकबा (हेक्टेयर में)	
		कुल रकबा	प्रभावित रकबा
(1)	(2)	(3)	(4)
1	बरोडी	34.070	24.720
	कुलयोग :-	34.070	24.720

अनुसूची कमांक (2)

पार्वती परियोजना के एफ.टी.एल तक डूब क्षेत्र में प्रभावित ग्राम बरोडी

तहसील :- नरसिंहगढ़

जिला :- राजगढ़

स.क्र.	नाम कृषक, पिता का नाम, जाति ग्राम	सर्वे नंबर	कुल रकबा	प्रभावित रकबा
1	2	3	4	5
1	ललताप्रसाद पिता मदनलाल, सुगनबाई, पति लालताप्रसाद जाति चमार निवासी ग्राम भू स्वामी	11/1/4	0.506	0.100
	योग	1	0.506	0.100
2	भारतसिंह पिता मदनलाल जाति चमार निवासी ग्राम भू स्वामी	11/1/6	0.506	0.180
	योग	1	0.506	0.180
3	जमनाप्रसाद पिता मांगीलाल, प्रेमबाई पति जमनाप्रसाद जाति चमार निवासी ग्राम भू स्वामी	11/1/10	0.241	0.100
	योग	1	0.241	0.100
4	श्री मति गायत्री बाई पति बृजराज सिंह जाति राजपूत श्रीमति रेखाबाई पति राजेन्द्र कुमार जाति कुम्हार पता नि. नरसिंहगढ़ भूमि स्वामी	33/2	1.366	0.020
	योग	1	1.366	0.020
5	कोशल्या बाई देवा शिवप्रसाद देवीप्रसाद पिता शिवप्रसाद देवीप्रसाद पिता शिवप्रसाद जाति देशवाली निवासी ग्राम भू स्वामी	55	1.075	1.075
		107/3	0.033	0.033
		137	0.051	0.051
		105/4	0.038	0.038
	योग	4	1.197	1.197
6	मांगीलाल पिता गंगाराम, ज्वालाप्रसाद पिता लक्ष्मण जाति धाकड़ नि. ग्राम भू स्वामी	57	2.112	0.260
	योग	1	2.112	0.260
7	हीरालाल पिता बापूलाल जाति धाकड़ नि. ग्राम भू स्वामी	58/1/1	0.042	0.042
	योग	1	0.042	0.042
8	बृजराजसिंह पिता समन्दर सिंह जाति राजपूत राजेन्द्र कुमार पिता गोकलप्रसाद जाति कुम्हार पता नि. नरसिंहगढ़ भू स्वामी	70	0.240	0.100
	योग	1	0.240	0.100
9	सोरमबाई पति शिवनाराण जाति देशवाली पता नि. ग्राम भू स्वामि	90/1	1.018	0.305
	योग	1	1.018	0.305
10	अमृतलाल पिता भागचंद जाति देशवाली निवासी ग्राम भू स्वामी	133/1	0.093	0.093
		112/1	0.073	0.073
		114/1/1	0.045	0.045
	योग	3	0.211	0.211
11	मोतीलाल पिता भागचंद जाति देशवाली निवासी ग्राम भू स्वामी	133/2	0.093	0.093
	योग	1	0.093	0.093
12	हीरालाल पिता कालूराम जाति देशवाली पता नि. ग्राम भू स्वामी	114/4/1	0.119	0.119
		167/2	0.130	0.130
	योग	2	0.249	0.249
13	जगदीश पिता भागचंद जाति देशवाली निवासी ग्राम भू स्वामी	176/1	0.070	0.070
		174	0.025	0.025
		110/1	0.101	0.101
		134/3	0.084	0.084
	योग	4	0.280	0.280
	बापूलाल आ.हजारीलाल जाति देशवाली निवासी ग्राम भू स्वामी	176/2	0.094	0.094
		110/2	0.101	0.101

14		114/2	0.165	0.165
		112/2	0.073	0.073
		163	0.126	0.126
		164	0.101	0.101
	योग	6	0.660	0.660
15	बापूलाल आ.हजारीलाल जाति धाकड निवासी ग्राम भू स्वामी	134/1	0.085	0.085
	योग	1	0.085	0.085
16	बालकिशन पिता हजारीलाल जाति देशवाली निवासी ग्राम भू स्वामी	170	0.051	0.051
		168	0.025	0.025
		169	0.126	0.126
		144	0.291	0.291
		114/3	0.164	0.164
		112/3	0.072	0.072
		110/3	0.102	0.102
	योग	7	0.831	0.831
17	अशोक पिता नारायणसिंह रीना चितामणि द्रोपती पुत्री नारायणसिंह जाति देशवाली निवासी ग्राम भू स्वामी	112/4	0.073	0.073
		167/1	0.131	0.131
		114/4/2	0.046	0.046
	योग	3	0.250	0.250
18	विश्राम सिंह पिता कालूराम जाति देशवाली पता नि. ग्राम भू स्वामी	110/4	0.101	0.101
		167/3	0.030	0.030
	योग	2	0.131	0.131
19	रमेश पिता पन्नालाल जाति धाकड निवासी ग्राम भू स्वामी	246	0.240	0.120
	योग	1	0.240	0.120
20	मदनलाल पिता उम्मेदराम जाति धाकड निवासी ग्राम भू	213/1/1	0.253	0.016
	योग	1	0.253	0.016
21	मांगीलाल पिता गंगाराम ज्वालाप्रसाद पिता लछमन जाति धाकड निवासी ग्राम भू स्वामी	124	0.772	0.350
		141	0.013	0.013
		179	0.202	0.202
		101	0.291	0.291
		142	0.190	0.190
		140	0.013	0.013
		139	0.025	0.025
	योग	7	1.506	1.084
22	मदनलाल पिता उम्मेदराम जाति धाकड निवासी ग्राम भू स्वामी	149/3/1/2	0.048	0.048
		157/1/2	0.114	0.114
		103/1/1/2	0.172	0.172
	योग	3	0.334	0.334
23	मथरालाल बशीलाल पिता खानाराम जाति धाकड नि. ग्राम भूमी स्वामि	106/1	0.316	0.316
		162/2	0.101	0.101
	योग	2	0.417	0.417
24	लक्ष्मीनारायण धुरीलाल बदीलाल रमेशचन्द पिता मांगीलाल शेतान बाई कलाबाई लालताबाई पिता मांगीलाल जाति धाकड जाति देशवाली नि. ग्राम भूमी स्वामि	106/2	0.316	0.316
		162/1	0.101	0.101
	योग	2	0.417	0.417
25	नन्जूलाल पुत्र भवरलाल जाति देसवाली जाति देशवाली नि. ग्राम भूमी स्वामि	107/1	0.031	0.031
		115/3/1	0.643	0.643
		145	0.190	0.190
		104/4/1	0.067	0.067
		105/3	0.038	0.038
	योग	6	0.994	0.994
26	नन्जूलाल पिता भवरलाल जाति देशवाली पता नि. ग्राम भूमि स्वामी	115/1/2	0.089	0.089
	योग	1	0.089	0.089

27	रामकलीबाई, बेबा नवलसिंह, गोपास पिता छोटेलाल लीलाबाई गीताबाई पुत्री छोटेलाल जाति देशवाली नि. ग्राम भूमी स्वामि	107/2	0.031	0.031
		105/1	0.038	0.038
		104/2	0.066	0.066
	योग	3	0.135	0.135
28	मु.रामकलीब विधवा नवलसिंह जाति देशवाली नि. ग्राम भूमी स्वामि	115/2/1/1	0.289	0.289
		योग	1	0.289
29	कशतूरीबाई बेबा उमदराम जाति देशवाली पता नि. ग्राम भूमी स्वामि	107/4	0.031	0.031
		104/3	0.067	0.067
		105/2	0.038	0.038
		योग	3	0.136
30	मदनलाल पिता हजारीलाल जाति धाकड़ पता नि. ग्राम भूमी स्वामि	159/3	0.156	0.156
		योग	1	0.156
31	पूमचंद पिता हजारीलाल जाति धाकड़ पता नि. ग्राम भूमी स्वामि	159/2	0.156	0.156
		योग	1	0.156
32	जगदीश पिता हजारीलाल जाति धाकड़ पता नि. ग्राम भूमी स्वामिवगैरह	150	0.278	0.240
		159/1	0.156	0.156
		योग	2	0.434
33	मुन्नालाल पिता देवचन्द जाति धाकड़	171	0.253	0.253
		173	0.114	0.114
		103/2	1.034	1.034
		104/1	0.319	0.319
		योग	4	1.720
34	बालाप्रसाद पिता रामचन्द्र मेहताब बाई देवा रामचन्द्रर अती धाकड़ पता नि. ग्राम भूमी स्वामि	121/2/1	0.174	0.110
		149/1/5	0.013	0.013
		157/2/4	0.013	0.013
		103/4/4	0.129	0.129
		योग	4	0.329
35	बन्देव पिता हरलाल जाति धाकड़ पता नि. ग्राम भूमी स्वामि	121/2/5	0.316	0.116
		123/1/4	0.290	0.290
		149/1/1	0.055	0.055
		157/2/1	0.050	0.050
		161/4	0.089	0.089
		99/2	0.069	0.069
		103/4/6	0.260	0.260
योग	7	1.129		
36	कमलसिंह पिता बापूलाल जाति धाकड़ पता नि. ग्राम भूमी स्वामि	177/1	0.122	0.122
		121/1/3/3	0.200	0.100
		149/2/3	0.047	0.047
		183/2	0.082	0.082
योग	4	0.451		
37	ललताप्रसाद पिता हीरालाल जाति धाकड़ पता नि. ग्राम भूमी स्वामि	177/2	0.042	0.042
		178/2	0.080	0.080
		182/1	0.044	0.044
		103/3/1	0.344	0.200
		149/2/1	0.046	0.025
		121/1/1	0.422	0.032
योग	6	0.978		
38	अनोखसिंह पिता बापूलाल जाति धाकड़ पता नि. ग्राम भूमी स्वामि	178/1	0.122	0.122
		121/1/2/3	0.200	0.100
		149/2/2	0.046	0.046
		182/2	0.095	0.095
योग	4	0.463		
39	बद्रीलाल पिता मुन्नालाल जाति धाकड़ पता नि. ग्राम भूमी स्वामि	115/1/1	0.759	0.759
		115/2/1/2	1.152	1.152
		132	0.177	0.177
		180	0.101	0.101
योग	4	2.189		

40	रामचरण कालूराम जाति देशवाली पता पता नि. ग्राम भूमी स्वामि	115/2/2	0.329	0.329
		134/2	0.084	0.084
		143	0.202	0.202
	योग	3	0.615	0.615
41	गणेशराम जगदीश बद्रीलाल शेतानबाई पिता मुन्नालाल जाति धाकड़ पता नि. ग्राम भूमी स्वामि	115/3/2	0.369	0.369
		118/1/1	1.427	1.000
	योग	2	1.796	1.369
42	घीसीबाई पत्नि घुडया जाति देशवाली पता पता नि. ग्राम भूमी स्वामि	115/4	0.506	0.506
		138	0.025	0.025
		2	0.531	0.531
	योग	2	0.531	0.531
43	घुडिया पुत्र गोपीलाल जाति देशवाली पता नि. ग्राम भूमी स्वामि	119	0.518	0.238
		129	0.278	0.078
		130	0.101	0.050
		135	0.013	0.013
		136	0.051	0.051
		146	0.269	0.269
		147	0.013	0.013
		148	0.190	0.190
		160	0.164	0.164
	योग	9	1.597	1.066
44	गिरवरसिंह पिता अनोखसिंह जाति धाकड़ निवासी ग्राम भू स्वामी	121/1/2/1	0.110	0.032
		103/3/2/1	0.173	0.173
	योग	2	0.283	0.205
45	गीरवरसिंह पिता उम्मेदराम जाति धाकड़ निवासी ग्राम भू स्वामी	102/1/1	0.208	0.118
		95/2/3	0.114	0.052
	योग	2	0.322	0.170
46	किशोर पिता अनोखसिंह जाति धाकड़ निवासी ग्राम भू स्वामी	103/3/2/2	0.172	0.172
	योग	1	0.172	0.172
47	विष्णु प्रसाद पिता कमलसिंह जाति धाकड़ निवासी ग्राम भू स्वामी	121/1/3/1	0.111	0.031
		103/3/3/1	0.172	0.172
	योग	2	0.283	0.203
48	मनीष पिता कमलसिंह जाति धाकड़ निवासी ग्राम भू स्वामी	121/1/3/2	0.111	0.030
		103/3/3/2	0.173	0.173
	योग	2	0.284	0.203
49	माहेश पिता शिवनारायण जाति धाकड़ निवासी ग्राम भू स्वामी	121/2/2	0.048	0.048
		123/1/2	0.146	0.146
	योग	2	0.194	0.194
50	केशर सिंहपिता रामचन्द्र जाति धाकड़ निवासी ग्राम भू स्वामी	98/1	0.061	0.061
		99/1	0.064	0.034
		103/4/2	0.129	0.129
		149/1/4	0.013	0.013
	योग	4	0.267	0.237
51	पवन पिता नवलसिंह जाति धाकड़ निवासी ग्राम भू स्वामी	123/1/3	0.146	0.146
	योग	1	0.146	0.146
52	नवलसिंह पिता रामचन्द्रर जाति धाकड़ पता नि. ग्राम भू स्वामी	149/1/2	0.014	0.014
		157/2/3	0.013	0.013
		161/3	0.044	0.044
		103/4/1	0.128	0.128
	योग	4	0.199	0.199
53	लालजीराम पुत्र मोहनलाल जाति देशवाली पता नि. मंगलपुर भूमी स्वामी	122/1	0.082	0.082
		122/2	0.082	0.082
	योग	2	0.164	0.164
54	सिद्धबाई पिता हरचंद जाति धाकड़ पता नि. ग्राम भूमी स्वामी	161/1	0.177	0.177
		103/4/5	0.260	0.260
	योग	2	0.437	0.437

55	भावसिंह पिता उम्मेदराम हि 1/2 केलाश सूरजसिंह रमाबाई पिता जगन्नाथ सोरमबाई बेवा जगन्नाथन देवकरण अल्का शकुनाबाई राधा पूजा टीना पिता दिलीप रामकुंवरबाई बेवा दिलीप जाति धाकड़ पता नि. ग्राम भूमि स्वामी	123/2	0.544	0.180
		149/3/1/1	0.097	0.097
		165/1	0.145	0.145
		166/1	0.013	0.013
		103/1/1/1	0.345	0.045
		183/1	0.082	0.082
	योग	6	1.226	0.562
56	राकेश पिता कमलसिंह भगवतीबाई बेवा कमलसिंह जाति देशवाली पता नि. ग्राम भूमि स्वामी	133/3	0.092	0.092
	योग	1	0.092	0.092
57	भावनाबाई पिता हरचंद जाति धाकड़ नि. ग्राम भूमि स्वामी	149/1/6	0.055	0.055
		99/3	0.069	0.069
		योग	2	0.124
58	मांगीलाल हेमराज रमेश राधेश्याम पिता पन्नालाल गीताबाई प्रेमबाई कलाबाई पुत्री पन्नालाल जाति धाकड़ नि. ग्राम भूमि स्वामी	149/3/2	0.146	0.100
		156/2	0.146	0.100
		157/1/1	0.114	0.114
		165/2	0.146	0.146
		166/2	0.012	0.012
		103/1/2	0.517	0.517
	योग	6	1.081	0.989
59	धापूबाई बेवा रामसिंह जाति देशवाली पता नि. ग्राम भूमि स्वामी	158/1	0.069	0.069
	योग	1	0.069	0.069
60	रघुवीर गोविन्द भूरीबाई पिता हरिसिंह समन्त्राबाई बेवा हरिसिंह जाति देशवाली पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी भू राजस्व	158/2	0.070	0.070
	योग	1	0.070	0.070
61	फूलसिंह पिता उम्मेदराम जाति धाकड़ नि. ग्राम भूमि स्वामी	95/2/2	0.114	0.052
		102/1/4	0.209	0.119
		योग	2	0.323
62	अलकेश पिता उम्मेदराम जाति धाकड़ नि. ग्राम भूमि स्वामी	95/2/4	0.113	0.052
		102/1/2	0.209	0.119
		योग	2	0.322
63	हरिसिंह पिता उम्मेदराम जाति धाकड़ नि. ग्राम भूमि स्वामी	95/2/1	0.114	0.052
		102/1/3	0.209	0.119
		योग	2	0.323
64	बनवारीलाल पिता मोतीलाल जाति देशवाली नि. ग्राम भूमि स्वामी	114/1/2	0.119	0.119
	योग	1	0.119	0.119
65	शिवनारायण पिता रामचंदर जाति धाकड़ नि. ग्राम भूमि स्वामी	149/1/3	0.014	0.014
		157/2/2	0.012	0.012
		161/2	0.044	0.044
		103/4/3	0.128	0.128
	योग	4	0.198	0.198
महायोग		176	34.070	24.720

भूमि के नक्शे (प्लान) आदि का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी, एवं भू-अर्जन अधिकारी (राजस्व) नरसिंहगढ़ जिला राजगढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है।

क्र. 6737-भू-अर्जन-2018.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है, कि इसके संलग्न सूची के खाने (4) में वर्णित शेष भूमि की अनुसूची के खाने (5) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है।

प्रकरण क्रमांक 22ए/359/2018/एमपीएस/31/859/भोपाल दिनांक 14.05.2018 चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है, कि नीचे दी गई अनुसूची क्रमांक 1 में पार्वती परियोजना तहसील नरसिंहगढ़ जिला राजगढ़ के ग्राम फतेहपुर के डूब क्षेत्र के लिए वर्णित भूमि जिसका कृषकवार सर्वे कमवार विवरण अनुसूची 2 में उल्लेखित है। अतः भूमि अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (क 30 सन् 2013) की धारा-11 के अन्तर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न वर्णित अनुसूची 2 की भूमि की अनुसूची 1 में अंकित सार्वजनिक प्रयोजनार्थ आवश्यकता है। चूंकि पार्वती परियोजना का निर्माण प्रस्तावित है इस कारण धारा-11(3) के तहत सामाजिक समाघात निर्धारित रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है।

—: अनुसूची (1) :-

तहसील :- नरसिंहगढ़

जिला-राजगढ़

पार्वती परियोजना के अन्तर्गत प्रभावित डूब क्षेत्र की भूमि का भू-अर्जन प्रस्ताव,
ग्राम फतेहपुर

स.क्र.	विवरण	भूमि का रकबा (हेक्टेयर में)	
		कुल रकबा	प्रभावित रकबा
(1)	(2)	(3)	(4)
1	फतेहपुर	78.773	68.580
कुलयोग :-		78.773	68.580

पार्वती परियोजना के डूब क्षेत्र में प्रभावित ग्राम फतेहपुर की भूमि अर्जन का विवरण
अनुसूची- 2

तहसील :- नरसिंहगढ़

जिला :- राजगढ़

स.क्र.	नाम कृषक, पिता का नाम, जाति ग्राम	सर्वे नंबर	कुल रकबा	प्रभावित रकबा
1	2	3	4	5
1	लक्ष्मणसिंह पिता बनेसिंह जाति राजपूत निवासी ग्राम भू स्वामी	4/4/1	1.012	1.012 ✓
	योग	1	1.012	1.012 ✓
2	इन्द्रसिंह लक्ष्मीचंद लक्ष्मीबाई पिता घिसलाल, निकिल ना.बा. निधि ना. बा. पिता सुरेश सर. माता सुनीताबाई बेवा सुरेश भवरिबाई बेवा घिसलाल जाति चमार निवासी ग्राम कोटडा भू स्वामी	4/4/2	1.265	1.265 ✓
	योग	1	1.265	1.265 ✓
3	पेपकुवर पति पूरनसिंह जाति राजपूत निवासी ग्राम भू स्वामी	4/4/3	1.265	1.265 ✓
	योग	1	1.265	1.265 ✓
4	हरीसिंह पिता तुलाराम जाति गूजर निवासी ग्राम भू स्वामी	5	1.607	1.607 ✓
		10/2	1.000	1.000 ✓
		13/3	0.843	0.843 ✓
		16/2	0.146	0.146 ✓
		18/6/4	2.529	2.529 ✓
		19/2	2.034	2.034 ✓
	योग	6	8.159	8.159 ✓
5	मांगीलाल पिता आसाराम जाति गूजर निवासी ग्राम कोटडा भू स्वामी	9/1/1	2.530	2.530 ✓
	योग	1	2.530	2.530 ✓
6	बनेसिंह पिता शंकरलाल जाति गूजर निवासी ग्राम कोटडा भू स्वामी	9/1/2	2.529	2.529 ✓
	योग	1	2.529	2.529 ✓
7	रतनलाल कैलाशचंद अजुन सिंह भवरी बाई ललता बाई लाड सिंह मायाबाई पिता बालकिशन जाति बलाई निवासी ग्राम कोटडा भू स्वामी	9/2/1	0.659	0.659 ✓
	योग	1	0.659	0.659 ✓
8	कैलाशबाई धापूबाई रुपाबाई पिता तुलाराम निवासी ग्राम भू स्वामी	11	0.582	0.582 ✓
		10/3	0.306	0.306 ✓
	योग	2	0.888	0.888 ✓
9	हनुमतसिंह पिता तुलाराम निवासी ग्राम भू स्वामी	10/4	0.286	0.286 ✓
		7	4.313	4.313 ✓
		13/1	1.031	1.031 ✓
	योग	3	5.630	5.630 ✓
10	गीताबाई पत्नी घासीराम जाति गूजर निवासी ग्राम भू स्वामी	18/6/3	0.885	0.885 ✓
	योग	1	0.885	0.885 ✓

स.क.	नाम कृषक, पिता का नाम, जाति ग्राम	सर्वे नंबर	कुल रकबा	प्रभावित रकबा
1	2	3	4	5
11	रामरतन पिता जगन्नाथ जाति गाडरी निवासी ग्राम सांका भू स्वामी	31/1	2.023	2.023 ✓
	योग	1	2.023	2.023 ✓
12	रामचरण पिता मोहनलाल जाति चमार निवासी ग्राम सांका भू स्वामी	31/2	0.569	0.569 ✓
	योग	1	0.569	0.569 ✓
13	घासीराम पिता तुलाराम जाति गूजर निवासी ग्राम भू स्वामी	10/1	1.000	1.000 ✓
		13/2	1.082	1.082 ✓
		16/1	0.145	0.145 ✓
		18/6/1	0.759	0.759 ✓
		18/6/2	0.885	0.885 ✓
		19/1	3.403	3.403 ✓
	योग	6	7.274	7.274 ✓
14	मोतीलाल,मांगीलाल पिता जगन्नाथ जालमसिंह रामसिंह पिता दयाराम जाति गुर्जर निवासी ग्राम भू स्वामी	12	0.063	0.063 ✓
		14	0.063	0.063 ✓
		15	10.610	10.610 ✓
		18/2	1.252	1.252 ✓
		18/3	0.101	0.101 ✓
		18/4	0.051	0.051 ✓
		18/5	0.519	0.519 ✓
		20	0.342	0.342 ✓
		21	0.936	0.616 ✓
		22	1.622	0.625 ✓
		25	11.811	2.935 ✓
		28	4.376	4.376 ✓
		29	0.326	0.326 ✓
		30	0.291	0.291 ✓
		31/3/1	7.551	7.551 ✓
		32	0.379	0.379 ✓
		34	0.025	0.025 ✓
35	0.075	0.075 ✓		
36	0.051	0.051 ✓		
37	0.101	0.101 ✓		
	योग	20	40.545	30.352 ✓
15	मोतीलाल,मांगीलाल पिता जगन्नाथ जाति गुर्जर निवासी ग्राम भू स्वामी	4/3	1.770	1.770 ✓
		9/3	1.770	1.770 ✓
	योग	2	3.540	3.540 ✓
	महायोग	48	78.773	68.580 ✓

भूमि के नक्शे (प्लान) आदि का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी, एवं भू-अर्जन अधिकारी (राजस्व) नरसिंहगढ़ जिला राजगढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है।

क्र. 6738-भू-अर्जन-2018.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है, कि इसके संलग्न सूची के खाने (4) में वर्णित शेष भूमि की अनुसूची के खाने (5) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है.

प्रकरण क्रमांक 22ए/359/2018/एमपीएस/31/859/भोपाल दिनांक 14.05.2018 चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है, कि नीचे दी गई अनुसूची क्रमांक 1 में पार्वती परियोजना तहसील नरसिंहगढ जिला राजगढ के ग्राम भेरुपुरा के डूब क्षेत्र के लिए वर्णित भूमि जिसका कृषकवार सर्वे कमवार विवरण अनुसूची 2 में उल्लेखित है। अतः भूमि अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (क 30 सन् 2013) की धारा-11 के अन्तर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न वर्णित अनुसूची 2 की भूमि की अनुसूची 1 में अंकित सार्वजनिक प्रयोजनार्थ आवश्यकता है। चूंकि पार्वती परियोजना का निर्माण प्रस्तावित है इस कारण धारा-11(3) के तहत सामाजिक समाघात निर्धारित रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है।

—: अनुसूची (1) :—

तहसील :- नरसिंहगढ

जिला-राजगढ

पार्वती परियोजना के अन्तर्गत प्रभावित डूब क्षेत्र की भूमि का भू-अर्जन प्रस्ताव,
ग्राम भेरुपुरा

स.क्र.	विवरण	भूमि का रकबा (हेक्टेयर में)	
		कुल रकबा	प्रभावित रकबा
(1)	(2)	(3)	(4)
1	भेरुपुरा	28.626	22.705
कुलयोग :-		28.626	22.705

अनुसूची क्रमांक - 2

पार्वती परियोजना के एफ.टी.एल तक डूब क्षेत्र में प्रभावित ग्राम भेरूपुरा

तहसील :- नरसिंहगढ़

जिला :- राजगढ़

स.क्र.	नाम कृषक, पिता का नाम, जाति ग्राम	सर्वे नंबर	कुल रकबा	प्रभावित रकबा
1	2	3	4	5
1	तखतसिंह पिता तेजसिंह जाति राजपूत पता नि. ग्राम भूमि स्वामी	3/1/1	2.845	0.096 ✓
	योग	1	2.845	0.096 ✓
2	राजकुंवर बाई बेवा रघुविरसिंह जाति राजपूत पता नि. ग्राम भूमि स्वामी	3/1/2	0.949	0.824 ✓
		3/2/1	0.949	0.949 ✓
		6/1/2	0.948	0.948 ✓
	योग	3	2.846	2.721 ✓
3	हेमसिंह पिता तेजसिंह जाति राजपूत पता नि. ग्राम भूमि स्वामी	3/2/2	2.845	2.845 ✓
		3/3/2	1.265	1.265 ✓
	योग	2	4.110	4.110 ✓
4	कमलसिंह पिता तखतसिंह जाति राजपूत पता नि. ग्राम भूमि स्वामी	3/3/1	2.529	2.429 ✓
	योग	1	2.529	2.429 ✓
5	लखनलाल, राधेश्याम, महेशकुमार पिता नारायणप्रसाद भागीरथ पिता छीतू जाति नाई पता नि. ग्राम कोटडा भूमि स्वामी	4/1	1.619	1.619 ✓
	योग	1	1.619	1.619 ✓
6	गेन्दा पिता राजाराम जाति गूजर पता नि. ग्राम कोटडा भूमि स्वामी	4/2	1.619	1.619 ✓
	योग	1	1.619	1.619 ✓
7	भेरुसिंह पिता जसवन्तसिंह जाति राजपूत पता नि. ग्राम भूमि स्वामी	5	0.278	0.278 ✓
		6/4	1.644	1.644 ✓
		7/2	0.670	0.520 ✓
		12	0.378	0.225 ✓
		4	2.970	2.667 ✓
8	धनसिंह पिता सुमेरसिंह जाति राजपूत पता नि. ग्राम भूमि स्वामी	6/1/1/1	0.711	0.711 ✓
		6/1/1/3	0.711	0.661 ✓
	योग	2	1.422	1.372 ✓
9	भगवानसिंह पिता सुमेरसिंह जाति राजपूत पता नि. ग्राम भूमि स्वामी	6/1/1/2	1.424	1.350 ✓
		1	1.424	1.350 ✓
10	गोपालसिंह पिता जसवन्तसिंह जाति राजपूत पता नि. ग्राम भूमि स्वामी	7/1	0.671	0.671 ✓
		26/14	1.290	0.125 ✓
	योग	2	1.961	0.796 ✓

11	कृष्णाकुंवर बाई पति भेरुसिंह जाति राजपूत पता नि. ग्राम भूमि स्वामी	8	1.632	1.632 ✓	
		9	0.291	0.291 ✓	
		10	0.228	0.228 ✓	
		13	0.923	0.875 ✓	
	योग	4	3.074	3.026 ✓	
12	नेकसिंह पिता भंवरसिंह जाति राजपूत पता नि. ग्राम भूमि स्वामी	14/1/2	0.379	0.100 ✓	
		योग	1	0.379	0.100 ✓
13	रघुराजसिंह दत्तक पुत्र उमरावसिंह जाति राजपूत पता नि. ग्राम भूमि स्वामी	14/2	1.069	0.700 ✓	
		योग	1	1.069	0.700 ✓
14	भंवरलाल, सुमेरसिंह, तखतसिंह, हेमसिंह, रघुवीरसिंह, पिता तेजसिंह शांताकुंवर बाई, रामकुंवरबाई, गेन्दकुंवरबाई, पुत्रिया तेजसिंह जाति राजपूत पता नि. ग्राम भू स्वामी	19/1/1	0.759	0.100 ✓	
		योग	1	0.759	0.100 ✓
		महायोग	25	28.626	22.705 ✓

भूमि के नक्शे (प्लान) आदि का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी, एवं भू-अर्जन अधिकारी (राजस्व) नरसिंहगढ़ जिला राजगढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है।

क्र. 6739-भू-अर्जन-2018.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसके संलग्न सूची के खाने (4) में वर्णित शेष भूमि की अनुसूची के खाने (5) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है।

प्रकरण क्रमांक 22ए/359/2018/एमपीएस/31/859/भोपाल दिनांक 14.05.2018 चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है, कि नीचे दी गई अनुसूची क्रमांक 1 में पार्वती परियोजना तहसील नरसिंहगढ़ जिला राजगढ़ के ग्राम प्रतापपुरा के डूब क्षेत्र के लिए वर्णित भूमि जिसका कृषकवार सर्वे कमवार विवरण अनुसूची 2 में उल्लेखित है। अतः भूमि अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (क 30 सन् 2013) की धारा-11 के अन्तर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न वर्णित अनुसूची 2 की भूमि की अनुसूची 1 में अंकित सार्वजनिक प्रयोजनार्थ आवश्यकता है। चूंकि पार्वती परियोजना का निर्माण प्रस्तावित है इस कारण धारा-11(3) के तहत सामाजिक समाघात निर्धारित रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है।

—: अनुसूची (1) :-

तहसील :- नरसिंहगढ़

जिला-राजगढ़

पार्वती परियोजना के अन्तर्गत प्रभावित डूब क्षेत्र की भूमि का भू-अर्जन प्रस्ताव, ग्राम प्रतापपुरा

स.क्र.	विवरण	भूमि का रकबा (हेक्टेयर में)	
		कुल रकबा	प्रभावित रकबा
(1)	(2)	(3)	(4)
1	प्रतापपुरा	13.426	11.807
	कुलयोग :-	13.426	11.807

अनुसूची कमांक - 2

पार्वती परियोजना के एफ.टी.एल तक डूब क्षेत्र में प्रभावित ग्राम प्रतापपुरा

तहसील :- नरसिंहगढ़

जिला :- राजगढ़

स.क.	नाम कृषक, पिता का नाम, जाति ग्राम	सर्वे नंबर	कुल रकबा	प्रभावित रकबा
1	2	3	4	5
1	विक्रमसिंह पिता जगन्नाथ गीताबाई पति विक्रमसिंह जाति चमार पता नि. ग्राम भूमि स्वामी	1/1	0.842	0.842 ✓
	योग	1	0.842	0.842 ✓
2	जगन्नाथ पिता शंकरलाल ग्यारसीबाई लट्टूबाई पुत्री शंकरलाल जाति चमार पता नि.ग्राम भूमि स्वामी	1/2	1.158	1.158 ✓
	योग	1	1.158	1.158 ✓
3	नारायणीबाई बेवा प्रेमनारायण जाति चमार पता नि. ग्राम भूमि स्वामी	1/4	0.500	0.075 ✓
	योग	1	0.500	0.075 ✓
4	लखनलाल, राधेश्याम, महेशकुमार पिता नारायणप्रसाद भागीरथ पिता छीतू जाति नाई पता नि. ग्राम कोटडा भूमि स्वामी	2	0.367	0.271 ✓
		3	2.010	1.900 ✓
	योग	2	2.377	2.171 ✓
5	गोन्दकुंवर बाई पति सुमेरसिंह जाति राजपूत पता नि. ग्राम मेरुपुरा भूमि स्वामी	4	1.644	1.644 ✓
	योग	1	1.644	1.644 ✓
6	मोहनसिंह पिता मोडसिंह जाति राजपूत पता नि. ग्राम भूमि स्वामी	14/1	0.152	0.152 ✓
		16/1	0.317	0.317 ✓
		20/2	0.417	0.417 ✓
	योग	3	0.886	0.886 ✓
7	जगदीशसिंह पिता मोडसिंह जाति राजपूत पता नि. ग्राम भूमि स्वामी	14/2	0.152	0.152 ✓
		16/2	0.315	0.315 ✓
		20/1	0.418	0.418 ✓
	योग	3	0.885	0.885 ✓
8	मोहनसिंह पिता जसवन्तसिंह जाति राजपूत पता नि. ग्राम भूमि स्वामी	17	0.949	0.949 ✓
	योग	1	0.949	0.949 ✓
9	चेनसिंह, लाखनसिंह पिता माधोसिंह मोरबाई विधवा माधोसिंह जाति राजपूत पता नि. ग्राम भूमि स्वामी	18	0.873	0.873 ✓
		41	0.228	0.182 ✓
		42/1	1.200	0.914 ✓
	योग	3	2.301	1.969 ✓
10	मेरुसिंह पिता जसवन्तसिंह जाति राजपूत पता नि. ग्राम भूमि स्वामी	19	1.088	1.088 ✓
	योग	2	1.088	1.088 ✓
11	भगवानसिंह पिता नारायणसिंह जाति राजपूत पता नि. ग्राम भूमि स्वामी	42/2/1	0.398	0.070 ✓
	योग	1	0.398	0.070 ✓
12	सुरेन्द्रसिंह पिता नारायणसिंह जाति राजपूत पता नि. ग्राम भूमि स्वामी	42/2/2	0.398	0.070 ✓
	योग	1	0.398	0.070 ✓
	महायोग	19	13.426	11.807 ✓

भूमि के नक्शे (प्लान) आदि का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी, एवं भू-अर्जन अधिकारी (राजस्व) नरसिंहगढ़ जिला राजगढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
कर्मवीर शर्मा, कलेक्टर एवं उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला छिन्दवाड़ा, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव मध्यप्रदेश शासन,
राजस्व विभाग

क्रमांक-8135-भू-अर्जन-2018 छिन्दवाड़ा, दिनांक 1 सितम्बर 2018
चूकि, मध्यप्रदेश राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि, नीचे दी गयी अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि के अनुसूची पद (2) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है। अतः "भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013" की धारा-19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह भी घोषित किया जाता है, कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है।

—:अनुसूची:—

1. भूमि का वर्णन

क.	जिला	छिन्दवाड़ा
ख.	तहसील	चाँद
ग.	नगर/ग्राम	ग्राम-हिवरा जयसिंग, प0ह0न-41, ब.न.-314, तहसील-चाँद.
घ.	अर्जित किये जाने वाला प्रस्तावित क्षेत्रफल	0.098 हेक्टर एवं प्रस्तावित क्षेत्रफल पर आने वाली संपत्तियां

क्रमांक	प्रस्तावित खसरा नंबर	प्रस्तावित रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)	(3)
1	2/1-2,3/1-2	0.010
2	2/5,3/5	0.082
3	2/3-4,3/3-4	0.006
	योग :-	0.098 हेक्टर एवं प्रस्तावित क्षेत्रफल पर आने वाली संपत्तियां

2. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है:-पंच व्यपवर्तन परियोजना के दांयी तट मुख्य नहर की टेल वितरक नहर निर्माण के लिये निजी भूमि के अर्जन के संबंध में।

3. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन की जानकारी वेबसाईट <http://www.chhindwara.nic.in> एवं म0प्र0 शासन राजस्व विभाग भोपाल की वेबसाईट <http://www.mprevenue.nic.in/> पर भी देखा जा सकता है।

4. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, तहसील-चौरई जिला-छिन्दवाड़ा के न्यायालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है।

5. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण कार्यपालन यंत्री, पेंच व्यपवर्तन परियोजना, नहर संभाग सिंगना तहसील-चौरई, जिला-छिन्दवाडा के कार्यालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है।
6. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शा (प्लान) एवं प्रकरण का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी, पेंच व्यपवर्तन दांयी तट नहर उपसंभाग कमांक-01, चौरई, जिला-छिन्दवाडा के कार्यालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है।

क्रमांक-8138-भू-अर्जन-2018

चूँकि, मध्यप्रदेश राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि, नीचे दी गयी अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि के अनुसूची पद (2) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है। अतः "भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013" की धारा-19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह भी घोषित किया जाता है, कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है।

—:अनुसूची:—

1. भूमि का वर्णन

क.	जिला	छिन्दवाडा
ख.	तहसील	छिन्दवाडा
ग.	नगर/ग्राम	ग्राम- कुहिया, प0ह0न-67, ब.न.-70, रा.नि.मं.-छिन्दवाडा
घ.	अर्जित किये जाने वाला प्रस्तावित क्षेत्रफल	01.084 हेक्टर एवं प्रस्तावित क्षेत्रफल पर आने वाली संपत्तियां

कमांक	प्रस्तावित खसरा नंबर	प्रस्तावित रकबा (हेक्टर में)
(1)	(2)	(3)
1	361/4 ✓	0.022 ✓
2	375/1 ✓	0.020 ✓
3	388/1 ✓	0.030 ✓
4	361/2 ✓	0.085 ✓
5	375/2 ✓	0.030 ✓
6	363 ✓	0.135 ✓
7	373 ✓	0.065 ✓
8	384/1 ✓	0.145 ✓
9	386/2 ✓	0.062 ✓
10	387 ✓	0.034 ✓
11	391/3 ✓	0.034 ✓

12	391/2 ✓	0.131 ✓
13	391/1 ✓	0.210 ✓
14	393/2 ✓	0.065 ✓
15	393/1 ✓	0.016 ✓
	योग :-	01.084 हेक्टर एवं प्रस्तावित क्षेत्रफल पर आने वाली संपत्तियां

2. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है:-पेंच व्यपवर्तन परियोजना के दांयी तट मुख्य नहर की टेल वितरक नहर से निकलने वाली 4 एंल माइनर नहर निर्माण के लिये निजी भूमि के अर्जन के संबंध में।

3. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन की जानकारी वेबसाईट <http://www.chhindwara.nic.in> एवं म0प्र0 शासन राजस्व विभाग भोपाल की वेबसाईट <http://www.mprevenue.nic.in/> पर भी देखा जा सकता है।

4. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, तहसील-छिन्दवाडा जिला-छिन्दवाडा के न्यायालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है।

5. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण कार्यपालन यंत्री, पेंच व्यपवर्तन परियोजना, नहर संभाग सिंगना तहसील-चौरई, जिला-छिन्दवाडा के कार्यालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है।

6. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शा (प्लान) एवं प्रकरण का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी, पेंच व्यपवर्तन दांयी तट नहर उपसंभाग क्रमांक-01, चौरई, जिला-छिन्दवाडा के कार्यालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है।

क्रमांक-8139-भू-अर्जन-2018

चूँकि, मध्यप्रदेश राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि, नीचे दी गयी अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि के अनुसूची पद (2) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है। अतः "भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013" की धारा-19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह भी घोषित किया जाता है, कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है।

-अनुसूची-

1. भूमि का वर्णन

क.	जिला	छिन्दवाड़ा
ख.	तहसील	चांद
ग.	नगर/ग्राम	ग्राम-दिलावर मोहगांव प0ह0न0-34 ब.न.-129 रा.नि.मं.-चांद
घ.	अर्जित किये जाने वाला प्रस्तावित क्षेत्रफल	01.539 हेक्टर एवं प्रस्तावित क्षेत्रफल पर आने वाली संपत्तियां

क्रमांक	प्रस्तावित खसरा नंबर	प्रस्तावित रकबा (हेक्टर में)
(1)	(2)	(3)
1	85/3 ✓	0.140 ✓
2	169/1-2-3 ✓	0.128 ✓
3	169/8-9 ✓	0.128 ✓
4	169/6,7,10 ✓	0.060 ✓
5	169/13-14 ✓	0.064 ✓
6	169/11,12 ✓	0.064 ✓
7	168/2 ✓	0.160 ✓
8	163,164 ✓	0.320 ✓
9	193/1 ✓	0.475 ✓
	योग :-	01.539 हेक्टर एवं प्रस्तावित क्षेत्रफल पर आने वाली संपत्तियां

2. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है:-पंच व्यपवर्तन परियोजना के दायी तट मुख्य नहर की टेल वितरण नहर निर्माण के लिये निजी भूमि के अर्जन के संबंध में।

3. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन की जानकारी वेबसाइट <http://www.chhindwara.nic.in> एवं म0प्र0 शासन राजस्व विभाग भोपाल की वेबसाइट <http://www.mprevenue.nic.in/> पर भी देखा जा सकता है।

4. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, तहसील-चौरई जिला-छिन्दवाड़ा के न्यायालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है।

5. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण कार्यपाठन यंत्री, पंच व्यपवर्तन परियोजना, नहर संभाग सिंगना तहसील-चौरई, जिला-छिन्दवाड़ा के कार्यालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है।

6. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शा (प्लान) एवं प्रकरण का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी, पंच व्यपवर्तन दायी तट नहर उपसंभाग क्रमांक-01, चौरई जिला-छिन्दवाड़ा के कार्यालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है।

क्रमांक-8140-भू-अर्जन-2018

चूँकि, मध्यप्रदेश राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि, नीचे दी गयी अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि के अनुसूची पद (2) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है। अतः "भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013" की धारा-19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह भी घोषित किया जाता है, कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है।

—:अनुसूची:—

1. भूमि का वर्णन

क.	जिला	छिन्दवाड़ा
ख.	तहसील	छिन्दवाड़ा
ग.	नगर/ग्राम	ग्राम- सोनापिपरी, प0ह0न-38, ब.न.-552, रा.नि.मं.-छिन्दवाड़ा
घ.	अर्जित किये जाने वाला प्रस्तावित क्षेत्रफल	0.748 हेक्टर एवं प्रस्तावित क्षेत्रफल पर आने वाली संपत्तियां

क्रमांक	प्रस्तावित खसरा नंबर	प्रस्तावित रकबा (हेक्टर में)
(1)	(2)	(3)
1	68/2 ✓	0.078 ✓
2	52/7 ✓	0.055 ✓
3	123/3 ✓	0.055 ✓
4	52/19 ✓	0.058 ✓
5	123/6 ✓	0.055 ✓
6	85/11 ✓	0.020 ✓
7	52/20 ✓	0.060 ✓
8	123/5 ✓	0.006 ✓
9	52/21 ✓	0.050 ✓
10	52/18 ✓	0.050 ✓
11	78 ✓	0.065 ✓

- 2 -

12	158 ✓	0.045 ✓
13	157 ✓	0.066 ✓
14	153/1 ✓	0.020 ✓
15	153/2 ✓	0.020 ✓
16	174/3 ✓	0.035 ✓
17	147 ✓	0.010 ✓
	योग :-	0.748 हेक्टर एवं प्रस्तावित क्षेत्रफल पर आने वाली संपत्तियां

2. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है:-पेंच व्यपवर्तन परियोजना के दांयी तट मुख्य नहर के टेल वितरक मुख्य नहर से निकलने वाली 2 एंल माइनर नहर निर्माण के लिये निजी भूमि के अर्जन के संबंध में।
3. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन की जानकारी वेबसाईट <http://www.chhindwara.nic.in> एवं म0प्र0 शासन राजस्व विभाग भोपाल की वेबसाईट <http://www.mprevenue.nic.in/> पर भी देखा जा सकता है।
4. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, तहसील-छिन्दवाडा जिला-छिन्दवाडा के न्यायालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है।
5. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण कार्यपालन यंत्री, पेंच व्यपवर्तन परियोजना, नहर संभाग सिंगना तहसील-चौरई, जिला-छिन्दवाडा के कार्यालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है।
6. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शा (प्लान) एवं प्रकरण का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी, पेंच व्यपवर्तन दांयी तट नहर उपसंभाग क्रमांक-01, चौरई, जिला-छिन्दवाडा के कार्यालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है।

क्रमांक-8141-भू-अर्जन-2018

चूँकि, मध्यप्रदेश राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि, नीचे दी गयी अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि के अनुसूची पद (2) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है। अतः "भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013" की धारा-19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह भी घोषित किया जाता है, कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है।

—:अनुसूची:—

1. भूमि का वर्णन

क.	जिला	छिन्दवाड़ा
ख.	तहसील	छिन्दवाड़ा
ग.	नगर/ग्राम	ग्राम— उमरहर प0ह0न-70 ब.न.-23 रा.नि.मं.—छिन्दवाड़ा
घ.	अर्जित किये जाने वाला प्रस्तावित क्षेत्रफल	0.456 हेक्टर एवं प्रस्तावित क्षेत्रफल पर आने वाली संपत्तियां

क्रमांक	प्रस्तावित खसरा नंबर	प्रस्तावित रकबा (हेक्टर में)
(1)	(2)	(3)
1	602/1 ✓	0.016 ✓
2	602/2 ✓	0.116 ✓
3	603 ✓	0.096 ✓
4	604/1 ✓	0.020 ✓
5	606 ✓	0.192 ✓
6	619 ✓	0.016 ✓
2	योग :-	0.456 हेक्टर एवं प्रस्तावित क्षेत्रफल पर आने वाली संपत्तियां

2. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है:—पंच व्यपवर्तन परियोजना के दांयी तट मुख्य नहर के टेल वितरक मुख्य नहर से निकलने वाली 8 एंल माइनर नहर निर्माण के लिये निजी भूमि के अर्जन के संबंध में।

3. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन की जानकारी वेबसाईट <http://www.chhindwara.nic.in> एवं म0प्र0 शासन राजस्व विभाग भोपाल की वेबसाईट <http://www.mprevenue.nic.in/> पर भी देखा जा सकता है।
4. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, तहसील-छिन्दवाड़ा जिला-छिन्दवाड़ा के न्यायालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है।
5. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण कार्यपालन यंत्री, पंच व्यपवर्तन परियोजना, नहर संभाग सिंगना तहसील-चौरई, जिला-छिन्दवाड़ा के कार्यालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है।
6. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शा (प्लान) एवं प्रकरण का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी, पंच व्यपवर्तन दांयी तट नहर उपसंभाग क्रमांक-01, चौरई, जिला-छिन्दवाड़ा के कार्यालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है।

क्रमांक-8142-भू-अर्जन-2018

चूँकि, मध्यप्रदेश राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि, नीचे दी गयी अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि के अनुसूची पद (2) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है। अतः "भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013" की धारा-19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह भी घोषित किया जाता है, कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है।

—:अनुसूची:—

1. भूमि का वर्णन

क.	जिला	छिन्दवाड़ा
ख.	तहसील	छिन्दवाड़ा
ग.	नगर/ग्राम	ग्राम-साख प0ह0न-42 ब.न.-544 रा.नि.म.-छिन्दवाड़ा
घ.	अर्जित किये जाने वाला प्रस्तावित क्षेत्रफल	0.397 हेक्टर एवं प्रस्तावित क्षेत्रफल पर आने वाली संपत्तियाँ

क्रमांक	प्रस्तावित खसरा नंबर	प्रस्तावित रकबा (हेक्टर में)
(1)	(2)	(3)
1	313/28 ✓	0.050 ✓
2	313/22 ✓	0.040 ✓
3	313/16 ✓	0.042 ✓
4	313/2 ✓	0.050 ✓
5	313/15 ✓	0.071 ✓
6	314 ✓	0.144 ✓
	योग :-	0.397 हेक्टर एवं प्रस्तावित क्षेत्रफल पर आने वाली संपत्तियाँ

2. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है:- पंच व्यपवर्तन परियोजना के दांयी तट मुख्य नहर के अन्तर्गत टेल वितरक मुख्य नहर से निकलने वाली माइनर/सबमाइनर नहर निर्माण के लिये निजी भूमि के अर्जन के संबंध में।

3. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन की जानकारी वेबसाईट <http://www.chhindwara.nic.in> एवं म0प्र0 शासन राजस्व विभाग भोपाल की वेबसाईट <http://www.mprevenue.nic.in/> पर भी देखा जा सकता है।
4. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, तहसील-छिन्दवाडा जिला-छिन्दवाडा के न्यायालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है।
5. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण कार्यपालन यंत्री, पंच व्यपवर्तन परियोजना, नहर संभाग सिंगना तहसील-चौरई, जिला-छिन्दवाडा के कार्यालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है।
6. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शा (प्लान) एवं प्रकरण का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी, पंच व्यपवर्तन दांथी तट नहर उपसंभाग क्रमांक-01, चौरई जिला -छिन्दवाडा के कार्यालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है।

क्रमांक-8144-भू-अर्जन-2018

चूँकि, मध्यप्रदेश राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि, नीचे दी गयी अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि के अनुसूची पद (2) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है। अतः "भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013" की धारा-19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह भी घोषित किया जाता है, कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है।

—अनुसूची—

1. भूमि का वर्णन

क.	जिला	छिन्दवाडा
ख.	तहसील	छिन्दवाडा
ग.	नगर/ग्राम	ग्राम-जटामा, प0ह0न- 42, ब.न.-184, रा.नि.मं.-छिन्दवाडा,
घ.	अर्जित किये जाने वाला प्रस्तावित क्षेत्रफल	01.564 हेक्टर एवं प्रस्तावित क्षेत्रफल पर आने वाली संपत्तियां

क्रमांक	प्रस्तावित खसरा नंबर	प्रस्तावित रकबा (हेक्टर में)
(1)	(2)	(3)
1	12/1	0.092
2	12/2	0.035
3	18	0.030
4	20	0.032

(1)	(2)	(3)
5	19/1 ✓	0.026 ✓
6	19/2 ✓	0.026 ✓
7	15/1 ✓	0.084 ✓
8	14/2-3-5 ✓	0.144 ✓
9	14/1 ✓	0.112 ✓
10	52 ✓	0.094 ✓
11	47/1 ✓	0.048 ✓
12	47/2 ✓	0.032 ✓
13	147 ✓	0.032 ✓
14	148/3-4-5 ✓	0.035 ✓
15	154/3-5-6 ✓	0.058 ✓
16	153 ✓	0.020 ✓
17	156 ✓	0.115 ✓
18	160/1 ✓	0.030 ✓
19	8/1 ✓	0.021 ✓
20	8/2 ✓	0.025 ✓
21	7 ✓	0.040 ✓
22	8/3 ✓	0.023 ✓
23	6/1 ✓	0.040 ✓
24	21/1 ✓	0.096 ✓
25	21/2 ✓	0.082 ✓
26	30/2 ✓	0.064 ✓
27	34/1 ✓	0.128 ✓
	योग :-	01.564 हेक्टर एवं प्रस्तावित क्षेत्रफल पर आने वाली संपत्तियां

2. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है:—पेंच व्यपवर्तन परियोजना के दांयी तट मुख्य नहर के टेल वितरक नहर से निकलने वाली 9 एंल एवं 10 एल माइनर नहर निर्माण के लिये निजी भूमि के अर्जन के संबंध में।
3. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन की जानकारी वेबसाईट <http://www.chhindwara.nic.in> एवं म0प्र0 शासन राजस्व विभाग भोपाल की वेबसाईट <http://www.mprevenue.nic.in/> पर भी देखा जा सकता है।
4. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, तहसील—छिन्दवाड़ा जिला—छिन्दवाड़ा के न्यायालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है।
5. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण कार्यपालन यंत्री, पेंच व्यपवर्तन परियोजना, नहर संभाग सिंगना तहसील—चौरई, जिला—छिन्दवाड़ा के कार्यालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है।
6. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शा (प्लान) एवं प्रकरण का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी, पेंच व्यपवर्तन दांयी तट नहर उपसंभाग क्रमांक—01, चौरई, जिला—छिन्दवाड़ा के कार्यालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है।

क्रमांक-8145-भू-अर्जन-2018

चूँकि, मध्यप्रदेश राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि, नीचे दी गयी अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि के अनुसूची पद (2) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है। अतः "भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकार और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013" की धारा-19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है, कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है।

—:अनुसूची:—

1. भूमि का वर्णन

क.	जिला	छिन्दवाड़ा
ख.	तहसील	छिन्दवाड़ा
ग.	नगर/ग्राम	ग्राम— भाजीपानीकला प0ह0न—68, ब.न.—427 रा.नि.मं.—छिन्दवाड़ा
घ.	अर्जित किये जाने वाला प्रस्तावित क्षेत्रफल	02.595 हेक्टर एवं प्रस्तावित क्षेत्रफल पर आने वाली संपत्तियां

क्रमांक	प्रस्तावित खसरा नंबर	प्रस्तावित रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)	(3)
1	41 ✓	0.082 ✓
2	105/1 ✓	0.060 ✓
3	105/2 ✓	0.060 ✓
4	106/3 ✓	0.090 ✓
5	106/1 ✓	0.022 ✓
6	328/1 ✓	0.042 ✓
7	327/1 ✓	0.030 ✓
8	243,244 ✓	0.096 ✓
9	245 ✓	0.172 ✓
10	246 ✓	0.048 ✓
11	247 ✓	0.080 ✓
12	248 ✓	0.032 ✓
13	262/1 ✓	0.096 ✓
14	264/1 ✓	0.064 ✓
15	426/1 ✓	0.096 ✓
16	426/2 ✓	0.096 ✓
17	425 ✓	0.088 ✓
18	420/1-2,452/1 ✓	0.128 ✓
19	452/2 ✓	0.048 ✓
20	450/1 ✓	0.072 ✓
21	444 ✓	0.052 ✓
22	443/3 ✓	0.015 ✓
23	449/1 ✓	0.076 ✓
24	447/2 ✓	0.096 ✓
25	446/1 ✓	0.020 ✓
26	446/2 ✓	0.020 ✓
27	448/2 ✓	0.020 ✓
28	441 ✓	0.030 ✓
29	92/3 ✓	0.080 ✓
30	92/4 ✓	0.084 ✓

31	345/1 ✓	0.048 ✓
32	93/1 ✓	0.088 ✓
33	93/2 ✓	0.060 ✓
34	348/1 ✓	0.070 ✓
35	348/2 ✓	0.070 ✓
36	349/1 ✓	0.097 ✓
37	351 ✓	0.052 ✓
38	350/4 ✓	0.042 ✓
39	350/3 ✓	0.020 ✓
40	372/4 ✓	0.053 ✓
	योग :-	कुल-02.595 हेक्टर एवं प्रस्तावित क्षेत्रफल पर आने वाली संपत्तियां

2. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है:-पेंच व्यपवर्तन परियोजना के दांयी तट मुख्य नहर की टेल वितरण नहर से निकलने वाली 6 एल एवं 7 एल माइनर नहर निर्माण के लिये निजी भूमि के अर्जन के संबंध में।

3. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन की जानकारी वेबसाईट <http://www.chhindwara.nic.in> एवं म0प्र0 शासन राजस्व विभाग भोपाल की वेबसाईट <http://www.mprevenue.nic.in/> पर भी देखा जा सकता है।

4. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जित अधिकारी, तहसील-छिन्दवाडा जिला-छिन्दवाडा के न्यायालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है।

5. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण कार्यपालक सहायक, पेंच व्यपवर्तन परियोजना, नहर संभाग सिंगना तहसील-चौरई, जिला-छिन्दवाडा के कार्यालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है।

6. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शा (प्लान) एवं प्रकरण का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी, पेंच व्यपवर्तन दांयी तट नहर उपसंभाग कमांक-01, चौरई, जिला-छिन्दवाडा के कार्यालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
वेद प्रकाश, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला सागर, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

सागर, दिनांक 13 अगस्त 2018

क्र. 67अ-82-17-18-4352.—

भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 11(1) के अंतर्गत प्रारंभिक अधिसूचना के प्रकाशन दिनांक से प्रावधानित समयसीमा 60 दिवस की अवधि में धारा 15(1) के तहत कोई आपत्ति प्राप्त नहीं हुई है जिससे समुचित सरकार का यह समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित परियोजना हेतु अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित भूमि की सार्वजनिक लोक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है एवं उक्त भूमि के अर्जन से किसी भी व्यक्ति अथवा परिवार का विस्थापन नहीं किया जाना है अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 19 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न अनुसूची के पद (2) में वर्णित भूमि एवं स्थाई परिसंपत्तियां लोक प्रयोजन हेतु अपेक्षित हैं:-

- (1) परियोजना का नाम : चुरारी जलाशय योजना निर्माण हेतु
 (2) भूमि का विवरण
 1. जिला : सागर
 2. तहसील : मालथौन
 3. ग्राम : मिरगावली
 4. पट.ह.नं.- : 27
 5. अर्जित भूमि का क्षेत्रफल : 42.17 है.

स. क्र	भू-धारक का नाम एवं पिता/पति का नाम	खसरा नंबर	कुल रकवा	अर्जित रकवा		अर्जित भूमि पर स्थित स्थावर परिसंपत्तियों का विवरण
				सिंचित	असिंचित	
1	2	3	4	5	6	7
1	धनीराम पिता मुल्ले पता सा. ढड़ली	565	1.16	0.18	0.00	पक्का कुआ
2	प्रतिपालसिंह पिता बुद्धसिंह शिवकुंवर हल्कीबेन सुनीता पुत्री कल्यानसिंह पता सा. देह	566	0.26	0.00	0.26	निरंक
3	गोरिलाल पिता बख्ते पता सा. बरोदिया कलां	567	1.12	0.64	0.00	पक्का कुआ
4	आनंदी पिता देवी पता सा. देह	568	0.16	0.16	0.00	पक्का कुआ
		571	0.64	0.00	0.05	निरंक
5	बाबूलाल पिता बहोरे पता सा. देह	569	0.36	0.00	0.36	निरंक
6	लक्ष्मी बेवा रूपचंद रमाकान्त ना.बा. पुत्र रूपचंद योग्यता ना.बा. पुत्री रूपचंद वली आज्ञा भगोने पता सा. देह	570/1	0.63	0.00	0.63	निरंक
7	लालचंद पिता किशोरीलाल पता सा. देह	570/2	0.64	0.48	0.00	पक्का कुआ
8	पुष्पेन्द्र पिता हिम्मतसिंग सा. देह पता निवासी ग्राम	622	1.38	0.50	0.00	पक्का कुआ
9	नन्नूराजा पिता कल्यानसिंह पता सा. देह	627	0.71	0.59	0.00	पक्का कुआ
10	सुहागरानी पति बलराम पता निवासी ग्राम	636/1	1.59	1.37	0.00	पक्का कुआ
11	देवीसिंग पिता इमरतसिंग पता सा. देह	637	0.36	0.00	0.36	निरंक
12	देवेन्द्र कुमार, कृष्णकांत दिनेश कुमार पिता जयराम गंगादेवी बेवा जयराम पता सा. इन्दौर	638	2.81	0.00	2.81	निरंक
13	लोकेश कुमार ना.बा. पालक पिता हरीराम पता सा. देह	639	0.38	0.00	0.38	निरंक
14	उमैद पिता परमू पता सा. देह शासकीय पट्टेदार से भूमि स्वामी	640/2	0.71	0.00	0.04	निरंक
15	खिलान पिता अधरा पता सा. देह शासकीय पट्टेदार से भूमि स्वामी	640/3	1.00	0.00	0.53	निरंक
16	परमानंद पिता परसादी पता सा. देह शासकीय पट्टेदार से भूमि स्वामी	640/4	0.80	0.63	0.00	पक्का कुआ
17	लोकसेवा सामूहिक कृषि संस्था मर्यादित समिति पता सा. देह शासकीय पट्टेदार	641	5.37	0.00	0.33	निरंक

18	फुलू पिता मरदन पता सा देह शासकीय पट्टेदार से भूमि स्वामी	684/ 2	0.46	0.00	0.46	निरंक
19	दुर्जन पिता पुनु पता सा देह शासकीय पट्टेदार से भूमि स्वामी	684/ 3	0.20	0.00	0.20	निरंक
20	प्रभू पिता उददेत पता सा डडली शासकीय पट्टेदार से भूमि स्वामी	690/ 1	0.14	0.00	0.07	निरंक
21	हरीराम पिता बिरजू पता सा देह शासकीय पट्टेदार से भूमि स्वामी	690/ 2	0.14	0.00	0.22	निरंक
22	जगन मलखान पिता किशोरा पता सा. देह	691	0.11	0.00	0.11	निरंक
23	गिरधारी पिता बिहारी पता सा. देह	692	0.65	0.00	0.65	निरंक
24	लीलाधर, नंदराम, धनप्रसाद रामस्वरूप वा. रामाधर ना.वा. पिता प्रेमनारायण पालक मां पानबाई बेवा प्रेमनारायण भूमि स्वामी गोदावरी, शुक्लाबाई सावित्री, मोनाबाई पुत्री प्रेमनारायण पता सा. देह	694	0.54	0.00	0.54	निरंक
25	सुखदयाल आशुतोष पिता पन्नालाल विमलाबाई सुनीताबाई पुत्री पन्नालाल पता सा. देह	695	0.71	0.00	0.60	निरंक
26	गिरधारी पिता भुज्जी पता सा. देह	700	0.61	0.00	0.06	निरंक
27	रामचरन. पिता खिलान पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	704/ 2	0.12	0.00	0.01	निरंक
		704/ 3	0.12	0.00	0.02	निरंक
		706	0.45	0.00	0.45	निरंक
28	प्रभू पिता उददेत पता निवासी ग्राम	707	0.45	0.00	0.45	निरंक
29	भगोने पिता हल्कू पता सा डबडेरा शासकीय पट्टेदार से भूमि स्वामी	708/ 2	0.40	0.00	0.40	निरंक
30	वल्दू कपूरे कलू माखन पिता हल्कू सगुनबाई बेटीबाई मुलाबाई पुत्रिया हल्कू कलाबाई बेवा हल्कू पता सा. डबडेरा शासकीय पट्टेदार से भूमि स्वामी	708/ 3	0.74	0.00	0.74	निरंक
31	कल्ला पिता मिन्दा पता सा. देह शासकीय पट्टेदार से भूमि स्वामी	708/ 4	0.97	0.00	0.97	निरंक
32	रमदीना पिता रमचन्दा पता सा. देह शासकीय पट्टेदार से भूमि स्वामी	708/ 5	0.40	0.00	0.40	निरंक
33	हजारी पिता हल्कू पता सा. देह शासकीय पट्टेदार से भूमि स्वामी	708/ 6	0.43	0.00	0.43	निरंक
34	कुसुमबाई बेवा मुल्ला आरती बा. शारदा ना.बा. पुत्री मुल्ला मनोज ना.बा. धमेन्द्र ना.बा. कमलेश ना.बा. गनेश ना.बा. आनंद ना.बा. पिस. मुल्ला पालक मां कुसुमबाई बेवा मुल्ला पता सा. देह शासकीय पट्टेदार से भूमि स्वामी	708/ 7	0.80	0.00	0.80	निरंक
35	गुलाबरानी पति भगुन्ता पता सा. देह शासकीय पट्टेदार से भूमि स्वामी	709/ 2	0.80	0.60	0.00	पक्का कुआ
36	परमानन्द पिता पुन्ना पता सा. देह शासकीय पट्टेदार से भूमि स्वामी	709/ 3	1.00	0.50	0.00	पक्का कुआ
37	गोविन्दा पिता परभू पता सा. देह शासकीय पट्टेदार से भूमि स्वामी	709/ 5	0.60	0.60	0.00	पक्का कुआ
38	कमलाबाई पति चतरे पता सा. देह शासकीय पट्टेदार से भूमि स्वामी	709/ 6	0.40	0.00	0.40	पक्का कुआ
39	विदेश, कुन्जनसिंह वल्द दमरू पता सा. चुरारी	710	2.34	2.34	0.00	पक्का कुआ
40	दमरू पिता फूलसिंह पता सा. चुरारी	711	0.47	0.00	0.47	निरंक
41	खुमान, लालसिंग, बल्द सूरतसिंग अवधरानी बेवा सूरतसिंग पता सा. चुरारी	712	1.45	1.45	0.00	पक्का कुआ
42	धीरजसिंग पिता इमरतसिंग पता सा. चुरारी	714	0.10	0.00	0.10	निरंक
43	रघुराजसिंह पिता रामप्रसाद पता सा डडली	715	0.63	0.00	0.63	निरंक
44	गजराजसिंग पिता मूरतसिंग पता सा. देह	716	0.39	0.00	0.39	निरंक
45	हनुमतसिंग बहादुरसिंग पिता मानसिंग पता सा. चुरारी	717	4.72	0.00	4.49	निरंक
46	मलखानसिंग पिता रतनसिंग पुष्पेन्द्रसिंह ना.बा. बल्द वली नंदसिंह पता सा डबडेरा	718	0.66	0.00	0.66	निरंक
47	दयालसिंह पिता नंदूसिंह पता सा डबडेरा	719	0.22	0.00	0.22	निरंक
48	इमरतसिंह बल्द रतनसिंह पता सा डबडेरा	720	0.21	0.00	0.21	निरंक

49	प्रानसिंह पिता अमानसिंह पता सा डबडेरा	721	0.20	0.00	0.20	निरंक
50	खुमान, लालसींग, बल्द सूरतसींग अवधरानी बेवा सूरतसींग पता सा. चुरारी भमि स्वामी	722	0.25	0.25	0.00	निरंक
		726	0.45	0.45	0.00	पक्का कुआ
		728	0.85	0.85	0.00	निरंक
51	गजराजसींग मूरतसींग पिता लक्ष्मनसींग पता सा चुरारी	723	0.38	0.00	0.38	निरंक
52	गजराज सींग पिता मूरतसींग पता सा देह	724	0.75	0.75	0.00	पक्का कुआ
53	अमानसिंह सुरजनसिंह सुखसिंह पिता हरप्रसाद पता सा डबडेरा	725	0.21	0.00	0.21	निरंक
54	दुरगसींग पिता मंगलसींग पता सा रामछायरी	729	0.35	0.00	0.35	निरंक
55	प्रीतम पिता अजुददी पता सा देह	730	0.25	0.00	0.25	निरंक
		733	0.10	0.00	0.10	निरंक
56	गजराजसींग पिता मूरतसींग पता सा. देह	734	0.99	0.00	0.99	निरंक
57	प्रीतम पिता अजुददी पता सा देह	735	0.45	0.00	0.45	निरंक
		736	0.45	0.00	0.45	निरंक
		740	0.10	0.00	0.10	निरंक
		741	1.25	0.00	1.25	निरंक
58	प्रभानसींग पिता पूरनसींग हरीसींग ना.बा. पिता पूरनसींग संरक्षक भाई रामदास पिता पूरनसींग पता सा चुरारी	737/1	0.37	0.00	0.37	निरंक
		737/2	0.38	0.00	0.38	निरंक
59	धीरे पिता बख्ते पता निवासी	738	0.58	0.00	0.58	निरंक
60	लखनलाल ताराचंद बाबूलाल पिता बहोरे कुसुमरानी गुडडी पुत्री बहोरे रामप्यारी बेवा बहोरे पता सा देह	739	0.58	0.00	0.58	निरंक
61	हनुमतसींग बहादुरसींग पिता मानसींग पता सा. चुरारी	742	2.10	0.00	2.10	निरंक
62	काशीराम पिता रामलाल पता सा. देह सेवा खातेदार	683	0.19	0.19	0.00	स्वयं का पक्का कुआ
योग:-		72	53.74	12.53	29.64	

प्रस्तावित भूमि के अर्जन से किसी भी व्यक्ति अथवा परिवार का पुनर्व्यवस्थापन किया जाना अपेक्षित नहीं है अतः पुनर्व्यवस्थापन क्षेत्र की पहचान किया जाना एवं पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन स्कीम का प्रकाशन किया जाना आवश्यक नहीं है।

अधिनियम 2013 की धारा 21 के तहत हितबद्ध व्यक्तियों को यह भी सूचित किया जाता है कि सरकार का आशय भूमि का कब्जा लेने का है और ऐसी भूमि में सभी हितों के लिए प्रतिकरों और पुनर्वास तथा प्रतिस्थापन के दावे कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) खुरई जिला सागर के कार्यालय में दिनांक 17/09/2018 को प्रातः 10.30 बजे से दोपहर 3.00 बजे तक व्यक्तिगत रूप से या अभिकर्ता द्वारा या अधिवक्ता द्वारा उपस्थित होकर भूमि में अपने-अपने हितों की प्रकृति तथा ऐसे हितों के लिए प्रतिकर के दावों की रकम और विशिष्टियां, धारा 20 के अधीन किए गए मापों के संबंध में आक्षेप यदि कोई हों, के साथ पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन के दावे प्रस्तुत कर सकते हैं।

भूमि के नक्शे तथा प्लान का निरीक्षण कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) खुरई जिला सागर एवं कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्रमांक-एक सागर जिला सागर के कार्यालय में किया जा सकता है।

क्र. 68अ-82-17-18-4347.—

भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 11(1) के अंतर्गत प्रारम्भिक अधिसूचना के प्रकाशन दिनांक से प्रावधानित समयसीमा 60 दिवस की अवधि में धारा 15(1) के तहत कोई आपत्ति प्राप्त नहीं हुई है जिससे समुचित सरकार का यह समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित परियोजना हेतु अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित भूमि की सार्वजनिक लोक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है एवं उक्त भूमि के अर्जन से किसी भी व्यक्ति अथवा परिवार का विस्थापन नहीं किया जाना है अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 19 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न अनुसूची के पद (2) में वर्णित भूमि एवं स्थाई परिसंपत्तियाँ लोक प्रयोजन हेतु अपेक्षित हैं:-

- (1) परियोजना का नाम : चुरारी जलाशय योजना निर्माण हेतु
 (2) भूमि का विवरण
 1. जिला : सागर
 2. तहसील : मालथौन
 3. ग्राम : चुरारी
 4. पट.ह.नं.- : 27
 5. अर्जित भूमि का क्षेत्रफल : 57.730 है.

स. क्र.	भू-धारक का नाम एवं पिता/पति का नाम	खसरा नंबर	कुल रकवा हे. में	अर्जित भूमि का विवरण		प्रभावित परिसंपत्तियों का विवरण
				सिंचित	असिंचित	
1	2	3	4	5	6	7
1	रघुवीर पिता रंखा पता सा देह	9	1.20	0.210	0.000	पक्का कुआँ
2	श्रीबाई बेवा साधू दुरजुवा मकुदा बेंनीबाई पार्वतीबाई पिता दौलत पिता कलू मनोहर गनेशबाई मुन्नीबाई गीताबाई पिता खिलान भूमि स्वामी बती बेवा खिलान बाबू धासीराम सोमती रानी पि० गजू हरीसींग बालचंद मीना कल्लो सखी हल्कीबेन पिता साधू	11	1.62	0.560	0.000	पक्का कुआँ
3	गजराजसींग मूरतसींग पिस लक्ष्मन सींग पता सा देह	12/1	1.11	0.150	0.000	पक्का कुआँ
4	राजाराम पिता भोपत सींग पता सा देह	14/1	1.20	1.200	0.000	पक्का कुआँ
5	माधव प्रसाद पिता किशोरी लाल पता निवासी ग्राम मिरगावली	14/2	0.54	0.540	0.000	पक्का कुआँ
6	अनंदा प्राणसिंह पिस परतापसिंह पता सा देह	15	1.24	0.000	1.240	निरंक
7	हनुमतसिंह पिता मानसिंह पता सा देह	16	2.09	1.260	0.000	पक्का कुआँ
8	छोटेलाल पिता ठाकुरदास पता सा देह	16/284	2.08	0.000	2.080	निरंक
9	बहादुरसिंह पिता मानसींग पता सा देह	16/285	2.09	0.000	2.090	निरंक
10	किशोरा पिता बारेलाल पता सा देह	29/1	0.31	0.000	0.050	निरंक
11	मरदना निरमा नंदुवा पिस जबरा बृजरानी बेवा जबरा सुन्दरिया गुडडी व जबरा पता सा देह	45	0.70	0.000	0.030	निरंक
12	कमलिया पुत्री खन्जू जालम पिता गुवन्दा सा देह	48	0.45	0.000	0.020	निरंक
13	राजरानी पत्नि रघुनाथ पता सा देह	49	0.28	0.000	0.010	निरंक

14	घूमनसींग हरीसींग पिता मिरचू पता सा इमलिया	51	0.14	0.000	0.120	निरंक
15	पूरन पिता शंकरसिंह पता सा देह	52	0.07	0.000	0.010	निरंक
16	अजयसींग अरजनसींग पिता बहादुरसिंह	58	0.05	0.000	0.010	निरंक
17	हनुमतसिंह पिता मानसिंह पता सा देह	59	0.25	0.000	0.250	निरंक
18	निर्मल निहाल संतोष सुनील पिता दलीचंद मुन्नीबाइ गुडडीबाई दुलीचंद लालचंद भागचंद कोमल उत्तम पिता पन्नालाल पता सा बरोदिया	60	0.28	0.000	0.040	निरंक
19	अजयसींग अरजनसींग पिता बहादुरसिंह	61	1.80	0.000	0.280	निरंक
20	किशोरा पिता बारेलाल पता सा देह	75/1	0.41	0.410	0.000	पक्का कुआं
21	गुलाबरानी पत्नी किशोरी रामसेवक, गजपाल पिता किशोरी पता सा देह	75/2	0.66	0.000	0.400	निरंक
22	मोतीलाल वल्द छे पता सा देह	75/3	0.25	0.000	0.250	निरंक
23	बहादुरसींग वल्द मानसींग जाहरसींग वल्द हनुमतसींग पता सा देह	76	1.84	0.000	1.600	निरंक
24	दमरू पिता फूलसींग पता सा देह	77	0.75	0.750	0.000	पक्का कुआं
25	धीरजसींग पिता इमरतसींग पता सा देह	78	0.20	0.000	0.200	निरंक
26	धीरजसींग पिता इमरतसींग पता सा देह	79	0.40	0.400	0.000	पक्का कुआं
27	बहादुरसिंह पिता मानसींग पता सा देह	80	2.19	2.190	0.000	पक्का कुआं
28	दामोदर तुलसीराम पिता पल्दू सुखरानी बेवा पल्दू हरीराम रामसखी वालिग देवी ना.बा. पास परम पा मां खुद भूमि स्वामी फूलन बेवा परम प्यारेलाल पिता गनेश पता सा देह	81	0.33	0.000	0.330	निरंक
29	कसुमरानी पति हनुमतसींग सा देह	83	1.10	0.000	1.100	निरंक
30	बहारे पिता धोकल पता सा देह	84	0.86	0.000	0.860	निरंक
31	जालम पिता हल्के पता सा देह	86	0.16	0.000	0.160	निरंक
32	अजय अभिषेक अभिलासा पिता संतोषकुमार राजकुमारी बेवा संतोष कुमार	87	1.21	0.000	1.210	निरंक
33	लखनलाल ताराचंद बाबूलाल पिता बहारे कुसुमरानी गुडडी पुत्री बहारे रामप्यारी बेवा बहारे पता सा मिरगावली	88	0.38	0.000	0.380	निरंक
34	रघुवीर पिता रंखा पता सा देह	89	0.05	0.000	0.050	निरंक
35	रघुवीर पिता रंखा पता सा देह	90	0.30	0.000	0.300	निरंक
36	धीरे पिता बख्ते पता सा मिरगावली	91	1.22	0.000	1.220	निरंक
37	लखनलाल ताराचंद बाबूलाल पिता बहारे कुसुमरानी गुडडी पुत्री बहारे रामप्यारी बेवा बहारे पता सा मिरगावली	92	0.84	0.000	0.840	निरंक
38	राहुल पिता ताराचंद पता सा देह मिरगावली	93	1.20	1.200	0.000	पक्का कुआं
39	रघुवीर पिता रंखा पता सा देह	94	0.32	0.000	0.320	निरंक
40	रघुवीर पिता रंखा पता सा देह	95	1.01	0.000	1.010	निरंक
41	दुन्डा पिता खन्जू पता सा देह	96	0.38	0.000	0.380	निरंक
42	निर्मल वल्द दलीचंद रामकुमार ना.बा. पिता वली उत्तमचंद पता सा नागालैड	97	1.99	0.000	1.990	निरंक
43	जालम पिता हल्के पता सा देह	98	0.32	0.000	0.320	निरंक
44	भगवानसींग पिता लालसींग मूरतसींग ताहरसींग पिस धीरजसींग पता सा बरोदिया कलां	99	3.94	3.940	0.000	पक्का कुआं
45	देशराज रमेश गन्धर्व लाखन पिस खिलानसींग	100	2.16	2.160	0.000	पक्का कुआं

46	खितई पिता परसू पता सा देह	101	1.26	0.000	1.260	निरंक
47	हरीराम पिता भोपत सींग पता सा देह	102	0.65	0.650	0.000	आम-1 बिही-1 पक्का कुआं
48	रमेश प्रकाश नेताराम ममता माया हल्ली कला पिता आलम लाडली बेवा आलम पता सा देह	103	0.16	0.000	0.160	निरंक
49	दुन्डा पिता खन्जू पता सा देह	104	0.65	0.650	0.000	आम-1 बिही-2 जामुन-1 पक्का कुआं
50	हरनामसिंह ना.बा. पिता हरीरामसिंह पिता भोपतसिंह पता सा देह	105	0.58	0.580	0.000	पक्का कुआं
51	हाकमसिंह ना.बा. वल्द व वली हरीरामसिंह पिता भूपतसिंह पता सा देह	106	0.35	0.350	0.000	बिही-1 पक्का कुआं
52	आदेश कुमार पिता उत्तमचंद पता सा बरोदिया कलां	107	0.57	0.570	0.000	पक्का कुआं
		112	0.62	0.620	0.000	निरंक
53	दामोदर तुलसीराम पिता पल्दू सुखरानी बेवा पल्दू हरीराम रामसखी वालिग देवी ना.बा. पास परम पा मां खुद भूमि स्वामी फूलन बेवा परम प्यारेलाल पिता गनेश पता सा देह	108	0.57	0.000	0.570	निरंक
54	जालम पिता हल्के पता सा देह	109	0.43	0.000	0.430	निरंक
55	रतना गोरेलाल मोहन पिता सेतू पता सा देह	110	0.36	0.000	0.360	निरंक
56	रगनाथ पिता परसू नरेन्द्र संजय पिस. शिखरचंद विन्नी पिता शिखरचंद पता सा देह	111/1	0.26	0.000	0.260	निरंक
57	हरीराम पिता भोपत सींग पता सा देह	111/2	0.26	0.260	0.000	पक्का कुआं
58	भगवानसींग पिता बाबूसींग सियारानी बेवा भगवानसींग पता निवासी ग्राम	113/1	1.16	1.160	0.000	पक्का कुआं
59	वन्दावन रतिराम पिता कुन्दन सुहागरानी बेवा कुन्दन अरविन्द पिता जगत आशारानी बेवा जगत पता निवासी	113/2	1.15	1.150	0.000	आम-1 बिही-1 पक्का कुआं
60	हरगोविन्द देवेन्द्र हल्ली पिस माखन समुतरानी बेवा माखन पता निवासी	113/3	0.77	0.000	0.770	निरंक
61	आनंदी पिता परतापसींग पता निवासी	113/4	0.71	0.710	0.000	पक्का कुआं
62	पानसींग पिता परताप सींग पता निवासी	113/5	0.78	0.780	0.000	पक्का कुआं
63	रामरती पिता परताप	113/6	0.01	0.000	0.010	निरंक
64	हरीराम देवी वल्द परम फूलन बेवा परम पता सा देह	114	0.59	0.590	0.000	पक्का कुआं
65	रघुनाथ पिता परसू पता सा देह	132	0.11	0.000	0.110	निरंक
66	अनंदी प्राणसिंह पिस परतापसिंह पता सा देह	133	0.07	0.000	0.070	निरंक
67	किशोरा पिता बारेलाल पता सा देह	134	0.07	0.000	0.070	निरंक
68	रावरानी बेवा फूलसींग नंदराम वल्द फूलसींग	135	0.04	0.000	0.030	निरंक
69	शंकर पिता प्यारेलाल पता सा देह	243	1.53	1.200	0.000	आम-2 नीबू-1 बेरी-1 पक्का कुआं
		245	0.75	0.750	0.000	पक्का कुआं
70	महेन्द्र सींग पिता दमरू पता निवासी	246	0.50	0.000	0.500	निरंक
71	महेन्द्र सींग पिता दमरू पता निवासी	246	0.50	0.000	0.500	निरंक
72	महेन्द्र सींग पिता दमरू पता निवासी	247	0.22	0.000	0.220	निरंक
73	नरेन्द्रसींग अरजन सींग देवेन्द्रसींग ना.बा. पिता पा जुझारसींग पता सा देह	248	1.46	1.460	0.000	पक्का कुआं

74	विजयसिंह ना.बा. पिता बली जुझारसिंह पता सा देह	249/1	0.53	0.000	0.530	निरंक
75	साहबसिंग ना.बा. बल्द वली दमरू पा सा देह	249/2	0.53	0.000	0.530	निरंक
76	जालम मकुन्दी पिस हल्का, ननीबाई प्रेमबाई पुत्री हल्का चमार पता सा देह	250/1	1.13	0.000	1.130	निरंक
77	तिलक ना.बा. रामाधार ना.बा. पा पिता जगभाई पिता शंकरलाल पता निवासी	250/2	0.38	0.000	0.380	निरंक
78	बालचंद पिता हरी सुरशचंद रमेशचंद निर्मलचंद पिस. हल्के कमलाबाई पुत्री हल्के सुमतरानी बेवा हल्के पता सा बरोदिया कला	250/286	0.49	0.000	0.490	निरंक
79	तरवरसिंग ऊदलसिंग हीरा पिस. सूरज सींग अशोकरानी बेवा सूरतसिंग पता सा बरोदिया कलां	251	1.78	1.780	0.000	बिही-1 पक्का कुआं
80	नंदराम पिता फूलसिंग बालचंद हल्के पिस हरी गुलाबसिंग पिता सूरतसिंग सिरदार बहू बेवा रंधीरसिंह भूमि स्वामी सिया दुलारी बेवा उमेदसिंह पालक मां व खुद सियादुलारी बेवा उमेदसिंह पता सा देह	252	0.62	0.000	0.620	निरंक
81	खरगा पिता पिरुवा पता सा देह	256	0.30	0.020	0.000	पक्का कुआं
82	अनंदी पिता परताप पता सा देह	262/1	0.27	0.000	0.020	निरंक
83	अनंदी पिता परताप पता सा देह	262/2	0.67	0.000	0.100	निरंक
84	शोभारन सींग ना.बा. पिता बली नंदराम पता सा देह	263	0.78	0.240	0.000	पक्का कुआं
85	कनई पिता नंदलाल पता सा देह	264	0.59	0.000	0.480	निरंक
86	रजुवा मजूवा पिता कुदऊवा पता सा देह	269	0.80	0.310	0.000	पक्का कुआं
87	रतना गोरेलाल मोहन पिता सेतू छलोनी बेवा सेतू पता सा देह	270	2.56	0.000	0.680	निरंक
योग:-			70.04	28.800	28.930	

प्रस्तावित भूमि के अर्जन से किसी भी व्यक्ति अथवा परिवार का पुनर्व्यवस्थापन किया जाना अपेक्षित नहीं है अतः पुनर्व्यवस्थापन क्षेत्र की पहचान किया जाना एवं पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थान स्कीम का प्रकाशन किया जाना आवश्यक नहीं है।

अधिनियम 2013 की धारा 21 के तहत हितबद्ध व्यक्तियों को यह भी सूचित किया जाता है कि सरकार का आशय भूमि का कब्जा लेने का है और ऐसी भूमि में सभी हितों के लिए प्रतिकरों और पुनर्वास तथा प्रतिस्थापन के दावे कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) खुरई जिला सागर के कार्यालय में दिनांक 12.09.18 को प्रातः 10.30 बजे से दोपहर 3.00 बजे तक व्यक्तिगत रूप से या अभिकर्ता द्वारा या अधिवक्ता द्वारा उपस्थित होकर भूमि में अपने-अपने हितों की प्रकृति तथा ऐसे हितों के लिए प्रतिकर के दावों की रकम और विशिष्टियां, धारा 20 के अधीन किए गए मापों के संबंध में आक्षेप यदि कोई हों, के साथ पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन के दावे प्रस्तुत कर सकते हैं।

भूमि के नक्शे तथा प्लान का निरीक्षण कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) खुरई जिला सागर एवं कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्रमांक-एक सागर जिला सागर के कार्यालय में किया जा सकता है।

क्र. 69अ-82-17-18-4353.—

भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 11(1) के अंतर्गत प्रारंभिक अधिसूचना के प्रकाशन दिनांक से प्रावधानित समयसीमा 60 दिवस की अवधि में धारा 15(1) के तहत कोई आपत्ति प्राप्त नहीं हुई है जिससे समुचित सरकार का यह समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित परियोजना हेतु अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित भूमि की सार्वजनिक लोक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है एवं उक्त भूमि के अर्जन से किसी भी व्यक्ति अथवा परिवार का विस्थापन नहीं किया जाना है अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 19 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न अनुसूची के पद (2) में वर्णित भूमि एवं स्थाई परिसंपत्तियां लोक प्रयोजन हेतु अपेक्षित है:-

- (1) परियोजना का नाम : चुरारी जलाशय योजना निर्माण हेतु
 (2) भूमि का विवरण :
 1. जिला : सागर
 2. तहसील : मालथौन
 3. ग्राम : बरोदिया कलां
 4. पट.ह.नं.- : 26
 5. अर्जित भूमि का क्षेत्रफल : 12.410 है.

स. क्र	भू-धारक का नाम एवं पिता/पति का नाम	खसरा नंबर	कुल रकवा	अर्जित रकवा		अर्जित भूमि पर स्थित स्थावर परिसंपत्तियों का विवरण
				सिंचित	असिंचित	
1	2	3	4	5	6	7
1	जगदीश पिता पहलवान पता सा. देह	152 /1	0.42	0.42	0.00	कच्चा कुआं
2	नंदलाल पिता जानकी पता सा. देह	152 /3	1.21	0.00	1.21	निरक
3	दुलीचंद पिता पन्नालाल पता सा. देह	155	0.13	0.00	0.13	निरक
		159	0.28	0.00	0.28	निरक
		205	0.70	0.00	0.10	निरक
4	हिरऊ पिता नन्हेलाल पता सा. चुरारी	158	0.78	0.00	0.78	निरक
		162	0.55	0.00	0.55	निरक
5	जगदीश पिता पहलवान पता सा. देह	160	0.55	0.55	0.00	कच्चा कुआं
6	अमोल मोहनसींग पिता पूरनसींग पता सा चुरारी	163	0.74	0.74	0.00	बिही -5 संतरा -1 आंवला-3 अनार-2 पक्का कुआं
7	लालसींग पिता रखुनाथ पता सा. देह	166	2.02	0.27	0.00	पक्का कुआं
8	भगवानसींग पिता बाबूसींग सूरजबाई शीलाबाई मालतीबाई पुत्री बाबूसींग पता सा0 चुरारी	167 /3	1.00	1.00	0.00	पक्का कुआं

9	बाबू पता सा. चुरारी	167 /4	1.00	0.00	0.25	निरंक
10	सुरेन्द्र पिता डालचंद पता सा. देह	177 /3	0.80	0.80	0.00	कच्चा कुआं
11	सन्नो बी पति मुंह. हुसेन पता सा. देह शासकीय पट्टेदार	209 /2	1.06	1.06	0.00	कच्चा कुआं
12	स्वरूप खों पिता झबू खों पता सा.देह	209 /3	0.80	0.00	0.25	निरंक
13	कल्ला पिता कन्वा पता सा. देह भूमि स्वामी	212/2	0.80	0.80	0.00	निरंक
		269	0.28	0.28	0.00	कुआ-1
		272 /2	0.52	0.00	0.40	निरंक
14	जगरानी बेवा मंजुवा रगवीर बसन्ते पिस. मन्जुवा मूलचंद वा माखन ललताबाई ना.वा. पिस. भोले पा. मां खुद वतीबाई बेवा भोले पता सा. देह	212 /5	0.80	0.00	0.40	निरंक
15	चेना पिता हजारी पता सा. देह	212 /6	0.10	0.00	0.10	निरंक
16	बकत बानो पति काले खां पता सा. देह	212 /7	0.80	0.00	0.80	निरंक
17	तुलसीराम दुली पिता हरिया बेनीबाई पिता हरिया पता निवासी ग्राम	265/ 1	0.44	0.00	0.08	निरंक
18	कृष्णकुमार पिता तुलसीराम पता सा. देह	265 /2	0.40	0.00	0.06	निरंक
19	चिखे चेना रामवती पिता हजारी अलछारी बेवा हजारी पता सा. देह	266	1.03	0.00	0.60	निरंक
		268	0.08	0.00	0.08	निरंक
20	चिखा पिता हजारी पता सा. देह	272 /3	0.80	0.00	0.12	निरंक
योग :-		26	18.09	6.22	6.19	

प्रस्तावित भूमि के अर्जन से किसी भी व्यक्ति अथवा परिवार का पुनर्व्यवस्थापन किया जाना अपेक्षित नहीं है अतः पुनर्व्यवस्थापन क्षेत्र की पहचान किया जाना एवं पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थान स्कीम का प्रकाशन किया जाना आवश्यक नहीं है।

अधिनियम 2013 की धारा 21 के तहत हितबद्ध व्यक्तियों को यह भी सूचित किया जाता है कि सरकार का आशय भूमि का कब्जा लेने का है और ऐसी भूमि में सभी हितों के लिए प्रतिकरों और पुनर्वास तथा प्रतिस्थापन के दावे कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) खुरई जिला सागर के कार्यालय में दिनांक 17/9/2018 को प्रातः 10.30 बजे से दोपहर 3.00 बजे तक व्यक्तिगत रूप से या अभिकर्ता द्वारा या अधिवक्ता द्वारा उपस्थित होकर भूमि में अपने-अपने हितों की प्रकृति तथा ऐसे हितों के लिए प्रतिकर के दावों की रकम और विशिष्टियां, धारा 20 के अधीन किए गए मापों के संबंध में आक्षेप यदि कोई हों, के साथ पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन के दावे प्रस्तुत कर सकते हैं।

भूमि के नक्शे तथा प्लान का निरीक्षण कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) खुरई जिला सागर एवं कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्रमांक-एक सागर जिला सागर के कार्यालय में किया जा सकता है।

क्र. 70अ-82-17-18-4351.—

भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 11(1) के अंतर्गत प्रारंभिक अधिसूचना के प्रकाशन दिनांक से प्रावधानित समयसीमा 60 दिवस की अवधि में धारा 15(1) के तहत कोई आपत्ति प्राप्त नहीं हुई है जिससे समुचित सरकार का यह समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित परियोजना हेतु अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित भूमि की सार्वजनिक लोक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है एवं उक्त भूमि के अर्जन से किसी भी व्यक्ति अथवा परिवार का विस्थापन नहीं किया जाना है अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 19 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न अनुसूची के पद (2) में वर्णित भूमि एवं स्थाई परिसंपत्तियां लोक प्रयोजन हेतु अपेक्षित है:-

- (1) परियोजना का नाम : चुरारी जलाशय योजना निर्माण हेतु
 (2) भूमि का विवरण
 1. जिला : सागर
 2. तहसील : मालथौन
 3. ग्राम : डबडेरा
 4. पट.ह.नं.— : 27
 5. अर्जित भूमि का क्षेत्रफल : 18.09 है.

स. क्र.	भू-धारक का नाम एवं पिता/पति का नाम	खसरा नंबर	कुल रकवा	अर्जित रकवा		अर्जित भूमि पर स्थित स्थावर परिसंपत्तियों का विवरण
				सिंचित	असिंचित	
1	2	3	4	5	6	7
1	राजू उर्फ राम पिता नंदलाल पता सा. देह	580	1.60	0	0.23	निरंक
2	घनिया शीलाबाई पिस. रनजोरा जाहर सल्लू पिस. रती पता सा. देह	582	0.03	0	0.03	निरंक
3	हरिया पिता हल्काई पता सा. देह	583	0.82	0	0.32	निरंक
4	लम्पू पिता नवला पता सा. देह	584/1	0.25	0	0.10	निरंक
5	सुमत्राबाई पिता नवला पता सा. देह	584/2	0.05	0	0.05	निरंक
6	पिरुवा पिता नवला प्यारीबहू बेवा परमा गनेश अजुद्धी राकेश ना. बा. वल्द परमा वली मां प्यारी बहू जानकीबाई पुत्री परमा पता सा. देह	584/3	0.50	0	0.20	निरंक
7	सुतिया पिता भरोसा पता सा. देह	585	0.81	0	0.67	निरंक
8	मुन्ना पिता हल्का पता सा. देह	586	0.80	0	0.80	निरंक
9	मढोला पिता हल्का पता सा. देह	587	0.80	0	0.80	निरंक
10	प्यारीबहू बेवा परम गनेश अजुदिया राकेश पिस. परमा पिता परमा वली मां व खुदप्यारी बहू बेवा परमा पता सा. देह	588	0.75	0	0.75	निरंक
11	कामता पिता हल्काई पता सा. देह	589	0.72	0	0.72	निरंक
12	गनेश अजुद्धी राकेश पिता पिरुवा पता सा. देह	590	0.54	0	0.54	निरंक

13	गनेश अजुद्धी राकेश पिता पिरुवा पता सा. देह	591	0.18	0	0.18	निरक
14	पर्वत खज्जू पिता मोना माग्यबती मुलाबाई पिता मोना पता सा. देह	723	1.30	0	0.30	निरक
15	मरदन पिता घसीटा पता सा. देह	741	0.76	0.10	0.00	कुआं पक्का-1
16	खिलान पिता मुज्जी सा. मिरगावली	742/2	0.49	0	0.13	निरक
17	झिरुवा पिता हजरिया पता सा. देह	745	0.80	0	0.50	निरक
18	पार्वती बेवा कम्मोद मुन्नासींग पि. कम्मोदसींग सुदामा सावित्री पुत्री कम्मोदसींग भुजबल सुखसींग पिता भीकमसींग जानकी बेवा भीकमसींग अनूपसींग पिता भीकमसींग सन्तोषसींग पिता गिरवरसींग लड्डूसींग मूरेसींग ललनसींग जगराज पिता जनकसींग पता सा पारेल	746	4.71	0	3.83	निरक
19	कीरतसिंह पंचमसिंह पिस. चालीराजा पता सा. पलेथनी	747	1.42	1.42	0.00	कुआं कच्चा-1
		748	0.03	0.03	0.00	निरक
20	गुवन्दा पिता पुनुवा पता सा. देह	749	0.04	0	0.04	निरक
21	ऊदल पिता गोकल सा. मिरगावली	750/1	0.24	0.24	0.00	कुआं कच्चा-1
22	कुसुमबाई पति दशरथ पता सा. मिरगावली	750/2	0.40	0.40	0	कुआं कच्चा-1
23	कुसुमबाई पति दशरथ पता सा. मिरगावली	752/3	0.06	0	0.06	निरक
24	मगुते पिता बल्दू पता निवासी बरोदिया कलां	751/4	0.11	0	0.11	निरक
25	राजू हरिबाई रश्मि पिता वीरे दीपक बसंती पूनम ना. बा. पिता वीरे वली मां व खुद जयंती बेवा वीरे पता निवासी ग्राम	752/5	0.10	0	0.10	निरक
26	ऊदल पिता गोकल सा. मिरगावली	751/6	0.40	0	0.40	निरक
27	सुहागरानी पति बलराम पता निवासी ग्राम	751/1	0.24	0	0.24	निरक
28	कुसुमबाई पति दशरथ पता सा. मिरगावली	751/2	0.18	0	0.18	निरक
29	बब्बू पिता कच्छेदी पता सा. देह	752	0.39	0	0.39	निरक
30	फदाली पुनु पिस. बुद्धा पुष्पाबाई पुत्री बुद्धा पता सा. देह	753	0.49	0	0.49	निरक
31	पार्वती बेवा कम्मोद मुन्नासींग पि. कम्मोदसींग सुदामा सावित्री पुत्री कम्मोदसींग भुजबल सुखसींग पिता भीकमसींग जानकी बेवा भीकमसींग अनूपसींग पिता भीकमसींग सन्तोषसींग पिता गिरवरसींग लड्डूसींग मूरेसींग ललनसींग जगराज पिता जनकसींग पता सा पारेल	754	0.17	0	0.17	निरक
32	घोकल पिता दुर्जन पता सा. देह	755	0.68	0	0.68	निरक
33	रमिया बेवा पंचा भगोने हजारी तखत जमना हज्जू कुसुम गुडडी संतोषबाई पिस हल्कू चन्द्रानी बेवा भूमि स्वामी हल्कू पता सा. देह	756	0.45	0	0.45	निरक
34	मगुते पिता बल्दू पता निवासी बरोदिया कलां	758/1	0.70	0	0.70	निरक
35	राजू हरिबाई रश्मि पिता वीरे दीपक बसंती पूनम ना. बा. पिता वीरे वली मां व खुद जयंती बेवा वीरे पता निवासी ग्राम	758/2	0.35	0	0.35	निरक
36	मगुते पिता बल्दू पता निवासी बरोदिया कलां	759/1	0.05	0	0.05	निरक
37	गोकल दशरथ बलराम पिता प्यारेलाल पता निवासी ग्राम मिरगावली	759/2	0.05	0	0.05	निरक
		758/2	0.35	0	0.35	निरक
38	प्यारेलाल पिता मोने पता सा. देह	760	0.15	0	0.15	निरक
39	प्यारेलाल पिता मोने पता सा. देह	762	0.79	0.79	0	
योग:-			23.75	2.98	15.11	

प्रस्तावित भूमि के अर्जन से किसी भी व्यक्ति अथवा परिवार का पुनर्व्यवस्थापन किया जाना अपेक्षित नहीं है अतः पुनर्व्यवस्थापन क्षेत्र की पहचान किया जाना एवं पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थान स्कीम का प्रकाशन किया जाना आवश्यक नहीं है।

अधिनियम 2013 की धारा 21 के तहत हितबद्ध व्यक्तियों को यह भी सूचित किया जाता है कि सरकार का आशय भूमि का कब्जा लेने का है और ऐसी भूमि में सभी हितों के लिए प्रतिकरों और पुनर्वास तथा प्रतिस्थापन के दावे कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) खुरई जिला सागर के कार्यालय में दिनांक 17/9/2018 को प्रातः 10.30 बजे से दोपहर 3.00 बजे तक व्यक्तिगत रूप से या अभिकर्ता द्वारा या अधिवक्ता द्वारा उपस्थित होकर भूमि में अपने-अपने हितों की प्रकृति तथा ऐसे हितों के लिए प्रतिकर के दावों की रकम और विशिष्टियां, धारा 20 के अधीन किए गए मापों के संबंध में आक्षेप यदि कोई हों, के साथ पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन के दावे प्रस्तुत कर सकते हैं।

भूमि के नक्शे तथा प्लान का निरीक्षण कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) खुरई जिला सागर एवं कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्रमांक-एक सागर जिला सागर के कार्यालय में किया जा सकता है।

सागर, दिनांक 21 अगस्त 2018

क्र. 34अ-82-16-17-8593.—

भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 11(1) के अंतर्गत प्रारंभिक अधिसूचना के प्रकाशन दिनांक से प्रावधानित समयसीमा 60 दिवस की अवधि में धारा 15(1) के तहत कोई आपत्ति प्राप्त नहीं हुई है जिससे समुचित सरकार का यह समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित परियोजना हेतु अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित भूमि की सार्वजनिक लोक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है एवं उक्त भूमि के अर्जन से किसी भी व्यक्ति अथवा परिवार का विस्थापन नहीं किया जाना है अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 19 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न अनुसूची के पद (2) में वर्णित भूमि एवं स्थाई परिसंपत्तियां लोक प्रयोजन हेतु अपेक्षित है:-

- (1) परियोजना का नाम : हिलगन जलाशय नहर निर्माण हेतु
 (2) भूमि का विवरण :
 1. जिला : सागर
 2. तहसील : सागर
 3. ग्राम : आपचंद
 4. पट.ह.नं.- : 109
 5. अर्जित भूमि का क्षेत्रफल : 6.360 है.

स. क्र.	भू-धारक का नाम/पिता एवं पति का नाम	स्वामित्व का प्रकार	खसरा नम्बर	कुल रकवा	अर्जित भूमि का विवरण		अर्जित भूमि पर स्थित स्थावर परिसंपत्तियों का विवरण
					सिंचित	असिंचित	
			3	4	5	6	7
1	चित्तर पिता खिलान साकिन रंगोली	भूमिस्वामी	27	3.250	0.100	0.000	निरंक
2	निखिल नाबालिग पिता व वली श्रीपाल पिता विजय सींग विक्रान्त सींग नाबालिग पिता व वली गजपालसींग पिता विजयसींग तेजिन्दर सींग नाबालिग पिता व वली श्रीपाल सींग पिता विजयसींग हंसवराज नाबालिग पिता व वली पुष्पेन्द्र सींग पिता विजयसींग साकिन देह	भूमिस्वामी	30/1	0.860	0.000	0.040	निरंक
3	विजय सींग वल्द हरप्रसाद साकिन देह	भूमिस्वामी	30/2	1.250	0.000	0.030	निरंक
		भूमिस्वामी	41	1.600	0.000	0.220	निरंक
		भूमिस्वामी	269/2	1.220	0.000	0.200	निरंक
4	पुष्पेन्द्र सिंह पिता विजय सिंह साकिन देह	भूमिस्वामी	30/3	0.450	0.000	0.030	निरंक
5	छोटेलाल पिता परसादी साकिन देह	भूमिस्वामी	34/1	0.410	0.100	0.000	बहेरा-3
6	लक्ष्मीकांत वल्द कृष्णदत्त पाण्डे साकिन देह	भूमिस्वामी	34/2	0.400	0.000	0.040	निरंक
7	राजेन्द्र सींग, देवेन्द्र सींग, वीरेन्द्र सींग, देवराजसींग पिता महाराजसींग साकिन देह	भूमिस्वामी	35	0.280	0.000	0.010	निरंक
8	जैपाल पिता वीरसींग साकिन देह भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	37	0.700	0.070	0.000	निरंक
9	वीरसींग पिता प्रताप सींग साकिन देह	भूमिस्वामी	38/1	1.210	0.000	0.140	निरंक
10	श्रीपाल पिता विजयसींग साकिन देह भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	40	0.810	0.000	0.190	निरंक
11	राजाराम, शिवराज, नारान, रामचरण, शालिकराम पिता रामसेवक, बगरोवारी वेवा रामसेवक साकिन देह भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	42	0.300	0.000	0.050	निरंक
12	दारासिंह उर्फ खड़कसिंह पिता बैजनाथ सींग साकिन देह	भूमिस्वामी	54/1	0.010	0.000	0.010	निरंक

13	संगीता पति सुनील कुमार साकिन दमोह	भूमिस्वामी	54/2	0.440	0.000	0.010	निरंक
14	मंदिर श्री हनुमन स्वामीजी गुलाबटोरिया रगौली मुह. पंच कमेटी आपचंद प्रबंधक कलेक्टर सागर भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	269/1	0.800	0.000	0.050	निरंक
		भूमिस्वामी	507	0.480	0.000	0.010	निरंक
		भूमिस्वामी	508	0.950	0.000	0.120	निरंक
15	पलू पिता हज्जू, श्रीबाई पति पलू साकिन देह अहस्तांतरणीय	भूमिस्वामी	270/3	1.000	0.000	0.100	निरंक
16	इन्द्राज वल्द चौदे, कपूरी मेवा, प्रभा, रतीबाई पुत्री चौदे, कुअरबाई पति चौदे साकिन देह अहस्तांतरणीय	भूमिस्वामी	270/6	0.750	0.000	0.010	निरंक
17	गोठल पिता बबू अहिरवार साकिन देह अहस्तांतरणीय	भूमिस्वामी	270/7	0.750	0.000	0.120	निरंक
18	कमलेश पिता आलम, बैजन्ति पति कनलेश साकिन देह अहस्तांतरणीय	भूमिस्वामी	270/8	0.750	0.000	0.050	निरंक
19	कुंजी वल्द मिहोलाल, प्रीतिरानी पति कुंजी साकिन देह अहस्तांतरणीय	भूमिस्वामी	270/11	0.750	0.000	0.100	निरंक
20	जाहद पिता सुमाष खां साकिन देह	भूमिस्वामी	398	1.380	0.100	0.000	निरंक
21	लक्ष्मीदेवी पति लक्ष्मीकांत साकिन मोतोनगर वार्ड सागर भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	400	0.900	0.000	0.100	निरंक
		भूमिस्वामी	401	0.900	0.000	0.120	निरंक
22	कलू पिता ठलू साकिन देह	भूमिस्वामी	504	0.400	0.050	0.000	निरंक
23	बबलू, बालचंद, गुबंदी पिता भबूदा, राजकुमार पुत्री भबूदा, मनबाई देवा भबूदा, दुमना नाबालिग लक्ष्मन, फूलाबाई देवा लक्ष्मन सा. देह	भूमिस्वामी	505	0.860	0.010	0.000	निरंक
24	रूपसींग पिता अरजुन सींग साकिन देह	भूमिस्वामी	506	0.540	0.110	0.000	निरंक
25	उमराव, अशोक पिता मोहन साकिन रगौली भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	522	1.140	0.010	0.000	निरंक
26	कल्यान, रामचरन पिता झल्ला साकिन रगौली	भूमिस्वामी	523	1.000	0.050	0.000	निरंक
27	कडोरी, परम पिता गफलू साकिन रगौली	भूमिस्वामी	524	1.010	0.110	0.000	निरंक
28	लाडले पिता अजुद्धी साकिन रगौली	भूमिस्वामी	531/1	0.410	0.120	0.000	निरंक
29	लोकमन पिता मुल्ला साकिन रगौली	भूमिस्वामी	531/2	0.400	0.000	0.040	निरंक
30	सुमत्रा देवा हल्का, जमना, जमना पुत्री हल्का साकिन रगौली भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	532	1.030	0.000	0.100	निरंक
31	अनिल कुमार वल्द रमेश कुमार अहिरवार सा. देह	भूमिस्वामी	533	0.610	0.000	0.010	निरंक
32	फेरन लाल वल्द झल्ले साकिन देह भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	538	1.110	0.170	0.000	निरंक
33	दामोदर, बंदी पिता गनेश, नत्थी पुत्री गनेश, जुगतीबाई देवा गनेश साकिन रगौली	भूमिस्वामी	539/1	0.590	0.080	0.000	निरंक
34	पंचम पिता नन्ना साकिन रगौली	भूमिस्वामी	568	0.440	0.000	0.070	निरंक
35	महेश, चंदू, उर्फ चन्द्रभान, बल्लू उर्फ बलराम पिता जमना, अनीताबाई पुत्री जमना साकिन गिरवर भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	571	0.640	0.000	0.130	निरंक
36	मानसींग पिता अर्जुनसींग दांगी साकिन देह भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	580	0.640	0.000	0.070	निरंक
37	भगवानसींग, मानसींग कलू नाबालिग पिता अर्जुन सींग, सविता पुत्री अर्जुनसींग वली भाई भगवानसींग साकिन देह भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	581	0.520	0.000	0.040	निरंक
		भूमिस्वामी	582	0.840	0.000	0.080	निरंक
38	प्रेमसींग पिता बल्ली साकिन सुआतला	भूमिस्वामी	619	0.590	0.000	0.030	निरंक
39	अशोकरानी देवा भोले, राजेश, गुवरधन, संघ्या नाबालिग वल्द भोले वली माँ अशोकरानी साकिन गिरवर भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	620	1.100	0.000	0.120	निरंक
		भूमिस्वामी	623/1	0.400	0.000	0.040	निरंक
40	बखत, केशर, दयाराम पिता परम साकिन भैसवाही भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	621	0.260	0.000	0.030	निरंक
41	भुवनेश्वर पिता धनीराम साकिन गिरवर भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	623/2	0.170	0.010	0.000	निरंक
		भूमिस्वामी	630	0.320	0.010	0.000	निरंक
42	बालमकुन्द पिता धनीराम साकिन गिरवर भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	625	0.980	0.000	0.090	निरंक
		भूमिस्वामी	626/1	0.780	0.000	0.030	निरंक

43	नारायण वल्द गोकलप्रसाद साकिन गिरवर	भूमिस्वामी	626/2	0.600	0.000	0.030	निरंक
44	धनीराम पिता सुन्दर साकिन गिरवर भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	627	1.340	0.000	0.150	निरंक
45	हल्के उर्फ भगवानदीन वल्द धनीराम साकिन गिरवर भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	649	1.550	0.000	0.080	निरंक
46	कमलरानी पति कड़ोरी साकिन गिरवर	भूमिस्वामी	659	1.440	0.050	0.000	निरंक
47	कड़ोरी पिता इन्दर साकिन गिरवर भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	660	0.430	0.100	0.000	निरंक
48	डोलन, मोहन पिता देवी साकिन बरपानी	भूमिस्वामी	661	0.720	0.000	0.070	निरंक
49	दोलत नाबालिग पिता वली कड़ोरी साकिन गिरवर भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	664	1.440	0.000	0.120	बेरी-2 बहेरा-3
50	जीवन पिता कड़ोरी साकिन गिरवर भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	665	1.440	0.000	0.080	निरंक
51	पप्पू वल्द रामचंद साकिन देह भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	673/1	0.830	0.000	0.090	निरंक
52	कलू पिता रतन साकिन देह भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	673/2	0.630	0.000	0.030	साज-1
53	मोती पिता कड़ोरी साकिन गिरवर भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	674	0.300	0.030	0.000	बेरी-1
54	संतोष कुमार वल्द कड़ोरी साकिन गिरवर	भूमिस्वामी	675	0.370	0.000	0.050	निरंक
55	मुला, खुम्मा, उमेदी पुत्री मोहनसिंग साकिन देह	भूमिस्वामी	677	0.730	0.000	0.010	निरंक
56	कोमलसिंग पिता राधे साकिन देह भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	682/1	0.880	0.000	0.050	निरंक
57	सूरतसिंग पिता राधे साकिन देह भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	682/2	0.870	0.000	0.010	साज-4 कोहा-1
58	मिहीलाल, सुब्बी पिता लीलाधर, सियारानी पुत्री लीलाधर, नन्नी पुत्री फूलू, धरमदास पिता बब्बू साकिन देह	भूमिस्वामी भूमिस्वामी	683 688	2.860 1.520	0.160 0.050	0 0.000	आवला-2 निरंक
59	रामसजीवन विनोद, आशाराम, राजेश, अजय पिता सुदामा, अनीता, मालती, कविता, रामरती पुत्रिया सुदामा, श्यामरानी उर्फ कमलाबाई देवा सुदामा साकिन देह भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	684/1	2.420	0.000	0.080	रुसल्ला-1सा ज-5
60	रामगोपाल वल्द काशीराम यादव साकिन रजाखेड़ी भूमिस्वामी	भूमिस्वामी भूमिस्वामी	684/2 684/3	0.600 0.600	0.000 0.000	0.030 0.020	निरंक निरंक
61	महेश मुकेश पप्पू पिता हूले उर्फ हलू हीराबाई ज्योतिबाई पुत्री हूले उर्फ हलू साकिन देह	भूमिस्वामी	745	0.850	0.000	0.160	निरंक
62	रतीराम पिता प्राणसिंग साकिन देह भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	746	0.850	0.000	0.040	निरंक
63	लखन वल्द गोरेलाल साकिन देह भूमिस्वामी	भूमिस्वामी भूमिस्वामी	747/2 774/1	0.380 0.380	0.000 0.000	0.010 0.080	निरंक निरंक
64	दशरथ वल्द गोरेलाल साकिन देह भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	774/2	0.760	0.000	0.070	निरंक
65	लखन, तुलसी, ताराचंद बालिग कैलाश नाबालिग मीरा, ममता, भारती बालिग रानी नाबालिग वल्द नंदराम वली व खुद मौ लीलाबाई साकिन बहेरिया भूमिस्वामी मनोज पिता दौलतराम प्रजापति साकिन काकागंज सागर भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	776	0.710	0.020	0.000	निरंक
66	राजू भूपेन्द्र राजाराम पिता हल्काई उर्मिला पुत्री हल्काई हल्लीबाई देवा हल्काई साकिन देह	भूमिस्वामी	796	1.470	0.210	0.000	निरंक
67	मिदू पिता रतन, सुषमाबाई देवा रतन, तखर, राजू, परषोत्तम पिता साधू, खूबसिंग पिता मुन्ना, चिठकीबाई, चेनाबाई पुत्री मुल्ला, रामकली, जनका, श्यामबाई पुत्री बबुआ साकिन देह	भूमिस्वामी	798	1.090	0.000	0.120	निरंक
68	मोहन वल्द नत्थू सींग साकिन देह भूमिस्वामी	भूमिस्वामी भूमिस्वामी	799 801	0.640 0.670	0.000 0.050	0.080 0.000	निरंक निरंक
69	गिरजेश वल्द खूबसिंग, सुक्को पत्नि खूबसिंग साकिन देह भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	862	0.400	0.000	0.090	निरंक
70	तखत पिता बुक्खे, रेखारानी पत्नि तखत साकिन देह अहस्तांतरणीय भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	864/4	0.740	0.030	0.000	निरंक
71	भागीरथ पिता भगुन्ती साकिन देह अहस्तांतरणीय भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	864/5	0.740	0.000	0.120	निरंक
72	मोती पिता खन्जा, रामकली पत्नि मोती साकिन देह अहस्तांतरणीय	भूमिस्वामी	864/6	0.740	0.000	0.130	निरंक

रामरानी पत्नि महीपसौंग साकिन देह भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	867	0.870	0.000	0.050	निरंक
योग-		88	72.240	1.810	4.550	

प्रस्तावित भूमि के अर्जन से किसी भी व्यक्ति अथवा परिवार का पुनर्व्यवस्थापन किया जाना अपेक्षित नहीं है अतः पुनर्व्यवस्थापन क्षेत्र की पहचान किया जाना एवं पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थान स्कीम का प्रकाशन किया जाना आवश्यक नहीं है।

अधिनियम 2013 की धारा 21 के तहत हितबद्ध व्यक्तियों को यह भी सूचित किया जाता है कि सरकार का आशय भूमि का कब्जा लेने का है और ऐसी भूमि में सभी हितों के लिए प्रतिकरों और पुनर्वास तथा प्रतिस्थापन के दावे कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) सागर जिला सागर के कार्यालय में दिनांक 04/09/2018 को प्रातः 10.30 बजे से दोपहर 3.00 बजे तक व्यक्तिगत रूप से या अभिकर्ता द्वारा या अधिवक्ता द्वारा उपस्थित होकर भूमि में अपने-अपने हितों की प्रकृति तथा ऐसे हितों के लिए प्रतिकर के दावों की रकम और विशिष्टियां, धारा 20 के अधीन किए गए मापों के संबंध में प्रत्येक यदि कोई हितों के साथ पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन के दावे प्रस्तुत कर सकते हैं।

भूमि के नक्शे तथा प्लान का निरीक्षण कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) सागर जिला सागर एवं कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्रमांक-2 केसली जिला सागर के कार्यालय में किया जा सकता है।

भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 11(1) के अंतर्गत प्रारंभिक अधिसूचना के प्रकाशन दिनांक से प्रावधानित समयसीमा 60 दिवस की अवधि में कोई आपत्ति प्राप्त नहीं हुई है जिससे अधिनियम की धारा 15(2) के अंतर्गत कोई रिपोर्ट की आवश्यकता नहीं हुई है तथा इस आधार पर समुचित सरकार का यह समाधान हो गया है कि नीचे सूची गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित परियोजना हेतु अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित भूमि की सार्वजनिक लोक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है एवं उक्त भूमि के अर्जन से किसी भी व्यक्ति अथवा परिवार का विस्थापन नहीं किया जाना है अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 19 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न अनुसूची के पद (2) में वर्णित भूमि एवं स्थाई परिसंपत्तियां लोक प्रयोजन हेतु अपेक्षित हैं:-

- (1) परियोजना का नाम : निवारी कलां जलाशय योजनांतर्गत जलाशय एवं नहर निर्माण हेतु
- (2) भूमि का विवरण
1. जिला : सागर
 2. तहसील : केसली
 3. ग्राम : मुहली
 4. पट.ह.नं.- : 53
 5. अर्जित भूमि का क्षेत्रफल : 17.740 है.

स. क्र.	भू-धारक का नाम/पिता एवं पति का नाम	स्वामित्व का प्रकार	खसरा नम्बर	कुल रकवा	अर्जित भूमि का विवरण		भूमि पर स्थित स्थावर परिसंपत्तियों का विवरण
					सिंचित	असिंचित	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	सुनीता पति सुरेन्द्र सिंह कौशिक साकिन फरीदाबाद हरियाणा भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	306/1	0.350	0.000	0.350	निरंक
2	अर्जुनसिंग पिता भगतसिंग साकिन निवारीकलां	भूमिस्वामी	306/2	0.340	0.340	0.000	कुआ 1
3	अभिषेक वल्द नन्हेमाई लीलावती उर्फ ज्योति देवा नन्हेमाई साकिन अमोदा भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	307	5.120	0.000	5.120	निरंक
		भूमिस्वामी	316	1.630	1.020	0.000	निरंक
4	गोतम गोविन्द पिता राधेश्याम साकिन अमोदा	भूमिस्वामी	315	2.950	0.000	2.690	निरंक
5	धरमाबाई पति रामप्रसाद साकिन बिलहरी	भूमिस्वामी	314/1	0.400	0.000	0.200	निरंक
6	नत्थू वल्द साहब सींग साकिन सुना भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	314/2	1.690	0.000	0.200	निरंक
		भूमिस्वामी	313/3	0.180	0.000	0.180	निरंक
7	मोहन वल्द रामप्रसाद साकिन देह भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	314/3	1.200	0.000	1.000	निरंक
8	सिलारीवारी पति गनेश साकिन बिलहरी	भूमिस्वामी	314/4	0.080	0.000	0.080	निरंक
9	मूरतसिंग वल्द रघुवीर सींग साकिन निवारी	भूमिस्वामी	320	1.640	0.000	0.050	निरंक
10	भगवानदास रघुनंदन पिता शालकराम, बल्ले, लालचंद प्रेमनारायण पिता दुलारे साकिन देह	भूमिस्वामी	313/1	0.590	0.000	0.510	निरंक
11	राजेन्द्र अनंदासींग वल्द रामकिशुन गौड़ साकिन सुना तहसील देवरी	भूमिस्वामी	313/2	0.400	0.000	0.400	निरंक
12	जिनेन्द्र कुमार पिता कमलचंद जैन साकिन सहजपुर भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	312	2.160	0.000	0.030	निरंक
13	महेश कुमार, जिनेन्द्र कुमार पिता अजीत कुमार साकिन गंजबसौदा भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	309/2	6.420	0.000	0.110	निरंक
14	भगवानदास रघुनंदन पिता शालकराम, बल्ले, लालचंद प्रेमनारायण पिता दुलारे साकिन देह	भूमिस्वामी	305/1	1.130	0.000	1.130	निरंक
15	धनसिंग वल्द मूरतसिंग साकिन सुना तह. देवरी	भूमिस्वामी	305/2	0.800	0.000	0.800	निरंक
16	मूरतसिंग वल्द गुबंदी गौड़ साकिन सुना देवरी	भूमिस्वामी	305/3	0.330	0.000	0.330	निरंक

17	विजय सिंह वल्द भोलानाथ साकिन झिरिया सेमरा भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	308/1	0.680	0.000	0.260	निरंक
18	सीताराम पिता वालाप्रसाद साकिन अमोदा	भूमिस्वामी	317/1	0.280	0.000	0.030	निरंक
19	सोमतीबाई पुत्री हल्कू साकिन निवारी	भूमिस्वामी	326/4	3.770	0.000	0.320	निरंक
20	जीवन सिंह पिता बाबूसिंह साकिन निवारी कला	भूमिस्वामी	328/1	0.110	0.000	0.050	निरंक
21	छदामी वल्द तुलसीराम साकिन देह भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	424/1	1.620	0.000	0.150	निरंक
22	माखन उर्फ मोहन पिता छिदामी साकिन देह	भूमिस्वामी	424/2	2.840	0.000	0.200	निरंक
23	माधुरी पति राजराम साकिन देह भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	424/3	1.420	0.000	0.150	निरंक
24	प्रवेशरानी पति सत्यनाराण, मुकेश कुमार वल्द प्रहलाद साकिन कौडिया तहसील गाडरवाड़ा	भूमिस्वामी	425/2	1.100	0.000	0.250	निरंक
25	छबरानी उर्फ शांतिबाई जोजे रगवर साकिन देह	भूमिस्वामी	426	2.430	0.000	0.150	निरंक
26	कमलेश पुत्री नन्हेंवीर साकिन देह भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	451	0.500	0.000	0.160	निरंक
		भूमिस्वामी	452/3	1.440	0.000	0.080	निरंक
27	प्रमोद पिता ग्याप्रसाद साकिन देह भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	450/1	1.400	0.000	0.200	निरंक
28	प्रेमरानी पति शोभाराम साकिन देह भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	450/3	0.800	0.000	0.130	निरंक
29	आँकार पिता राजाराम साकिन देह भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	450/4	1.060	0.000	0.110	निरंक
30	दशरथ पिता राजाराम साकिन देह भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	450/5	1.050	0.110	0.000	कुआ 1
31	नरेन्द्र पिता बुधु साकिन देह भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	450/6	1.000	0.000	0.020	निरंक
32	उमाबाई पति वृन्दावन साकिन मुहली भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	460	1.920	0.000	0.160	निरंक
33	जितेन्द्र पिता देवेन्द्र साकिन देह भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	461	1.920	0.000	0.220	निरंक
34	भगवानदास पिता बारे साकिन देह भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	314/5	0.870	0.000	0.270	निरंक
35	सुरेन्द्र सिंह पिता दीपकचंद कौशिक साकिन फरीदाबाद हरियाणा	भूमिस्वामी	459	1.930	0.000	0.180	निरंक
योग:-			38	55.550	1.470	16.270	

प्रस्तावित भूमि के अर्जन से किसी भी व्यक्ति अथवा परिवार का पुनर्व्यवस्थापन किया जाना अपेक्षित नहीं है अतः पुनर्व्यवस्थापन क्षेत्र की पहचान किया जाना एवं पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थान स्कीम तैयार की जाना आवश्यक नहीं है।

अधिनियम 2013 की धारा 21 के तहत हितबद्ध व्यक्तियों को यह भी सूचित किया जाता है कि सरकार का आशय भूमि का कब्जा लेने का है और ऐसी भूमि में सभी हितों के लिए प्रतिकरों और पुनर्वास तथा प्रतिस्थापन के दावे कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) देवरी जिला सागर के कार्यालय में दिनांक 04/09/2018 को प्रातः 10.30 बजे से दोपहर 3.00 बजे तक व्यक्तिगत रूप से या अभिकर्ता द्वारा या अधिवक्ता द्वारा उपस्थित होकर भूमि में अपने-अपने हितों की प्रकृति तथा ऐसे हितों के लिए प्रतिकर के दावों की रकम और विशिष्टियाँ, धारा 20 के अधीन किए गए मापों के संबंध में आक्षेप यदि कोई हों, के साथ पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन के दावे प्रस्तुत कर सकते हैं।

भूमि के नक्शे तथा प्लान का निरीक्षण कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) देवरी जिला सागर एवं कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्रमांक-1 सागर जिला सागर के कार्यालय में किया जा सकता है।

सागर, दिनांक 27 अगस्त 2018

क्र. 130ए-82-17-18-8762.—

चुके समुचित सरकार को यह प्रतीत होता है कि अनुसूची-1 में वर्णित भूमि की, राज्य शासन के विभाग बीना पी. एम. यू. जल संसाधन विभाग सागर को बीना संयुक्त सिंचाई एवं बहुउद्देशीय परियोजना मडिया बांध निर्माण हेतु सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पढ़ने की संभावना है। इस परियोजना में निहित व्यापक लोकहित के दृष्टिगत कुछ प्रभावित व्यक्तियों का विस्थापन आवश्यक हो गया है। चूंकि परियोजना प्रशासक बीना पी. एम. यू. जल संसाधन विभाग सागर द्वारा प्रमाणित किया गया है कि परियोजना हेतु पर्यावरण स्वीकृति का प्रस्ताव क्रमांक J-12011/31/2014-IA-I द्वारा पर्यावरण स्वीकृति प्रदान की गई है। अतः अधिनियम की धारा 6(2) के परंतुक पूर्व में सामाजिक समाघात निर्धारण के उपलब्ध लागू नहीं होंगे। भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 6(2) के परंतुक अनुसार ऐसी सिंचाई परियोजना की बावत् जहां पर्यावरण समाघात निर्धारण प्रक्रिया तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के उपबंधों के अधीन अपेक्षित है, वहां इस अधिनियम के सामाजिक समाघात निर्धारण से संबंधित उपबंध लागू नहीं होंगे परियोजना के निर्माण से लगभग 236 ग्रामों की लगभग 90,000 है, भूमि सिंचित होना है एवं परियोजना के निर्माण से व्यापक लोकहित निहित है। अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार इस सार्वजनिक सूचना के जरिये सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि इसके द्वारा उक्त परियोजना हेतु निम्नानुसार भूमि का अर्जन किया जाता है।

- (1) परियोजना का नाम :- बीना संयुक्त सिंचाई एवं बहुउद्देशीय परियोजना मडिया बांध
 (2) भूमि का विवरण :-
 1. जिला सागर
 2. तहसील राहतगढ
 3. ग्राम बेहटाअलीनगर
 4. पटवारी हल्का नं. 18
 5. अर्जित भूमि का क्षेत्रफल 28.840 हे०

:: अनुसूची -01::

स.क्र.	अभिलिखित धारक का नाम व पिता का नाम	स्वामित्व का प्रकार	खसरा क्र.	क्षेत्रफल कुल रकबा हे. में.	अर्जित भूमि (रकबा हे. में.)	भूमि का प्रकार
1	जगन्नाथ पिता नंदलाल पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	130/1	0.400	0.560	
	वीरसीग भवानीसीग पिता भूरे उर्फ लक्ष्मनगीताबाई पि भूरे पता सा.देह भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	130/2	1.440		
	शेवप्रसाद पिता नन्दलाल पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	130/3	1.050		
2	जगन्नाथ पिता नंदलाल पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	184/1	0.070	0.200	
	वीरसीग भवानीसीग पि.लक्ष्मन पता सा.देह भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	184/2	0.340		
3	गोलू ना वा पि व वली रूपसिंह पि सुकई पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	188/1	0.050	1.300	
	लक्ष्मीबाई पत्नि मदनसीग पता सा.देह भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	188/2	0.750		
	दलसीग वल्द दरयावसीग पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	188/3	0.690		

	सुमित्रा बाई पत्नि रूपसींग पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	188/4	0.690		
4	भावसींग बल्द बैजनाथ पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	206/1	0.330	2.160	
	निर्भयसिंह पिता रूपसिंह पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	206/2	0.600		
	मानसींग पि दलसींग पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	206/3	0.800		
	कुन्दन सींग बल्द बैजनाथ सींग पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	206/4	1.120		
	गजराजसींग बल्द बैजनाथ निवासी ग्राम भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	206/5	1.130		
	हरीश पिता दलीप सा राहतगड पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	206/6	0.800		
5	अजीत पिता सिरदार पता सा.देह भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	102	0.100	0.100	
		भूमि स्वामी	103	0.110	0.110	
		भूमि स्वामी	105/2	0.050	0.050	
		भूमि स्वामी	106	0.180	0.180	
6	भैयालाल पिता भुजबल पता सा.खैजरामाफी भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	104/1	0.050	0.050	
		भूमि स्वामी	104/2	0.040	0.040	
		भूमि स्वामी	105/1	0.190	0.190	
7	हरीशंकर पिता पन्नालाल हरदयाल मुन्नालाल हल्के पिता हरीशंकर पता सा.खैजरामाफी भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	107	0.260	0.210	
8	राधेला वल्द निर्भयसिंह पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	108	0.300	0.280	
9	शिवप्रसाद पिता नन्दलाल पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	109/1	0.470	0.470	
10	हरनाम पिता नदलाल पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	109/2	0.480	0.480	
11	राकेश वल्दमोहनसिंह पता सा.खैजरामाफी भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	218/1	0.720	0.720	
		भूमि स्वामी	219	0.810	0.810	
		भूमि स्वामी	221	1.210	1.210	
		भूमि स्वामी	222	0.080	0.080	
		भूमि स्वामी	228	0.280	0.280	
12	महराजसींग चन्द्रभानसींग धनसींग पिस.बल्देव मन्नु श्यामलाल पिस.कामता गनेशीबाई बेवा कामता पता सा.देह भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	118	0.160	0.160	
		भूमि स्वामी	179	0.230	0.230	
13	राजेश उर्फ राजेन्द्र सिंह बल्द मोहनसींग पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	218/2	1.150	1.150	
		भूमि स्वामी	234	0.340	0.340	
		भूमि स्वामी	236/1	0.370	0.370	
		भूमि स्वामी	237	0.550	0.550	

14	गुलाब करौडी पिस नन्नाई रगवीर धनराज परषोत्तम रेवाराम शिवराज संदीप पिता हरकिशन शीला पुत्री हरकिशन गोमती बेवा हरकिशन रामवती पुत्री तुलसीबब्बू पिता आलम प्यारीबाई पुत्री आलम सरस्वती बेबा आलम पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	118/240	0.250	0.250	
15	ललित अकित पिता बृजमोहन पता सा.राहतगढ़ भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	173/1	1.270	1.100	
16	वीरसीग भवानीसीग पि.लछमन पता सा.देह भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	173/2	0.400	0.400	
17	ललित नारायण वल्दब्रजमोहन पता सा.राहतगढ़ भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	173/3	1.200	0.370	
18	कन्हेदी वल्द बुद्धा पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	173/5	1.570	0.200	
		भूमि स्वामी	177	0.100	0.100	
19	गनपतसिंह वल्द दरयाव पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	178/1	0.230	0.230	
20	गोलू ना वा पि व वली रूपसिंह पि सुकई पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	178/2	0.010	0.010	
		भूमि स्वामी	194	0.420	0.420	
21	सीताराम पिता शकरलाल पता सा.खैजरामाफी भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	181	0.310	0.310	
		भूमि स्वामी	216	0.190	0.190	
		भूमि स्वामी	223	0.370	0.370	
		भूमि स्वामी	238/3	0.110	0.110	
22	गोटीराम पिता शकरलाल पता सा.खैजरामाफी भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	182/2	0.200	0.200	
		भूमि स्वामी	198	1.890	0.270	
		भूमि स्वामी	238/2	0.100	0.100	
23	राजाबाई बेबा मोहनसीग पता सा.खैजरामाफी भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	182/1	0.210	0.210	
		भूमि स्वामी	224/242	0.150	0.150	
		भूमि स्वामी	238/1	0.210	0.210	
24	जगन्नाथ पिता नंदलाल पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	183	0.040	0.040	
25	सुमित्रा बाई पत्नि रूपसीग पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	189	0.110	0.110	
		भूमि स्वामी	191	0.110	0.110	
26	बैजनाथपि.दरयाव पता सा.देह भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	190	0.040	0.040	
27	रूपसीग वल्द सुकई पता सा.खैजरामाफी भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	192	0.220	0.220	
		भूमि स्वामी	196/245	0.900	0.140	
28	दरयाव पिता काशीराम निवासी सा देह	भूमि स्वामी	193/1	0.020	0.020	
29	जितेन्द्रकुमार पिता रूपसीग पता सा.खैजरामाफी भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	193/2	0.760	0.760	
30	रामकिशन बल्द सुखई पता सा.खैजरामाफी भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	195	0.080	0.080	
31	शेवप्रसाद हरजान पिस.हल्के पता सा.खैजरामाफी भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	207/1	0.060	0.060	
		भूमि स्वामी	211	0.130	0.130	
		भूमि स्वामी	212/1	0.150	0.150	
32	वैजन्तीबाई पत्नि सूरजसीग पता सा. खैजरामाफी भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	207/2	0.070	0.070	
		भूमि स्वामी	212/2	0.260	0.260	
33	कमलेश पिता रामसीग पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	208	0.070	0.070	
34	कुन्दन सीग बल्द बैजनाथ सीग पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	209/1	0.360	0.360	

35	दलसीग वल्द दरयावसीग पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	209/2	0.04	0.04	
36	गोपाल छोटेलापिता रामसीग पता सा.देह भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	210	0.110	0.110	
37	हरीराम वल्द मोहनसीग पता सा.खैजरामाफी भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	214/1	0.800	0.800	
		भूमि स्वामी	217	0.750	0.750	
		भूमि स्वामी	224/1	0.530	0.530	
		भूमि स्वामी	225	0.560	0.560	
		भूमि स्वामी	226	0.360	0.360	
38	शिवराजसीग वल्द परषोतम पता सा.खैजरामाफी भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	214/2	0.780	0.780	
		भूमि स्वामी	214/4	0.400	0.400	
39	अशोक वल्द नदकिशोर पता सा.खैजरामाफी भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	214/3	1.180	1.180	
40	भागचंद पिता ग्याप्रसाद पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	227/1	0.400	0.400	
		भूमि स्वामी	227/2	0.380	0.380	
41	जमुनाबाई कृष्णाबाई कुसुमबाई प्रीतमबाई पिता रामचरन दलीप पिता रामचरन पता सा देह भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	230	0.780	0.780	
		भूमि स्वामी	233	0.040	0.040	
42	प्रेमसीगपिता शिवलाल पता सा.देह भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	229	0.720	0.720	
43	बलबंत पिता मुन्ना सुषमा वा बर्षा वा संध्या नाबा पिता मुन्ना बली व खुद मा राजबाई बेबा मुन्ना पता सा.खैजरामाफी भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	231	0.490	0.490	
44	वब्लू उफ बलवत पिता मुन्ना पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	231/244	0.230	0.230	
		भूमि स्वामी	236/2	0.190	0.190	
कुल योग			90	39.700	28.840	

राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक-एफ 16-15-(7)2014-सात-शा, 2 ए भोपाल, दिनांक 29.09.2014 जिसका मध्यप्रदेश राजपत्र दिनांक 03.10.2014 के पृष्ठ क्रमांक-2895 पर प्रकाशन किया गया है के द्वारा प्रत्येक जिले में कलेक्टर कार्यालय की भू-अर्जन शाखा के प्रभारी अधिकारी को, जो डिप्टी कलेक्टर से अनिम्न श्रेणी का होगा और उसके सेवकों, कर्मकारों या उसके निर्देश के अधीन कार्य करने वाले किसी अन्य व्यक्ति को उस जिले के भीतर अधिनियम की धारा 12 के उपबंधों को क्रियान्वित करने के लिए प्राधिकृत किया गया है। अतः उक्त अधिसूचना के परिपालन में प्रभारी अधिकारी भू-अर्जन शाखा सागर को अधिनियम की धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये निर्देशित किया जाता है। अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) राहतगढ एवं परियोजना प्रशासक बीना पी. एम. यू. जल संसाधन विभाग सागर प्रभारी अधिकारी, भू-अर्जन शाखा जिला सागर के निर्देशन में कार्य करते हुये आवश्यक सहयोग प्रदान करेंगे।

राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक-एफ 16-15-(7)2014-सात-शा, 2 ए भोपाल, दिनांक 29.09.2014 जिसका मध्यप्रदेश राजपत्र दिनांक 03.10.2014 के पृष्ठ क्रमांक-2895 पर प्रकाशन किया गया है के द्वारा अधिनियम की धारा 43 की उपधारा (1) के तहत भू-अर्जन शाखा के प्रभारी अधिकारी को, जो डिप्टी कलेक्टर से अनिम्न श्रेणी का होगा को पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन प्रशासक के रूप में नियुक्त किया गया है। अतः प्रभारी अधिकारी भू-अर्जन शाखा जिला सागर को अधिनियम की धारा 16 द्वारा पुनर्व्यवस्थापन स्कीम तैयार कर प्रस्तुत करेंगे। इस कार्य में अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) राहतगढ एवं परियोजना प्रशासक बीना पी. एम. यू. जल संसाधन विभाग सागर समुचित सहयोग करेंगे एवं प्रशासक के निर्देशानुसार कार्यवाही करते हुये निर्धारित समयसीमा में कार्य पूर्ण करेंगे।

अधिनियम की धारा 11(4) के पृष्ठ के अधीन कोई भी व्यक्ति कलेक्टर के पूर्व अनुमोदन के बिना ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा। या कोई भी संव्यवहार नहीं होने देगा अर्थात्, क्रम विक्रय आदि नहीं करेगा या ऐसी भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा।

अधिनियम की धारा 15(1) के अधीन यथा उपबंधित इस सूचना के प्रकाशन की तारीख से 60 (साठ) दिनों के भीतर किसी भी इच्छुक व्यक्ति द्वारा भूमि अर्जन के बारे में कलेक्टर के समक्ष (कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) राहतगढ में) आपेक्ष यदि कोई हो फाईल किए जा सकेंगे।

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) राहतगढ एवं परियोजना प्रशासक बीना पी. एम. यू. जल संसाधन विभाग सागर के कार्यालय में किया जा सकता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आलोक कुमार सिंह, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला बैतूल, मध्यप्रदेश एवं समुचित सरकार मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

बैतूल, दिनांक 14 अगस्त 2018

क्र. 17अ-82-2017-18-परसठानी-10208.—

चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची (1) में वर्णित भूमि की कालम नम्बर 5 में वर्णित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है। इस हेतु अनुसूची -2 में वर्णित भूमिस्वामियों की भूमियों का, भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (कमांक 30 सन 2013) की धारा 19 के अन्तर्गत, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:-

अनुसूची-1

जिला	तहसील	नगर/ग्राम	अर्जित रकबा (लगभग) क्षेत्रफल(हे०में)	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
1	2	3	4	5
बैतूल (म०प्र०)	मुलताई	परसठानी	7.411	महिलावाडी जलाशय

अनुसूची - 2

(प्रभावित धारको की सूची)

अ०क्र०	खसरा नम्बर	रकबा हे० में	अर्जन की भूमि का रकबा हे० में	धारक का नाम
1	2	3	4	5
1	344/1	0.809	0.081	पिरथीलाल वल्द तुलसीराम, कमलाबाई, लीलाबाइ पिता तुलसीराम, आंनदी बाई बेवा तुलसीराम सा.देह
	344/4	0.065	0.065	
2	344/5	0.329	0.329	बन्टी ना.बा. वल्द पिरथीलाल वली मां खुद सा. देह
3	498/6	1.901	0.041	अमरसिंग वल्द छननूलाल पंवार सा. देह
4	344/3	0.607	0.202	अनिता पिता श्यामराव पंवार सा.देह
	513/2	0.809	0.164	
5	520/2	0.279	0.021	श्यामू वल्द मंगरया सा.देह

6	522/2	0.081	0.081	सुनिता पति मनोहर सा.देह
	522/3	0.114	0.114	
7	523	0.639	0.364	चुन्नीलाल वल्द जगन महेरा सा. देह
8	524	0.465	0.365	चैत्या अमरसिंह जग्गू वल्द शिवपाल रुखमी बेवा शिवपाल दुपदी पिता शिवपाल सा. देह भूमि
9	528/1	0.100	0.052	दिनू वल्द जेतू सा. देह भूमि
10	528/2	0.709	0.474	माखन, सुरेश वल्द जेतू ज्योती बेवा जेतू टूकारी बेवा खुसया सा.देह भूमि
11	534/2	4.695	1.821	पेकी जोजे नान्हा सा. देह भूमि
12	535/1	1.821	1.821	देवकी पिता साहेबलाल, देवेन्द्र जितेन्द्र वल्द साहेबलाल, पंवार सा. देह टाटरू वल्द मौजी घुड़ी रोडकी वल्द मौजी, भागवत वल्द सावजी नखेली पिता सावजी, लोटन राजू, श्रीराम वल्द डेपल्या, भैया, मेका, सुनिता, ललीता पिता डेपल्या फुस्या बेवा डेपल्या नक्षोली पिता सावजी, मनीराम वल्द टाटरू
13	536	0.587	0.587	बल्लू, श्यामलाल वल्द गोरेलाल सा.देह
14	537/1	0.267	0.267	टाटरू वल्द मौजी धुरी, रोडकी पिता मौजी सा. देह भूमि
15	537/2	0.215	0.215	भागवत वल्द सावजी नखोली पिता सावजी पंवार सा.देह
16	537/3	0.080	0.080	लोटन, राजू, श्रीराम वल्द डेपल्या, भैया, मेका सुनिता, ललीता पिता डेपल्या, फुस्या बेवा डेपल्या नक्षोली पिता सावाजी भूमि स्वामी
17	537/4	0.267	0.267	मनीराम वल्द टाटरू पंवा सा.देह
कुलयोग :-			7.411	

(2)- चूंकि महिलावाडी जलाशय योजना के बांध, हेतु हितबद्ध व्यक्तियों में से कोई भी व्यक्ति का विस्थापन नहीं होने से धारा 19 की उपधारा (2) के तहत पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन स्कीम का सार प्रकाशित करने की आवश्यकता नहीं है।

(3)- भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी (रा) मुलताई के कार्यालय में किया जा सकता है।

(4)- समुचित सरकार की वेबसाईट www.betul.nic.in पर भी अपलोड किया गया है।

क्र. 21अ-82-17-18-10059.—

चूंकि समुचित सरकार को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची (1) में वर्णित भूमि के कालम नम्बर 5 में वर्णित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है। इस हेतु अनुसूची -2 में वर्णित भूमिस्वामियों का, भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकार और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (कमांक 30 सन 2013) की धारा 19 के अन्तर्गत, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:-

अनुसूची-1

जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल(हे०में)	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
1	2	3	4	5
बैतूल (म०प्र०)	मुलताई	नांदकुड़ी	36.107	पारसडोह मध्यम उद्वहन सिंचाई परियोजना

अनुसूची - 2

(प्रभावित धारको की सूची)

अ०क्र०	खसरा नम्बर	रकबा हे० में से	अर्जन की भूमि का रकबा हे० में	धारक का नाम
1	2	3	4	5
1	37/2	1.092	1.092	सुकचंद तिलक व दमडू सुगंती, धुरवंती, शांता पिता दमडू पता सा.देह भूमि स्वामी
	37/4	0.121	0.121	
	38/1	0.202	0.202	
	38/3	0.447	0.447	
	51	0.275	0.275	
	54/1	0.632	0.632	
	54/3	0.291	0.291	
2	39	1.501	1.501	सूदन अभिराम व० प्यारेलाल ईमला लीला उर्मिला रमल शुशीकला पिता प्यारेलाल भूमिस्वामी मंगली पिता अंछाराम सावजी व० परसराम सुनीता बेवा गुलाबराव शांता बेवा विजय शंकर झनकलाल व० विजय शंकर मीना उमा पिता विजयशंकर सुखदेव हेमराज धनराज उर्फ सिटटी विशनु किशनलाल व० तुलसीराम मीरा सुगंती रामरती फुलवंती कलावंती निर्मला पिता तुलसीराम जाति किराड सा०देह
	47/2	2.033	1.060	
	48/2	3.101	3.101	

3	40	0.267	0.267	रामकिशन, मनोहर, जवाहरलाल, चन्द्रभान व0 फत्या रामप्यारी, अनुसया, निर्मला पिता फत्या, श्रीराम किशोरी हरीराम, दीनू व. नत्थू, अंजीरा, प्रमिला, पूरभा पिता नत्थू जाति किराड पता निवासी ग्राम भूमिस्वामी,
	44	1.594	1.594	
	47/1	2.034	1.160	
	48/1	4.347	4.347	
	63	4.117	3.817	
	176/1	2.852	0.100	
4	264	0.162	0.162	रामकिशन, मनोहर, जवाहरलाल, चन्द्रभान व0 फत्या रामप्यारी, अनुसुईया, निर्मला पिता फत्या, श्रीराम किशोरी हरीराम, दीनू व. नत्थू, अंजीरा, प्रमिला, पूरभा पिता नत्थू ————— सूदन अभिराम व0 प्यारेलाल ईमला, लीला, उर्मिला रमल, शुशीकला पिता प्यारेलाल मंगली पिता अंछाराम साठ्ठाजी व0 परसराम, सुनिता बेदा गुलाबराव, शांता बेवा विजय शंकर, इनकलाल व0 विजयशंकर, भीना उमा पिता विजयशंकर, सुखदेव हेमराज, धनराज उर्फ सिट्टी, विशनु किसनलाल व0 तुलसीराम मीरा, सुगनती रामरती फुलवंती कलावन्ती निर्मला पिता तुलसीराम जाति किराड भूमि स्वामी भू राजस्व बिलमुक्ता
	266	1.668	1.378 °	
5	262	0.146	0.146	रामकिशन, मनोहर, जवाहरलाल चन्द्रभान व0 फत्या रामप्यारी, अनुसया, निर्मला पिता फत्या श्रीराम किशोरी हरीराम, दीनू व. नत्थू अंजीरा, प्रमिला, पूरभा पिता नत्थू पता सा देह भूमि स्वामी
	263	0.202	0.202	
	265	0.162	0.162	
	267	0.129	0.129	
6	281/1	0.399	0.399	परसराम व गोन्दाजी जाति किराड सा0देह
	280	0.287	0.287	
7	281/5	0.204	0.204	भिल्लू तुलाराम व रतन मुनीराज गुड्डू व लखन रीता पिता लखन किराड सा0देह भूमिस्वामी
	291/3	0.189	0.189	
8	288	0.162	0.162	लक्ष्मण, घनश्याम व. भैया, केवल, अनोपी मंगली पिता भैया सेंगो बे0 चेपा, चन्द्रभान दिलिप व0 चेपा घुडो पिता चेपा जाति मेहरा पता सा.देह भूमि स्वामी
9	296/1	0.122	0.122	बटन बेवा डोमा, रामकिशन मनोहर जवाहर चन्द्रभान व0 फत्या रामप्यारी अनुसुया निर्मला पिता फत्या श्रीराम, किशोरी हरिराम, दीनू व. नत्थू अंजीरा, प्रमिला, पूरभा पिता नत्थू सा.देह भूमि स्वामी माखन मधुसूदन केदार व0 मल्या सोमती शांता प्रमिला पिता मल्या अरविंद व0 भदया पुष्पा लल्ली पिता भदया मालती बेवा भदया
	308/1	1.525	1.525	
	312/1	0.104	0.104	
	313/1	0.040	0.040	
10	296/3	0.122	0.122	रूरतलाल पिता बलीराम जाति किराड सा0 देह
	308/3	0.079	0.079	
11	329/2	0.433	0.303	शोभाराम कलीराम व. अमरलाल किराड सा. देह

12	37/1	0.607	0.607	तुलसिया बेवा चैत्या भीमराव आनंदराव व० चैत्या जाति किराड सा०देह भूमिस्वामी
	37/3	1.531	1.531	
	38/2	0.299	0.299	
	49	0.571	0.571	
	54/2	0.291	0.291	
13	15	0.417	0.417	सूखचन्द उर्फ सूरपचंद व० तुरसी जाति किराड पता सा०देह भूमिस्वामी
	22	0.943	0.943	
	35	0.336	0.336	
14	268	1.267	1.217	चंद्रकिशोर व० रामदयाल किराड सा० मांडवी
15	300	0.065	0.065	सदाराम व० रामलाल किराड सा०देह
	302	0.126	0.126	
	310/2	0.405	0.405	
	311	0.923	0.923	
16	281/8	0.271	0.271	परसराम बकाराम व० गोंदाजी तानी पिता गोंदाजी सोमती बेवा फुलचंद रेखा, लली, बाली पिता फुलचंद ममता बेवा सुरेश राहुल चिंटू व० सुरेश रानू पिता सुरेश जाति किराड सा०देह
17	61/1	0.540	0.540	खुशरंग मदन कृष्णा जितेन्द्र व० भदया उर्फ नान्हूलाल सोमती बेवा किसनू ग्यारसी बेवा भदया उर्फ नान्हूलाल जाति किराड पता नि० देवडोगरी
18	270/1	0.073	0.073	माखन मधुसदन ओमकार केदार व० मल्या सोमती शांता प्रमिला पिता मल्या मालती बेवा भदया अरविंद व० भदया पुष्पा लल्ली पिता भदया सा०देह
	310/1	0.701	0.260	
19	290	0.546	0.546	गन्नू धनराज वसंत व० चैतराम सकुन द्वारका पिता चैतराम जाति मेहरा सा०देह
	293	0.449	0.449	
20	314	0.664	0.070	बटन बेवा डोमा भजनलाल नामदेव बलदेव व० साहेबलाल विमला उर्फ शिवरती पिता साहेबलाल तुलसु उर्फ तुलसी बेवा रामरतन नंदकिशोर सुदामा सेवाराम व० रामरतन लीला सुशिला उर्फ ध्रुववती पिता रामरतन हेमू हेमचंद व० पुरुषोत्तम कमल, रमल उर्फ भागरती सुशीला पिता पुरुषोत्तम सा०देह
21	53/1	0.601	0.040	फत्या व० शिवजी सा०देह भूमिस्वामी

22	297	0.324	0.324	सदाराम व० रामलाल सरोपी बेवा बलीराम संतोष बिनवंतराव सुरतलाल व० बलीराम चैती पिता बलीराम घनश्याम व. मलूकचंद बटन बेवा डोमा सोमदेव व० कली सुनिता राधिका फुलवंती पिता कली माखन मधुसूदन ओमकार केदार व० मल्या सोमती शाता प्रमिला पिता मल्या मालती बेवा भदया अरविंद व० भदया पुष्पा लल्ली पिता भदया, भदया हेमराज भारत व० अंछाराम अनिता रामप्यारी पिता अंछाराम, रैना पिता दसरू जाति किराड सा०देह भूमिस्वामी
23	275/2	0.081	0.081	जीवनदास धर्मराज व० भूता उर्फ आशाराम शोभा रेखा प्रेमा पिता भूता उर्फ आशाराम प्रफुल्ल व० मुकेश आरती पिता मुकेश सा०देह
योग	57	43.072	36.107	

(2) चूंकि पारसडोह मध्यम उद्वहन परियोजना हेतु हितबद्ध व्यक्तियों की भूमि का अर्जन प्रस्तावित है, जिसमें कोई भी व्यक्ति का विस्थापन नहीं होने से धारा 19 की उपधारा (2)के तहत पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन स्कीम का सार प्रकाशित करने की आवश्यकता नहीं है।

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी मुलताई के न्यायालय में किया जा सकता है।

(4) समुचित सरकार की वेबसाइट www.betul.nic.in पर भी अपलोड किया गया है।

बैतूल, दिनांक 20 अगस्त 2018

क्र. 16अ-82-17-18-महिलावाडी-10218.—

चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची (1) में वर्णित भूमि की कालम नम्बर 6 में वर्णित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है। इस हेतु अनुसूची -2 में वर्णित भूमिस्वामियों की भूमियों का, भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (क्रमांक 30 सन 2013) की धारा 19 के अन्तर्गत, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:-

अनुसूची-1

जिला	तहसील	नगर/ग्राम	अर्जित रकबा लगभग) क्षेत्रफल(हे०में	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
1	2	3	5	6
बैतूल (म०प्र०)	मुलताई	महिलावाडी	5.279	महिलावाडी जलाशय

अनुसूची - 2

(प्रभावित धारकों की सूची)

अ०क्र०	खसरा नम्बर	रकबा हे० में	अर्जन की भूमि का रकबा हे० में	धारक का नाम
1	2	3	4	5
1	307	1.761	0.364	कचरया वल्द हरबू पंवार सा.देह भूमि स्वामी
	311/6	3.029	1.648	
	313	1.619	1.619	
2	345/1	0.759	0.759	शंकरलाल, मनीराम, वल्द आशाराम, सरावन रामकुंवर वल्द शोभाराम बुलका मरनू, मेनू पिता शोभाराम पंवार सा. डहुआ भूमिस्वामी

3	345/2	1.224	0.224	दयाराम पिता मौजीलाल पंवार सा.देह
4	347/4	0.104	0.012	चन्द्रभान वल्द बाजीलाल जाति पंवार साकिन देह भूमि स्वामी
5	347/5	0.104	0.008	लवकुश वल्द बाजीलाल सा.देह भूमि स्वामी
6	351/2	0.498	0.105	बीरबल वल्द कालू जाति पंवार साकिन डहुआ
7	351/3	0.384	0.040	राखी जौ. रमेश, जाति अग्रवाल साकिन मुलताई भूमि स्वामी
8	366/40	0.317	0.004	कैलाश, मुन्ना, लहराम वल्द गिरधारी निर्मलाबाई पिता गिरधारी गिरजा बेवा गिरधारी मनीराम, तेजीलाल वल्द नसरू देवला, सुगना पिता नसरू जाति पंवार साकिन देह
9	354/3	0.120	0.008	विनोदी वल्द हीरालाल जाति पंवार साकिन डहुआ
10	356/8	0.092	0.004	विनोदी वल्द ढोडिया जाति पंवार साकिन देह भूमि स्वामी
11	356/9	0.080	0.020	झूमक, किसन वल्द मेजर, मीरा, भागरती पिता मेजर जाति पंवार
	366/36	0.656	0.021	
12	356/10	0.050	0.020	बिरबल वल्द काल्या, धनराज, गनराज योगेश पिता सालकराम, कुसुमबाई पिता सालकराम, बायाबाई बेवा सालकराम मथरा पिता काल्या जाति पंवार साकिन चौथिया
	366/39	0.219	0.008	
13	356/11	0.050	0.021	गोडन जौ. मन्ना पाण्डू बग्गू वल्द नान्हू दसिया गोंडन पितामोहपत जाति पंवार सा.देह भूमि स्वामी
	366/38	0.215	0.021	

14	366/22	0.162	0.008	तुलसीराम वल्द दल्लू काशी बेवा दयाराम मिसटिक, माधोरी ना.बा.पिता दयाराम वली मा काशी बेवा दयाराम जाति पंवार साकिन देह
15	366/30	0.182	0.012	बोंदर वल्द नान्हु फुलमत जौ. कारू जाति पंवार साकिन देह
	366/31	0.182	0.008	
16	366/32	0.182	0.012	बोंदर, कारू वल्द नान्हु सुकी पिता नान्हु जाति पंवार साकिन देह भूमि स्वामी
17	366/35	0.183	0.012	ओझा वल्द गोपाल रमुनी पिता गोपाल साकिन देह
18	366/37	0.218	0.021	कलावती जौ. प्यारेलाल साकिन देह भूमि स्वामी
19	336/1	0.333	0.150	मैना सुहागा पिता मानिकराव कपूरा बेवा मारोती रामदास नेहरू मदन वल्द मारोती कमला इन्दू पिता मारोती विनोदी मोहन व0 हरबा नान्हा पिता हरबा मारोती कन्हैया वल्द गोपाल कुशना राधेलाल गेन्दलाल वल्द शिवजी द्वारका दुर्गा पिता शिवजी जाति पंवार सुरजू पिता डोमा गुलस बेवा सोनबा पूनी यमुना वल्द केशो संगीता पिता पिरथी कमलेश दुर्गेश व0 पिरथी पंवार सा0 देह
20	336/2	0.571	0.150	कन्हैया व0 केशो बटनी बेवा केशो संगीता पिता पिरथी कमलेश दुर्गेश ना. बा.व. पिरथी पंवार सा0 देह
कुलयोग :-		12.723	5.279	

(2)- चूंकि महिलावाडी जलाशय योजना के बांध, हेतु हितबद्ध व्यक्तियों में से कोई भी व्यक्ति का विस्थापन नहीं होने से धारा 19 की उपधारा (2) के तहत पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन स्कीम का सार प्रकाशित करने की आवश्यकता नहीं है।

(3)- भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी (रा) मुलताई के कार्यालय में किया जा सकता है।

(4)- समुचित सरकार की वेबसाईट www.betul.nic.in पर भी अपलोड किया गया है।

क्र. 32अ-82-17-18-लिहदा-10216—

चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची (1) में वर्णित भूमि की कालम नम्बर 6 में वर्णित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है। इस हेतु अनुसूची -2 में वर्णित भूमिस्वामियों की भूमियों का, भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (कमांक 30 सन 2013) की धारा 19 के अन्तर्गत, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:-

अनुसूची-1

जिला	तहसील	नगर/ग्राम	अर्जित रकबा लगभग) क्षेत्रफल(हे०में)	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
1	2	3	5	6
बैतूल (म०प्र०)	मुलताई	लिहदा	113.728	लिहदा जलाशय

अनुसूची - 2

(प्रभावित धारको की सूची)

अ०क्र०	खसरा नम्बर	रकबा हे० में	अर्जन की भूमि का रकबा हे० में	धारक का नाम
1	2	3	4	5
1	54 / 8	0.267	0.167	गुलाबराव व भीमराव जाति कुन्बी सा देह भूमि
	89 / 4	0.445	0.060	
2	87	0.546	0.546	रामकृष्णा व रावजी सा.देह भूमि स्वामी
3	90 / 8	0.276	0.276	आनंदराव उर्फ सुरेश वल्द चिन्धु जाति कुन्बी सा.देह भूमि स्वामी
	90 / 1	0.224	0.224	
	442 / 2	0.154	0.154	
	443 / 2	0.304	0.304	
	443 / 5	0.086	0.086	
	455 / 1	0.580	0.580	

4	90 / 2	0.297	0.297	रमेश वल्द चिन्धु जाति कुन्बी सा.देह भूमि स्वामी
	90 / 7	0.453	0.453	
	442 / 1	0.155	0.155	
	443 / 2	0.305	0.305	
	443 / 4	0.085	0.085	
	455 / 2	0.541	0.541	
5	90 / 3	0.269	0.200	भागरती बेवा काशीराम, प्रकाश सुभाष, कैलाश वल्द काशीराम इन्दिरा, मुनिता बाली काशी पुन्जी गुन्ता मालता ललीता पिता काशीराम जाति कुन्बी सा.देह भूमि स्वामी
6	90 / 4	0.335	0.150	उत्तमराव वल्द गोविन्दराव जाति कुन्बी सा.देह भूमि स्वामी
	90 / 6	0.178	0.178	
7	90 / 5	0.380	0.380	हेमराज वल्द किसना जाति कुन्बी सा. देह भूमि स्वामी
	91 / 8	0.360	0.060	
	456 / 1	0.575	0.575	
8	92 / 1	2.175	1.000	नत्थू वल्द हिरू सा.देह भूमि स्वामी
	143	2.797	2.797	
	145	0.324	0.324	
9	92 / 2	0.081	0.041	शान्ता जौ सदाराम सा.देह भूमि स्वामी
	146	0.486	0.243	
10	94 / 1	1.134	1.134	सुभाष वल्द गोन्दया जाति कुन्बी सा.देह भूमि स्वामी

11	94 / 2	4.767	4.160	सहादेव वल्द राधो सा.देह भूमि स्वामी
12	94 / 3	1.011	1.011	अजाबराव वल्द संतोषराव जाति कुन्बी सा.देह भूमि स्वामी
13	96	0.077	0.039	राजेश वल्द महादेव कोल्ही मकू पिता महादेव तानी बेवा महादेव पता सा0देह भूमि स्वामी लहेजा बेवा सहादेव बाबूराव व0 सहादेव बकु सकू काला सिन्धू पिता सहादेव पता सा.देह भूमि स्वामी इन्दू नाबापिता सहादेव वलीमां पता सा0देह
	99	2.205	0.445	
14	108 / 2	0.372	0.186	विश्वनाथ वल्द श्यामराव जाति कुन्बी सा.देह भूमि स्वामी
15	108 / 3	0.971	0.081	परसराम वल्द बाबूराव जाति कुन्बी सा. देह भूमि स्वामी
	108 / 4	0.790	0.141	
16	110 / 2	0.345	0.345	पाण्डूरंग व मारोती मनी पिता सोनया जाति कुन्बी सा.देह भूमि स्वामी
	116 / 6	0.109	0.109	
17	116 / 2	0.214	0.214	गंगाराम वल्द मारोती सा.देह भूमि स्वामी
	110 / 4	0.247	0.247	
	114 / 2	0.053	0.053	
	116 / 5	0.121	0.121	
18	149 / 1	0.089	0.041	सहादेव, सदाराम वल्द गामा सा.देह भूमि स्वामी
19	406	0.971	0.141	मन्या व0 शिवराम सा.देह भूमि स्वामी
20	144	0.713	0.713	मानिकराव वल्द बाबूराव जाति कुन्बी सा.देह भूमि स्वामी
21	41	0.109	0.109	मिदू व0 मारोती सा.देह भूमि स्वामी

22	147	0.906	0.800	हरिशंकर, सुखदेव वल्द महादेव, सिन्धु उर्फ इन्दु बाला पिता महादेव संतोष वल्द नत्थू काशी ललीता पिता नत्थू सा.देह भूमि स्वामी
23	162	1.870	0.101	विजय व गुलाब सा.देह भूमि स्वामी
24	163	1.012	0.303	भगवन्तराव वल्द अनन्दा ईठा बेवा आनन्दा दुर्गा पिता अनन्दा जाति कुन्बी सा.देह भूमि स्वामी
	417		0.041	
25	164 / 2	0.202	0.202	रामकृष्ण वल्द माधोराव सा.देह भूमि स्वामी
	415	0.315	0.315	
26	112	0.923	0.923	गुलाबराव, गेंदराव वण गना सा.देह भूमि स्वामी
	113	0.538	0.538	
	115	0.202	1.724	
	117	1.085	1.085	
27	116 / 8	0.316	0.316	तानी बेवा गनपति जाति कुन्बी सा.देह भूमि स्वामी
	116 / 1	0.316	0.316	
28	135 / 2	1.085	1.085	संतोष वल्द वारल्या जाति कुन्बी सा.देह भूमि स्वामी
29	135 / 1	1.412	1.412	कोडया व बारल्या जाति कुन्बी सा.देह भूमि स्वामी
30	131	1.922	1.922	भूरा वल्द शिवराम जाति कुन्बी सा.देह भूमि स्वामी
	132	1.841	1.841	
	133 / 2	0.081	0.081	

31	130	2.493	2.493	ज्ञानराव, बाबूराव वल्द नत्थ्या सुशीला चंद्रकला पिता नत्थ्या जाति कुन्बी सा.देह भूमि स्वामी
	133 / 1	1.574	1.574	
32	129 / 1	0.950	0.950	तानी बेवा गनपति जाति कुन्बी सा.देह भूमि स्वामी
33	129 / 2	0.204	0.204	पाण्डूरंग व मारोती मनी पिता सोनया जाति कुन्बी सा.देह भूमि स्वामी
	116 / 3	0.211	0.211	
	111 / 2	0.280	0.280	
34	129 / 3	0.398	0.398	गंगाधर वल्द मारोती जाति कुन्बी सा. देह भूमि स्वामी
35	129 / 4	0.297	0.297	लिलाङ्गर वल्द नाराती
	116 / 7	0.109	0.109	
	116 / 4	0.210	0.210	
	129 / 6	0.053	0.053	
36	128 / 5	2.008	0.081	अजाबराव वल्द सीताराम जाति कुन्बी सा.देह भूमि स्वामी
37	128 / 7	0.434	0.041	दयाराम वल्द गेन्दु जाति कुन्बी सा.देह भूमि स्वामी
38	128 / 11	0.271	0.271	यादोराव वल्द गेन्दु कुन्बी सा.देह भूमि स्वामी
39	128 / 10	0.263	0.240	माधोराव वल्द गेन्दु जाति कुन्बी सा.देह भूमि स्वामी
40	128 / 9	0.271	0.135	भीमराव वल्द गेन्दु जाति कुन्बी सा.देह भूमि स्वामी
41	136	3.472	3.270	जगन्नाथ व0 लुंगा सा.देह भूमि स्वामी

42	140	2.237	2.237	प्रकाश, सुभाष कैलाश वल्द काशीराम भागरती बवा काशीराम पुंजी, गुन्ता मालता ललीता इन्दिरा सुनिता बाली पिता काशीराम जाति कुन्बी सा.देह भूमि स्वामी
	139	1.461	1.097	
43	141 / 4	0.270	0.270	कमला जी रघुनाथ सा.देह भूमि स्वामी
44	141 / 3	0.405	0.405	सिन्धु जी काशीराम जाति कुन्बी सा.देह भूमि स्वामी
45	141 / 2	0.134	0.134	सुरेश व गेन्दा अंजोरा, हिरा पिता गेन्दा सा.देह भूमि स्वामी
46	141 / 1	1.700	1.700	रघुनाथ, काशीनाथ व गना सा.देह भूमि स्वामी
47	149 / 2	0.089	0.061	तुरसी बेवा गंगाराम, धनराज वल्द गंगाराम जाति कुन्बी सा.देह भूमि स्वामी
48	150	0.174	0.008	देवेंद्र कुमार व भूरा सा.देह भूमि स्वामी
49	407 / 1	0.445	0.445	गना वल्द पुन्ज्या जाति कुन्बी सा.देह भूमि स्वामी
50	407 / 2	0.474	0.303	कमरजा बेवा भूरा गोविन्दराव अनिल व. भूरा कुन्बी सा.देह भूमि स्वामी
	494 / 1	1.616	0.546	
	463 / 2	0.599	0.599	
51	408	0.623	0.623	कमरजा बेवा विटठलराव किसना, दशरथ वल्द विटठलराव मीना, शीला पिता विटठलराव जाति कुन्बी सा.देह भूमि स्वामी
	433	0.202	0.202	
	436	0.822	0.822	
	438	1.182	1.182	
	520	0.809	0.647	
	451	0.336	0.336	

	518	0.376	0.202	
52	409 / 1	0.296	0.296	दिनेश, रामनाथ वल्द दयाराम सा.देह भूमि स्वामी
	409 / 2	0.149	0.149	
	409 / 3	0.150	0.150	
	434 / 1	0.022	0.022	
	434 / 2	0.023	0.023	
	435 / 1	0.497	0.497	
	435 / 2	0.450	0.450	
53	410	0.113	0.113	शांताबाई बेवा सदाराम सोनबा वल्द सदाराम मनीषा बेवा शैलेश यश लक्ष्मी (पिता) शैलेश वलीमां मनीषा सा.देह भूमि स्वामी
	414	0.097	0.097	
	416	0.316	0.162	
54	412	0.093	0.093	सिन्धू बेवा यादोराव सुनील, सतीश वल्द यादोराव सुनिता सुरेखा पिता यादोराव इठाबाई बेवा अनिल अंकुर व0 अनिल रुचि प्राची ना0बा0पि0 अनिल वलीमां इठाबाई शैलेन्द्र व0 पंडरी शोभिका पिता पंडरी जाति कुंबी सा.देह भूमि स्वामी
55	413	0.093	0.093	रामराव वल्द श्यामराव
56	411	0.097	0.097	चन्द्रभाग बेवा गंगाराम चन्द्रकिशोर, हरिशंकर कान्तेश्वर, सुरेश कुमार वल्द गंगाराम प्रमीला पिता गंगाराम सा.देह भूमि स्वामी
57	431	1.158	1.000	नागोराव वल्द मल्लू जाति कुन्बी सा.देह भूमि स्वामी
58	481 / 2	0.648	0.648	दिनेश, प्रदीप वल्द सोनबा कौसु, सुमित्रा पिता सोनबा सोनबा वल्द बकाराम जाति कुन्बी सा.देह भूमि स्वामी
	487	0.732	0.732	
	489 / 2	1.060	1.060	
	491 / 2	0.478	0.478	
	514 / 2	0.768	0.768	

	514 / 3	0.526	0.526	
59	484	0.130	0.130	रघुनाथ वल्द माध्या कोसू जैवंती पिता माध्या भूरा व० लक्ष्मण सहादेव महादेव व० गजमल सा.देह भूमि स्वामी
	486	1.562	1.562	
	492	1.077	1.077	
60	481 / 1	0.176	0.176	तानबा वल्द भूरा जाति कुन्बी सा.देह भूमि स्वामी
	488 / 2	0.623	0.623	
	489 / 1	0.790	0.790	
	491 / 1	0.048	0.048	
	493 / 3	0.486	0.202	
	514 / 1	0.526	0.526	
61	457 / 2	0.849	0.849	चन्द्रभागा बेवा बेनी, राजेन्द्र वल्द बेनी सिंधू पिता बेनी सा.देह भूमि स्वामी
62	482	0.158	0.158	गोमा वल्द तुकाराम किसनी सोनी पिता तुकाराम जाति कुन्बी सा.देह भूमि स्वामी
	483	0.113	0.113	
	488 / 1	0.765	0.765	
	489 / 4	0.818	0.818	
	490	1.481	1.481	
63	481 / 4	0.224	0.224	अंजी बेवा जानबा वासुदेव गणपतराव सम्पत वल्द जानबा कुसुम पिता जानबा जाति कुन्बी
	489 / 3	1.040	1.040	
64	481 / 3	0.555	0.555	चन्द्रभानसिंह, गम्भीरसिंह गवन्सिंह वल्द भैया जाति राजपूत पता निवासी
65	480 / 2	0.581	0.581	महादेव, सहादेव व० गजमल, शंकरराव, गेंदराव व. महादेव पता सापदेह भूमि स्वामी भागरती जोजे महोदय पता सा.देह भूमि स्वामी

66	480 / 1	0.162	0.162	कमरजा बेवा भूरा गोविन्दराव अनिल वल्द भूरा कुन्बी
	476 / 1	0.991	0.991	
	502 / 1	0.567	0.567	
	502 / 2	0.550	0.265	
67	478	0.364	0.364	कमला बेवा गेंदलाल, हरिश्चकर अशोक वल्द गेंदलाल निर्मला, चिन्धी सुनीता अनीता पिता गेंदलाल पता साण्देह
	479	0.526	0.526	
	429	1.416	1.113	
68	476 / 2	0.429	0.429	सहादेव वल्द नजनल जाति कुन्बी
	477	0.546	0.546	
69	475 / 1	0.716	0.716	संतोष वल्द वारल्या जाति कुन्बी सा.देह भूमि स्वामी
70	474	0.567	0.567	नथु वल्द लख्या सा.देह भूमि स्वामी
71	473	0.567	0.567	सोनी बेवा चिन्धा उर्मिला बेवा भीमराव पूर्वश, राजु नीतश, भीमराव सा.देह भूमि स्वामी
72	472	0.850	0.450	तुकाराम परसराम सुखदेव व0 बाबूराव द्वारका वच्छला लीलावती पिता बाबूराव सुरेश कमलेश व0 लूंगा गुडडी पिता लूंगा कमला बेवा लूंगा दशरथ व0 माधो जया झिटो पि0 माधों बनी पुनी पिता लाहनू कुडलीक रमेश नथ्या व0 झागो गया पिता झागो सा0 देह
73	462 / 4	0.400	0.400	तुकाराम वल्द इठोबा जाति कुन्बी
74	469 / 2	0.150	0.150	मिट्टू वल्द सखाराम कौसू पिता सखाराम जाति कुन्बी

75	441 / 1	0.105	0.105	गोविन्दराव यादोराव वल्द दौलत, यशोदाबाईवंदनाबाई पिता दौलत जाति कुन्बी
	441 / 2	0.105	0.105	
76	440	0.571	0.479	यादोराव गोविन्दराव व0 दौलत सा0 देह
77	439	0.761	0.761	पारवती बेवा लक्ष्मण, सिधू कमला पिता लक्ष्मण जाति कुन्बी
	452	0.214	0.214	
	432	0.850	0.850	
78	443 / 1	0.550	0.550	वासुदेव वल्द गोविन्दराव जाति कुन्बी
	442 / 3	0.310	0.210	
79	442 / 1	0.155	0.155	रमेश वल्द चिन्धू जाति कुन्बी
	443 / 3	0.305	0.305	
	443 / 4	0.085	0.085	
80	445 / 2	0.405	0.405	तृप्ति पति किशोर कुमार जाति बढई पता निवासी
81	445 / 1	0.999	0.999	नागोराव वल्द मल्लू मीरू चन्द्रकला पिता मल्लू जाति कुन्बी
82	444 / 3	0.243	0.243	तानी बेवा महोदेव सन्तोषी, मरदरिया पिता महादेव पता साण्देह भूमि स्वामी राजेश नाण्बाण महादेव वली मां तानी अजा बेवा महादेव, बाबूराव वल्द सहादेव पता सा.देह
83	443 / 6	0.171	0.171	वासुदेव वल्द गोविन्दराव जाति कुन्बी पता निवासी
84	444 / 1	0.157	0.157	मीरा, चन्द्रकला पिता मल्लू जाति कुन्बी

85	447 / 1	0.031	0.031	गोविन्दराव, यादोराव वल्द दौलत यशादोबाई वन्दनाबाई पिता दौलत जाति कुंबी सा0 देह
	453 / 1	0.099	0.099	
	453 / 2	0.099	0.099	
	447 / 2	0.030	0.030	
	450 / 2	0.185	0.185	
	450 / 3	0.184	0.184	
86	450 / 1	0.072	0.072	दौलत वल्द माराती पता सा.देह
87	463 / 1	0.432	450 / 3	कृष्णराव वल्द बान्दरयाजाति कुंबी
88	458	1.299	1.299	यादोराव, गोविन्दराव वल्द दौलत
89	459 / 1	0.691	0.691	दौलत वल्द माराती, महादेव, सहादेव वल्द गजमल जाति कुन्बी
90	459 / 2	0.345	0.345	महादेव वल्द इठोबा जाति कुन्बी
91	459 / 3	0.344	0.344	तुकाराम वल्द इठोबा जाति कुन्बी
92	435 / 3	0.081	0.081	बेनी वल्द भडाजी पता सा.देह
93	456 / 2	0.550	0.550	वासुदेव वल्द गोविन्दराव जाति कुन्बी
94	457 / 1	1.304	1.304	सरस्वती व0 अर्जुन नत्थ्या वासुदेव गणपति व0 अर्जुन देवकू पिता अर्जुन जाति कुंबी सा0देह
95	457 / 2	0.849	0.849	चन्द्रभागा बेवा बेनी, राजेन्द्र वल्द बेनी सिन्धू पिता बेनी पता निवासी
96	457 / 3	0.809	0.809	सरस्वती जौजे अर्जुन पता सा. देह
97	462 / 3	0.401	0.401	महादेव वल्द इठोबा जाति कुन्बी
98	460 / 1	0.353	0.353	मिट्टू वल्द सखाराम कौसू पिता सखाराम जाति कुंबी

99	460 / 2	0.375	0.375	यूनू बेवा गेन्दू राम किसना वल्द गेन्दू प्रवीण धन्नु वल्द गेन्दू निर्मला पिता गेन्दू जाति कुन्बी
	469 / 1	0.158	0.158	
	461 / 2	0.368	0.368	
100	463 / 4	0.599	0.599	महादेव व. गजमल सा. देह भूमि स्वामी
101	463 / 5	0.405	0.405	उमेश वल्द गोविन्दराव जाति कुन्बी
102	464	0.834	0.834	तुकाराम परसराम सुखदेव व० बाबूराव द्वारका वच्छला लीलावती पि० बाबूराव सूरेश कमलेश व० लूंगा गुडडी पिता लूंगा कमला बेवा लूंगा दशरथ व० माधो जया झिटो पिता माधो बनी पूनी पिता लाहनू कुंडलिक रमेश नथ्या व० झांगो गया पिता झांगो सा० देह
103	465	0.559	0.559	साना बेवा चिन्धा उर्मिला बेवा नमराव पूर्वेश, राजू नीतेश व० भीमराव सा० देह
104	466	0.773	0.773	प्रमिला जौजे आनंदराव जाति कुन्बी
105	467	0.531	0.531	कमरजी बेवा विटठल किसना दशरथ व० विटठल मीना शीला पिता विटठल जाति कुन्बी
	468	1.538	1.538	
106	430	1.218	0.283	साहेबराव वल्द मारोती सिया पिता मारोती सा. देह भूमि स्वामी
107	493 / 2	0.607	0.405	विमा देवी बेवा बाबूराव विजय प्रवीण अजय पिता बाबूराव जाति कुन्बी पता निवासी
108	494 / 2	0.808	0.041	सहादेव वल्द गजमल जाति कुन्बी
109	514 / 4	0.862	0.862	गोमा वल्द तुकाराम किसना सोनी पिता तुकाराम जाति कुन्बी
110	493 / 1	0.259	0.259	अंजी बेवा जानबा वासुदेव गणपतराव सम्पत वल्द जानबा कुसुम पिता जानबा जाति कुन्बी
	514 / 5	0.446	0.446	

111	515	0.575	0.575	भूरा वल्द दाजिबा पता सा0देह
112	516	0.579	0.579	कमरजा बेवा ईठोल किसना दशरथ व0 ईठोल मीना संतरी पि0 ईठोल हेमराज फल्लू मंजीत गणेश मनोहर व0 गेन्दू रेखा पिता आनन्दराव मैना बे0 गेन्दू जाति कुन्बी
113	509	0.563	0.462	भूरा व बाजीराव पता सा.देह
114	511 / 1	0.093	0.093	यूनु बेवा लक्ष्मण सरू गया शकुन्तला पिता लक्ष्मण जाति कुन्बी
115	511 / 2	0.040	0.040	गुलाबराव वल्द भान्साव जाति कुन्बी पता निवासी
116	513	1.060	1.000	भगवान वल्द माराता पता सा.देह
	510	0.158	0.158	
117	512	0.162	0.162	शंकराव वल्द मोतीराम नीलकठराव, गुलाबराव वल्द जैराम भमसेन व0 शेषराव सा0 देह भगवतराव व0 मल्लू परसराम बकाराम व0 तूकाराम रामराव व0 बैनी सा0 देह
118	503	0.554	0.554	सहादेव सदाराम वल्द गामाजी पिखी काशी पिता गामाजी गग्या व0 पून्ज्या धनराज व0 गंगाराम हेमलता पूष्पलता पि0 गंगाराम सा0 देह
119	511 / 3	0.047	0.047	मधुकर वल्द भीमराव सा0 देह
120	504	0.643	0.121	माध्या वल्द सरावन महादेव सहादेव व0 गजमल पता सा0देह भूमिस्वामी सहादेव, सदाराम व0 गामाजी पिरवी काशी पिता गामाजी जैनु नावोलीपिता गजमल पता सा.देह भूमिस्वामी इठोल* गोदरया व0 आत्माराम रामजी बाया पिता आत्माराम गिरजा बेवा दादू सुमन कुसुम कला पिता दादू पता0देह सुरेखा नाबा. पिता दादू वली मां गिरजा तुरमी बेवा गंगाराम हसी उर्फ काशी पिता गंगाराम सा0 देह भूमिस्वामी धनराज पिता गंगाराम वलीमां तूरमी सा0देह

121	508 / 3	0.714	0.303	सहादेव वल्द गजमल जाति कुन्बी
122	521	0.943	0.445	रघुनाथ व० माध्या कौसू जेवती पिता
	463 / 3	0.599	0.599	माध्या कमरजा बेवा भूरा गोविन्दराव अनिल व० भूरा सा० देह भूमिस्वामी
123	148 / 1	0.528	0.528	चैतराम वल्द बाजीराव जाति कुन्बी
124	148 / 2	0.524	0.524	कमलेश नुकेश वल्द चैतराम जाति कुन्बी
125	152 / 1	0.830	0.830	नत्थू उर्फ नत्थ्या व० लख्या सा० देह
126	152 / 2	0.831	0.546	भूरा व० लख्या जाति कुन्बी
127	461 / 1	0.368	0.368	निदू वल्द सा० देह कौसू पिता सा० देह जाति कुन्बी
128	111 / 1	0.279	0.279	अशोक, भूरा वल्द गणपती
	110 / 1	0.608	0.608	
	110 / 3	0.370	0.370	
	114 / 1	0.052	0.052	
कुल योग :-		133.666	113.728	

(2)- चूंकि लिहदा जलाशय योजना के बांध, हेतु हितबद्ध व्यक्तियों में से कोई भी व्यक्ति का विस्थापन नहीं होने से धारा 19 की उपधारा (2) के तहत पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन स्कीम का सार प्रकाशित करने की आवश्यकता नहीं है।

(3)- भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी (रा) मुलताई के कार्यालय में किया जा सकता है।

(4)- समुचित सरकार की वेबसाईट www.betul.nic.in पर भी अपलोड किया गया है।

क्र. 33 अ-82-17-18-जामगांव-10203.—

चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची (1) में वर्णित भूमि की कालम नम्बर 6 में वर्णित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है। इस हेतु अनुसूची -2 में वर्णित भूमिस्वामियों की भूमियों का, भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (कमांक 30 सन 2013) की धारा 19 के अन्तर्गत, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:-

अनुसूची-1

जिला	तहसील	नगर/ग्राम	अर्जित रकबा लगभग) क्षेत्रफल(हे०में)	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
1	2	3	5	6
बैतूल (म०प्र०)	मुलताई	जामगांव	68.609	लिहदा जलाशय

अनुसूची - 2

(प्रभावित धारको की सूची)

अ०क्र०	खसरा नम्बर	रकबा हे० में	अर्जन की भूमि का रकबा हे० में	धारक का नाम
1	2	3	4	5
1	5	1.254	0.161	कान्ताबाई जौजे बाबूराव कुन्बी पता सा. देह
2	6	0.182	0.081	गया पिता केशो संतोषराव व. भूरा, सुमन बेवा अजाबराव सया शोभा गया पिता भूरा सा० देह
3	27/3	0.136	0.136	गया पिता केशो गेंदराव प्रयागराव कृष्णराव व० रघू बल्लो मालता पिता रघू संतोष व० भूरा सया पिता भूरा तापी बेवा डोमा कान्ता बेवा बाबूराव, राजा, अखिलेश व. गुलाब पता सा. देह भूमि स्वामी मीरा, बेवा गुलाब पता सा.देह भूमि स्वामी सहादेव बलदेव व अजाब सूमन बेवा अजाब दौलत तुलसीराम पिता मुगस्या गनी तानी, सया पिता मुगस्या, सुरेश रमेश वल्द बाबूराव, शीला, रेखा लीला पिता बाबूराव पता सा.देह भूमि स्वामी

4	8/1	0.110	0.012	तुलसीराम वल्द मुगस्या, मनी, तानी, सया, पिता मुगस्या, मीरा बेवा गुलाबराव, राजा, अखिलेख पिता गुलाबराव पता सा. देह भूमि स्वामी सुरेश, रमेश वल्द बाबूराव, शीला, लीला, रेखा पिता बाबूराव कांता बेवा बाबूराव, द्वारका पिता दौलतराव, लाहनी बेवा दौलतराव सा. देह मनोज, आशीष व. बलवंत, पूनम पिता बलवंत कुन्बी सा. मलाजपुर पिता मुगस्या मीरा बेवा गुलाबराव राजा अखिलेख पिता गुलाबराव जाति कुन्बी पता निवासी
	36/1	1.514	1.514	
5	8/4	1.279	0.101	दौलत वल्द कुन्बी पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी
	36/3	0.283	0.283	
6	9/1	0.640	0.364	दादू आकोशराव वल्द मारोती बयना पिता मारोती, मीरू बेवा लाहन्या, दिनेश कमलेश वल्द लाहन्या नाबा वली मां मीरू पता सा. देह भूमि स्वामी
	25/1	0.091	0.091	
	33/2	0.365	0.365	
	33/4	0.556	0.556	
7	9/2	0.656	0.041	नागोराव वल्द जैराम जाति कुन्बी पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी
	33/7	0.584	0.584	
	40/2	0.051	0.051	
8	9/4	0.325	0.012	सित्तु वल्द झिपरया कुन्बी पता सा. देह भूमि
	33/3	0.331	0.331	
	33/5	0.557	0.557	
	33/12	0.234	0.234	

9	9/7	0.722	0.081	गोविन्दराव, देवराव व. किसना सया बेवा गणेश, चन्द्रकांत वल्द गणेश संगीता पुष्पा, शशीकला, प्रमिला पिता गणेश शांता पिता किसना पता सा.देह भूमि स्वामी
	25/4	0.091	0.091	
	33/1	0.422	0.422	
	33/8	0.655	0.655	
	33/9	0.080	0.080	
10	10	2.044	0.162	किसना, मधु गोन्दा सया पिता गन्दा, कृष्णा चिन्ध्या पिता सोना, गुनी बनी जनी पिता चेपटया पता सा. देह भूमि स्वामी नारायण, व्यंकटी वल्द भूरा अनू पिता भूरा पारबती बे० श्यामू अंतराव गेंदराव निलकंठ व० श्यामू गन्दा संगीता पिता श्यामू गुनी बनी, जनी पिता चेपटया जाति कुन्बी पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी
	32	1.793	1.793	
	44	0.214	0.214	
11	15	1.202	0.919	आकोशराव वल्द जागो मेना, अजू पिता जागो कुन्बी पता सा.देह भूमि स्वामी
	16	2.295	0.567	
	30	1.085	1.085	
	43	0.231	0.231	
12	17	0.781	0.781	ठगु बेवा आनंदराव वासुदेव व० आनंदराव संगीता ललीता सुनिता अनिता पिता आनंदराव पता सा.देह
	19	0.388	0.388	
	27/2	0.045	0.045	
	95/2	1.000	1.000	
13	18/1	0.809	0.809	यादोराव व. सीताराम जाति कुन्बी पता सा. देह भूमि स्वामी
	20/1	0.060	0.060	
	31	2.023	2.023	

14	18/2	0.567	0.567	बाया बेवा भाउराव संगीता पिता भाउराव पता निवासी भूमि स्वामी ✓
	28/1	0.040	0.040	
15	20/2	0.539	0.539	रामू पिता शेषराव सूपा बेवा शेषराव सुधा अनिता कल्पना पिता शेषराव ललीता बेवा बाबूराव कोमल पिता बाबूराव कृष्णकांत व0 बाबूराव सा0देह
	28/2	0.041	0.041	
	45/1	0.081	0.081	
16	45/2	0.081	0.081	रामेश्वर व0 भाउराव जाति कुन्बी
17	23	0.251	0.251	गनपती वल्द सम्पति, जनी पिता सम्पती जाति कुन्बी पता सा.देह भूमि स्वामी
	35	1.311	1.311	
18	24	0.138	0.138	नथू नासायण व. गज्या, कनका, बाजा पिता गज्या जाति कुन्बी पता सा.देह भूमि स्वामी
	34/1	0.332	0.332	
	46/2	0.498	0.498	
19	25/2	0.091	0.091	नथू फथू सितु वल्द झिपरया चिन्धी पिता झिपरया, पता सा.देह भूमि स्वामी
	33/6	0.557	0.557	
	33/11	0.081	0.081	
20	25/3	0.091	0.091	कौसु पिता जैराम चन्द्रभागा बेवा मानिकराव, रमा, उमा, मीरा पिता मानिकराव, नागोराव व. जैराम जाति कुन्बी पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी
21	26	0.316	0.316	गन्नू वल्द गनेश कुन्बी पता सा. देह भूमिस्वामी
22	27/1	0.045	0.045	रैना बेवा इठोल, धनराज, बुधराव, हेमराज, साहेबराव, व. इठोल कुसुम पिता इठोल, पता सा. देह भूमि स्वामी
	46/1	0.498	0.498	

23	27/4	0.045	0.045	भीमराव वल्द केशो पता सा. देह भूमि स्वामी
	37/3	0.150	0.150	
	95/1	1.023	1.023	
24	33/10	0.081	0.081	बन्डू उर्फ यशवन्तराव सुरेश वल्द मानिकराव, जाति कुन्बी पता निवासी. ग्राम भूमि स्वामी
	40/1	0.050	0.050	
25	34/2	0.465	0.465	बलवन्त वल्द सिरपत कन्बी पता सा. देह भूमि स्वामी
26	36/2	0.242	0.242	बल्लो, मालता पिता रधू पता सा. दे भूमि स्वामी
27	36/4	0.581	0.581	ललाता बेवा मह वल्द, कुन्बी पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी
28	36/5	0.602	0.602	सुरेश, रमेश वल्द बाबुराव, पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी
29	37/1	0.676	0.676	साहेबराव वल्द भूरा जाति कुन्बी पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी
	41/2	0.054	0.054	
30	37/2	0.150	0.150	रैना बेवा इठोल, धनराज, बुधराव, हेमराज, साहेबराव, व. इठोल कुसुम पिता इठोल, पता सा. देह भूमि स्वामी
31	37/4	0.667	0.667	सहादेव वल्द अजाबराव, बलदेव नाबा व अजाबराव, वली भाई सहादव जाति कुन्बी पता निवासी ग्रा भूमि स्वामी
	41/1	0.055	0.055	
32	38	2.540	2.135	संतोषराव, गुनवतराव, रमेश व. गनेश, सरस्वती बेवा पंजाबराव व. पंढरी, मोलाबाई बेवा बलवन्तराव नितिन, हर्षित व. बलवन्तराव, कोमल पिता बलवन्तराव नाबाव0मां मोलाबाई बेवा बलवन्तराव जाति कुन्बी पता सा. देह
33	39	2.539	1.300	आनन्दराव वल्द शंकरराव जाति मराठा पता सा. देह भूमि स्वामी

34	42	0.506	0.506	नागोराव वल्द जैराम कौसू पिता जैराम, चन्द्रभागा बेवा मानिकराव, बंडू सुरेश व० माणिकराव लता गुन्ता पिता मानिकराव, गिरजा बेवा किसना, गोविंदराव गणेश पिता किसना शांता पिता किसना, कमल बेवा देवराव, सहादेव बंडू मुन्नी पिता देवराव गुलाबराव तुलसीराम वल्द मूगस्या मनी, तनी सया पिता मूगस्या राजा अभिलेख वल्द गुलाबराव सुरेश, रमेश वल्द बाबूराव लीला, शीला रेखा पिता बाबूराव काता बेवा बाबूराव गेंदराव प्रयागराव कृष्ण व रघू पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी बल्लो मालता पिता रघू लाहनी बेवा दौलत द्वारका पिता दौलत मनोज आशीष पूनम पिता बलवंत कुन्बी सा. मलाजपुर मुन्नी पिता देवराव गुलाबराव, तुलसीराम व मूगस्या मनी तनी सया पिता मूगस्या राजा, अभिलेख व. गुलाबराव सुरेश, रमेश व. बाबूराव लीला, शीला, रेखा पिता बाबूराव काता बेवा बाबूराव, गेंदराव प्रयागराव कृष्ण व रघू जाति कुन्बी पता निवासी भूमि स्वामी
35	45/1	0.162	0.162	भाउराव वल्द जन्यराम व. शेषराव, सुधा अनिता कल्पना पिता शेषराव कृष्णकांत व. बाबूराव, कोमल पिता बाबूराव, ललीता बेवा बाबूराव, यादोराव व. सीताराम, जाति कुन्बी पता सा. देह भूमि स्वामी
36	50/2	1.005	0.202	कुनाल व बाबाराव अनिता बेवा बाबाराव दादाराव गुलाबराव व मारोती अनुसया बेवा मारोती जाति मराठा पता सा. देह भूमि स्वामी
37	50/4	1.334	1.334	सहादेव, बंडू वल्द देवराव निर्मला पिता देवराव कमल बेवा देवराव जाति मराठा पता सा. देह भूमि स्वामी
38	55	1.874	0.364	लक्ष्मण, कुण्डलिक वल्द पंजाबराव विश्वकला, उर्मिला, बीना पिता पंजाबराव, जाति कुन्बी पता सा. देह भूमि स्वामी
39	56	2.181	0.263	गोविन्दराव वल्द किसना, शकुन्तला, विश्वकला पिता किसना पता सा. देह भूमि स्वामी
40	92	1.943	0.061	संतोषराव, गुनवतराव, रमेश सुरेश व. गनेश, सरस्वती बेवा गनेश, मीरा, रेखा पिता गनेश अंजीबाई बेवा पंढरी, पंजाबराव, अनिल वल्द पंढरी मोलाबाई बेवा बलवन्तराव नितिन, हर्षित ना बा कोमल नाबा वली मां मोलाबाई बेवा बलवन्तराव, जाति कुन्बी पता सा. देह
	93	0.243	0.143	

41	94	0.688	0.141	सुखदेव वल्द पुन्या ललिता पिता पुन्या, जैना बेवा तुन्या, रमेश सुरेश वल्द तुन्या, काशी, सुमन, बेबी निर्मला, पिता तुन्या जाति कुन्बी पता सा. देह भूमि स्वामी
	123	1.412	0.607	
42	96/1	1.415	1.415	किशोर उर्फ कृष्णा वल्द सहादेव पता निवासी ग्राम सा. देह भूमि स्वामी
	111/4	0.423	0.423	
43	96/2	2.023	2.023	प्रमिलाबाई जौजे बाबूराव जयवंत कुनर वल्द बाबूराव, पता सा.देह भूमि स्वामी
44	96/3	0.605	0.605	प्रतापराव वल्द महादेव पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी
45	96/4	0.606	0.606	प्रयागराव वल्द महादेव पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी
46	96/5	0.607	0.607	सन्तोष उर्फ उर्फ वल्द महादेव पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी
47	96/7	1.417	1.417	मनोज वल्द हरि, सरिता पिता हरि पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी
	111/3	0.421	0.421	
48	96/8	1.420	1.42	राजु वल्द सहादेव, जाति कुन्बी पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी
	111/2	0.419	0.318	
49	97/1	0.154	0.154	लीला, माला पिता महादेव, द्वारका बेवा महादेव जया सया पिता भादू इन्दिरा बेवा हरी बाया, प्रभा, शोभा, सुधा संगीता, कल्पना पिता सहादेव, रेणुका बेवा सहादेव पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी
	111/1	0.202	0.141	
50	97/2	0.809	0.809	अन्जुबाई जौजे भीमराव, पता सा.देह भूमि स्वामी
	98/3	0.652	0.652	
51	97/3	0.809	0.809	राधिका जाजे भीमराव पता सा.देह भूमि स्वामी
52	98/1	0.648	0.648	डोमा वल्द नारायण पता सा.देह भूमि स्वामी

53	98/2	0.405	0.405	सया पिता कुशना पता सा.देह भूमि स्वामी
	113	2.048	1.048	
54	98/4	0.646	0.646	बुधराव वल्द नागोराव पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी
55	99/1	1.220	1.220	गया बेवा गोविन्दराव जाति कुन्बी पता सा.देह भूमि स्वामी
	100/1	1.193	1.193	
	102/1	0.437	0.437	
	104/1	0.603	0.603	
	110/1	1.242	1.242	
	112/1	1.165	0.202	
56	99/2	0.610	0.610	चन्द्रश वल्द गाविन्दराव कुन्बी पता सा. देह भूमि स्वामी
	100/2	0.596	0.596	
	102/2	0.218	0.218	
	104/2	0.301	0.301	
	110/2	0.622	0.622	
57	96/6	0.608	0.608	कृष्णराव वल्द महादेव कुन्बी पता सा.देह भूमि स्वामी
	99/3	0.610	0.610	
	100/3	0.597	0.597	
	102/3	0.219	0.219	
	104/3	0.302	0.302	
	110/3	0.621	0.321	

58	103	0.753	0.753	बलवन्त, उत्तम, कृष्णा प्रयाण, प्रताप वल्द महादेव लीला माला पिता महादेव द्वारका बेवा महादेव राजु कृष्णा वल्द महादेव मनोज वल्द हरि पता सा. देह भूमि स्वामी, सरिता पिता हरि इंदिरा बेवा हरि बाया, प्रभा योगा, सुधा संगीता, कल्पना पिता सहादेव रेणुका बेवा सहादेव शरद छुट्टन वल्द पंजाब कंचना रंजना पिता पंजाब लीला, माला पिता महादेव द्वारका बेवा महादेव राजु कृष्णा वल्द महादेव मनोज वल्द हरि जाति कुन्बी पता निवासी भूमि स्वामी
59	105	0.498	0.498	साहेबराव, पंजाबराव सुभाष वल्द साहेबराव, पंजाबराव सुभाष वल्द
	106	0.749	0.749	
60	107	0.939	0.939	साहेबराव, पंजाबराव सुभाष वल्द
	108	0.571	0.571	रामचन्द्र, सुशीला पिता रामचन्द्र पता सा.देह भूमि स्वामी
61	109	1.951	1.951	मालता जौ संतोष कुन्बी पता सा. लिहदा भूमि स्वामी
62	114/1	0.451	0.451	पार्वती बेवा गणपति, आकोशराव, बाबूराव गेंदराव, कृष्णराव पिता गणपती शांता, रेखा पिता गणपती जाति कुन्बी पता निवासी भूमि स्वामी
	114/3	0.455	0.455	
63	114/2	0.453	0.453	संतोष वल्द रामजी जाति कुन्बी पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी
	122/2	0.202	0.202	
	122/3	0.101	0.101	

64	121	1.655	1.331	रामराव वल्द गनपतराव बेबी पिता पता सा.देह भूमि स्वामी
65	122/1	0.948	0.948	आकोशराव वल्द बाबूराव गेंदराव कण्णा वल्द गणपती शांता, रेखा पिता गणपती पार्वती बेवा गणपती जाति कुन्बी पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी
66	122/4	0.202	0.202	डामा वल्द नागासाह जात नरायण पता सा.देह भूमि स्वामी
	122/5	0.202	0.202	
कुल योग		88.778	68.609	

(2)- चूंकि लिहवा जमीन का नक्शा तैयार करने में लिहवा जमीन के स्वामी व्यक्ति का विस्थापन नहीं होने का दावा 19 वीं सितम्बर 2018 को किया गया है। पुनर्व्यवस्थापन स्कीम का सार प्रकाशित करने की आवश्यकता नहीं है।

(3)- भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी (रा) मुलताई के कार्यालय में किया जा सकता है।

(4)- समुचित सरकार की वेबसाइट www.betul.nic.in पर भी अपलोड किया गया है।

क्र. 34अ-82-2017-18-सेमला-10209.—

चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची (1) में वर्णित भूमि की कालम नम्बर 6 में वर्णित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है। इस हेतु अनुसूची -2 में वर्णित भूमिस्वामियों की भूमियों का, भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (कमांक 30 सन 2013) की धारा 19 के अन्तर्गत, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:-

अनुसूची-1

जिला	तहसील	नगर/ग्राम	अर्जित रकबा लगभग) क्षेत्रफल(हे०में)	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
1	2	3	5	6
बैतूल (म०प्र०)	मुलताई	सेमला	0.834	लिहदा लघु जलाशय

अनुसूची - 2

(प्रभावित धारको की सूची)

अ०क्र०	खसरा नम्बर	रकबा हे० में	अर्जन की भूमि का रकबा हे० में	धारक का नाम
1	2	3	4	5
1	287	0.364	0.041	आनंदराव, भीमराव वल्द केशो सा.देह
2	288	0.348	0.101	भीमराव वल्द केशो कुन्बी भूमिस्वामी सा जामगांव
	291	0.287	0.287	
3	289	1.036	0.405	शेषराव, भाउराव व. जन्या कुन्बी सा. जामगांव भूमिस्वामी
कुल योग		2.035	0.834	

(2)- चूंकि लिहदा जलाशय योजना के बांध, हेतु हितबद्ध व्यक्तियों में से कोई भी व्यक्ति का विस्थापन नहीं होने से धारा 19 की उपधारा (2) के तहत पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन स्कीम का सार प्रकाशित करने की आवश्यकता नहीं है।

(3)- भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी (रा) मुलताई के कार्यालय में किया जा सकता है।

(4)- समुचित सरकार की वेबसाईट www.betul.nic.in पर भी अपलोड किया गया है।

क्र. 35अ-82-2017-18-तावला-10214.—

चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची (1) में वर्णित भूमि की कालम नम्बर 6 में वर्णित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है। इस हेतु अनुसूची -2 में वर्णित भूमिस्वामियों की भूमियों का, भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (क्रमांक 30 सन 2013) की धारा 19 के अन्तर्गत, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:-

अनुसूची-1

जिला	तहसील	नगर/ग्राम	अर्जित रकबा (लगभग) क्षेत्रफल(हे०में)	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
1	2	3	5	6
बैतूल (म०प्र०)	मुलताई	तावला	19.987	लिहदा लघु जलाशय

अनुसूची - 2

(प्रभावित धारको की सूची)

अ०क्र०	खसरा नम्बर	रकबा हे० में	अर्जन की भूमि का रकबा हे० में	धारक का नाम
1	2	3	4	5
1	1	3.089	1.456	पून्ज्या पंजाबराव संजय वल्द डोमा जाति कुन्बी बिहरगांव भूमि स्वामी
	3	0.328	0.328	
	4	0.162	0.162	
	5	0.275	0.275	
	6	0.575	0.287	
	7	0.142	0.142	
	8	0.182	0.182	
	13	1.813	1.368	

2	2	0.449	0.449	चन्द्रकला बेवा कचरया, घनश्याम विजय वल्द कचरया इमला गीता पिता कचरया, पता निवासी ग्राम बिहरगांव भूमि स्वामी
3	9/1	0.186	0.186	ईठोबा वल्द झांगो जाति कुन्बी पता निवासी ग्राम लिहदा भूमि स्वामी
	11/1	0.518	0.518	
	12/2	0.647	0.547	
	11/3	0.077	0.077	
4	9/2	0.227	0.227	आनंदराव वल्द शिवराम जाति कुन्बी पता निवासी ग्राम लिहदा भूमि स्वामी
	11/2	0.591	0.591	
	12/1	0.526	0.526	
5	10	0.065	0.065	गवनसिंह वल्द भैया पता सा. बिहरगांव भूमि स्वामी
	81/1	0.039	0.039	
	86/1	0.619	0.619	
	86/4	0.704	0.303	
6	16	1.012	0.540	पंजाबराव वल्द डोमा पता निवासी ग्राम बिहरगांव भूमि स्वामी
7	17	1.081	0.566	खुट्टू वल्द श्यामराव, कला पिता श्यामराव पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी
8	76/1	1.277	0.405	राजाराम वल्द जगन जाति किराड़ पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी

9	81/2	0.039	0.039	गंभीरसिंह वल्द भैया पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी
	82/1	1.214	1.214	
	86/2	0.470	0.470	
10	86/3	1.235	0.617	चन्द्रभानसिंह वल्द भैया पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी
11	80/6	0.866	0.202	विजय वल्द गुरुदयाल पता निवासी ग्राम भूमिस्वामी
	82/2	0.446	0.446	
12	83	0.709	0.709	अमरसिंह, सुमरसिंह, सुन्दरसिंह वल्द ज्ञामसिंह घुड़ी पिता ज्ञामसिंह जाति राजपूत पता सा.बिहरगांव भूमि स्वामी
	103	0.214	0.052	
	100	0.918	0.918	
13	84	0.714	0.714	सेवासिंह, जगदीश वल्द ओमकारसिंह जाति राजपूत पता सा. बिहरगांव भूमि स्वामी
	101	0.725	0.405	
14	85/1	0.445	0.445	जगदीश वल्द ओमकार जाति राजपूत पता सा. बिहरगांव भूमि स्वामी
	85/3	0.142	0.142	
	85/4	1.96	0.343	
15	98/1	1.294	0.607	ओमकार व0 बुधसिंह जाति राजपूत पता सा0बिहरगांव
16	85/2	1.194	0.891	नरेन्द्र व0 देवसिंग जाति राजपूत पता सा0बिहरगांव
	98/2	1.356	0.992	

17	99	1.024	0.923	प्रितमसिंह अजूरसिंह बाबूसिंह सरवनसिंह नजरसिंह पारबती सया पिता नजरसिंह पता निव ग्राम भूमिस्वामी
योग		29.549	19.987	

(2)- चूंकि लिहदा जलाशय योजना के बांध, हेतु हितबद्ध व्यक्तियों में से कोई भी व्यक्ति का विस्थापन नहीं होने से धारा 19 की उपधारा (2) के तहत पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन स्कीम का सार प्रकाशित करने की आवश्यकता नहीं है।

(3)- भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी (रा) मुलताई के कार्यालय में किया जा सकता है।

(4)- समुचित सरकार की वेबसाइट www.betul.nic.in पर भी अपलोड किया गया है।

क्र. 90अ-82-2018-19-मौजा छिंदी-10205.—

चूँकि, समुचित सरकार को यह प्रतीत होता है कि संलग्न अनुसूची क्रमांक -1 के कालम (1) से (4) में वर्णित भूमि की, की अनुसूची के कालम (6) में उसके सामने दिए गए सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है या आवश्यकता होने की संभावना है, भूमि अर्जन, पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (क्रमांक 30 सन 2013) की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार एतद् द्वारा सभी सम्बंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है कि समुचित सरकार इसके द्वारा अनुसूची के कालम (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के सम्बंध में अधिनियम 2013 की धारा 12 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है।

अनुसूची-1

जिला	तहसील	नगर/ग्राम	अर्जित लगभग क्षेत्रफल(हे०में)	रकबा धारा 12 के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
1	2/3		4	5	6
बैतूल (म०प्र०)	मुलताई	छिंदी	17.096	कार्यपालन यंत्री जल संसाधन संभाग मुलताई	छिंदी लघु जलाशय

अनुसूची - 2

(प्रभावित धारको की सूची)

क्र.	भूमिस्वामी का नाम	खसरा नं.	कुल रकबा	कुल अर्जित
1	2	3	4	5
1	सुभाष वल्द हरिकण्णा वल्द डबल सा देह	164/2	0.270	0.270
2	नान्हु बे.जियालाल पखुडीया मुननी जुरसो पि. जियालाल उत्रो बे. बिकट प्रभू छोटे प्रहलाद मुत्री व. बिकट सरस्वती मुनी पि. बिकट जाति रघुवंशी पता निवास गांम भूमि स्वामी	164/3	0.128	0.128
		171/2	0.420	0.198
		529/2	1.153	0.239
		171/1	0.421	0.199
	529/1	1.153	0.239	
3	मुन्नी बाई अजनसिंह रघुवंशी	172/1	0.322	0.191
4	बत्ता बाई पिता अजनसिंह रघुवंशी सा.देह	172/2	0.322	0.191
5	रामकिशोर हरिकण्णा पिता झब्ल सा.देह	165	0.543	0.543
		167	0.283	0.283
		174	0.806	0.425
		531	0.178	0.178
	534	0.275	0.275	
6	सिद्धटी रघु गुरुदयाल वल्द प्रेम अनिता अनरुपा पिता प्रेम उपेन्द्र सिंह वल्द ज्ञानसिंह इमरत बेवा प्रेम कंचनिया पिता छोटे फुला कंचनिया पिता छोटे सा० देह	161	2.185	1.578

क्र.	भूमिस्वामी का नाम	खसरा नं.	कुल रकबा	कुल खसरा
1	2	3	4	5
7	गुलजार व. ज्ञानी सा0 देह	160/1	0.555	0.555
8	लालसिंह उर्फ उपेन्द्र सिंह वल्द ज्ञानसिंह सा0 देह.	160/2	0.069	0.069
9	गुलजारसिंह व. ज्ञानीसिंह रघुवंशी सा0 देह	159	0.243	0.243
10	राजेन्द्रसिंह बिन्द्रेसिंह व. गलजारसिंह सा0 देह.	158	0.397	0.397
11	धनपाल मनु व.सोमलाल उन्नतिया पिता सोमलाल बिल्लो बेवा सोमलाल सा0देह रामदयाल धनपाल मन्नु व. सोमलाल उकतिया पिता सोमलाल विकतिया बे0 सोमलाल धनलाल बेवा भदू तन्नी बाई बेवा रामदयाल सा.देह	155	1.007	0.453
12	चरणलाल वल्द धनलाल सा.देह	156/1	0.603	0.130
13	सुखनन्दन व. उमकी सा0देह	156/2	0.461	0.154
14	सिटटीसिंह रघुसिंह गुरुदयाल व. प्रेमसिंह इमरत बेवा प्रेमसिंह अनिता अनरूपा पिता प्रेमसिंह सा0 देह.	162	0.514	0.514
15	कल्लू व. झब्बलसा0देह.	166	0.405	0.405
		170	0.178	0.178
		532	0.372	0.372
16	रामसिंग व. माखनसिंह सा0देह	168	1.214	1.214
17	रतनिया बेवा हिकमत प्रेम व. छोटे फुला कचनिया पिता छोटे सा0देह	169	0.405	0.405
18	रामसिंह व. रघुबिर देवकन्या, राजकन्या, रंजना मंजु पिता रघुवीर कल्लू रामकिशोर हरि कृष्णा व. झब्बलसिंह गौरा मुन्नी शारदा पिता झब्बल बसन्ती बेवा झब्बल रघुवंशी सा0देह.	538	1.344	1.255
19	हरिकृष्णा व. झब्बल गौरा मुन्नी शारदा पिता झब्बल बसन्ती बेवा झब्बल सा0देह सिटटी रघु गुरुदयाल व. प्रेम इमरत बेवा प्रेम अबला पिता हिकमत सा0देह अनित अनरूपा पि. प्रेम	539	4.917	2.073
		540	0.263	0.024
20	रामकिशन व. माखन रघुवंशी सा0देह	530/2	0.570	0.570
		535	0.902	0.902
21	देविकी रंजू मंचू मुन्नी पि. रघुवीर दिपवती बे. रघुवीर सा0देह	536	0.417	0.417
22	मुन्ना व. लखन रघुवंशी सा0देह.	542/1	0.297	0.023
23	प्रेम व. छोटे सा0देह.	163	0.364	0.364
		173	0.611	0.389
24	नानहु व. जियालाल पखुडिया मुननी जुस्सी पिता जियालाल उन्नो बेवा बिकट प्रभु छोटे प्रहलाद व. बिकट सरस्वती मुन्नी पिता बिकटलाल सा0देह	164/1	0.128	0.128

क्र.	भूमिस्वामी का नाम	खसरा नं.	कुल रकबा	कुल अर्जित
1	2	3	4	5
25	महादेव व. लखन रघुवंशी सा.देह	542/2	0.298	0.022
		530/1	0.571	0.571
26	फुलवन्ती जी. इन्द्रे सिंह रघुवंशी सा.देह	156/3 -	0.142	0.142
		156/4 -	0.142	0.142
27	अबला पिता हिकमत सा.देह	522 -	0.636	0.024
		527 /	0.607	0.024
	महायोग	43	27.091	17.096

1- चूंकि छिंदी जलाशय हेतु, हितबद्ध व्यक्तियों की आंशिक भूमि अर्जन हेतु प्रस्तावित है, जिससे कोई भी व्यक्ति का विस्थापन नहीं हो रहा है। धारा 11 की उपधारा (3) के तहत सामाजिक समाघात निर्धारण की कार्यवाही पृथक से की जा रही है।

2- भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी (रा) मुलताई के कार्यालय में किया जा सकता है।

3- कोई भी व्यक्ति अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से उक्त अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का, कलेक्टर (भूमि अर्जन) बैतूल की अनुमति के बिना कोई संव्यवहार नहीं करेगा/कराएगा अथवा ऐसी भूमि पर कोई विल्लंगमन सृजित नहीं करेगा।

4- समुचित सरकार की वेबसाइट www.betul.nic.in पर भी अपलोड किया गया है।

क्र. 91अ-82-2018-19-मौजा हिरवा-10211.—

चूँकि, समुचित सरकार को यह प्रतीत होता है कि संलग्न अनुसूची क्रमांक -1 के कालम (1) से (4) में वर्णित भूमि की, की अनुसूची के कालम (6) में उसके सामने दिए गए सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है या आवश्यकता होने की संभावना है, भूमि अर्जन, पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (क्रमांक 30 सन 2013) की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार एतद् द्वारा सभी सम्बंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है कि समुचित सरकार इसके द्वारा अनुसूची के कालम (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के सम्बंध में अधिनियम 2013 की धारा 12 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है।

अनुसूची-1

जिला	तहसील	नगर/ग्राम	अर्जित रकबा लगभग क्षेत्रफल(हे०में)	धारा 12 के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
1	2	3	4	5	6
बैतूल (म0प्र0)	मुलताई	हिरवा	12.335	कार्यपालन यंत्री जल संसाधन संभाग मुलताई	छिंदी लघु जलाशय

अनुसूची - 2

(प्रभावित धारकों की सूची)

क्र.	भूमिस्वामी का नाम	खसरा नं.	कुल रकबा	कुल अर्जित रकबा हे.
1	2	3	4	5
1	धनपालसिंह वल्द सोमलालसिंह इन्द्रेयसिंह वल्द धनपाल, राधेश्याम मधुरसिंह गोतमसिंह राजेश हरिशंकर गोपाल वल्द रामदयाल सोनम ना.बा. वली मां राधेश्याम तन्ली बेवा रामदयाल रघुवंशी सा	1 294 296	10.469 1.473 2.351	0.300 1.473 1.926
2	बोन्द्रया वल्द किसन पता सा.देह	292/1	1.214	0.223
3	मदन उर्फ फकीर गन्नु व किसन सा देह	292/2	1.068	0.130
4	रामभरोसे वल्द जसवन्त पंवार सा. देह	3/1	0.524	0.032
5	तुलसी जी. कृष्णा पंवार सा.देह	291/1	1.214	0.089
6	चन्द्रकिशोर वल्द कमलकिशोर पंवार सा.देह	291/3	4.046	0.202
7	लालसिंह वल्द ज्ञानसिंह रघुवंशी सा. छिन्दी	297/1	1.280	1.280
8	गुलजारसिंह ज्ञानसिंह रघुवंशी सा. छिन्दी	297/2	1.213	1.213

क्र.	भूमिस्वामी का नाम	खसरा नं.	कुल रकबा	कुल अर्जित रकबा है.
1	2	3	4	5
9	ढोडी बेवा अल्पू भोजू, अभिराम, बाकेलाल वल्द अल्पू रेखा पिता अल्पू सरस्वती सुमरती बिलसी वल्द झबली श्यामवती पिता ढीमर सा.देह	299	2.549	1.028
10	नान्ही बेवा मोहनलाल लखन प्रीतम अंजू फुन्दू वल्द मोहनलाल बिरबती पिता मोहनलाल जाति मेहरा सा.देह	300/3	0.700	0.350
		300/5	0.780	0.780
11	शिवपाल वल्द फुस्या सा. देह ग्राम नौकर कोटवार	307/2	2.262	2.062
12	किसन, रतन वल्द छेदी, चती, सुकलो कचरा पिता छेदी मिट्ठन जौ. रतन मेहरा सा.देह	300/4	0.406	0.406
		300/6	0.780	0.780
13	रामदीन, रामराव, मल्लू वल्द गुलाब तुलसीया पिता तुला सुरतलाल वल्द राधेलाल कृष्णा, रामकिशोर वल्द राधेलाल माहो बेवा राधेलाल सा.देह	2	0.061	0.061
महायोग		17	32.390	12.335

1- चूँकि छिंदी जलाशय हेतु हितबद्ध व्यक्तियों की आंशिक भूमि अर्जन हेतु प्रस्तावित है, जिससे कोई भी व्यक्ति का विस्थापन नहीं हो रहा है। धारा 11 की उपधारा (3) के तहत सामाजिक समाघात निर्धारण की कार्यवाही पृथक से की जा रही है।

2- भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी (रा) मुलताई के कार्यालय में किया जा सकता है।

3- कोई भी व्यक्ति अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से उक्त अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का, कलेक्टर (भूमि अर्जन) बैतूल की अनुमति के बिना कोई संव्यवहार नहीं करेगा/कराएगा अथवा ऐसी भूमि पर कोई विल्लंगमन सृजित नहीं करेगा।

4- समुचित सरकार की वेबसाइट www.betul.nic.in पर भी अपलोड किया गया है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
शशांक मिश्र, कलेक्टर एवं समुचित सरकार.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला खरगोन, मध्यप्रदेश एवं समुचित सरकार मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

खरगोन, दिनांक 14 अगस्त 2018

क्र. 273-भू-अर्जन-2018.—

कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, खरगोन के द्वारा उनके पत्र क्रमांक 2512/भू.अ./सतसोई तालाब शीर्ष कार्य/2018, दिनांक 11.06.2018 से " सतसोई तालाब योजना के शीर्ष कार्य निर्माण हेतु" अधिग्रहित अथवा उपयोग की जाने वाली निजी भूमि के संबंध में भूमि अर्जन, पुर्नवासन और पुर्नव्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (क्रमांक-30 सन् 2013) के अध्याय-2 (अ) की धारा-4 के तहत सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन से छूट प्रदान करने संबंधी प्रस्ताव प्रस्तुत किया है।

उक्त प्रस्ताव का अध्ययन करने के पश्चात् प्रस्तावित योजना लोकहित संबंधी होने के कारण म.प्र.शासन, राजस्व विभाग, मंत्रालय वल्लभ भवन, भोपाल के ज्ञाप क्रमांक एफ 16-15-(1)-2014-सात-शा. 2ए, दिनांक 29 सितम्बर, 2014 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मैं शशि भूषण सिंह, कलेक्टर, जिला-खरगोन एवं समुचित सरकार म.प्र. शासन, राजस्व विभाग, विधि एवं विधायी कार्य मंत्रालय, भारत शासन के संशोधित अध्यादेश क्रमांक 9/2014 के बिन्दु 10-ए अनुसार लोकहित को दृष्टिगत रखते हुए प्रस्तावित योजना के निम्नांकित क्षेत्र को अधिनियम के अध्याय-2(अ) की धारा-4 में वर्णित सामाजिक समाघात निर्धारण एवं अन्य उपबंधों से छूट प्रदान करता हूँ-

क्रं.	तहसील	ग्राम का नाम	प0ह0न0	प्रस्तावित अर्जनीय भूमि का रकबा (हे0 में)	सार्वजनिक प्रयोजन
1	2	3	4	5	6
1	भीकनगांव	खरदा	14	6.951	" सतसोई तालाब योजना के शीर्ष कार्य निर्माण हेतु"
2		जेनूद	36	6.414	
3		बोरगांव	12	12.220	
4		मेहत्याखेडी	15	44.546	
5		पछाया	12	57.153	
		योग:-	—	127.284	

नोट:-

- 1- उपरोक्त प्रस्तावित भूमि के क्षेत्रफल में कमी अथवा वृद्धि संभावित है।
- 2- उक्त भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी, (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी, भीकनगांव एवं कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, खरगोन के कार्यालय में अवलोकन किया जा सकता है।

क्र. 278-भू-अर्जन-2018.—

चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न अनुसूची (1) के खाने 1 से 4 में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने 6 में उसके सम्मुख दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार अनुसूची (2) में दर्शित भूमि के व्यौरों से संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा अनुसूची(1) के खाने 5 में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा-12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है।

प्रस्तावित " सतसोई तालाब योजना के शीर्ष कार्य निर्माण " की प्रकृति लोकहित के अन्तर्गत सार्वजनिक प्रयोजन की होने से अधिनियम के अध्याय-2(अ) की धारा-4 - सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन एवं अन्य उपबन्धों से छुट प्रदान की गयी है जिसका प्रकाशन पृथक से किया गया है। इस कारण धारा-11(3) के तहत सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट के प्रकाशन की आवश्यकता नहीं है।

-: अनुसूची (1) :-

जिला	तहसील	ग्राम/ नगर	अर्जित की जाने वाली भूमि का कुल क्षेत्रफल (हे.में)	धारा-12 के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
1	2	3	4	5	6
खरगोन.	भीकनगांव	मेहत्याखेड़ी	44.546	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, खरगोन	" सतसोई तालाब योजना के शीर्ष कार्य निर्माण "

-: अनुसूची (2) :-

" सतसोई तालाब योजना के शीर्ष कार्य निर्माण " के अन्तर्गत, ग्राम- मेहत्याखेड़ी की प्रभावित निजी भूमि का विवरण

सर्वे नंबर	अर्जित की जाने वाली भूमि का कुल क्षेत्रफल (हे.में)
1	2
127, 163 / 1, 163 / 2, 165 / 1, 165 / 2, 166 / 1, 166 / 2, 166 / 3, 167, 169 / 1, 169 / 2, 171, 173, 175 / 1, 175 / 2, 176 / 1, 176 / 2, 178 / 1, 178 / 2, 179, 181, 182, 184, 186, 193 / 1, 194 / 1, 193 / 2 / 1, 194 / 2 / 1, 193 / 2 / 2, 194 / 2 / 2, 196 / 1 / 1, 196 / 1 / 2, 196 / 2 / 1, 200, 196 / 2 / 2, 200, 196 / 2 / 3, 200, 202 / 1 / 1, 202 / 1 / 2, 202 / 2, 202 / 3, 202 / 4, 204 / 1 / 1, 204 / 1 / 2, 204 / 2, 204 / 3, 204 / 4, 204 / 5, 204 / 6, 204 / 7, 208, 209, 209 / 2, 210 / 2, 213 / 1, 227 / 2, 228 / 1 / 1, 228 / 1 / 2, 228 / 2, 228 / 3, 261, 269 / 1, 269 / 2, 271 / 2 / 1 / 1, 271 / 2 / 2, 276 / 2, 280, 281 / 2, 282, 284, 285, 286 / 1, 286 / 2, 292 / 1 / 3, 292 / 2, 293, 297 / 3, 296 / 1, 305 / 5, 305 / 6 / 1, 305 / 6 / 2, 305 / 6 / 3, 305 / 7, 306 / 2, 307 / 1 / 2 / 1, 307 / 1 / 2 / 2	44.546
(F) योग:-	44.546

नोट:-भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी, राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी भीकनगांव एवं कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, खरगोन के कार्यालय में अवलोकन किया जा सकता है।

क्र. 279-भू-अर्जन-2018.—

चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न अनुसूची (1) के खाने 1 से 4 में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने 6 में उसके सम्मुख दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार अनुसूची (2) में दर्शित भूमि के व्यौरों से संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा अनुसूची(1) के खाने 5 में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा-12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है।

प्रस्तावित " सतसोई तालाब योजना के शीर्ष कार्य निर्माण " की प्रकृति लोकहित के अन्तर्गत सार्वजनिक प्रयोजन की होने से अधिनियम के अध्याय-2(अ) की धारा-4 - सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन एवं अन्य उपबन्धों से छुट प्रदान की गयी है जिसका प्रकाशन पृथक से किया गया है। इस कारण धारा-11(3) के तहत सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट के प्रकाशन की आवश्यकता नहीं है।

—: अनुसूची (1) :-

जिला	तहसील	ग्राम/ नगर	अर्जित की जाने वाली भूमि का कुल क्षेत्रफल (हे.में)	धारा-12 के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
1	2	3	4	5	6
खरगोन.	भीकनगांव	बोरगांव	12.220	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, खरगोन	" सतसोई तालाब योजना के शीर्ष कार्य निर्माण "

—: अनुसूची (2) :-

" सतसोई तालाब योजना के शीर्ष कार्य निर्माण " के अन्तर्गत. ग्राम- बोरगांव की प्रभावित निजी भूमि का विवरण

सर्वे नंबर	अर्जित की जाने वाली भूमि का कुल क्षेत्रफल (हे.में)
1	2
387, 414 / 1 / 1, 414 / 1 / 2, 414 / 3 / 1, 414 / 2, 414 / 3 / 2, 415 / 1, 417 / 1 / 1, 417 / 1 / 2, 417 / 1 / 3, 417 / 1 / 4, 417 / 1 / 5, 417 / 3, 417 / 4, 417 / 5 / 1, 417 / 5 / 2, 417 / 5 / 3, 417 / 5 / 4, 417 / 5 / 5, 417 / 5 / 6, 417 / 5 / 7, 417 / 5 / 8, 417 / 6, 417 / 7, 418 / 1,	12.220
योग:-	12.220

नोट:-भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी, राजस्व एवं भू-अर्जन अधिकारी भीकनगांव एवं कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, खरगोन के कार्यालय में अवलोकन किया जा सकता है।

क्र. 280-भू-अर्जन-2018.—

चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न अनुसूची (1) के खाने 1 से 4 में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने 6 में उसके सम्मुख दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार अनुसूची (2) में दर्शित भूमि के व्यौरों से संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा अनुसूची(1) के खाने 5 में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा-12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है।

प्रस्तावित " सतसोई तालाब योजना के शीर्ष कार्य निर्माण " की प्रकृति लोकहित के अन्तर्गत सार्वजनिक प्रयोजन की होने से अधिनियम के अध्याय-2(अ) की धारा-4 - सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन एवं अन्य उपबन्धों से छुट प्रदान की गयी है जिसका प्रकाशन पृथक से किया गया है। इस कारण धारा-11(3) के तहत सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट के प्रकाशन की आवश्यकता नहीं है।

—: अनुसूची (1) :-

जिला	तहसील	ग्राम/ नगर	अर्जित की जाने वाली भूमि का कुल क्षेत्रफल (हे.में)	धारा-12 के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
1	2	3	4	5	6
खरगोन.	भीकनगांव	खेरदा	6.951	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, खरगोन	" सतसोई तालाब योजना के शीर्ष कार्य निर्माण "

—: अनुसूची (2) :-

" सतसोई तालाब योजना के शीर्ष कार्य निर्माण " के अन्तर्गत. ग्राम- खेरदा की प्रभावित निजी भूमि का विवरण

सर्वे नंबर	अर्जित की जाने वाली भूमि का कुल क्षेत्रफल (हे.में)
1	2
15/1, 15/2/1, 15/2/2, 15/2/3, 17, 20/1, 20/2, 20/4, 21/1/1, 22	6.951
योग:-	6.951

नोट:-भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी, राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी भीकनगांव एवं कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, खरगोन के कार्यालय में अवलोकन किया जा सकता है।

क्र. 281-भू-अर्जन-2018.—

चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न अनुसूची (1) के खाने 1 से 4 में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने 6 में उसके सम्मुख दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार अनुसूची (2) में दर्शित भूमि के ब्यौरों से संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा अनुसूची(1) के खाने 5 में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा-12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है।

प्रस्तावित " सतसोई तालाब योजना के शीर्ष कार्य निर्माण " की प्रकृति लोकहित के अन्तर्गत सार्वजनिक प्रयोजन की होने से अधिनियम के अध्याय-2(अ) की धारा-4 - सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन एवं अन्य उपबन्धों से छुट प्रदान की गयी है जिसका प्रकाशन पृथक से किया गया है। इस कारण धारा-11(3) के तहत सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट के प्रकाशन की आवश्यकता नहीं है।

—: अनुसूची (1) :-

जिला	तहसील	ग्राम/ नगर	अर्जित की जाने वाली भूमि का कुल क्षेत्रफल (हे.में)	धारा-12 के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
1	2	3	4	5	6
खरगोन.	भीकनगांव	जेनूद	6.414	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, खरगोन	" सतसोई तालाब योजना के शीर्ष कार्य निर्माण "

—: अनुसूची (2) :-

" सतसोई तालाब योजना के शीर्ष कार्य निर्माण " के अन्तर्गत. ग्राम- जेनूद की प्रभावित निजी भूमि का विवरण

सर्वे नंबर	अर्जित की जाने वाली भूमि का कुल क्षेत्रफल (हे. में)
1	2
25/1, 27/2, 25/2/2/1, 28, 29, 31/1, 32, 33, 34/1, 31/119/1, 25/2/3, 28, 29, 31/1, 32, 33, 34/1, 31/191/1, 25/2/5, 28, 29, 31/1, 32, 33, 34/1, 31/119/1, 25/2/6, 28, 29, 31/1, 32, 33, 34/1, 31/119/1, 26/1/2, 27, 36/1, 36/2, 36/3, 38/1, 39/1, 39/2/1, 39/2/2, 39/3, 39/4, 39/5, 40/1, 40/2, 42/1/ख/1, 42/2, 42/1, 42/3, 43/1, 43/2, 43/3/9502/1, 42/1/ख/2, 42/2/ख/2, 42/3, 43/1, 43/2, 43/3/ख/2, 42/1/ग, 42/2, 42/3, 43/1, 43/2, 43/3, 45/1	6.414
योग:-	6.414

नोट:-भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी, राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी भीकनगांव एवं कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, खरगोन के कार्यालय में अवलोकन किया जा सकता है।

क्र. 282-भू-अर्जन-2018.—

चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न अनुसूची (1) के खाने 1 से 4 में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने 6 में उसके सम्मुख दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार अनुसूची (2) में दर्शित भूमि के व्यौरों से संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा अनुसूची(1) के खाने 5 में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा-12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है।

प्रस्तावित " सतसोई तालाब योजना के शीर्ष कार्य निर्माण " की प्रकृति लोकहित के अन्तर्गत सार्वजनिक प्रयोजन की होने से अधिनियम के अध्याय-2(अ) की धारा-4 - सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन एवं अन्य उपबन्धों से छूट प्रदान की गयी है जिसका प्रकाशन पृथक से किया गया है। इस कारण धारा-11(3) के तहत सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट के प्रकाशन की आवश्यकता नहीं है।

-: अनुसूची (1) :-

जिला	तहसील	ग्राम/ नगर	अर्जित की जाने वाली भूमि का कुल क्षेत्रफल (हे.में)	धारा-12 के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
1	2	3	4	5	6
खरगोन.	भीकनगांव	पछाया	57.153	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, खरगोन	" सतसोई तालाब योजना के शीर्ष कार्य निर्माण "

-: अनुसूची (2) :-

" सतसोई तालाब योजना के शीर्ष कार्य निर्माण " के अन्तर्गत. ग्राम- पछाया की प्रभावित निजी भूमि का विवरण

सर्वे नंबर	अर्जित की जाने वाली भूमि का कुल क्षेत्रफल (हे.में)
1	2
2/1/1, 2/1/2/1, 2/1/2/2, 2/1/3, 2/1/4, 2/2/1, 2/2/2, 2/3/1, 2/3/2, 2/4/1, 2/4/2, 2/5, 2/8, 2/16, 2/17, 2/18, 159/3, 160/3, 159/4, 160/4, 159/5, 160, 161/1/1, 162/1/1, 161/1/2, 162, 161/1/3, 162/1/3, 161/2/1, 162/2, 161/2/2/1, 162/2/2/1, 161/2/2/2, 162/2/2/2, 161/2/2/3, 162, 161/3/1, 162, 161/3/2, 162, 161/4, 162, 161/5, 162, 161/6, 162, 163/1, 163/2, 163/3, 163/4, 163/5, 164/1, 164/2/1, 164/2/2, 164/3/1, 164/3/2, 165, 166, 167/1, 167/2, 167/3, 167/4, 167/5, 167/6, 167/7, 167/8, 167/9, 167/10, 167/11, 167/12, 167/13, 172/1, 172/2, 172/3, 172/4, 172/5, 173, 195/2, 195/3, 195/4, 195/5, 196, 197, 198, 199, 201/2, 200, 202, 204, 205, 206, 207, 214, 217	57.153
योग:-	57.153

नोट:-भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी, राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी भीकनगांव एवं कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, खरगोन के कार्यालय में अवलोकन किया जा सकता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

शशि भूषण सिंह, कलेक्टर एवं समुचित सरकार.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला मुरैना, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

मुरैना, दिनांक 21 अगस्त 2018

प्र.क्र. अ-82-01-भू-अर्जन-उ.म.रे.-2017-18-19/10371

{भू-अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 11 एवं 40 [सहपठित भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार (प्रतिकर, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन, विकास योजना) नियम, 2015 के नियम 5(1) के अन्तर्गत]

जबकि समुचित सरकार को ऐसा प्रतीत होता है, कि लोक प्रयोजन (ग्वालियर-श्यापुरकलॉ रेल्वे छोटी लाईन से बड़ी लाईन में अमान परिवर्तन) के लिये अतिरिक्त भूमि ग्राम- जैतपुर नूराबाद तहसील- मुरैना, उपखण्ड- मुरैना, जिला-मुरैना में कुल किता 21 रकवा 1.930 एक रिपोर्ट की गयी थी कि भूमि अर्जन के कारण किसी भी कुटूम्बों के विस्थापित होने की संभावना नहीं है।

अतः जिला- मुरैना, तहसील- मुरैना के ग्राम- जैतपुर नूराबाद प0ह0न0- 89, रा0नि0वृत्त-08 में उक्त परियोजना के लिये 1.930 हेक्टेयर भूमि, जिसका विवरण निम्नानुसार है, का अर्जन प्रस्तावित किया जाता है:-

क्र. सं.	सर्वे नंबर	स्वामित्व का प्रकार	भूमि का प्रकार	अर्जन का क्षेत्रफल	हितबद्ध व्यक्ति का नाम और पता (राजस्व अभिलेख अनुसार)
1	2	3	4	5	6
1	273	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.015	रामविलास गब्बर राजेन्द्र वीरेन्द्र पिता रामअखत्यार मु0 विच्चो वेबा रामअखत्यार सुनीता पुत्री रामअखत्यार हि0 बरावर पता नि0 ग्राम भूमिस्वामी।
2	274/1	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.058	प्रीतम विशाल ऊंकार पि. गोपाल मु0 रेवती वेबा गोपाल समान भाग जाति गडरिया पता नि0 ग्राम भूमिस्वामी
3	274/2	भूमिस्वामी	कृषि भूमि		मुन्शीसिंह रामप्रसाद रामेश्वर पिता होतमसिंह हि0 3/4 रामविलास गब्बर राजेन्द्र वीरेन्द्र पिता रामअखत्यार र0 मु0 विच्चो वेबा रामअखत्यार सुनीता पुत्री रामअखत्यार हि0 1/4 पता जैतपुर नूराबाद भूमिस्वामी
4	274/3	भूमिस्वामी	कृषि भूमि		नारायण सिंह पुत्र हीरासिंह हि0 1/2 राकेश बलवीर सिंह पुत्र भीखम सिंह हि0 1/2 स0 भा0 जाति गूठा0 पता निवासी ग्राम समान भाग भूमिस्वामी
5	275/2	भूमिस्वामी	कृषि भूमि		कन्हईया दशरथ साहवसिंह कदमा सरदार पुत्रगण होतमसिंह मु0 आनन्दी वेबा होतमसिंह 1/2 समान भाग कन्हईया पुत्र होतमसिंह हि0 1/2 जाति गडरिया पता नि0 ग्राम भूमिस्वामी
6	279	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.018	नारायण सिंह पिता हीरासिंह कलावती, वैकुण्ठी पुत्रियों हीरा सिंह हि0 3/4 राकेश बलवीर सिंह पुत्रगण भीखम सिंह हि0 1/4 दर रकवा 0.763 लक्ष्मण, रघुवर, मानसिंह पिता नबाव सिंह 0.376 जाति गुजर ठाकुर पता निवासी ग्राम भूमिस्वामी
7	280	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.039	कमला देवी पत्नि प्रीतमसिंह, विशाल सिंह पुत्र गोपाल सिंह स0भा0 जाति गडरिया पता नि0 ग्राम भूमिस्वामी
8	281	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.046	कमला देवी पत्नि प्रीतम सिंह, विशाल सिंह पुत्र गोपाल सिंह स0भा0 जाति गडरिया पता नि0 ग्राम भूमिस्वामी
9	282	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.153	कमला देवी पत्नि प्रीतम सिंह, विशाल सिंह पुत्र गोपाल

					सिंह स०भा० जाति गडरिया पता नि० ग्राम भूमिस्वामी
10	284	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.136	मु धन्नो वेबा गोपाल 1/2 बहादुर सिंह मानसिंह पुत्रगण गौरीशंकर गुडडी कल्लो पुत्रियां गौरीशंकर मु० जावित्री वेबा गौरीशंकर समान भाग 1/2 जाति गडरिया पता निवासी ग्राम भूमिस्वामी
11	285	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.031	रामहेत पुत्र रामचरण, नारायणी पुत्री रामचरण जाति बघेल पता निवासी ग्राम भूमिस्वामी
12	286/1/1	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.082	प्रीतम विशाल ऊंकार पि० गोपाल मु० रेवती वेबा गोपाल समान भाग जाति गडरिया पता निवासी ग्राम भूमिस्वामी
13	286/1/2	भूमिस्वामी	कृषि भूमि		मुन्शीसिंह रामप्रसाद रामेश्वर पिता होतमसिंह हि० 3/4 रामविलाश गव्वर राजेन्द्र वीरेन्द्र पिता रामअख्यार मु० विच्चो वेबा रामअख्यार सुनीता पुत्री रामअख्यार हि० 1/4 पता जैतपुर नूरावाद भूमिस्वामी
14	286/2	भूमिस्वामी	कृषि भूमि		रामहेत पुत्र रामचरण नारायणी पुत्री रामचरण जाति बघेल पता नि० ग्राम भूमिस्वामी
15	287/1	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.043	प्रीतम विशाल ऊंकार पि० गोपाल मु० रेवती वेबा गोपाल समान भाग जाति गडरिया पता निवासी ग्राम भूमिस्वामी
16	287/2	भूमिस्वामी	कृषि भूमि		मुन्शीसिंह रामप्रसाद रामेश्वर पिता होतमसिंह हि० 3/4 रामविलाश गव्वर राजेन्द्र वीरेन्द्र पिता रामअख्यार मु० विच्चो वेबा रामअख्यार सुनीता पुत्री रामअख्यार हि० 1/4 पता जैतपुर नूरावाद भूमिस्वामी
17	291	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.113	नारायण सिंह पिता हीरासिंह कलावती बैकुन्टी पुत्रिया हीरासिंह 3/4 राकेश बलवीर सिंह पुत्रगण भीखम सिंह हि० 1/4 जाति गू०ठा० पता निवासी ग्राम भूमिस्वामी
18	292	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.101	नारायण सिंह पुत्र हीरासिंह हि० 1/2 राकेश बलवीर सिंह पुत्र भीखम सिंह हि० 1/2 स० भा० जाति गू०ठा० पता निवासी ग्राम समान भाग भूमिस्वामी
19	293	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.133	नारायण सिंह पुत्र हीरासिंह हि० 1/2 राकेश बलवीर सिंह पुत्र भीखम सिंह हि० 1/2 स० भा० जाति गू०ठा० पता निवासी ग्राम समान भाग भूमिस्वामी
20	295	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.522	नारायण सिंह पुत्र हीरासिंह हि० 1/2 राकेश बलवीर सिंह पुत्र भीखम सिंह हि० 1/2 स० भा० जाति गू०ठा० पता निवासी ग्राम समान भाग भूमिस्वामी
21	296/1	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.428	मु धन्नो वेबा गोपाल 1/4 बहादुर मानसिंह पुत्रगण गौरीशंकर गुडडी कल्लो पुत्रियां गौरीशंकर मु० जावित्री वेबा गौरीशंकर 1/4 हरज्ञान पुत्र जगराम 1/4 रामवरन पुत्र हाकिम मु० रामदेई वेबा हाकिम मीरा पुत्री हाकिम समान भाग 1/4 जाति बघेल पता निवासी ग्राम भूमिस्वामी
कुल	21			1.930	

यह अधिसूचना इससे संबंधित सभी व्यक्तियों के लिये भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार, अधिनियम, 2013 (2013 का 30) की धारा 11 (1) के उपबंधों के अधीन जारी की गई है।

भूमि से संबंधित नक्शा (प्लान) कार्यालय कलेक्टर जिला मुरैना में और कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) मुरैना में किसी भी कार्य दिवस को कार्य समय के दौरान देखा जा सकता है।

सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 12 में तथा यथा उपबंधित एवं विनिर्दिष्ट अधिकारी और उसके कर्मचारीवृंद को भूमि में प्रवेश करने और उसका सर्वेक्षण करने, किसी भी भूमि के स्तर लेने, अवमृदा में खुदाई करने या वेधन करने और अपने कार्य के उचित निष्पादन के लिये अपेक्षित सभी अन्य कार्य करने के लिये प्राधिकृत करती है।

अधिनियम की धारा 11(4) के अधीन कोई भी व्यक्ति कलेक्टर के पूर्व अनुमोदन के बिना किसी ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से भूमि का कोई भी संव्यवहार नहीं करेगा या कोई भी संव्यवहार नहीं होने देगा अर्थात्, क्रय/विक्रय, आदि नहीं करेगा या ऐसी भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा।

अधिनियम की धारा 15 के अधीन यथा उपबंधित इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से 60 दिनों के भीतर किसी भी इच्छुक व्यक्ति द्वारा भूमि अर्जन के बारे में कलेक्टर के समक्ष आक्षेप, यदि कोई हों, फाइल किए जा सकेंगे।

विशेष :- धारा 40(2) के कार्य क्षेत्र के भीतर आने वाली परियोजना के लिये भूमि की तत्काल अपेक्षा है इसलिये भू-अर्जन की अत्यावश्यकता होने से समुचित सरकार द्वारा दिये निर्देशों के प्रकाश में तथ्यों के परीक्षण उपरान्त प्रकरण में अधिनियम की धारा 40 के प्रावधान प्रवृत्त किये हैं। अतः इसमें अधिनियम के अध्याय 2 से 6 तक के प्रावधान के उपबंध लागू नहीं होंगे

प्र. क्र. अ-82-03-भू-अर्जन-उ.म.रे.-2017-18-19/10370

भू-अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 11 एवं 40 [सहपठित भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार (प्रतिकर, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन, विकास योजना) नियम, 2015 के नियम 5(1) के अन्तर्गत]

जबकि समुचित सरकार को ऐसा प्रतीत होता है, कि लोक प्रयोजन (ग्वालियर-श्यापुरकलों रेल्वे छोटी लाईन से बड़ी लाईन में अमान परिवर्तन) के लिये अतिरिक्त भूमि ग्राम- वामौरकलां, तहसील- मुरैना, उपखण्ड- मुरैना, जिला-मुरैना में कुल कित्ता 21 रकवा 1.505 एक रिपोर्ट की गयी थी कि भूमि अर्जन के कारण किसी भी कुटूम्बों के विस्थापित होने की संभावना नहीं है।

अतः जिला- मुरैना, तहसील- मुरैना के ग्राम- वामौरकलां, प0ह0न0- 89, रा0नि0वृत्-08 में उक्त परियोजना के लिये 1.505 हेक्टेयर भूमि, जिसका विवरण निम्नानुसार है, का अर्जन प्रस्तावित किया जाता है:-

क्र. सं.	सर्वे नंबर	स्वामित्व का प्रकार	भूमि का प्रकार	अर्जन का क्षेत्रफल	हितबद्ध व्यक्ति का नाम और पता (राजस्व अभिलेख अनुसार)
1	157	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.003	अनूपसिंह जयसिंह पुत्रगण पन्नालाल रुमाली वेवा पन्नालाल समान भाग 1/6 मुन्नालाल पुत्र हजारी रामश्री वेवा हजारी कौशल्या सुमित्रा सुखनिया पुत्री हजारीलाल समान भाग 5/6 दर भाग हि0 0.080 है0, शशि पत्नी रूपसिंह किरार वर्षा पत्नि मुरारीलाल राजपूत रकवा 1500 वर्गफुट पता नि0 ग्राम भूमिस्वामी।
2	159	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.175	भागीरथ पुत्र छीद्वाराम जाति जाटव नि0 ग्राम भूमिस्वामी .
3	260	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.004	राकेश सिंह पुत्र सुग्रीव सिंह श्याम सुन्दर पुत्र रामकिशोर जयपाल पुत्र सामन्त सिंह जाति ठाकुर पता नि0 ग्राम भूमिस्वामी
4	621/1	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.117	प्रकाश करनसिंह पुत्रगण मवसिया जाति जाटव नि0 थाना का पुरा समान भाग भूमिस्वामी
5	621/2	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.129	दयाल सेवा एवं शिक्षा समिति रजि. नं. 5338 द्वारा अध्यक्ष आर.एस.शर्मा पुत्र आर.सी.शर्मा सचिव हरेन्द्र शर्मा पुत्र आर.एस. शर्मा जाति ब्रा0 पता नि0 ग्वालियर समान भाग भूमिस्वामी
6	622	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.214	सोवरन सिंह पुत्र छिद्दा जाति जाटव पता नि. ग्राम भूमिस्वामी
7	624	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.086	सुरेशचन्द पुत्र मूंगाराम पता नि0 ब्यानाकापुरा भूमिस्वामी।
8	625	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.081	कैलाशी वाई पत्नि किसनलाल, गौरीशंकर पुरुषोत्तम वा0 अजय नाबा0 सरा0 मां खुद पिता किशनलाल, दीपाबाई बा0 ज्योति नाबा0 सरा0 मां खुद पुत्री किशनलाल जाति जाटव पता नि0 थाना

					का पुरा भूमिस्वामी
9	626	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.140	कैलाशी वाई पत्नि किशनलाल, गौरीशकर पुरुषोत्तम वा0 अजय नाबा0 सर0 मां खुद पिता किशनलाल, दीपाबाई बा0 ज्योति नाबा0 सरा0 मां खुद पुत्री किशनलाल जाति जाटव पता नि0 थाना का पुरा भूमिस्वामी
10	629	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.068	दीपक, दिनेश, राकेश पुत्र चन्द्रभान जाति ब्रा0 पता नि0 ग्राम समान भाग भूमिस्वामी
11	631	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.045	दीपक, दिनेश, राकेश पुत्र चन्द्रभान जाति ब्रा0 पता नि0 ग्राम समान भाग भूमिस्वामी
12	632	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.068	दीपक, दिनेश, राकेश पुत्र चन्द्रभान जाति ब्रा0 पता नि0 ग्राम समान भाग भूमिस्वामी
13	633/1	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.049	दीपक, दिनेश, राकेश पुत्र चन्द्रभान जाति ब्रा0 पता नि0 ग्राम समान भाग भूमिस्वामी
14	633/2	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.122	दौलतराम सोनेराम राजेन्द्र पुत्रगण सूरजभान मीराबाई मिथलेश पुत्रियां सूरजभान स0 भाग हि0 1/4 जाति ब्रा0 नि0 ग्राम भूमिस्वामी उदयभान ओमप्रकाश पुत्र बदीप्रसाद हि0 2/4 स0 भाग सरोज वेवा हरिकृष्ण आनन्द अजय कुमार पुत्र हरिकृष्ण अंजना प्रियंका पुत्री हरिकृष्ण हि0 1/4 समान भाग जाति ब्रा0 पता नि0 ग्राम भूमिस्वामी
15	644	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.043	संदीपा वैशाली पुत्रियां डॉ0 एस0 वी0 मल्होत्रा जाति पंजाबी पता नि0 ग्वालियर भूमिस्वामी
16	645	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.013	दौलतराम,सोनेराम ,राजेन्द्र पुत्रगण सूरजभान मीराबाई मिथलेश पुत्रियां सूरजभान,स0 भा0 हि0 1/4 जाति ब्रा0 पता नि0 ग्राम भूमिस्वामी, उदयभान, ओमप्रकाश पुत्र बदीप्रसाद हि0 2/4 स0 भा0 सरोज वेवा हरीकृष्ण आनन्द अजय कुमार पुत्र हरीकृष्ण अंजना प्रियंका पुत्रियां हरीकृष्ण हि0 1/4 समान भाग जाति ब्रा0 पता नि0 ग्राम भूमिस्वामी
17	646	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.025	दौलतराम,सोनेराम ,राजेन्द्र पुत्रगण सूरजभान मीराबाई मिथलेश पुत्रियां सूरजभान,स0 भा0 हि0 1/4 जाति ब्रा0 पता नि0 ग्राम भूमिस्वामी, उदयभान, ओमप्रकाश पुत्र बदीप्रसाद हि0 2/4 स0 भा0 सरोज वेवा हरीकृष्ण आनन्द अजय कुमार पुत्र हरीकृष्ण अंजना प्रियंका पुत्रियां हरीकृष्ण हि0 1/4 समान भाग जाति ब्रा0 पता नि0 ग्राम भूमिस्वामी
18	647	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.035	दौलतराम,सोनेराम ,राजेन्द्र पुत्रगण सूरजभान मीराबाई मिथलेश पुत्रियां सूरजभान,स0 भा0 हि0 1/4 जाति ब्रा0 पता नि0 ग्राम भूमिस्वामी, उदयभान, ओमप्रकाश पुत्र बदीप्रसाद हि0 2/4 स0 भा0 सरोज वेवा हरीकृष्ण आनन्द अजय कुमार पुत्र हरीकृष्ण अंजना प्रियंका पुत्रियां हरीकृष्ण हि0 1/4

					समान भाग जाति ब्रा0 पता नि0 ग्राम भूमिस्वामी
19	630/1/ मिन 1	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.088	दीपक, दिनेश, राकेश पुत्र चन्द्रभान जाति ब्रा0 पता नि0 ग्राम समान भाग भूमिस्वामी
20	630/1/ मिन 2	भूमिस्वामी	कृषि भूमि		दौलतराम, सोनेराम, राजेन्द्र पुत्रगण सूरजभान मीराबाई मिथलेश पुत्रियों सूरजभान, सो भा0 हि0 1/4 जाति ब्रा0 पता नि0 ग्राम भूमिस्वामी, उदयभान, ओमप्रकाश पुत्र बद्रीप्रसाद हि0 2/4 सो भा0 सरोज वेबा हरीकृष्ण आनन्द अजय कुमार पुत्र हरीकृष्ण अंजना प्रियंका पुत्रियों हरीकृष्ण हि0 1/4 समान भाग जाति ब्रा0 पता नि0 ग्राम भूमिस्वामी
21	630/2	भूमिस्वामी	कृषि भूमि		दौलतराम, सोनेराम, राजेन्द्र पुत्रगण सूरजभान मीराबाई मिथलेश पुत्रियों सूरजभान, सो भा0 हि0 1/4 जाति ब्रा0 पता नि0 ग्राम भूमिस्वामी, उदयभान, ओमप्रकाश पुत्र बद्रीप्रसाद हि0 2/4 सो भा0 सरोज वेबा हरीकृष्ण आनन्द अजय कुमार पुत्र हरीकृष्ण अंजना प्रियंका पुत्रियों हरीकृष्ण हि0 1/4 समान भाग जाति ब्रा0 पता नि0 ग्राम भूमिस्वामी
कुल				1.505	

यह अधिसूचना इससे संबंधित सभी व्यक्तियों के लिये भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार, अधिनियम, 2013 (2013 का 30) की धारा 11 (1) के उपबंधों के अधीन जारी की गई है।

भूमि से संबंधित नक्शा (प्लान) कार्यालय कलेक्टर जिला मुरैना में और कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) मुरैना में किसी भी कार्य दिवस को कार्य समय के दौरान देखा जा सकता है।

सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 12 में तथा यथा उपबंधित एवं विनिर्दिष्ट अधिकारी और उसके कर्मचारीवृंद को भूमि में प्रवेश करने और उसका सर्वेक्षण करने, किसी भी भूमि के स्तर लेने, अवमृदा में खुदाई करने या वेधन करने और अपने कार्य के उचित निष्पादन के लिये अपेक्षित सभी अन्य कार्य करने के लिये प्राधिकृत करती है।

अधिनियम की धारा 11(4) के अधीन कोई भी व्यक्ति कलेक्टर के पूर्व अनुमोदन के बिना किसी ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से भूमि का कोई भी संव्यवहार नहीं करेगा या कोई भी संव्यवहार नहीं होने देगा अर्थात्, क्रय/विक्रय, आदि नहीं करेगा या ऐसी भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा।

अधिनियम की धारा 15 के अधीन यथा उपबंधित इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से 60 दिनों के भीतर किसी भी इच्छुक व्यक्ति द्वारा भूमि अर्जन के बारे में कलेक्टर के समक्ष आक्षेप, यदि कोई हों, फाइल किए जा सकेंगे।

विशेष :- धारा 40(2) के कार्य क्षेत्र के भीतर आने वाली परियोजना के लिये भूमि की तत्काल अपेक्षा है इसलिये भू-अर्जन की अत्यावश्यकता होने से समुचित सरकार द्वारा दिये निर्देशों के प्रकाश में तथ्यों के परीक्षण उपरान्त प्रकरण में अधिनियम की धारा 40 के प्रावधान प्रवृत्त किये हैं। अतः इसमें अधिनियम के अध्याय 2 से 6 तक के प्रावधान के उपबंध लागू नहीं होंगे।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

भरत यादव, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला धार, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

धार, दिनांक 21 अगस्त 2018

प्र.क्र. 11345-अ-2017-18.—

(अन्तर्गत धारा -11 भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार, अधिनियम, 2013 (क्रं. 30 सन् 2013)

चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची क्रं. 01 में चुनार सिंचाई तालाब योजना अन्तर्गत ग्राम काकड़पाड़ा तहसील सरदारपुर जिला धार की प्रभावित वन अधिकार पट्टे की भूमि जिसका कृषकवार एवं कक्ष क्रमांकवार विवरण अनुसूची (2) में उल्लेखित है। सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है।

अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (क्रं. 30 सन् 2013) की धारा-11 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न वर्णित अनुसूची (2) की भूमि कि अनुसूची (1) में अंकित सार्वजनिक प्रयोजनार्थ आवश्यकता है।

अनुसूची (1)

ग्राम- काकड़पाड़ा

तहसील सरदारपुर जिला धार

क्रं.	विवरण	अर्जित की जाने वाली भूमि का कुल रकबा (हेक्टर)		
		सिंचित	असिंचित	कुल
1.	चुनार सिंचाई तालाब निर्माण में प्रभावित होने से	0.000	0.621	0.621
	योग	0.000	0.621	0.621

अनुसूची (2)

चुनार सिंचाई तालाब योजना अन्तर्गत ग्राम काकड़पाड़ा तहसील सरदारपुर की प्रभावित भूमि का विवरण

क.	पट्टेदार कृषक का नाम व पिता/पति का नाम	कक्ष क्रमांक	प्लॉट क्रमांक	भूमि का कुल रकबा.			अर्जित की जाने वाली भूमि का रकबा (हेक्टर में)		
				सिंचित	असिंचित	कुल	सिंचित	असिंचित	कुल
1	पिंजू पिता सुरभान व धुलीबाई पति पिंजू निवासी ग्राम काकड़पाड़ा	430	1 लगायत 2 तक	0.000	0.621	0.621	0.000	0.621	0.621
	योग			0.000	0.621	0.621	0.000	0.621	0.621

प्र.क्र. 11347-अ-2017-18.—

चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची क्रं. 01 में चुनार सिंचाई तालाब योजना अन्तर्गत ग्राम माछलिया तहसील सरदारपुर जिला धार की प्रभावित वन अधिकार पट्टे की भूमि जिसका कृषकवार एवं कक्ष क्रमांकवार विवरण अनुसूची (2) में उल्लेखित है। सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है।

अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (क्रं. 30 सन् 2013) की धारा-11 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न वर्णित अनुसूची (2) की भूमि कि अनुसूची (1) में अंकित सार्वजनिक प्रयोजनार्थ आवश्यकता है।

अनुसूची (1)

ग्राम— माछलिया

तहसील सरदारपुर जिला धार

क्रं.	विवरण	अर्जित की जाने वाली भूमि का कुल रकबा (हेक्टर)		
		सिंचित	असिंचित	कुल
1.	चुनार सिंचाई तालाब निर्माण में प्रभावित होने से	0.000	0.603	0.603
	योग	0.000	0.603	0.603

अनुसूची (2)

चुनार सिंचाई तालाब योजना अन्तर्गत ग्राम माछलिया तहसील सरदारपुर की प्रभावित भूमि का विवरण

क.	पट्टेदार कृषक का नाम व पिता/पति का नाम	कक्ष क्रमांक	प्लॉट क्रमांक	भूमि का कुल रकबा			अर्जित की जाने वाली भूमि का रकबा (हेक्टर में)		
				सिंचित	असिंचित	कुल	सिंचित	असिंचित	कुल
1	रमेश पिता देमा निवासी ग्राम माछलिया	428	1	0.000	0.603	0.603	0.000	0.603	0.603
	योग			0.000	0.603	0.603	0.000	0.603	0.603

प्र.क्र. 11349-अ-2017-18.—

चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची क्रं. 01 में चुनार सिंचाई तालाब योजना अन्तर्गत ग्राम पिपल्याभान तहसील सरदारपुर जिला धार की प्रभावित वन अधिकार पट्टे की भूमि जिसका कृषकवार एवं कक्ष क्रमांकवार विवरण अनुसूची (2) में उल्लेखित है। सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है।

अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (क्रं. 30 सन् 2013) की धारा-11 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न वर्णित अनुसूची (2) की भूमि कि अनुसूची (1) में अंकित सार्वजनिक प्रयोजनार्थ आवश्यकता है।

अनुसूची (1)

ग्राम— पिपल्याभान

तहसील सरदारपुर जिला धार

क्रं.	विवरण	अर्जित की जाने वाली भूमि का कुल रकबा (हेक्टर)		
		सिंचित	असिंचित	कुल
1.	चुनार सिंचाई तालाब निर्माण में प्रभावित होने से	0.000	2.378	2.378
	योग	0.000	2.378	2.378

अनुसूची (2)

चुनार सिंचाई तालाब योजना अन्तर्गत ग्राम पिपल्याभान तहसील सरदारपुर की प्रभावित भूमि का विवरण

क्रं.	पट्टेदार कृषक का नाम व पिता/पति का नाम	कक्ष क्रमांक	प्लॉट क्रमांक	भूमि का कुल रकबा			अर्जित की जाने वाली भूमि का रकबा (हेक्टर में)		
				सिंचित	असिंचित	कुल	सिंचित	असिंचित	कुल
1	सुरेश पिता मंगू व मिठूडीबाई पति सुरेश निवासी ग्राम पिपल्याभान	428	1 लगायत 2 तक	0.000	1.572	1.572	0.000	1.572	1.572
2	भमरू पिता हकू व कमाबाई पति भमरू निवासी ग्राम पिपल्याभान	429	1 लगायत 5 तक	0.000	0.806	0.806	0.000	0.806	0.806
	योग			0.000	2.378	2.378	0.000	2.378	2.378

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

दीपक सिंह, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला सीधी, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

सीधी, दिनांक 7 अगस्त 2018

पत्र क्र. 453-भू-अर्जन-2018-चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है, कि इस संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (4) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है, कि कोई भी व्यक्ति इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने तक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी भूमि पर कोई विलगम सृजित नहीं करेगा. यह परियोजना कृषकों के हित से संबंध है. यहां पर कोई वृहद स्तर का विस्थापन न होकर महान (गुलाब सागर) परियोजना के द्वितीय चरण में बहरी नहर विस्तार योजना के मुख्य नहर निर्माण हेतु क्षेत्र प्रस्तावित है. यह प्रक्रिया/परियोजना शासन एवं आमजन के न्याय हित में होने के कारण सामाजिक समाघात के पूर्व मूल्यांकन/आंकलन की आवश्यकता नहीं है राज्य शासन इसके अनुसूची के खाने (3) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबध में धारा-12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है.

अनुसूची

1-भूमि का विवरण :-

(क) ग्राम का नाम	-	भितरी
(ख) तहसील	-	बहरी
(ग) जिला	-	सीधी
(घ) निजी भूमि का अर्जित क्षेत्रफल-		रकबा 1.241 हे.

खसरा नम्बर (1)	अर्जन हेतु प्रस्तावित रकबा (हे. में) (2)	धारा-12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी (3)	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन (4)
472/1, 472/2	0.130		
473/1, 473/2	0.130		
351/1/1, 351/1/2	0.640		
351/1/3, 351/2/1			
341	0.063		
342	0.087		
343	0.034		
344	0.010		
345	0.005		
332	0.032		
337	0.022		
340/3	0.001		
476	0.020		
474	0.048		
358	0.019		

योग . . . 1.241

- (2) भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यालय उपखण्ड अधिकारी सिहावल में देखा जा सकता है।
- (3) उक्त कार्य हेतु संबंधित परिवारों के पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन प्रयोजन के लिए अपर कलेक्टर सीधी को प्रशासक नियुक्त किया जाता है। अतः हितबद्ध कोई भी व्यक्ति इस हेतु उनके समक्ष 60 दिनों के अंदर आवेदन कर सकता है।
- (4) धारा-11 के तहत जारी उक्त अधिसूचना की प्रकाशन की तारीख से 60 दिन के भीतर कोई भी व्यक्ति अधिनियम 2013 की धारा-15 के तहत लिखित आक्षेप प्रस्तुत कर सकते हैं।
- (5) यह सूचना सर्व-संबंधितों की जानकारी के लिए जारी की जा रही है।

क्र. 451-भू-अर्जन-2018-चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है, कि इस संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (4) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतः भू-अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है, कि कोई भी व्यक्ति इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने तक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी भूमि पर कोई विलंगम सृजित नहीं करेगा। यह परियोजना कृषकों के हित से संबंध है। यहां पर कोई वृहद स्तर का विस्थापन न होकर महान (गुलाब सागर) परियोजना के द्वितीय चरण में बहरी नहर विस्तार योजना के मुख्य नहर निर्माण हेतु क्षेत्र प्रस्तावित है। यह प्रक्रिया/परियोजना शासन एवं आमजन के न्याय हित में होने के कारण सामाजिक समाघात के पूर्व मूल्यांकन/आंकलन की आवश्यकता नहीं है राज्य शासन इसके अनुसूची के खाने (3) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा-12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है।

अनुसूची

1-भूमि का विवरण :-	—	
ग्राम का नाम	—	गजरही उन्मुक्त
तहसील	—	बहरी
जिला	—	सीधी
निजी भूमि का अर्जित क्षेत्रफल	—	रकवा 4.557 हे.

खसरा नम्बर (1)	अर्जन हेतु प्रस्तावित रकवा (हे. में) (2)	धारा-12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी (3)	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन (4)
640	0.203	कार्यपालन यंत्री महान नहर	महान (गुलाब सागर) परियोजना
642	0.041	संभाग सीधी, जिला - सीधी	के बहरी नहर विस्तार योजना
628	0.068	(म.प्र.)	(द्वितीय चरण) के मुख्य नहर
639	0.001		निर्माण हेतु
629	0.099		
630	0.068		
631	0.120		
632	0.070		
564	0.170		
565	0.148		
568	0.246		
569	0.024		

(1)	(2)	(3)	(4)
574	0.005		
575	0.006		
576	0.070		
600/2/1/1	0.078		
600/3/1/1			
600/832/मिन-1	0.033		
577/1	0.060		
577/2			
598	0.006		
599	0.010		
599/1	0.079		
589	0.059		
593	0.030		
594	0.020		
595/1/1			
595/2			
595/3	0.077		
595/4			
604/1/1	0.003		
468/1, 468/2	0.089		
466	0.104		
463/3			
463/4	0.025		
463/5			
465/1	0.074		
365	0.014		
371	0.208		
372	0.004		
322/1	0.016		
375/2/1			
375/2/2	0.318		
375/2/3			
375/मिन-1			
376	0.067		
377	0.073		
382	0.069		
379	0.063		
380	0.081		
187	0.729		
295	0.062		
296	0.073		
190	0.113		
597	0.027		
374	0.014		

(1)	(2)	(3)	(4)
381	0.013		
192/1, 192/2	0.001		
383/मिन-2	0.001		
590	0.001		
469/मिन-1, 469/मिन-2	0.013		
461/1			
461/2			
461/3	0.118		
461/4			
461/5/1			
461/5/2			
462/1	0.006		
368	0.125		
369	0.128		
370/1			
370/2	0.083		
370/3			
370/4			
384	0.012		
385	0.003		
378	0.009		
643	0.015		
629/833	0.012		
योग		4.557	हे.

- (2) भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यालय उपखण्ड अधिकारी सिहावल में देखा जा सकता है.
- (3) उक्त कार्य हेतु संबंधित परिवारों के पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन प्रयोजन के लिए अपर कलेक्टर सीधी को प्रशासक नियुक्त किया जाता है. अतः हितबद्ध कोई भी व्यक्ति इस हेतु उनके समक्ष 60 दिनों के अंदर आवेदन कर सकता है.
- (4) धारा-11 के तहत जारी उक्त अधिसूचना की प्रकाशन की तारीख से 60 दिन के भीतर कोई भी व्यक्ति अधिनियम, 2013 की धारा-15 के तहत लिखित आक्षेप प्रस्तुत कर सकते हैं.
- (5) यह सूचना सर्व संबंधितों की जानकारी के लिए जारी की जा रही है.

पत्र क्र. 457-भू-अर्जन-2018-चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है, कि इस संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (5) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (5) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है, कि कोई भी व्यक्ति इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने तक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा, अथवा ऐसी भूमि पर कोई विलगम सृजित नहीं करेगा. यह परियोजना कृषकों के हित से संबंध है. यहां पर कोई वृहद स्तर का विस्थापन न होकर महान (गुलाब सागर) परियोजना के द्वितीय चरण में बहरी नहर विस्तार योजना के मुख्य नहर निर्माण हेतु क्षेत्र प्रस्तावित है. यह प्रक्रिया/परियोजना शासन एवं आमजन के न्याय

हित में होने के कारण सामाजिक समाघात के पूर्व मूल्यांकन/आंकलन की आवश्यकता नहीं है राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (4) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा-12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है।

अनुसूची

1-भूमि का विवरण :-	-	
(क) ग्राम का नाम	-	जतखनिया
(ख) तहसील	-	बहरी
(ग) जिला	-	सीधी
(घ) निजी भूमि का अर्जित क्षेत्रफल-		रकवा 1.210 हे.

खसरा नम्बर (1)	अर्जन हेतु प्रस्तावित रकवा (हे. में) (2)	धारा-12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी (3)	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन (4)
292	0.250	कार्यपालन यंत्री महान नहर	महान (गुलाब सागर) परियोजना
293	0.050	संभाग सीधी जिला - सीधी	के बहरी नहर विस्तार योजना
317	0.088	(म.प्र.)	(द्वितीय चरण) के मुख्य नहर
315	0.003		निर्माण हेतु.
311	0.006		
313	0.016		
308	0.006		
247 / 2	0.450		
246	0.111		
245	0.100		
243	0.120		
242	0.010		
योग	<u>1.210</u> हे.		

- (2) भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यालय उपखण्ड अधिकारी सिहावल में देखा जा सकता है।
- (3) उक्त कार्य हेतु संबंधित परिवारों के पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन प्रयोजन के लिए अपर कलेक्टर सीधी को प्रशासक नियुक्त किया जाता है. अतः हितबद्ध कोई भी व्यक्ति इस हेतु उनके समक्ष 60 दिनों के अंदर आवेदन कर सकता है.
- (4) धारा-11 के तहत जारी उक्त अधिसूचना की प्रकाशन की तारीख से 60 दिन के भीतर कोई भी व्यक्ति अधिनियम, 2013 की धारा-15 के तहत लिखित आक्षेप प्रस्तुत कर सकते हैं.
- (5) यह सूचना सर्व संबंधितों की जानकारी के लिए जारी की जा रही है.

पत्र क्र. 455-भू-अर्जन-2018-चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है, कि इस संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (5) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (5) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है, कि कोई भी व्यक्ति इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने तक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा, अथवा ऐसी भूमि पर कोई विलंगम सृजित नहीं करेगा. यह

परियोजना कृषकों के हित से संबंध है। यहां पर कोई वृहद स्तर का विस्थापन न होकर महान (गुलाब सागर) परियोजना के द्वितीय चरण में बहरी नहर विस्तार योजना के मुख्य नहर निर्माण हेतु क्षेत्र प्रस्तावित है। यह प्रक्रिया/परियोजना शासन एवं आमजन के न्याय हित में होने के कारण सामाजिक समाघात के पूर्व मूल्यांकन/आंकलन की आवश्यकता नहीं है राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (4) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा-12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है।

अनुसूची

1-भूमि का विवरण :-	-	
(क) ग्राम का नाम	-	गजरही कोठार
(ख) तहसील	-	बहरी
(ग) जिला	-	सीधी
(घ) निजी भूमि का अर्जित क्षेत्रफल-	-	रकवा 4.377 हे.

खसरा नम्बर (1)	अर्जन हेतु प्रस्तावित रकवा (हे. में) (2)	धारा-12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी (3)	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन (4)
222	0.003	कार्यपालन यंत्री महान नहर	महान (गुलाब सागर) परियोजना
223	0.093	संभाग सीधी जिला - सीधी	के बहरी नहर विस्तार योजना
224	0.162	(म.प्र.)	(द्वितीय चरण) के मुख्य नहर
225	0.026		निर्माण हेतु.
226	0.115		
227	0.015		
220	0.140		
221	0.180		
214	0.250		
121	0.020		
122	0.480		
124	0.040		
104	0.522		
103	0.110		
91/1, 91/2	0.480		
94	0.001		
53	0.060		
54	0.030		
55	0.100		
56	0.120		
46	0.120		
47/238	0.170		
48	0.160		
47/1/1			
47/1/2	0.360		
47/2			

(1)	(2)	(3)	(4)
44/1			
44/2/1, 44/2/2	0.060		
43/Min-1			
43/Min-2	0.510		
43/Min-3			
41/Min-1			
41/Min-2	0.050		
41/Min-3			
कुल	4.377		

- (2) भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यालय उपखण्ड अधिकारी बहरी में देखा जा सकता है।
- (3) उक्त कार्य हेतु संबंधित परिवारों के पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन प्रयोजन के लिए अपर कलेक्टर, सीधी को प्रशासक नियुक्त किया जाता है। अतः हितबद्ध कोई भी व्यक्ति इस हेतु उनके समक्ष 60 दिनों के अंदर आवेदन कर सकता है।
- (4) धारा-11 के तहत जारी उक्त अधिसूचना की प्रकाशन की तारीख से 60 दिन के भीतर कोई भी व्यक्ति अधिनियम, 2013 की धारा-15 के तहत लिखित आक्षेप प्रस्तुत कर सकते हैं।
- (5) यह सूचना सर्व संबंधितों की जानकारी के लिए जारी की जा रही है।

पत्र क्र. 459-भू-अर्जन-2018-चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है, कि इस संलग्न अनुसूची के खानों (1) से (5) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खानों (5) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतः भू-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा, इस आशय की सूचना दी जाती है, कि कोई भी व्यक्ति इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने तक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा, अथवा ऐसी भूमि पर कोई विलंगम सृजित नहीं करेगा। यह परियोजना कृषकों के हित से संबंध है। यहां पर कोई वृहद स्तर का विस्थापन न होकर महान (गुलाब सागर) परियोजना के द्वितीय चरण में बहरी नहर विस्तार योजना के मुख्य नहर निर्माण हेतु क्षेत्र प्रस्तावित है। यह प्रक्रिया/परियोजना शासन एवं आमजन के न्याय हित में होने के कारण सामाजिक समाघात के पूर्व मूल्यांकन/आंकलन की आवश्यकता नहीं है, राज्य शासन, इसके द्वारा अनुसूची के खाने (4) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा-12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है।

अनुसूची

1-भूमि का विवरण :-	-
(क) ग्राम का नाम	चमरदह
(ख) तहसील	बहरी
(ग) जिला	सीधी
(घ) निजी भूमि का अर्जित क्षेत्रफल -	रकबा 0.354

खसरा नम्बर	अर्जन हेतु प्रस्तावित रकबा (हे. में)	धारा-12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)
541	0.022	कार्यपालन यंत्री महान नहर	महान (गुलाब सागर) परियोजना के बहरी नहर विस्तार योजना
539	0.17	संभाग सीधी, जिला - सीधी	(द्वितीय चरण) के मुख्य नहर
542	0.033	(म.प्र.)	निर्माण हेतु
538	0.129		
योग	0.354		

- (2) भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यालय, उपखण्ड अधिकारी, बहरी में देखा जा सकता है।
- (3) उक्त कार्य हेतु संबंधित परिवारों के पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन प्रयोजन के लिए अपर कलेक्टर सीधी को प्रशासक नियुक्त किया जाता है। अतः हितबद्ध कोई भी व्यक्ति इस हेतु उनके समक्ष 60 दिनों के अंदर आवेदन कर सकता है।
- (4) धारा-11 के तहत जारी उक्त अधिसूचना की प्रकाशन की तारीख से 60 दिन के भीतर कोई भी व्यक्ति अधिनियम, 2013 की धारा-15 के तहत लिखित आक्षेप प्रस्तुत कर सकते हैं।
- (5) यह सूचना सर्व संबंधितों की जानकारी के लिए जारी की जा रही है।

क्र. 461-भू-अर्जन-2018-चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है, कि इस संलग्न अनुसूची के खानों (1) से (5) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खानों (5) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतः भू-अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा, इस आशय, की सूचना दी जाती है, कि कोई भी व्यक्ति इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने तक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा, अथवा ऐसी भूमि पर कोई विलंगम सृजित नहीं करेगा। यह परियोजना कृषकों के हित से संबंध है। यहां पर कोई वृहद स्तर का विस्थापन न होकर महान (गुलाब सागर) परियोजना के द्वितीय चरण में बहरी नहर विस्तार योजना के मुख्य नहर निर्माण हेतु क्षेत्र प्रस्तावित है। यह प्रक्रिया/परियोजना शासन एवं आमजन के न्याय हित में होने के कारण सामाजिक समाघात के पूर्व मूल्यांकन/आंकलन की आवश्यकता नहीं है। राज्य शासन, इसके द्वारा अनुसूची के खाने (4) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा-12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है।

अनुसूची

1-भूमि का विवरण :-

(क) ग्राम का नाम	-	कुशियार
(ख) तहसील	-	बहरी
(ग) जिला	-	सीधी
(घ) निजी भूमि का अर्जित क्षेत्रफल-	-	रकवा 1.891 हे.

खसरा नम्बर (1)	अर्जन हेतु प्रस्तावित रकवा (हे. में) (2)	धारा-12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी (3)	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन (4)
52	0.010	कार्यपालन यंत्री, महान नहर	महान (गुलाब सागर) परियोजना
53	0.040	संभाग सीधी जिला - सीधी	के बहरी नहर विस्तार योजना
54	0.090	(म.प्र.)	(द्वितीय चरण) के मुख्य नहर
55	0.010		निर्माण हेतु
56	0.130		
57	0.110		
58	0.255		
59	0.034		
63	0.060		
76	0.070		
81	0.500		

(1)	(2)	(3)	(4)
82	0.090		
83	0.002		
86	0.120		
61	0.030		
87	0.180		
88	0.160		

योग . . 1.891 हे.

- (2) भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यालय उपखण्ड अधिकारी बहरी में देखा जा सकता है.
- (3) उक्त कार्य हेतु संबंधित परिवारों के पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन प्रयोजन के लिए अपर कलेक्टर सीधी को प्रशासक नियुक्त किया जाता है. अतः हितबद्ध कोई भी व्यक्ति इस हेतु उनके समक्ष 60 दिनों के अंदर आवेदन कर सकता है.
- (4) धारा-11 के तहत जारी उक्त अधिसूचना की प्रकाशन की तारीख से 60 दिन के भीतर कोई भी व्यक्ति अधिनियम, 2013 की धारा-15 के तहत लिखित आक्षेप प्रस्तुत कर सकते हैं.
- (5) यह सूचना सर्व संबंधितों की जानकारी के लिए जारी की जा रही है.

क्र. 463-भू-अर्जन-2018-चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है, कि इस संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (5) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (5) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है, कि कोई भी व्यक्ति इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने तक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा, अथवा ऐसी भूमि पर कोई विलगम सृजित नहीं करेगा. यह परियोजना कृषकों के हित से संबंध है. यहां पर कोई वृहद स्तर का विस्थापन न होकर महान (गुलाब सागर) परियोजना के द्वितीय चरण में बहरी नहर विस्तार योजना के मुख्य नहर निर्माण हेतु क्षेत्र प्रस्तावित है. यह प्रक्रिया/परियोजना शासन एवं आमजन के न्याय हित में होने के कारण सामाजिक समाघात के पूर्व मूल्यांकन/आंकलन की आवश्यकता नहीं है. राज्य शासन इसके अनुसूची के खाने (4) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा-12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है.

अनुसूची

1-भूमि का विवरण :-	-
(क) ग्राम का नाम	चोराही
(ख) तहसील	बहरी
(ग) जिला	सीधी
(घ) निजी भूमि का अर्जित क्षेत्रफल -	रकवा 4.126 हे.

खसरा नम्बर	अर्जन हेतु प्रस्तावित रकवा (हे. में)	धारा-12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)
147	0.050	कार्यपालन यंत्री, महान नहर	महान (गुलाब सागर) परियोजना
146	0.300	संभाग, सीधी जिला - सीधी, म.प्र.	के बहरी नहर विस्तार योजना

(1)	(2)	(3)	(4)
138/1	0.090		(द्वितीय चरण) के मुख्य नहर निर्माण हेतु
138/2	0.090		
139	0.260		
137/1	0.400		
137/2	0.010		
136/1	0.060		
136/2	0.050		
125	0.300		
134	0.070		
127	0.350		
126	0.020		
122	0.003		
128	0.130		
129	0.004		
130	0.170		
131/1			
131/2/1/1			
131/2/1/2	0.080		
131/2/2			
222	0.070		
220	0.120		
219	0.260		
217	0.030		
218/1, 218/2	0.045		
212	0.001		
213	0.070		
214	0.090		
216	0.076		
123	0.050		
233	0.050		
235	0.070		
236	0.1700		
237	0.040		
413	0.040		
414	0.016		
242	0.006		
410	0.008		
408	0.001		
412	0.070		
367	0.040		
368	0.060		
370	0.025		
371	0.060		
372	0.080		
373	0.080		
376	0.030		
411	0.003		
407	0.020		
221	0.008		

योग . . 4.126 हे.

- (2) भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यालय उपखण्ड अधिकारों सिहावल में देखा जा सकता है।
- (3) उक्त कार्य हेतु संबंधित परिवारों के पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन प्रयोजन के लिए अपर कलेक्टर सीधी को प्रशासक नियुक्त किया जाता है। अतः हितबद्ध कोई भी व्यक्ति इस हेतु उनके समक्ष 60 दिनों के अंदर आवेदन कर सकता है।
- (4) धारा-11 के तहत जारी उक्त अधिसूचना की प्रकाशन कर तारीख से 60 दिन के भीतर कोई भी व्यक्ति अधिनियम, 2013 की धारा-15 के तहत लिखित आक्षेप प्रस्तुत कर सकते हैं।
- (5) यह सूचना सर्वसंबंधितों को जानकारी के लिए जारी की जा रही है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
दिलीप कुमार, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव।

कार्यालय, प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना, जिला रीवा, मध्यप्रदेश एवं
पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

रीवा, दिनांक 28 अगस्त 2018

क्र. 1381-भू-अर्जन-2018-19-चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत है, कि इस संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके नीचे दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतः भूमि अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है। राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (6) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा-12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है। चूंकि मझगावा शाखा नहर का निर्माण पूर्व से चल रहा है तथा अधिकांश भूमि के अर्जन की प्रक्रिया पूर्व में की जा चुकी है इस कारण धारा 11(3) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है :-

अनुसूची					
जिला	भूमि का विवरण		लगभग	धारा-12 के अंतर्गत	सार्वजनिक प्रयोजन का
(1)	तहसील	नगर/ग्राम	क्षेत्रफल (हे. में.)	प्राधिकृत अधिकारी	वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सतना	बिरसिंहपुर	करकल	2.400	कार्यपालन यंत्री पक्का बांध संभाग क्र.3 देवलोद, जिला शहडोल (म. प्र.)	मझगावा शाखा की लिफ्ट-2 की माईनर/सबमाईनर नहर निर्माण हेतु.
योग			2.400		

- (2) भूमि के नक्शे (प्लान) का अवलोकन, प्रशासक भू-अर्जन एवं पुनर्वास एवं पदेन उपसचिव राजस्व विभाग जिला रीवा के कार्यालय से किसी भी कार्य दिवस के कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है।

क्र. 1383-भू-अर्जन-2018-19-चूँकि, राज्य शासन को यह प्रतीत है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उनके नीचे दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा-12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. चूँकि मझगंवा शाखा नहर का निर्माण पूर्व से चल रहा है तथा अधिकांश भूमि के अर्जन की प्रक्रिया पूर्व में की जा चुकी है इस कारण धारा 11(3) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है :-

अनुसूची

भूमि का विवरण			लगभग	धारा-12 के अंतर्गत	सार्वजनिक प्रयोजन का
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	क्षेत्रफल (हे. में.)	प्राधिकृत अधिकारी	वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सतना	बिरसिंहपुर	नगवर	4.800	कार्यपालन यंत्री पक्का बांध संभाग क्र.3 देवलौद, जिला शहडोल (म. प्र.).	मझगंवा शाखा नहर की लिफ्ट-2 की माईनर/सबमाईनर नहर निर्माण हेतु.

योग . . . 4.850

- (2) भूमि के नक्शे (प्लान) का अवलोकन, प्रशासक भू-अर्जन एवं पुनर्वास एवं पदेन उपसचिव राजस्व विभाग, जिला रीवा के कार्यालय से किसी भी कार्य दिवस के कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है.

क्र. 1385-भू-अर्जन-2018-19-चूँकि, राज्य शासन को यह प्रतीत है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उनके नीचे दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा-12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. चूँकि मझगंवा शाखा नहर का निर्माण पूर्व से चल रहा है तथा अधिकांश भूमि के अर्जन की प्रक्रिया पूर्व में की जा चुकी है इस कारण धारा 11(3) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है :-

अनुसूची

भूमि का विवरण			लगभग	धारा-12 के अंतर्गत	सार्वजनिक प्रयोजन का
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	क्षेत्रफल (हे. में.)	प्राधिकृत अधिकारी	वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सतना	बिरसिंहपुर	पचली	4.750	कार्यपालन यंत्री पक्का बांध संभाग क्र.3 देवलौद, जिला शहडोल (म. प्र.).	मझगंवा शाखा नहर की लिफ्ट-2 की माईनर/सबमाईनर नहर निर्माण हेतु.

योग . . . 4.750

- (2) भूमि के नक्शे (प्लान) का अवलोकन, प्रशासक भू-अर्जन एवं पुनर्वास एवं पदेन उपसचिव राजस्व विभाग, जिला रीवा के कार्यालय से किसी भी कार्य दिवस के कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है.

क्र. 1387-भू-अर्जन-2018-19-चूँकि, राज्य शासन को यह प्रतीत है, कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उनके नीचे दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा-12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. चूँकि मझगंवा शाखा नहर का निर्माण पूर्व से चल रहा है तथा अधिकांश भूमि के अर्जन की प्रक्रिया पूर्व में की जा चुकी है इस कारण धारा 11(3) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है :-

अनुसूची

भूमि का विवरण			लगभग क्षेत्रफल (हे. में.)	धारा-12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सतना	बिरसिंहपुर	कलबलिया	4.900	कार्यपालन यंत्री पक्का बांध संभाग क्र.3 देवलौद, जिला शहडोल (म. प्र.)	मझगंवा शाखा नहर की लिफ्ट-2 की माईनर/सबमाईनर नहर निर्माण हेतु.

योग . . . 4.900

- (2) भूमि के नक्शे (प्लान) का अवलोकन, प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास एवं पदेन उपसचिव राजस्व विभाग, जिला रीवा के कार्यालय से किसी भी कार्य दिवस के कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है.

क्र. 1389-भू-अर्जन-2018-19-चूँकि, राज्य शासन को यह प्रतीत है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उनके नीचे दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा-12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. चूँकि मझगंवा शाखा नहर का निर्माण पूर्व से चल रहा है तथा अधिकांश भूमि के अर्जन की प्रक्रिया पूर्व में की जा चुकी है इस कारण धारा 11(3) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है :-

अनुसूची

भूमि का विवरण			लगभग क्षेत्रफल (हे. में.)	धारा-12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सतना	बिरसिंहपुर	सिकडौरा	4.700	कार्यपालन यंत्री पक्का बांध संभाग क्र.3 देवलौद, जिला शहडोल (म. प्र.)	मझगंवा शाखा नहर की लिफ्ट-2 की माईनर/सबमाईनर नहर निर्माण हेतु.

योग . . . 4.700

- (2) भूमि के नक्शे (प्लान) का अवलोकन, प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास एवं पदेन उपसचिव राजस्व विभाग, जिला रीवा के कार्यालय से किसी भी कार्य दिवस के कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है.

क्र. 1389-भू-अर्जन-2018-19-चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उनके नीचे दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा-12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. चूंकि मझगवा शाखा नहर का निर्माण पूर्व से चल रहा है तथा अधिकांश भूमि के अर्जन की प्रक्रिया पूर्व में की जा चुकी है इस कारण धारा 11(3) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है :-

अनुसूची

भूमि का विवरण			लगभग	धारा-12 के अंतर्गत	सार्वजनिक प्रयोजन का
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	क्षेत्रफल (हे. में.)	प्राधिकृत अधिकारी	वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सतना	बिरसिंहपुर	महुटा	2.450	कार्यपालन यंत्री पक्का बांध संभाग क्र.3 देवलौद, जिला शहडोल (म. प्र.)	मझगवा शाखा नहर की लिफ्ट-2 की माईनर/सबमाईनर नहर निर्माण हेतु.

योग . . . 2.450

- (2) भूमि के नक्शे (प्लान) का अवलोकन, प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास एवं पदेन उपसचिव राजस्व विभाग, जिला रीवा के कार्यालय से किसी भी कार्य दिवस के कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है.

क्र. 1393-भू-अर्जन-2018-19-चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उनके नीचे दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा-12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. चूंकि मझगवा शाखा नहर का निर्माण पूर्व से चल रहा है तथा अधिकांश भूमि के अर्जन की प्रक्रिया पूर्व में की जा चुकी है इस कारण धारा 11(3) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है :-

अनुसूची

भूमि का विवरण			लगभग	धारा-12 के अंतर्गत	सार्वजनिक प्रयोजन का
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	क्षेत्रफल (हे. में.)	प्राधिकृत अधिकारी	वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सतना	बिरसिंहपुर	हिनौता	3.000	कार्यपालन यंत्री पक्का बांध संभाग क्र.3 देवलौद, जिला शहडोल (म. प्र.)	मझगवा शाखा नहर की लिफ्ट-2 की माईनर/सबमाईनर नहर निर्माण हेतु.

योग . . . 3.000

- (2) भूमि के नक्शे (प्लान) का अवलोकन, प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास एवं पदेन उपसचिव राजस्व विभाग, जिला रीवा के कार्यालय से किसी भी कार्य दिवस के कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है.

क्र. 1395-भू-अर्जन-2018-19-चूँकि, राज्य शासन को यह प्रतीत है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उनके नीचे दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा-12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. चूँकि मझगंवा शाखा नहर का निर्माण पूर्व से चल रहा है तथा अधिकांश भूमि के अर्जन की प्रक्रिया पूर्व में की जा चुकी है इस कारण धारा 11(3) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है.

अनुसूची

भूमि का विवरण			लगभग क्षेत्रफल (हे. में.)	धारा-12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सतना	बिरसिंहपुर	उजेनी	3.600	कार्यपालन यंत्री पक्का बांध संभाग क्र.3 देवलौद, जिला शहडोल (म. प्र.).	मझगंवा शाखा की नहर लिफ्ट-2 की माईनर/सबमाईनर नहर निर्माण हेतु.

योग . . . 3.600

- (2) भूमि के नक्शे (प्लान) का अवलोकन, प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास एवं पदेन उपसचिव राजस्व विभाग, जिला रीवा के कार्यालय से किसी भी कार्य दिवस के कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है.

क्र. 1397-भू-अर्जन-2018-19-चूँकि, राज्य शासन को यह प्रतीत है, कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उनके नीचे दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा-12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. चूँकि मझगंवा शाखा नहर का निर्माण पूर्व से चल रहा है तथा अधिकांश भूमि के अर्जन की प्रक्रिया पूर्व में की जा चुकी है इस कारण धारा 11(3) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है :-

अनुसूची

भूमि का विवरण			लगभग क्षेत्रफल (हे. में.)	धारा-12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सतना	बिरसिंहपुर	हलिया कला	3.700	कार्यपालन यंत्री पक्का बांध संभाग क्र.3 देवलौद, जिला शहडोल (म. प्र.).	मझगंवा शाखा नहर की लिफ्ट-2 की माईनर/सबमाईनर नहर निर्माण हेतु.

योग . . . 3.700

- (2) भूमि के नक्शे (प्लान) का अवलोकन, प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास एवं पदेन उपसचिव राजस्व विभाग, जिला रीवा के कार्यालय से किसी भी कार्य दिवस के कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है.

क्र. 1399-भू-अर्जन-2018-19-चूँकि, राज्य शासन को यह प्रतीत है, कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उनके नीचे दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा-12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. चूँकि मझगंवा शाखा नहर का निर्माण पूर्व से चल रहा है तथा अधिकांश भूमि के अर्जन की प्रक्रिया पूर्व में की जा चुकी है इस कारण धारा 11(3) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है.

अनुसूची

भूमि का विवरण			लगभग क्षेत्रफल (हे. में.)	धारा-12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सतना	बिरसिंहपुर	रझोखर	2.500	कार्यपालन यंत्री पक्का बांध संभाग क्र.3 देवलौद, जिला शहडोल (म. प्र.).	मझगवां शाखा नहर की लिफ्ट-2 की माईनर/सबमाईनर नहर निर्माण हेतु.

योग . . 2.500

- (2) भूमि के नक्शे (प्लान) का अवलोकन, प्रशासक भू-अर्जन एवं पुनर्वास एवं पदेन उपसचिव, राजस्व विभाग, जिला रीवा के कार्यालय से किसी भी कार्य दिवस के कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है.

क्र. 1401-भू-अर्जन-2018-19-चूँकि, राज्य शासन को यह प्रतीत है, कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उनके नीचे दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा-12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. चूँकि मझगंवा शाखा नहर का निर्माण पूर्व से चल रहा है तथा अधिकांश भूमि के अर्जन की प्रक्रिया पूर्व में की जा चुकी है इस कारण धारा 11(3) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है.

अनुसूची

भूमि का विवरण			लगभग क्षेत्रफल (हे. में.)	धारा-12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सतना	बिरसिंहपुर	मिश्रगवां	3.650	कार्यपालन यंत्री पक्का बांध संभाग क्र.3 देवलौद, जिला शहडोल (म. प्र.).	मझगवां शाखा नहर की लिफ्ट-2 की माईनर/सबमाईनर नहर निर्माण हेतु.

योग . . 3.650

- (2) भूमि के नक्शे (प्लान) का अवलोकन, प्रशासक भू-अर्जन एवं पुनर्वास एवं पदेन उपसचिव, राजस्व विभाग, जिला रीवा के कार्यालय से किसी भी कार्य दिवस के कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है.

क्र. 1403-भू-अर्जन-2018-19-चूँकि, राज्य शासन को यह प्रतीत है, कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उनके नीचे दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा-12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. चूँकि मझगवा शाखा नहर का निर्माण पूर्व से चल रहा है तथा अधिकांश भूमि के अर्जन की प्रक्रिया पूर्व में की जा चुकी है इस कारण धारा 11(3) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है.

अनुसूची

भूमि का विवरण			लगभग क्षेत्रफल (हे. में.)	धारा-12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सतना	बिरसिंहपुर	खादर	2.600	कार्यपालन यंत्री पक्का बांध संभाग क्र.3 देवलौद, जिला शहडोल (म. प्र.).	मझगवा शाखा नहर की लिफ्ट-2 की माईनर/सबमाईनर नहर निर्माण हेतु.

योग . . 2.600

- (2) भूमि के नक्शे (प्लान) का अवलोकन, प्रशासक भू-अर्जन एवं पुनर्वास एवं पदेन उपसचिव, राजस्व विभाग, जिला रीवा के कार्यालय से किसी भी कार्य दिवस के कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है.

क्र. 1405-भू-अर्जन-2018-19-चूँकि, राज्य शासन को यह प्रतीत है, कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उनके नीचे दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा-12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. चूँकि मझगवा शाखा नहर का निर्माण पूर्व से चल रहा है तथा अधिकांश भूमि के अर्जन की प्रक्रिया पूर्व में की जा चुकी है इस कारण धारा 11(3) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है.

अनुसूची

भूमि का विवरण			लगभग क्षेत्रफल (हे. में.)	धारा-12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सतना	बिरसिंहपुर	नकेहली	4.800	कार्यपालन यंत्री पक्का बांध संभाग क्र.3 देवलौद, जिला शहडोल (म. प्र.).	मझगवा शाखा नहर की लिफ्ट-2 की माईनर/सबमाईनर नहर निर्माण हेतु.

योग . . 4.800

- (2) भूमि के नक्शे (प्लान) का अवलोकन, प्रशासक भू-अर्जन एवं पुनर्वास एवं पदेन उपसचिव, राजस्व विभाग, जिला रीवा के कार्यालय से किसी भी कार्य दिवस के कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है.

क्र. 1407-भू-अर्जन-2018-19-चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है, कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उनके नीचे दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा-12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. चूंकि मझगंवा शाखा नहर का निर्माण पूर्व से चल रहा है तथा अधिकांश भूमि के अर्जन की प्रक्रिया पूर्व में की जा चुकी है इस कारण धारा 11(3) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है :-

अनुसूची

भूमि का विवरण			लगभग क्षेत्रफल (हे. में.)	धारा-12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सतना	बिरसिंहपुर	हलिया महेश	4.750	कार्यपालन यंत्री, पक्का बांध संभाग क्र.3 देवलौद, जिला शहडोल (म. प्र.).	मझगंवा शाखा की नहर लिफ्ट-2 की माईनर/सबमाईनर नहर निर्माण हेतु.

योग . . . 4.750

- (2) भूमि के नक्शे (प्लान) का अवलोकन, प्रशासक भू-अर्जन एवं पुनर्वास एवं पदेन उपसचिव, राजस्व विभाग, जिला रीवा के कार्यालय से किसी भी कार्य दिवस के कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है.

क्र. 1409-भू-अर्जन-2018-19-चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है, कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके नीचे दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा-12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. चूंकि मझगंवा शाखा नहर का निर्माण पूर्व से चल रहा है तथा अधिकांश भूमि के अर्जन की प्रक्रिया पूर्व में की जा चुकी है इस कारण धारा 11(3) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है :-

अनुसूची

भूमि का विवरण			लगभग क्षेत्रफल (हे. में.)	धारा-12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सतना	बिरसिंहपुर	डोमहाई	3.500	कार्यपालन यंत्री, पक्का बांध संभाग क्र.3 देवलौद, जिला शहडोल (म. प्र.).	मझगंवा शाखा नहर की लिफ्ट-2 की माईनर/सबमाईनर नहर निर्माण हेतु.

योग . . . 3.500

- (2) भूमि के नक्शे (प्लान) का अवलोकन, प्रशासक भू-अर्जन एवं पुनर्वास एवं पदेन उपसचिव राजस्व विभाग, जिला रीवा के कार्यालय से किसी भी कार्य दिवस के कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है.

क्र. 1411-भू-अर्जन-2018-19-चूँकि, राज्य शासन को यह प्रतीत है, कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके नीचे दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा-12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. चूँकि मझगंवा शाखा नहर का निर्माण पूर्व से चल रहा है तथा अधिकांश भूमि के अर्जन की प्रक्रिया पूर्व में की जा चुकी है इस कारण धारा 11(3) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है.

अनुसूची

भूमि का विवरण			लगभग क्षेत्रफल (हे. में.)	धारा-12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सतना	बिरसिंहपुर	बम्हौरी	4.300	कार्यपालन यंत्री, पक्का बांध संभाग क्र.3 देवलौद, जिला शहडोल (म. प्र.).	मझगवां शाखा की नहर लिफ्ट-2 की माईनर/सबमाईनर नहर निर्माण हेतु.

योग . . . 4.300

- (2) भूमि के नक्शे (प्लान) का अवलोकन, प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास एवं पदेन उपसचिव, राजस्व विभाग, जिला रीवा के कार्यालय से किसी भी कार्य दिवस के कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है.

क्र. 1413-भू-अर्जन-2018-19-चूँकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है, कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके नीचे दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा-12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. चूँकि मझगंवा शाखा नहर का निर्माण पूर्व से चल रहा है तथा अधिकांश भूमि के अर्जन की प्रक्रिया पूर्व में की जा चुकी है इस कारण धारा 11(3) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है :-

अनुसूची

भूमि का विवरण			लगभग क्षेत्रफल (हे. में.)	धारा-12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सतना	बिरसिंहपुर	मेहुती	13.500	कार्यपालन यंत्री, पक्का बांध संभाग क्र.3 देवलौद, जिला शहडोल (म. प्र.).	मझगवां शाखा की नहर लिफ्ट-2 की माईनर/सबमाईनर नहर निर्माण हेतु.

योग . . . 13.500

- (2) भूमि के नक्शे (प्लान) का अवलोकन, प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास एवं पदेन उपसचिव, राजस्व विभाग, जिला रीवा के कार्यालय से किसी भी कार्य दिवस के कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है.

क्र. 1415-भू-अर्जन-2018-19-चूँकि, राज्य शासन को यह प्रतीत है, कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके नीचे दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा-12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. चूँकि मझगंवा शाखा नहर का निर्माण पूर्व से चल रहा है तथा अधिकांश भूमि के अर्जन की प्रक्रिया पूर्व में की जा चुकी है इस कारण धारा 11(3) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है :-

अनुसूची

भूमि का विवरण			लगभग	धारा-12 के अंतर्गत	सार्वजनिक प्रयोजन का
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	क्षेत्रफल (हे. में.)	प्राधिकृत अधिकारी	वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सतना	बिरसिंहपुर	मझगंवा	4.500	कार्यपालन यंत्री पक्का बांध संभाग क्र.3 देवलौद, जिला शहडोल (म. प्र.).	मझगंवा शाखा की नहर लिफ्ट-2 की माईनर/सबमाईनर नहर निर्माण हेतु.

योग . . . 4.500

- (2) भूमि के नक्शे (प्लान) का अवलोकन, प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास एवं पदेन उपसचिव, राजस्व विभाग, जिला रीवा के कार्यालय से किसी भी कार्य दिवस के कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है.

क्र. 1417-भू-अर्जन-2018-19-चूँकि, राज्य शासन को यह प्रतीत है, कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके नीचे दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा-12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. चूँकि मझगंवा शाखा नहर का निर्माण पूर्व से चल रहा है तथा अधिकांश भूमि के अर्जन की प्रक्रिया पूर्व में की जा चुकी है इस कारण धारा 11(3) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है :-

अनुसूची

भूमि का विवरण			लगभग	धारा-12 के अंतर्गत	सार्वजनिक प्रयोजन का
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	क्षेत्रफल (हे. में.)	प्राधिकृत अधिकारी	वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सतना	बिरसिंहपुर	झरी	5.700	कार्यपालन यंत्री, पक्का बांध संभाग क्र.3 देवलौद, जिला शहडोल (म. प्र.).	मझगंवा शाखा नहर की लिफ्ट-2 की माईनर/सबमाईनर नहर निर्माण हेतु.

योग . . . 5.700

- (2) भूमि के नक्शे (प्लान) का अवलोकन, प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास एवं पदेन उपसचिव, राजस्व विभाग, जिला रीवा के कार्यालय से किसी भी कार्य दिवस के कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है.

क्र. 1419-भू-अर्जन-2018-19-चूँकि, राज्य शासन को यह प्रतीत है, कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उनके नीचे दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा-12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. चूँकि मझगंवा शाखा नहर का निर्माण पूर्व से चल रहा है तथा अधिकांश भूमि के अर्जन की प्रक्रिया पूर्व में की जा चुकी है इस कारण धारा 11(3) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है :-

अनुसूची

भूमि का विवरण			लगभग	धारा-12 के अंतर्गत	सार्वजनिक प्रयोजन का
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	क्षेत्रफल (हे. में.)	प्राधिकृत अधिकारी	वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सतना	बिरसिंहपुर	बांधी	6.700	कार्यपालन यंत्री पक्का बांध संभाग क्र.3 देवलौद, जिला शहडोल (म. प्र.).	मझगवां शाखा नहर की लिफ्ट-2 की माईनर/सबमाईनर नहर निर्माण हेतु.

योग . . . 6.700

- (2) भूमि के नक्शे (प्लान) का अवलोकन, प्रशासक भू-अर्जन एवं पुनर्वास एवं पदेन उपसचिव राजस्व विभाग, जिला रीवा के कार्यालय से किसी भी कार्य दिवस के कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है.

क्र. 1421-भू-अर्जन-2018-19-चूँकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है, कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके नीचे दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा-12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. चूँकि मझगंवा शाखा नहर का निर्माण पूर्व से चल रहा है तथा अधिकांश भूमि के अर्जन की प्रक्रिया पूर्व में की जा चुकी है इस कारण धारा 11(3) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है :-

अनुसूची

भूमि का विवरण			लगभग	धारा-12 के अंतर्गत	सार्वजनिक प्रयोजन का
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	क्षेत्रफल (हे. में.)	प्राधिकृत अधिकारी	वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सतना	बिरसिंहपुर	गड़री	3.100	कार्यपालन यंत्री पक्का बांध संभाग क्र.3 देवलौद, जिला शहडोल (म. प्र.).	मझगवां शाखा नहर की लिफ्ट-2 की माईनर/सबमाईनर नहर निर्माण हेतु.

योग . . . 3.100

- (2) भूमि के नक्शे (प्लान) का अवलोकन, प्रशासक भू-अर्जन एवं पुनर्वास एवं पदेन उपसचिव राजस्व विभाग, जिला रीवा के कार्यालय से किसी भी कार्य दिवस के कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है.

क्र. 1427-भू-अर्जन-2018-19-चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत है, कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उनके नीचे दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा-12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. चूंकि मझगवा शाखा नहर का निर्माण पूर्व से चल रहा है तथा अधिकांश भूमि के अर्जन की प्रक्रिया पूर्व में की जा चुकी है इस कारण धारा 11(3) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है.

अनुसूची

भूमि का विवरण			लगभग	धारा-12 के अंतर्गत	सार्वजनिक प्रयोजन का
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	क्षेत्रफल (हे. में.)	प्राधिकृत अधिकारी	वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सतना	बिरसिंहपुर	मौहार	3.900	कार्यपालन यंत्री पक्का बांध संभाग क्र.3 देवलौद, जिला शहडोल (म. प्र.)	मझगवा शाखा निर्माण नहर हेतु.

योग . . . 3.900

- (2) भूमि के नक्शे (प्लान) का अवलोकन, प्रशासक भू-अर्जन एवं पुनर्वास एवं पदेन उपसचिव राजस्व विभाग, जिला रीवा के कार्यालय से किसी भी कार्य दिवस के कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है.

क्र. 1437-भू-अर्जन-2018-19-चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उनके नीचे दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा-12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. चूंकि मझगवा शाखा नहर का निर्माण पूर्व से चल रहा है तथा अधिकांश भूमि के अर्जन की प्रक्रिया पूर्व में की जा चुकी है इस कारण धारा 11(3) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है.

अनुसूची

भूमि का विवरण			लगभग	धारा-12 के अंतर्गत	सार्वजनिक प्रयोजन का
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	क्षेत्रफल (हे. में.)	प्राधिकृत अधिकारी	वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सतना	कोटर	घोरकटी	2.500	कार्यपालन यंत्री पक्का बांध संभाग क्र.3 देवलौद, जिला शहडोल (म. प्र.)	मझगवा शाखा नहर की लिफ्ट-2 की माईनर/सबमाईनर नहर निर्माण हेतु.

योग . . . 2.500

- (2) भूमि के नक्शे (प्लान) का अवलोकन, प्रशासक भू-अर्जन एवं पुनर्वास एवं पदेन उपसचिव राजस्व विभाग, जिला रीवा के कार्यालय से किसी भी कार्य दिवस के कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है.

क्र. 1423-भू-अर्जन-2018-19-चूँकि, राज्य शासन को यह प्रतीत है, कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उनके नीचे दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा-12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. चूँकि मझगाँवा शाखा नहर का निर्माण पूर्व से चल रहा है तथा अधिकांश भूमि के अर्जन की प्रक्रिया पूर्व में की जा चुकी है इस कारण धारा 11(3) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है :-

अनुसूची

भूमि का विवरण			लगभग क्षेत्रफल (हे. में.)	धारा-12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सतना	बिरसिंहपुर	सेमरा	3.400	कार्यपालन यंत्री पक्का बांध संभाग क्र.3 देवलौद, जिला शहडोल (म. प्र.)	मझगाँवा शाखा की नहर लिफ्ट-2 की माईनर/सबमाईनर नहर निर्माण हेतु.

योग . . 3.400

- (2) भूमि के नक्शे (प्लान) का अवलोकन, प्रशासक भू-अर्जन एवं पुनर्वास एवं पदेन उपसचिव राजस्व विभाग, जिला रीवा के कार्यालय से किसी भी कार्य दिवस के कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है.

क्र. 1425-भू-अर्जन-2018-19-चूँकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है, कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उनके नीचे दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा-12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. चूँकि मझगाँवा शाखा नहर का निर्माण पूर्व से चल रहा है तथा अधिकांश भूमि के अर्जन की प्रक्रिया पूर्व में की जा चुकी है इस कारण धारा 11(3) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है.

अनुसूची

भूमि का विवरण			लगभग क्षेत्रफल (हे. में.)	धारा-12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सतना	बिरसिंहपुर	पिपरहा	4.100	कार्यपालन यंत्री पक्का बांध संभाग क्र.3 देवलौद, जिला शहडोल (म. प्र.)	मझगाँवा शाखा नहर निर्माण हेतु.

योग . . 4.100

- (2) भूमि के नक्शे (प्लान) का अवलोकन, प्रशासक भू-अर्जन एवं पुनर्वास एवं पदेन उपसचिव राजस्व विभाग, जिला रीवा के कार्यालय से किसी भी कार्य दिवस के कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है.

क्र. 1429-भू-अर्जन-2018-19-चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत है, कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उनके नीचे दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इससे आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबध में उक्त धारा-12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. चूंकि मझगंवा शाखा नहर का निर्माण पूर्व से चल रहा है तथा अधिकांश भूमि के अर्जन की प्रक्रिया पूर्व में की जा चुकी है इस कारण धारा 11(3) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है :-

अनुसूची

भूमि का विवरण			लगभग क्षेत्रफल (हे. में.)	धारा-12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सतना	कोटर	भटगंवा	4.300	कार्यपालन यंत्री पक्का बांध संभाग क्र.3 देवलौद, जिला शहडोल (म. प्र.).	मझगंवा शाखा नहर की लिफ्ट-2 की माईनर/सबमाईनर नहर निर्माण हेतु.

योग . . . 4.300

- (2) भूमि के नक्शे (प्लान) का अवलोकन, प्रशासक भू-अर्जन एवं पुनर्वास एवं पदेन उपसचिव राजस्व विभाग, जिला रीवा के कार्यालय से किसी भी कार्य दिवस के कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है.

क्र. 1431-भू-अर्जन-2018-19-चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है, कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उनके नीचे दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबध में उक्त धारा-12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. चूंकि मझगंवा शाखा नहर का निर्माण पूर्व से चल रहा है तथा अधिकांश भूमि के अर्जन की प्रक्रिया पूर्व में की जा चुकी है इस कारण धारा 11(3) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है :-

अनुसूची

भूमि का विवरण			लगभग क्षेत्रफल (हे. में.)	धारा-12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सतना	कोटर	तिहाई	4.100	कार्यपालन यंत्री पक्का बांध संभाग क्र.3 देवलौद, जिला शहडोल (म. प्र.).	मझगंवा शाखा की नहर लिफ्ट-2 की माईनर/सबमाईनर नहर निर्माण हेतु.

योग . . . 4.100

- (2) भूमि के नक्शे (प्लान) का अवलोकन, प्रशासक भू-अर्जन एवं पुनर्वास एवं पदेन उपसचिव राजस्व विभाग, जिला रीवा के कार्यालय से किसी भी कार्य दिवस के कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है.

क्र. 1433-भू-अर्जन-2018-19-चूँकि, राज्य शासन को यह प्रतीत है, कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके नीचे दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा-12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. चूँकि मझगंवा शाखा नहर का निर्माण पूर्व से चल रहा है तथा अधिकांश भूमि के अर्जन की प्रक्रिया पूर्व में की जा चुकी है इस कारण धारा 11(3) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है :-

अनुसूची

भूमि का विवरण			लगभग क्षेत्रफल (हे. में.)	धारा-12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सतना	कोटर	उमरी	2.900	कार्यपालन यंत्री पक्का बांध संभाग क्र.3 देवलौद, जिला शहडोल (म. प्र.).	मझगंवा शाखा नहर की लिफ्ट-2 की माईनर/सबमाईनर नहर निर्माण हेतु.

योग . . . 2.900

- (2) भूमि के नक्शे (प्लान) का अवलोकन, प्रशासक भू-अर्जन एवं पुनर्वास एवं पदेन उपसचिव राजस्व विभाग, जिला रीवा के कार्यालय से किसी भी कार्य दिवस के कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है.

क्र. 1435-भू-अर्जन-2018-19-चूँकि, राज्य शासन को यह प्रतीत है, कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके नीचे दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा-12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. चूँकि मझगंवा शाखा नहर का निर्माण पूर्व से चल रहा है तथा अधिकांश भूमि के अर्जन की प्रक्रिया पूर्व में की जा चुकी है इस कारण धारा 11(3) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है.

अनुसूची

भूमि का विवरण			लगभग क्षेत्रफल (हे. में.)	धारा-12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सतना	कोटर	बम्हौरी	5.800	कार्यपालन यंत्री पक्का बांध संभाग क्र.3 देवलौद, जिला शहडोल (म. प्र.).	मझगंवा शाखा नहर की लिफ्ट-2 की माईनर/सबमाईनर नहर निर्माण हेतु.

योग . . . 5.800

- (2) भूमि के नक्शे (प्लान) का अवलोकन, प्रशासक भू-अर्जन एवं पुनर्वास एवं पदेन उपसचिव राजस्व विभाग, जिला रीवा के कार्यालय से किसी भी कार्य दिवस के कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है.

क्र. 1439-भू-अर्जन-2018-19-चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत है, कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके नीचे दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा-12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. चूंकि मझगंवा शाखा नहर का निर्माण पूर्व से चल रहा है तथा अधिकांश भूमि के अर्जन की प्रक्रिया पूर्व में की जा चुकी है इस कारण धारा 11(3) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है :-

अनुसूची

भूमि का विवरण			लगभग क्षेत्रफल (हे. में.)	धारा-12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सतना	कोटर	अधरवार	2.400	कार्यपालन यंत्री पक्का बांध संभाग क्र.3 देवलौद, जिला शहडोल (म. प्र.)	मझगंवा शाखा नहर की लिफ्ट-2 की माईनर/सबमाईनर नहर निर्माण हेतु.

योग . . . 2.400

- (2) भूमि के नक्शे (प्लान) का अवलोकन, प्रशासक भू-अर्जन एवं पुनर्वास एवं पदेन उपसचिव राजस्व विभाग, जिला रीवा के कार्यालय से किसी भी कार्य दिवस के कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है.

क्र. 1441-भू-अर्जन-2018-19-चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत है, कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके नीचे दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा-12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. चूंकि मझगंवा शाखा नहर का निर्माण पूर्व से चल रहा है तथा अधिकांश भूमि के अर्जन की प्रक्रिया पूर्व में की जा चुकी है इस कारण धारा 11(3) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है :-

अनुसूची

भूमि का विवरण			लगभग क्षेत्रफल (हे. में.)	धारा-12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सतना	कोटर	घोरकाट	11.350	कार्यपालन यंत्री पक्का बांध संभाग क्र.3 देवलौद, जिला शहडोल (म. प्र.)	मझगंवा शाखा नहर की लिफ्ट-2 की माईनर/सबमाईनर नहर निर्माण हेतु.

योग . . . 11.350

- (2) भूमि के नक्शे (प्लान) का अवलोकन, प्रशासक भू-अर्जन एवं पुनर्वास एवं पदेन उपसचिव राजस्व विभाग, जिला रीवा के कार्यालय से किसी भी कार्य दिवस के कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है.

क्र. 1443-भू-अर्जन-2018-19-चूँकि, राज्य शासन को यह प्रतीत है, कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके नीचे दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा-12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. चूँकि मझगाँवा शाखा नहर का निर्माण पूर्व से चल रहा है तथा अधिकांश भूमि के अर्जन की प्रक्रिया पूर्व में की जा चुकी है इस कारण धारा 11(3) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है.

अनुसूची

भूमि का विवरण			लगभग क्षेत्रफल (हे. में.)	धारा-12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सतना	रघुराजनगर	सेमरा	2.700	कार्यपालन यंत्री पक्का बांध संभाग क्र.3 देवलौद, जिला शहडोल (म. प्र.).	मझगाँवा शाखा नहर की लिफ्ट-2 की माईनर/सबमाईनर नहर निर्माण हेतु.

योग . . . 2.700

- (2) भूमि के नक्शे (प्लान) का अवलोकन, प्रशासक भू-अर्जन एवं पुनर्वास एवं पदेन उपसचिव राजस्व विभाग, जिला रीवा के कार्यालय से किसी भी कार्य दिवस के कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है.

क्र. 1445-भू-अर्जन-2018-19-चूँकि, राज्य शासन को यह प्रतीत है, कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके नीचे दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा-12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. चूँकि मझगाँवा शाखा नहर का निर्माण पूर्व से चल रहा है तथा अधिकांश भूमि के अर्जन की प्रक्रिया पूर्व में की जा चुकी है इस कारण धारा 11(3) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है.

अनुसूची

भूमि का विवरण			लगभग क्षेत्रफल (हे. में.)	धारा-12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रीवा	सेमरिया	खम्हरिया चौबेन 100	4.100	कार्यपालन यंत्री पक्का बांध संभाग क्र.3 देवलौद, जिला शहडोल (म. प्र.).	मझगाँवा शाखा नहर की लिफ्ट-2 की माईनर/सबमाईनर नहर निर्माण हेतु.

योग . . . 4.100

- (2) भूमि के नक्शे (प्लान) का अवलोकन, प्रशासक भू-अर्जन एवं पुनर्वास एवं पदेन उपसचिव राजस्व विभाग, जिला रीवा के कार्यालय से किसी भी कार्य दिवस के कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है.

क्र. 1447-भू-अर्जन-2018-19-चूँकि, राज्य शासन को यह प्रतीत है, कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके नीचे दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा-12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. चूँकि मझगंवा शाखा नहर का निर्माण पूर्व से चल रहा है तथा अधिकांश भूमि के अर्जन की प्रक्रिया पूर्व में की जा चुकी है इस कारण धारा 11(3) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है :-

अनुसूची

भूमि का विवरण			लगभग क्षेत्रफल (हे. में.)	धारा-12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रीवा	सेमरिया	खम्हरिया नेवाजी 101	3.750	कार्यपालन यंत्री पक्का बांध संभाग क्र.3 देवलौंद, जिला शहडोल (म. प्र.)	मझगंवा शाखा नहर की लिफ्ट-2 की माईनर/सबमाईनर नहर निर्माण हेतु.

योग . . . 3.750

- (2) भूमि के नक्शे (प्लान) का अवलोकन, प्रशासक भू-अर्जन एवं पुनर्वास एवं पदेन उपसचिव राजस्व विभाग, जिला रीवा के कार्यालय से किसी भी कार्य दिवस के कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है.

क्र. 1449-भू-अर्जन-2018-19-चूँकि, राज्य शासन को यह प्रतीत है, कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके नीचे दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा-12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. चूँकि मझगंवा शाखा नहर का निर्माण पूर्व से चल रहा है तथा अधिकांश भूमि के अर्जन की प्रक्रिया पूर्व में की जा चुकी है इस कारण धारा 11(3) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है.

अनुसूची

भूमि का विवरण			लगभग क्षेत्रफल (हे. में.)	धारा-12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रीवा	सेमरिया	छिरहटा 168	3.700	कार्यपालन यंत्री पक्का बांध संभाग क्र.3 देवलौंद, जिला शहडोल (म. प्र.)	मझगंवा शाखा नहर की लिफ्ट-2 की माईनर/सबमाईनर नहर निर्माण हेतु.

योग . . . 3.700

- (2) भूमि के नक्शे (प्लान) का अवलोकन, प्रशासक भू-अर्जन एवं पुनर्वास एवं पदेन उपसचिव राजस्व विभाग, जिला रीवा के कार्यालय से किसी भी कार्य दिवस के कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है.

क्र. 1451-भू-अर्जन-2018-19-चूँकि, राज्य शासन को यह प्रतीत है, कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके नीचे दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (6) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा-12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. चूँकि मझगवा शाखा नहर का निर्माण पूर्व से चल रहा है तथा अधिकांश भूमि के अर्जन की प्रक्रिया पूर्व में की जा चुकी है इस कारण धारा 11(3) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है :-

अनुसूची

भूमि का विवरण			लगभग क्षेत्रफल (हे. में.)	धारा-12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रीवा	सेमरिया	कौड़ीहाई 92	1.500	कार्यपालन यंत्री पक्का बांध संभाग क्र.3 देवलौद, जिला शहडोल (म. प्र.).	मझगवा शाखा की नहर लिफ्ट-2 की माईनर/सबमाईनर नहर निर्माण हेतु

योग . . . 1.500

- (2) भूमि के नक्शे (प्लान) का अवलोकन, प्रशासक भू-अर्जन एवं पुनर्वास एवं पदेन उपसचिव राजस्व विभाग, जिला रीवा के कार्यालय में किसी भी कार्य दिवस के कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है.

क्र. 1453-भू-अर्जन-2018-19-चूँकि, राज्य शासन को यह प्रतीत है, कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके नीचे दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (6) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा-12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. चूँकि मझगवा शाखा नहर का निर्माण पूर्व से चल रहा है तथा अधिकांश भूमि के अर्जन की प्रक्रिया पूर्व में की जा चुकी है इस कारण धारा 11(3) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है.

अनुसूची

भूमि का विवरण			लगभग क्षेत्रफल (हे. में.)	धारा-12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सतना	बिरसिंहपुर	देवरावर	7.500	कार्यपालन यंत्री पक्का बांध संभाग क्र.3 देवलौद, जिला शहडोल (म. प्र.).	मझगवा शाखा की नहर निर्माण हेतु

योग . . . 7.500

- (2) भूमि के नक्शे (प्लान) का अवलोकन, प्रशासक भू-अर्जन एवं पुनर्वास एवं पदेन उपसचिव राजस्व विभाग, जिला रीवा के कार्यालय में किसी भी कार्य दिवस के कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है.

क्र. 1455-भू-अर्जन-2018-19-चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत है, कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उनके नीचे दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा-12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. चूंकि मझगंवा शाखा नहर का निर्माण पूर्व से चल रहा है तथा अधिकांश भूमि के अर्जन की प्रक्रिया पूर्व में की जा चुकी है इस कारण धारा 11(3) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है.

अनुसूची

भूमि का विवरण			लगभग	धारा-12 के अंतर्गत	सार्वजनिक प्रयोजन का
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	क्षेत्रफल (हे. में.)	प्राधिकृत अधिकारी	वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सतना	बिरसिंहपुर	पथरौड़ा	5.700	कार्यपालन यंत्री पक्का बांध संभाग क्र.3 देवलौद, जिला शहडोल (म. प्र.)	मझगंवा शाखा की नहर निर्माण हेतु.

योग . . . 5.700

- (2) भूमि के नक्शे (प्लान) का अवलोकन, प्रशासक भू-अर्जन एवं पुनर्वास एवं पदेन उपसचिव राजस्व विभाग, जिला रीवा के कार्यालय से किसी भी कार्य दिवस के कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है.

क्र. 1457-भू-अर्जन-2018-19-चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत है, कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उनके नीचे दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा-12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. चूंकि मझगंवा शाखा नहर का निर्माण पूर्व से चल रहा है तथा अधिकांश भूमि के अर्जन की प्रक्रिया पूर्व में की जा चुकी है इस कारण धारा 11(3) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है :-

अनुसूची

भूमि का विवरण			लगभग	धारा-12 के अंतर्गत	सार्वजनिक प्रयोजन का
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	क्षेत्रफल (हे. में.)	प्राधिकृत अधिकारी	वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सतना	कोटर	चूंद कला	4.250	कार्यपालन यंत्री पक्का बांध संभाग क्र.3 देवलौद, जिला शहडोल (म. प्र.)	मझगंवा शाखा की नहर लिफ्ट-2 की माईनर/सबमाईनर नहर निर्माण हेतु.

योग . . . 4.250

- (2) भूमि के नक्शे (प्लान) का अवलोकन, प्रशासक भू-अर्जन एवं पुनर्वास एवं पदेन उपसचिव राजस्व विभाग, जिला रीवा के कार्यालय से किसी भी कार्य दिवस के कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है.

क्र. 1459-भू-अर्जन-2018-19-चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत है, कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उनके नीचे दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा-12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. चूंकि मझगंवा शाखा नहर का निर्माण पूर्व से चल रहा है तथा अधिकांश भूमि के अर्जन की प्रक्रिया पूर्व में की जा चुकी है इस कारण धारा 11(3) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है.

अनुसूची

भूमि का विवरण			लगभग क्षेत्रफल (हे. में.)	धारा-12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सतना	कोटर	करही खुर्द	3.350	कार्यपालन यंत्री पक्का बांध संभाग क्र.3 देवलौद, जिला शहडोल (म. प्र.).	मझगवां शाखा की नहर लिफ्ट-2 की माईनर/सबमाईनर नहर निर्माण हेतु.

योग . . . 3.350

- (2) भूमि के नक्शे (प्लान) का अवलोकन, प्रशासक भू-अर्जन एवं पुनर्वास एवं पदेन उपसचिव राजस्व विभाग, जिला रीवा के कार्यालय से किसी भी कार्य दिवस के कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है.

क्र. 1461-भू-अर्जन-2018-19-चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत है, कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके नीचे दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा-12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. चूंकि मझगंवा शाखा नहर का निर्माण पूर्व से चल रहा है तथा अधिकांश भूमि के अर्जन की प्रक्रिया पूर्व में की जा चुकी है इस कारण धारा 11(3) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है :-

अनुसूची

भूमि का विवरण			लगभग क्षेत्रफल (हे. में.)	धारा-12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सतना	कोटर	बछौरा	2.800	कार्यपालन यंत्री पक्का बांध संभाग क्र.3 देवलौद, जिला शहडोल (म. प्र.).	मझगवां शाखा की नहर लिफ्ट-2 की माईनर/सबमाईनर नहर निर्माण हेतु.

योग . . . 2.800

- (2) भूमि के नक्शे (प्लान) का अवलोकन, प्रशासक भू-अर्जन एवं पुनर्वास एवं पदेन उपसचिव राजस्व विभाग, जिला रीवा के कार्यालय से किसी भी कार्य दिवस के कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है.

क्र. 1463-भू-अर्जन-2018-19-चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत है, कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उनके नीचे दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा-12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. चूंकि मझगांवा शाखा नहर का निर्माण पूर्व से चल रहा है तथा अधिकांश भूमि के अर्जन की प्रक्रिया पूर्व में की जा चुकी है इस कारण धारा 11(3) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है.

अनुसूची

भूमि का विवरण			लगभग	धारा-12 के अंतर्गत	सार्वजनिक प्रयोजन का
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	क्षेत्रफल (हे. में.)	प्राधिकृत अधिकारी	वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सतना	कोटर	देवरी	2.700	कार्यपालन यंत्री पक्का बांध संभाग क्र.3 देवलौद, जिला शहडोल (म. प्र.).	मझगांवा शाखा की नहर लिफ्ट-2 की माईनर/सबमाईनर नहर निर्माण हेतु.

योग . . . 2.700

- (2) भूमि के नक्शे (प्लान) का अवलोकन, प्रशासक भू-अर्जन एवं पुनर्वास एवं पदेन उपसचिव राजस्व विभाग, जिला रीवा के कार्यालय से किसी भी कार्य दिवस के कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है.

क्र. 1465-भू-अर्जन-2018-19-चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत है, कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उनके नीचे दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा-12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. चूंकि मझगांवा शाखा नहर का निर्माण पूर्व से चल रहा है तथा अधिकांश भूमि के अर्जन की प्रक्रिया पूर्व में की जा चुकी है इस कारण धारा 11(3) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है.

अनुसूची

भूमि का विवरण			लगभग	धारा-12 के अंतर्गत	सार्वजनिक प्रयोजन का
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	क्षेत्रफल (हे. में.)	प्राधिकृत अधिकारी	वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सतना	कोटर	लखनबाह	6.200	कार्यपालन यंत्री पक्का बांध संभाग क्र.3 देवलौद, जिला शहडोल (म. प्र.).	मझगांवा शाखा की नहर लिफ्ट-2 की माईनर/सबमाईनर नहर निर्माण हेतु.

योग . . . 6.200

- (2) भूमि के नक्शे (प्लान) का अवलोकन, प्रशासक भू-अर्जन एवं पुनर्वास एवं पदेन उपसचिव राजस्व विभाग, जिला रीवा के कार्यालय से किसी भी कार्य दिवस के कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

बी.एस. कुलेश, प्रशासक एवं पदेन उपसचिव.

राजस्व विभाग
मंत्रालय वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 7 सितम्बर, 2018

एफ. 2-9/2018/सात/शा.6- मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता, 1959 (क्रमांक 20 सन् 1959) की धारा 258 की उप-धारा (2) के खण्ड (उन्नीस) के साथ पठित धारा 104 की उप-धारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा, यह घोषणा करती है कि नगर सर्वेक्षकों के अन्य कर्तव्यों को विहित करने वाले नियम बनाए जाने तक अधिसूचना क्रमांक 3284-379-नौ-66 दिनांक 25 नवम्बर, 1967, यथा संशोधित अधिसूचना क्रमांक 956-3550-नौ दिनांक 16 अप्रैल, 1971 द्वारा बनाए गए, पटवारियों के अन्य कर्तव्य विहित करने वाले नियम, नगर सर्वेक्षकों को यथावश्यक परिवर्तनों सहित, लागू होंगे।

2. यह अधिसूचना मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता (संशोधन) अधिनियम, 2018 (क्रमांक 23 सन् 2018) के प्रवृत्त होने अर्थात् 25 सितम्बर, 2018 से प्रवृत्त होगी।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
हरि रंजन राव, प्रमुख सचिव.

भोपाल, दिनांक 7 सितम्बर, 2018

पृ0क्र0 एफ. 2-9/2018/सात/शा.6- भारत के संविधान के अनुच्छेद के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की सूचना क्रमांक एफ. 2-9/2018/सात/शा.6, दिनांक 07 सितम्बर, 2018 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
हरि रंजन राव, प्रमुख सचिव.

Bhopal, the 7th September, 2018

No. F. 2-9/2018/VII/Se.6- In exercise of the powers conferred by clause (xix) of sub-section (2) of section 258 read with sub-section (2) of section 104 of the said Code, the State Government, hereby, declares that the rules prescribing other duties of Patwaris made vide notification number 3284-379-IX-66 dated 25th November, 1967 as amended by notification number 956-3550-IX dated 16th April, 1971, shall apply *mutatis mutandis* to Nagar Sarvekshaks till the rules prescribing other duties of Nagar Sarvekshaks are made.

2. This notification shall come into force on the commencement of the Madhya Pradesh Land Revenue Code (Amendment) Act, 2018 (No.23 of 2018) that is 25th September, 2018.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh
HARI RANJAN RAO, Principal Secy.

भोपाल, दिनांक 7 सितम्बर, 2018

एफ. 2-9/2018/सात/शा.6- मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता, 1959 (क्रमांक 20 सन् 1959) की धारा 59 की उप-धारा (1) के खण्ड (च) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा, उक्त खण्ड (च) के अधीन किसी प्रयोजन के रूप में 'पूर्त प्रयोजन' के लिए भूमि का उपयोग अधिसूचित करती हैं। पूर्त प्रयोजन से अभिप्रेत है शारीरिक एवं मानसिक दिव्यांगजनों के लिए संस्थान, अनाथाश्रम, बालिकाओं एवं कामकाजी महिलाओं के लिए छात्रावास या वृद्धाश्रम की स्थापना करना।

2. यह अधिसूचना मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता (संशोधन) अधिनियम, 2018 (क्रमांक 23 सन् 2018) के प्रवृत्त होने अर्थात् 25 सितम्बर, 2018 से प्रवृत्त होगी।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
हरि रंजन राव, प्रमुख सचिव.

भोपाल, दिनांक 7 सितम्बर, 2018

पृ0क0 एफ. 2-9/2018/सात/शा.6- भारत के संविधान के अनुच्छेद के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की सूचना क्रमांक एफ. 2-9/2018/सात/शा.6, दिनांक 07 सितम्बर, 2018 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
हरि रंजन राव, प्रमुख सचिव.

Bhopal, the 7th September, 2018

No. F. 2-9/2018/VII/Se.6- In exercise of the powers conferred by clause (f) of sub-section (1) of section 59 of the Madhya Pradesh Land Revenue Code, 1959 (No. 20 of 1959), the State Government, hereby, notifies the use of land for 'charitable purpose' as a purpose under the said clause (f). The charitable purpose means establishment of an institute for physically and mentally challenged persons, an orphanage, a hostel for girls and working women or an old age home.

2. This notification shall come into force on the commencement of the Madhya Pradesh Land Revenue Code (Amendment) Act, 2018 (No.23 of 2018) that is 25th September, 2018.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh
HARI RANJAN RAO, Principal Secy.

भोपाल, दिनांक 7 सितम्बर, 2018

एफ. 2-9/2018/सात/शा.6- मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता, 1959 (क्रमांक 20 सन् 1959) की धारा 2 की उप-धारा (1) के खण्ड (फ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, तथा इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक 5259-290 सात-एन-नियम दिनांक 30 मई, 1960, को अतिष्ठित करते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा, अप्रैल के प्रथम दिन को, उस दिन के रूप में नियत करती है जिसको राज्य के भीतर समाविष्ट समस्त क्षेत्रों में राजस्व वर्ष प्रारंभ होगा।

2. यह अधिसूचना मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता (संशोधन) अधिनियम, 2018 (क्रमांक 23 सन् 2018) के प्रारंभ होने अर्थात् 25 सितम्बर, 2018 से प्रवृत्त होगी।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
हरि रंजन राव, प्रमुख सचिव.

भोपाल, दिनांक 7 सितम्बर, 2018

पृ0क्र0 एफ. 2-9/2018/सात/शा.6- भारत के संविधान के अनुच्छेद के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की सूचना क्रमांक एफ. 2-9/2018/सात/शा.6, दिनांक 07 सितम्बर, 2018 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
हरि रंजन राव, प्रमुख सचिव.

Bhopal, the 7th September, 2018

No. F. 2-9/2018/VII/Se.6- In exercise of the powers conferred by clause (v) of sub-section (1) of section 2 of the Madhya Pradesh Land Revenue Code, 1959 (No. 20 of 1959) and in supersession of the this department's Notification No. 5259-290 VII-N-Rules dated 30th May, 1960, the State Government, hereby, appoints the first day of April on which the 'revenue year' shall commence throughout the area comprised within the State.

2. This notification shall come into force on the commencement of the Madhya Pradesh Land Revenue Code (Amendment) Act, 2018 (No.23 of 2018) that is 25th September, 2018.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh
HARI RANJAN RAO, Principal Secy.

भोपाल, दिनांक 7 सितम्बर, 2018

एफ. 2-9/2018/सात/शा.6- मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता, 1959 (क्रमांक 20 सन् 1959) की धारा 58-क के खण्ड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा, अधिसूचित करती है कि उक्त संहिता की धारा 59 के अधीन, ग्राम में,-

(क) 200 वर्ग मीटर से अनधिक की कोई भूमि जो अनन्य रूप से आवासीय प्रयोजन के लिए उपयोग में लाई जाती है; या

(ख) 40 वर्ग मीटर से अनधिक क्षेत्र की कोई भूमि जो वाणिज्यिक प्रयोजन के लिए उपयोग में लाई जाती है;

जो किसी विकास योजना की सीमा के बाहर स्थित है, के संबंध में कोई भू-राजस्व देय नहीं होगा तथा कोई प्रीमियम अधिरोपित नहीं किया जाएगा।

2. यह अधिसूचना मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता (संशोधन) अधिनियम, 2018 (क्रमांक 23 सन् 2018) के प्रवृत्त होने अर्थात् 25 सितम्बर, 2018 से प्रवृत्त होगी।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
हरि रंजन राव, प्रमुख सचिव.

भोपाल, दिनांक 7 सितम्बर, 2018

पृ0क्र0 एफ. 2-9/2018/सात/शा.6- भारत के संविधान के अनुच्छेद के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की सूचना क्रमांक एफ. 2-9/2018/सात/शा.6, दिनांक 07 सितम्बर, 2018 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
हरि रंजन राव, प्रमुख सचिव.

Bhopal, the 7th September, 2018

No. F. 2-9/2018/VII/Se.6- In exercise of the powers conferred by clause (b) of section 58-A of the Madhya Pradesh Land Revenue Code, 1959 (No. 20 of 1959), the State Government, hereby, notifies that no land revenue shall be payable and no premium shall be imposed under section 59 of the said Code, in respect of any land,-

(a) not exceeding 200 square meters which is used exclusively for the purpose of dwelling house; or

(b) not exceeding an area of 40 square meters which is used for commercial purpose;

in a village which is situated beyond the limits of any development plan.

2. This notification shall come into force on the commencement of the Madhya Pradesh Land Revenue Code (Amendment) Act, 2018 (No.23 of 2018) that is 25th September, 2018.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh
HARI RANJAN RAO, Principal Secy.